सप्तम माला, खंड 50, अंक 16 सोमवार, 13 अगस्त, 1984/22 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 13 अगस्त, 1984/22 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 3, पंक्ति 5, "अध्यक्ष महोदय" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 16, ता0प्र0संख्या "x311" के स्थान पर "x312" पढ़िये।

पृष्ठ 6, अंतिम पंक्ति "गुस्सा उदार्शित कर लूंगा" के स्थान पर "आपका गुस्सा बदार्शित कर लूंगा। परन्तु वोटर्स का बदार्शित नहीं करूंगा।" पढ़िये

पृष्ठ 8, पंक्ति 2, "श्री कमलनाथ" के स्थान पर "श्री कमल नाथ" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 21, "राज्य" के स्थान पर "बहु-राज्य" पढ़िये।

पृष्ठ 17, पंक्ति 14, और पृष्ठ 62, पंक्ति 21, "श्री एन0डेनिश" के स्थान पर "श्री एन0डेनिस" पढ़िये।

पृष्ठ 34, नीचे से पंक्ति 5, "सुब्रमण्यम" के स्थान पर "सुब्रह्मण्यम" पढ़िये।

पृष्ठ 97, पंक्ति 2, "भोथे" के स्थान पर "भोये" पढ़िये।

पृष्ठ 108, पंक्ति 22, "मुत्तेभवार" के स्थान पर "मुत्तेमवार" पढ़िये।

पष्ठ 133, नीचे से पंक्ति 5, "श्री बाजू बान रियॉन" के स्थान पर "श्री बाजू बन रियान" पढ़िये।

पृष्ठ 152, पंक्ति 25, "श्री मनोरंजन भगत" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त पढ़िये।

पृष्ठ 207, पंक्ति 7, "673827·62" के स्थान पर "679827·62" पढ़िये।

पृष्ठ 210, पंक्ति 13, "ऑल" के स्थान पर "ऑफ" पढ़िये।

पृष्ठ 235, अंतिम पंक्ति, "2808 5·55" के स्थान पर "2004 5·55" पढ़िये ।

पृष्ठ 249, नीचे से पंक्ति 7, "पारघो" के स्थान पर "पारधो" पढ़िये ।

पृष्ठ 272, पंक्ति 7, "पुस्ताकालय" के स्थान पर "ग्रन्थालय" पढ़िये।

पृष्ठ 279, अंतिम पंक्ति "मंडल" के स्थान पर "मैडल " पढ़िये ।

पृष्ठ 280, पंक्ति 16, "एजोनमिंट" के स्थान पर "एडजोनमिंट" पढ़िये ।

पृष्ठ 281, पंक्ति 10, "अध्यक्ष महोदय" कालोप कीजिये ।

पृष्ठ 282, पंक्ति 6, "श्री ईश [illegible]रासु" के स्थान पर "श्री ईरा अनबारासु" पढ़िये ।

पृष्ठ 313, नीचे से पंक्ति 5, "[illegible]ी एन0के0 राजेबलवर" के स्थान पर "श्री एन0के0 शेजवलकर" पढ़िये ।

पृष्ठ 316, नीचे से पंक्ति 2, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 317, प्रथम पंक्ति "श्री चिन्तामणि पणिग्रही" के स्थान पर "श्री चिन्तामणि पाणिग्रही" पढ़िये ।

पृष्ठ 343, "श्री सुबोध सेना" के स्थान पर "श्री सुबोध सेन" पढ़िये ।

पृष्ठ 350, पृष्ठ संख्या "250" के स्थान पर "350" पढ़िये ।

पृष्ठ 352, पंक्ति 14, "{बारसार}" के स्थान पर "{बारसाट}" पढ़िये ।

पृष्ठ 404, पंक्ति 20 "श्री सुधीर गिरी" के स्थान पर "श्री सुधीर गिरि" पढ़िये ।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 50, पन्द्रहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 16, सोमवार, 13 अगस्त, 1984/22 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**5—21**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 312 से 314, 316, 318, 324 और 326	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**21—279**
तारांकित प्रश्न संख्या : 315, 317, 319 से 323, 325 और 327 से 333	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3063 से 3155, 3157 से 3198, 3200 से 3222, 3224 से 3289, 3291 से 3296 और 3296क	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	**284—286**
राज्य सभा से सन्देश	**286—287**
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**287—316**
कृषि आदानों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उपज का मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री राजेश पाइलट	287
श्री योगेन्द्र मकवाना	287
राव वीरेन्द्र सिंह	295
श्री सत्य नारायण जटिया	302
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	307

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	316—321
(एक) सरायकेला तथा खरसुआं क्षेत्रों के विद्यालयों और कालेजों में उड़िया भाषा पढ़ाने की सुविधा की व्यवस्था करने और रांची विश्वविद्यालय में उड़िया भाषा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता	316
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	
(दो) यूं० एन० आई० के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	317
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	
(तीन) वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई तथा पशुओं के चराने से हो रहे नुकसान को रोकने की आवश्यकता	317
श्री आर० पी० गायकवाड़	
(चार) वर्ष 1979 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों के आंदोलन के कारण सेवा से हटाये गये कार्मिकों को मानवीय आधार पर पुनः सेवा में वापस लेने की आवश्यकता	318
श्री जैनुल बशर	
(पांच) चौपन (मिर्जापुर) में रेलों का एक प्रमण्डलीय मुख्यालय खोलने की आवश्यकता	318
श्री राम प्यारे पनिका	
(छः) बाढ़ नियन्त्रण के लिए हरियाणा सरकार को दिये गये धन का उपयोग न किया जाना	319
श्री मनी राम बागड़ी	
(सात) जयपुर में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु बनास परियोजना के लिये धन मंजूर करने की आवश्यकता	320
श्री सतीश अग्रवाल	
(आठ) बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर प्रखण्ड के बाढ़ग्रस्त लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाने की आवश्यकता	320
श्री रामविलास पासवान	

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में विधिक संकल्प	
और	
राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक	321—408
विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव	321—382
श्री जार्ज फर्नान्डीस	321
श्री पी० वी० नरसिंह राव	338
श्री सत्यगोपाल मिश्र	342
श्री सुबोध सेन	343
श्री जगन्नाथ राव	345
श्री राजेश कुमार सिंह	347
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी	349
श्री एन० के० शेजवलकर	351
श्री राम प्यारे पनिका	354
श्री टी० नागरत्नम	357
श्री बृजमोहन महन्ती	360
श्री विजय कुमार यादव	362
श्री उमा कान्त मिश्र	364
श्री चित्त बसु	366
श्री गिरधारी लाल व्यास	369
श्री जी० एम० बनातवाला	372
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	377
श्री ए० के० राय	379
खण्ड 2 से 5 और 1	
पारित करने के लिये प्रस्ताव	382—408
श्री पी० वी० नरसिंह राव	382

लोक सभा

सोमवार, 13 अगस्त 1984/22 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : आज श्रीलंका के लिए टाइम दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीलंका की सरकारी एजेंसियों, पुलिस तथा सेना द्वारा सैकड़ों निर्दोष तमिलों की हत्या की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका तथा इज्राइल की सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री ईरा अनबारासु : श्रीमान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ मे ले जाया जाना चाहिए। सेना भेजी जानी चाहिए। भारत सरकार को इस घटना की निन्दा करनी चाहिए। सरकार को एक वक्तव्य जारी करके इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सुनिए। कृपया सुनिए। क्या आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं? कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे? आप सारे एक साथ बोलते हैं। कोई भी नहीं सुन पाता और आपका कहा व्यर्थ जाता है। मै सभा की भावनाओं को जानता हूं। मैं भी वहां की घटनाओं से चिंतित हूं। वे हमारे लोग हैं। कई बातों में उनमें तथा हमारे देश में समानताएं हैं। यह सच है कि इस मामले में सारी सभा की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप दोनों, प्रो० तिवारी तथा श्री अनबारासु, से सहमत हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री तिवारी हमारी सरकार की उसकी असफलता के लिए निन्दा करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : चाहे यह सरकार हो या कोई और सरकार हो, यह किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है सारी सभा को चिंता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

श्री मनीराम बागड़ी : आप पहले मेरी बात सुन लें तो मसला हल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सबकी बात सुन तो ली है। पहले आप मेरी बात सुन लें, तो हमारा मसला हल हो जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात सुनने से फायदा होगा।'''(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फायदा तो बाद में होगा, पहले आप मेरी बात सुन लें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मसला सभा के सभी वर्गों की चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों की एक बैठक बुलाऊंगा जिसमें यह विचार होगा कि इस मामले पर किस रूप में चर्चा की जाए। या जो भी कार्रवाई आप सभा में करवाना चाहें। मैं इस संबंध में सोचूंगा। मेरे विचार में यही अधिक उपयुक्त होगा। श्री बूटासिंह कृपया बैठक के समय के बारे में आप सदस्यों से परामर्श कर लें और इसके लिए तैयार हो जाएं। जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें आशा है कि सरकार एक बयान देकर स्थितियों स्पष्ट करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहेंगे हम करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें इस पर आज ही कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर सहमत होंगे तो हम ऐसा ही करेंगे। बैठक में आप कोई उपाय सुझाइयेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार को चाहिए कि'''गृह युद्ध के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी तो यही कहा है। पहले हमें बैठक में एक राय बनानी चाहिए फिर हम आगे कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप 12.30 बजे भी बैठक रख सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : हम बैठक में चर्चा की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। जहां तक वक्तव्य का प्रश्न है ; यह सरकार का काम है। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। श्री बूटासिंह, यह बैठक 12.30 बजे हो सकती है।

श्री मनीराम बागड़ी : स्टेटमेंट के बारे में किसी को क्या एतराज हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कई और तरीके हो सकते हैं। इसमें आप को एतराज क्या है। जो कहोगे, कर लेंगे। मीटिंग में इसको तय कर लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : मीटिंग से पहले स्टेटमेंट देने में क्या एतराज है। मिनिस्टर स्टेटमेंट दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बिला-वजह बहस कर रहे हैं।

'''(**व्यवधान**)'''

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री मनोराम बागड़ी : स्टेटमेंट को इसमें क्यों शामिल कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्टेटमेंट को शामिल नहीं कर रहा हूं ।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसे करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा ।

श्री मूल चन्द डागा : क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप की प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से पूछना चाहते हो ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं यह कह रहा हूं कि मेरा सवाल कुछ और था और उसको काट दिया और आप के आफिस ने नहीं काटा है बल्कि मंत्री महोदय के आफिस ने काटा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरा क्वेश्चन यह था । पहला क्वेश्चन था ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मंत्रालय को तो कुछ नहीं करना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर शिकायत क्यों करते हो, प्रिविलेज का मोशन लाओ ।

श्री मूल चन्द डागा : मेरा क्वेश्चन यह था :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 से लेकर आज तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना अथवा पेय जल योजना के लिए राजस्थान को कुल कितनी राशि दी गई और उससे कितने गांवों की समस्या का निराकरण हुआ ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पाली जिले में किन-किन गांवों में पेय जल समस्या का निराकरण कर लिया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा कौन-कौन गांव समस्या ग्रस्त हैं ? उनका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा और जिन गांवों में पानी दिया है, उनकी कृपया सूची दें ।

यह मेरा क्वेश्चन था और इन्होंने इसको (क) तक ही कन्फाइन कर दिया है । आपने 1981 में ऐसा ही क्वेश्चन एलाऊ किया हुआ है और वहां पर डिटेल में सूची दी गई है कि इन गांवों को कवर किया गया है और इन गांवों को कवर नहीं किया गया है इस प्रकार से आपके आफिस से जो हुकम हुआ है, उसकी मंत्रालय ने पालना नहीं की ।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । सवाल यह आकर होता है कि वितरण और व्यवस्था में

पैसा जो खर्च होता है, वह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्टवाइज होता है और यह स्टेट का सवाल है यह काम राज्य करता है। राज्य की एजेंसियां धन उपलब्ध करती हैं इसीलिए यह इस रूप में है। हम इसके बारे में राज्य सरकार से जानना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : क्वेश्चन एमेंड करने का सवाल किसी को नहीं है। आप क्वेश्चन रिजेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन एमेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन एमेंड करने से पहले मेम्बर की राय ली जाती है और इस ग्राऊन्ड पर क्वेश्चन एमेंड नहीं कर सकते कि यह स्टेट सबजेक्ट है।...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द डागा : जनाब मैंने राय दे दी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मान ली थी। लेकिन हमारे विभाग ने उस क्वेश्चन को काट दिया।

(**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : यह वाद-विवाद हो रही है या प्रश्न-काल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि आप इसे वाद-विवाद का समय मानते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किस नियम के अधीन ऐसा कर सकते हैं। आप मुझे बैठने के लिए विवशकर सकते हैं और मैं बैठ भी जाऊंगा। लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप मेरे अनुदेश के बिना ही कह रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मुझे इस सम्बन्ध में पूछने का अधिकार नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या 312

श्री बूटा सिंह : अब आप बैठ जाए। मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और इसी में आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे रहा हूं और इसी में आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे दूंगा मुझे सारे मामले को स्पष्ट करना है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य श्री मूलचंद डागा को, जो इस सभा के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रश्न लोक सभा सचिवालय द्वारा छापे जाते हैं। मंत्रालय केवल जानकारी देता है; और यदि आपका कोई मतभेद है तो इसके बारे में आपको लोक सभा सचिवालय से बातें करनी चाहिए। इस बात को सभा में रखने से कोई लाभ नहीं है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय को कुछ नहीं करना है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं पहले ही अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर चुका हूं और वे इप पर सहमत हैं तथा यह प्रश्न आपको अग्रेषित किया गया है। कृपया अपना रिकार्ड देखिए। मुझे इस तरह से मत कहिए। मुझसे आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : यदि इन्हें प्रक्रिया समझ नहीं आई है तो मैं केवल सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पास लिखित रूप में है।

श्री बूटा सिंह : मेरे मंत्रालय में मुख्य प्रश्न प्राप्त हुआ था, मैंने वही पढ़ा है तथा उसका उत्तर दिया है। हमारी मंत्रालय में लोक सभा सचिवालय से जिस रूप में प्रश्न प्राप्त हुआ उसी रूप में वह सूची में छपा है तथा हमने उसका उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इन्होंने मेरे साथ बात कर ली होती तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो बात साफ है। हमने अपने स्तर पर ऐसा किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने अपने आप ऐसा किया था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता

*311. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1980 से लेकर आज तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना अथवा पेय जल योजना के लिए राजस्थान को कुल कितनी राशि दी गई और उससे कितने गांवों की समस्या का निराकरण हुआ है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य को समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पहचाने गए ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए 1980 से अब तक 10,008.62 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त 1983-84 के दौरान सरकार को निष्पादन पर आधारित नवीन केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 750 लाख रुपए की राशि दी गई थी। 30 जून, 1984 तक 19,803 समस्या ग्रस्त ग्रामों में से 13,970 समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत सहित लाभान्वित किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पांचवी योजना तक आपने 1,076 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। यह आपने क्वेश्चन के आंसर में कहा था। अब आपने आंसर दिया है, आपके डिपार्टमेंट ने आंसर दिया है।

इसका उत्तर 23 नवम्बर, 1981 को दिया गया था जो इस प्रकार हैं :

"छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्याग्रस्त गांवों में जल का कम से कम एक साधन उपलब्ध कराने की योजना होगी ; और समस्याग्रस्त गांवों के लिए ग्रामीण पेय जल योजना के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 429 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करके 2700011 करोड़ रुपए किया गया है।"

आपने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना तक हर गांव में पीने के पानी को उपलब्ध कर दिया जायेगा। यह आपका आंसर है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 1984 के अन्दर आज आप उत्तर दे रहे हैं कि राजस्थान के छह हजार गांव अभी तक नहीं किए गए हैं पहले प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया। चार प्रोग्राम आपके चलते हैं, एक्सीलरेटेड रूरल वाटर प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और बीस सूत्री कार्यक्रम का आठवां सूत्र है कि हर गांव में पानी दिया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे पाली जिले में कितने गांवों में पैसा दिया ? उसको आप मानीटर करते हैं या नहीं ? वहां के किन-किन गांवों की समस्या हल हो गई और कितने गांव आज रह गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है छठी योजना में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत 2,007 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सेन्ट्रली स्पोंसर्ड एक्सीलटेटिड रूरल वाटर प्रोग्राम के लिए कुल मिलाकर 2007 करोड़ रुपये रखे गए थे। 1981 में दिए गए उत्तर में कोई गलती नहीं है।

जहां तक पाली जिले का सम्बन्ध है, 416 गांवों को समस्या ग्रस्त गांव माना गया है जिसमें से 6 जून 1984 तक 33 गांव कवर हुए हैं 1984-85 में 55 गांव और कवर हो जाएंगे। और 24 गांव बचेंगे जिन्हें सातवीं योजना में किया जाएगा।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, फीगर्श का सवाल नहीं है लेकिन मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं कि कृपा करके मेरे जिले के गांवों का एक दिन के लिए दौरा कर लें। कितने हैण्ड पम्प आपने लगाये है जोकि आज काम नहीं कर रहे हैं अखबारों में भी वह खबर छपी है कि कितने लोग खारा पानी पीने के कारण मौत के शिकार हुए हैं ? आपने 377 गांव बताए हैं। यह बता दीजिए कि कितने गांवों में हैण्ड पम्प लगाए गए ? कितने गांवों में जल प्रदाय योजना लागू हुई और कितनी धन राशि खर्च हुई ? अगर आज डिटेल्स में नहीं बता सकते तो कल बता दीजिए। वहां पर यह योजना लागू नहीं हुई है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने पहले ही सम्मान्य सभा को बताया है कि 337 गांव कवर हुए हैं। इसका अर्थ है कि वहां हैन्डपम्प लगाए गए हैं। यदि कहीं-कहीं कोई कमी रह गई हो तो राज्य सरकार को चाहिए कि उसे पूरी करे और इसके लिए उचित कदम उठाये।

श्री मूल चंद डागा : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाने में मदद करेंगे ? मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। मैं जानता हूं, आपको गुस्सा आ रहा है। कितने गांवों में हैन्डपम्प लगाए गए हैं ? कितने कुएं खोदे गए हैं ? पानी पीने वालों का गुस्सा तो और भी ज्यादा होता है। गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप और प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री मूल चंद डागा : मेरा प्रश्न इससे भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है। यदि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं ?

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

आप सुनिए। मैं कह रहा हूं कि इस समस्या का हल राज्य सरकार द्वारा जिले स्तर पर ही किया जाना है। इसलिए इस प्रश्न के एक भाग की अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री सतीश अग्रवाल : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद भी इस देश में 100,000 गांवों के लाखों लोगों को अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन वर्षों में हमने 300 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि योजनाएं बनाने में खर्च कर दी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की इस मूल आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। राजस्थान की विचित्र स्थिति को देखते हुए, जहां इस वर्ष बहुत कम वर्षा हुई है, जयपुर में तो हुई ही नहीं, और जयपुर में तो पीने के पानी का भी राशन कर दिया गया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। शेष 6000 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कर रहे हैं और इस वर्ष राजस्थान में वर्षा की कमी को देखते हुए आप शहरों में भी पीने के पानी के लिए क्या कर रहे हैं ? क्या उन 6000 गांवों को सातवीं योजना के अंत तक भी पानी मिल पाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या आप आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : दुर्भाग्य में सौभाग्य भी होता है। यह सौभाग्य की बात है कि इन तीन वर्षों अर्थात 1980 में सम्पूर्ण देश में 2.30 लाख और इसके लगभग गांवों को वास्तव में समस्या प्रधान गांव माना गया है। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, 19734 गांवों का पता लगाया गया है, उनमें से 13970 गांवों में कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 1984-85 में 2500 गांवों में भी कार्य शुरू कर दिया जायेगा। अंत में 15000 तथा इसके लगभग गांवों में कार्य शुरू किया जाएगा और राजस्थान में 3000 और इसके लगभग गांव शेष रह जायेंगे। जहां तक केन्द्र द्वारा चालू त्वरित आपूर्ति योजना का सम्बन्ध है, हम पहले ही इसके लिए 107,65,35000/-रुपए दे चुके हैं जिसमें प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रुपए शामिल है जबकि राज्य सरकारों ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही 61,18,65,000 रुपए आबंटित किए हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी हैं कि समस्या प्रधान गांवों में कार्य शुरू किया गया है। लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ कमी हो सकती है। उसके बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

श्री बूटा सिंह : कम वर्षा के सम्बन्ध में उनको इन्द्र देवता से प्रश्न पूछना चाहिए न कि प्रधान-मंत्री इंदिरा से।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का खुले स्थानों में भण्डारण

*313. +**श्री कमलनाथ :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश में निगम के पास अपर्याप्त भण्डारण क्षमता होने के कारण लगभग 6 लाख टन खाद्यान्न खुले स्थान में पोलीथीन से ढक कर रखा था;

(ख) आकस्मिकता का पूर्वानुमान न लगा सकने और खाद्यान्नों को वर्षा से बचाने हेतु उनका उचित स्थान पर भण्डारण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

इलेक्ट्रानिक्स विभागों में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) ढकी हुई भण्डारण क्षमता के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा 30-6-84 को उत्तर प्रदेश में पोलीथीन की चादरों के नीचे खुले में रखा गया खाद्यान्न का स्टाक 5.09 लाख मीटरी टन था। इन स्टाकों को हानियों से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं।

(ख) निगम ने उत्तर प्रदेश में पर्याप्त अतिरिक्त ढकी हुई भण्डारण क्षमता की व्यवस्था की थी। फिर भी, चालू वसूली-मौसम के दौरान कुल सुलभ क्षमता आवश्यकता से कम पड़ गई थी क्योंकि वसूली और स्टाक की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थी।

(ग) उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए जून, 1985 तक 3.69 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। निगम सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, राज्य भाण्डागार निगम तथा अन्य स्रोतों से यथासम्भव उपलब्ध अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने लिए भी प्रयत्न करेगा।

श्री कमलनाथ : 6 लाख टन खाद्यान्न को रखने के लिए भण्डारण की कमी की समस्या पैदा हुई है। पंजाब के बाद खाद्यान्न के उत्पादन में अब उत्तर प्रदेश ने हरियाणा के स्थान पर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसा अचानक ही नहीं हो गया। यह पता लगा कि गत अनेक वर्षों से उत्पादन तथा वसूली निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। दो दशकों से भी अधिक समय तक एक समस्या खाली गोदामों की थी। इस वर्ष समस्या गोदामों के भरपूर होने की है। चूंकि समस्या का इस कारण से पता लगा था कि उत्पादन और वसूली बढ़ रही थी यह कैसे कह सकते हैं कि भण्डारण क्षमता पैदा करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गये। खाद्यान्न को खुले स्थान पर रखना पड़ता था और पालीथिन में खाद्यान्नों को रखने के लिए फायर ब्रिगेड तथा अन्य आपातकालीन उपाय करने पड़ते थे। एक ओर हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम उनका भण्डारण भी नहीं कर सकते हैं, खाद्यानों को चूहे खा जाते हैं और अन्य कारणों से बरबाद हो जाते हैं अतः मेरा प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों को पहले क्यों नहीं बताया गया ? क्या यह लापरवाही या कर्तव्य के प्रति लापरवाही का कारण था ? या स्थिति के यहां तक पहुंचने के कारण क्या थे ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : माननीय सदस्य का प्रश्न इस कल्पना पर आधारित है कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन तथा वसूली नियमित रूप से बढ़ रही है और इसलिए हमने उसके लिए प्रावधान क्यों नहीं किया ? वर्ष 1980-81 में कुल वसूली 20.84 लाख टन की गई थी, वर्ष 1981-82 में यह लगभग 21.06 लाख टन थी अर्थात 0.22 लाख टन अधिक और वर्ष 1982-83 में यह 20.04 लाख टन थी अर्थात पिछले वर्ष 1980-81 से 1982-83 में उत्पादन लगभग समान था। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों का इस बात के लिए आभारी हूं कि वर्ष 1983-84 में उन्होंने गत तीन वर्षों की तुलना में उत्पादन में भारी वृद्धि की जबकि उत्पादन प्रायः समान था। वसूली बढ़कर 9.23 लाख टन हो गई अतः यह एक भारी वृद्धि है। यही नहीं, कि हमने इसका अनुमान नहीं लगाया था। हमने इसका अनुमान लगाया क्योंकि वर्ष 1983-84 और जून, 1984 तक हमने 7.49 लाख टन के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण तथा किराये पर प्रबन्ध किया। लेकिन 1-7-84 को उत्तर प्रदेश में खाद्यानों का स्टाक 31.8 लाख टन हो गया यह वर्ष 1983 में उसी दिन केवल 19 लाख टन था। अतः वृद्धि अत्यधिक है; लगभग 12 लाख टन की। यह पिछले वर्ष में उतनी नहीं थी जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद, हमने व्यवस्था की है और वास्तव में 5 लाख टन के लिए कमी है। हमारा विचार है कि जून, 1985 तक हम जितनी वसूली कर रहे हैं उसके लिए भण्डारण क्षमता पूरा कर पाना हमारे लिए संभव होगा। भण्डारण क्षमता में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं होती है जितनी तेजी से उत्पादन में वृद्धि होती है। हमारी योजना थी, हमारा अनुमान था, लेकिन मुझे किसानों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे सभी अनुमानों तथा निर्माण को पीछे कर दिया। यह माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर है।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास फायर ब्रिगेड या आपातकालीन उपाय नहीं हैं। इसे करने का सी० ए० पी० एक जाना माना तरीका है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब हमने देश से काफी प्रतिशत सी० ए० पी० हटा दिया है और इसे घटाकर बहुत कम कर दिया है।

श्री कमलनाथ : इन प्रयासों के बावजूद, भण्डारण की कमी है। यह भण्डारण क्षमता को बढ़ाने का प्रश्न नहीं है प्रश्न यह है किया जो भण्डारण क्षमता पैदा की जा रही है वह पर्याप्त है ? उत्तर प्रदेश में ही 10 लाख टन खाद्यान के लिए भण्डारण क्षमता नहीं है। मंत्री महोदय ने अभी-अभी अपने उत्तर में कहा है कि जून, 1984 तक 3.69 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता पैदा की जाएगी। यह आंकड़े बहुत अच्छे तथा सुन्दर हैं लेकिन प्रश्न यह है कि वह पर्याप्त है ? यह पर्याप्त नहीं है। अंतर बढ़ रहा है क्योंकि उत्पादन तथा वसूली में वृद्धि होगी। यह कहानी केवल उत्तर प्रदेश के बारे में है। यदि हम समस्त देश में अगले चार या पांच वर्षों के भीतर में पर्याप्त भण्डारण क्षमता पैदा नहीं करते हैं तो क्या स्थिति लेगी।

यह केवल उत्तर प्रदेश का प्रश्न नहीं है। हम प्रत्येक राज्य में खाद्यानों के उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना कर रहे हैं। अतः हम भारी उत्पादन या अन्य किसी प्रकार की घटनाएं होने पर संकट की स्थिति पैदा होना देख नहीं सकते हैं। हमें सपूर्ण देश को देखना है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के सभी क्षेत्रों के लिए भण्डारण क्षमता में नियोजित वृद्धि क्या है क्योंकि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने विस्तार से क्यों कह रहे हैं।

श्री कमलनाथ : उन्हें मेरे प्रश्न को समझना चाहिए अन्यथा वे उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह समझने में अत्यधिक समर्थ हैं।

श्री कमलनाथ : प्रश्न यह है कि बढ़ी हुई क्षमता के लिए योजना केवल आवश्यकतानुसार नहीं होनी चाहिए लेकिन आजकल यह आवश्यकता के आधार पर भी नहीं हैं बल्कि आवश्यकता से भी कम है। इससे आवश्यकता पूरी नहीं होगी। वस्तुतः अन्तर में वृद्धि होगी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री कमलनाथ : अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश के लिए क्या नीति है ? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न को समझ लिया है। अब मेरा उनसे निवेदन है कि वह मेरे उत्तर को समझें। 1 जुलाई, 1984 को देश में कुल स्टाक 21.55 मि० टन रहा है। उसको लेकर हमारे भण्डारण में 85 प्रतिशत खाद्यान्न का भण्डारण किया गया है। हम प्रायः ऐसा करते हैं। यद्यपि हमने उत्तर प्रदेश में 93 प्रतिशत खाद्यान्न का भण्डारण किया है। बंद भण्डारण के लिए खाद्यान की कुल आवश्यकता 24.8 मि० टन की होनी चाहिए। अतः आज 21.5 मि० टन की आवश्यकता है, जो इन सभी वर्षों में देश में सबसे अधिक रिकार्ड उत्पादन है हमारा स्टाक है। आजकल हमारी भण्डारण क्षमता 18.64 मि० टन है। अतः भण्डारण क्षमता लगभग 3 मि० टन कम है। छठी योजना में 190 करोड़ रुपए की लागत से 35.6 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कराने का हमारा लक्ष्य है। अब तक हमने 17.52 लाख टन का निर्माण किया है। यदि आप छठी योजना के अनुसार चलें तो गत वर्ष का हमारा लक्ष्य लगभग 18.1 लाख टन है। लेकिन मुझे सभा को यह बताने में खुशी है कि जून, 1985 तक 1 वर्ष में हम 27.57 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने में सफल हो जायेंगे। जो भारी वृद्धि होगी। हमने त्वरित कार्यक्रम बनाया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि अगले वर्ष हम जितनी भी वसूली करेंगे उसके लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता पैदा करना हमारे लिए सम्भव होगा। लेकिन जैसाकि उत्तर प्रदेश ने उत्पादन में भारी वृद्धि की है। अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। उस विचार को सम्पूर्ण देश के लिए ध्यान में रखते हुए, छठी योजना के लक्ष्य के अनुसार अगले जून तक 27.5 लाख टन के लिए भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए हमने एक त्वरित कार्यक्रम बनाया है। यह उस सम्पूर्ण वसूली के लिए बहुत ही अच्छा होगा जिसे हम करेंगे। अतः हमारे पास एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के साथ चल रहे हैं।

पट्टे वाले भूखण्डों को पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्डों में बदलना

*314. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में पट्टे वाले भूखण्डों को पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्डों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ;

खेल विभाग में, निमाण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली में रियायशी सम्पत्तियों से सम्बन्धित पट्टाधारिता पद्धति के

उन्मूलन या संशोधन के प्रश्न की विभिन्न पहलुओं और भू-धृति पद्धति पर सम्भावित प्रतिक्रियाओं तथा सामाजिक और वित्तीय फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। इस स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं कि कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : दिल्ली में यह पद्धति कब से प्रचलित है तथा किन कारणों और परिस्थितियों के भीतर सरकार ने पट्टे वाले भूखण्डों को पूर्ण स्वामित्व वाले भूखण्डों में बदलने का प्रस्ताव किया है ? दिल्ली में पट्टे वाली और पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति का क्या प्रतिशतता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : पट्टे वाली पद्धति 1911 से प्रचलित । मन्त्रिमण्डल समिति के समक्ष 1950 और 1960 में पट्टा पद्धति की पुनरीक्षा का मामला रखा गया था। इस समय रिहायशी, औद्योगिक व अन्य उद्देश्यों के लिए पट्टा पद्धति लागू है। बाद में 1977 और 1978 तथा उसके बाद भी मन्त्रिमण्डल समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि पट्टा पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 1980 में भी इस पर विचार किया गया था। इस समय सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इसे समाप्त किया जाए अथवा नहीं। पट्टा पद्धति का लाभ यह है कि इससे अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यों पर नियन्त्रण भी रखा जा सकता है। समय-समय पर मन्त्रिमण्डल समिति द्वारा इस पर विचार किया जाता रहा है। इस समय सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इसे पूर्णरूप से या आंशिक रूप से इस प्रकार समाप्त किया जाए कि भूमि पर सरकार का अधिकार बना रहे। इस समय सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। परन्तु इस समय मैं सम्मानित सदन में यह आश्वासन नहीं दे सकता कि सरकार कब तक इस बारे में निर्णय ले लेगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, माननीय मन्त्री ने पट्टे वाली भूमि और पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि की प्रतिशतता के बारे में नहीं बताया है, जो मेरा पहला प्रश्न था।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मैंने यही बताया है कि चाहे यह औद्योगिक, रिहायशी या किसी भी···

अध्यक्ष महोदय : आप पता करके बाद में दे दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि निर्णय कब तक लिया जाएगा ? तथा एक बार निर्णय लिए जाने के बाद···

अध्यक्ष महोदय : वह वह नहीं बता सकते। वह कह चुके हैं कि यह बताना उनके लिए सम्भव नहीं है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं अन्य रूप में अपना प्रश्न पूछता हूं। जब सरकार यह निर्णय ले लेगी कि पट्टे की भूमि को पूर्ण स्वामित्व की भूमि में बदला जाए तब क्या यह निर्णय हमेशा लागू होगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : जब हम एक पद्धति छोड़कर दूसरी पद्धति अपनाते हैं तो वह स्थायी होती है तथा पद्धति में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वह भी स्थायी होते हैं।

श्री भीकू राम जैन : क्या मन्त्री महोदय यह जानते हैं कि बहुत से ऐसे कटरे, छोटे घर, प्लांट ऐसे हैं जोकि पट्टा पद्धति के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व में आते हैं। उनसे इस वर्ष ही नहीं अपितु वर्षों से सरकार ने कभी भी कोई पैसा वसूल नहीं किया। क्या सरकार को इस बात का भी ध्यान है कि जबकि सरकार की आय उनसे कुछ भी नहीं है फिर भी उसे पट्टे का पैसा वसूल करने के लिए समाहर्ताओं पर काफी राशि व्यय करनी पड़ती है। क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इसी कारण से यह सब कटरे और मकान बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बरसात के दिनों में सरकार को इन मकानों की मरम्मत पर काफी पैसा व्यय करना पड़ता है जो कि पट्टे के कारण सरकार के कब्जे में मलबे के रूप में है। क्या सरकार के लिए यह फायदेमन्द नहीं होगा कि जो निर्धन व्यक्ति यहां सदियों से रह रहे हैं उन्हें इनका स्वामित्व दे दिया जाए। यह पद्धति मुगलकाल में शुरू की गई थी तब कोई दो पैसा प्रतिमाह या एक आना प्रतिमाह या एक रुपया प्रतिमाह देना था, इसे इकट्ठा करने के सरकार को प्रतिमाह 10 रु० व्यय करने पड़ते थे। तो सरकार के बदले सदियों से उसमें रह रहे व्यक्तियों को इसका स्वामित्व प्रदान करने की सुविधा कब तक व्यय के इस भार को वहन करती रहेगी ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस पद्धति में संशोधन का यह प्रमुख कारण है जिससे कि एक यथार्थवादी तथा कारगर पद्धति लाई का सके। हमने स्वयं इन कटरों को देखा है तथा हमें मालूम है कि वहां क्या परेशानी है। इसलिए हम यह चाह रहे हैं कि इस पुरानी प्रणाली को खत्म करके कम से कम प्रतिबंधों वाली एक नई पद्धति अपनाई जाए जिससे कि दिल्ली के लोग यह महसूस कर सकें कि उनका अपना भी है।

श्री भीकू राम जैन : यदि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेगी तो यह कब तक लागू हो जाएगा ? वह कह रहे हैं कि इस पर 1981 से विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह वह नहीं बता सकते। ऐसा वह पहले ही कह चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : नए मुगल अपना समय लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, 1980 के चुनाव में दिल्ली के नागरिकों से वादा किया गया था कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदल दिया जायेगा। यह वादा कार्पोरेशन और मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनावों में भी दोहराया गया। क्या समझा जाए कि वादा करने से पहले इस कदम के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था ? सरकार यह बताने में असमर्थ है कि कब तक फैसला करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह फैसला इसलिए लटकाया जा रहा है कि ऐन चुनाव के मौके पर किया जाए। मैं चाहता हूं कि बाबा बूटा सिंह जी इसका सही जवाब दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय क्या 'बाबा बूटा सिंह' शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जैसे आप 'दादा' कहते हैं ऐसे ही 'बाबा' भी कह सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे मन्त्री महोदय की इज्जत बढ़ती है।

श्री बूटा सिंह : इससे सिद्ध होता है कि हमारे इलेक्शन मेनीफेस्टो को वाजपेयी जी ने पढ़ा है। बड़ी खुशी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम तो पढ़ते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं।

श्री बूटा सिंह : बड़ी खुशी है कि वे पढ़ते हैं जो चीजें उसमें दी गई हैं, बहुत हद तक पूरी की गई हैं। इस चीज में भी हम फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यह बात सच है कि पिछले इलेक्शन में हमने वादा किया था और अगले इलेक्शन में तो हम और भी बड़े वादे करेंगे, इस वादे को पूरा करने के बाद।

प्रो० मधु दण्डवते : हम इसे अवश्य कार्यान्वित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप दिल्ली में ही ज्यादा रुचि क्यों ले रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय यह मामला दिल्ली से संबंधित है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह निर्णय मन्त्रिमण्डल द्वारा लिया जाना है, देश के अन्य क्षेत्रों में भी तो यही स्थिति है। यदि मंत्रि-मण्डल द्वारा दिल्ली के लिए ही निर्णय लिया जाता है तो क्या इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा क्योंकि कलकत्ता के आस-पास भी पट्टे की भूमि है तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में भी कुछ जमीन है ? क्या इसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू किया जाएगा ?

श्री बूटा सिंह : इस समय तो यह समस्या दिल्ली तक ही सीमित है तथा यदि यह सफल रही तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण

*316 **श्री राम प्यारे पनिका** :

श्री एन० डेनिस :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन शर्तों पर लिया गया है और कितना ऋण लिया गया है ;

(ग) ये सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं और उक्त ऋण से ये किन स्थानों पर शुरू की जाएंगी और परियोजनाओं के पूरा होने में संभवत: कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) इन परियोजनाओं से कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार विश्व बैंक से 1961 से सिंचाई परियोजनाओं के लिए क्रेडिट तथा ऋण प्राप्त करता रहा है।

(ख) विश्व बैंक से क्रेडिट तथा ऋणों की शर्तें एवं निबन्धन **उपाबंध-1** में दिए गए अनुसार हैं। 1961 से, भारत सरकार 2669.14 मिलियन अमरीकी डालरों के विश्व बैंक क्रेडिट ऋणों को अन्तिम रूप देने में सफल हुई है।

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनके सम्बन्ध में सूचना **उपाबंध-2** में दी गई है।

(घ) इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

उपाबन्ध-1

विश्व-बैंक की सहायता दो प्रकार की है। आसान शर्तों पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) से क्रेडिट तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) से विशिष्ट शर्तों पर ऋण। इन दोनों संगठनों को सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है।

आई० डी० ए० : आई० डी० ए० क्रेडिट दस वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित सामान्यतः 50 वर्षों की अवधि के लिए होता है। इसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता परन्तु क्रेडिट की संवितरित न की गई शेष राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का वचनबद्धता शुल्क तथा संवितरित राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष का सेवा-प्रभार लिया जाता है।

आई० बी० आर० डी० : आई० बी० आर० डी० ऋण पर बैंक द्वारा प्रत्येक छः महीने में निर्धारित दर से ब्याज लिया जाता है। ऋण 4 वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित 20 वर्षों में अदा करना होता है। इसके अतिरिक्त संवितरित न की राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष वचनबद्धता शुल्क तथा संवितरित की गई राशि पर भी 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष अग्र-छोर फीस (फ्रंट एण्ड फी) लगाई जाती है।

उपाबन्ध-2

राज्य का नाम	परियोजना का नाम/ क्रेडिट/ऋण सं०	एजेन्सी	बाह्य सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालरों में)	विश्व बैंक को प्रस्तुत परियोजना के भाग की लागत (मिलि० रु० में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र देश	1. आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमा क्षेत्र विकास (संख्या 1251-आई० एन०)	आई० बी० आर० डी०	145.00	2673

1	2	3	4	5
गुजरात	1. दूसरी गुजरात सिंचाई (1011-आई०एन०)	आई० डी० ए०	175.00	3024
	2. गुजरात मध्यम-II (रिपीटर)	आई० डी० ए०	172.00	3716
हरियाणा	1. हरियाणा सिंचाई-II परियोजना (1319-आई० एन)	आई० डी० ए०	150.00	2703.6
कर्नाटक	1. कर्नाटक सिंचाई (788-आई० एन)	आई० डी० ए०	117.64	2445.4
	2. कर्नाटक टैंक सिंचाई (1116-आई० एन०)	आई० डी० ए०	54.00	650.0
महाराष्ट्र	1. दूसरी महाराष्ट्र सिंचाई (954-आई० एन०)	आई० डी० ए०	210.00	3858.0
	2. महाराष्ट्र जल का उपयोग (सी० आर० 1383-आई एन)	आई० डी० ए०	32.00	741.60
	एल० एन 2308-आई० एन०	आई० बी० आर० डी०	22.00	
उड़ीसा	1. महानदी बराज (1078-आई० एन०)	आई० डी० ए०	83.00	926.00
	2. उड़ीसा सोपान-II (1397-आई० एन०)	आई० डी० ए०	105.00	1335.60
पंजाब	1. पंजाब सिंचाई (889-आई० एन०	आई० डी० ए०	129.00	2215.00
तमिलनाडु	1. पेरियार वैगई सिंचाई-II (बात-चीत हो गई है)	आई० डी० ए०		

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	1. दूसरी यू० पी०, सार्वजनिक नल-कूप परियोजना	आई० डी० ए०	101.00	1707.00
	2. अपर गंगा का आधुनिकीकरण	आई० डी० ए०	125.00	2498.00
मध्य प्रदेश	1. मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना (1108-आई० एन०)	आई० डी० ए०	140.00	1950.00
	2. मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना (1177-आई० एन०)	आई० डी० ए०	220.00	556.40
	3. चम्बल (मध्य प्रदेश) सोपान-II परियोजना (1188-आई० एन०)	आई० डी० ए०	31.00	555.00
केरल	1. कल्लाडा सिंचाई और वृक्ष उत्पादन विकास परियोजना (1269-आई० एन०)	आई० डी० ए०	60.00	1365.00
	(2186-आई० एन)	आई० बी० आर डी०	20.39	
राज्य	1. सुवर्णरेखा (बिहार एवं उड़ीसा) सिंचाई परियोजना (1289-आई० एन०)	आई० डी० ए०	127.00	1637.00

श्री राम प्यारे पनिका : महोदय, मेरे प्रश्न का भाग (घ) यह है कि 'इन परियोजनाओं से कितने किसानों को लाभ होगा।' यदि किसानों की संख्या बताना सम्भव नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक द्वारा संस्वीकृत इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है कि कितने हैक्टेयर इसमें लाए गए हैं। भारत सरकार विश्व बैंक से 1961 से सिंचाई परियोजनाओं के लिए क्रेडिट तथा ऋण प्राप्त करती रही है। विश्व बैंक से क्रेडिट तथा ऋणों की शर्तें एवं निबंधन उपाबंध-एक में दिए गए अनुसार

हैं। 1961 से भारत सरकार 2669.14 मिलियन अमरीकी डालरों का विश्व बैंक क्रेडिट तथा 240.0 मिलियन अमरीकी डालरों के विश्व बैंक ऋणों को अन्तिम रूप देने में सफल हुई है। विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनके सम्बन्ध में सूचना उपाबंध-दो में दी गई है। इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : इन परियोजनाओं के बारे में विभिन्न राज्यों से मुझे यह जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद सम्बन्धित राज्यों द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जाता है। नतीजा यह है कि लोन की शेष धनराशि को प्राप्त करने में दिक्कत आई है। क्या मन्त्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि जो राज्य इस लोन और क्रेडिट को जिन शर्तों पर लें, वे उनके अनुसार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करें? क्या उनका विचार सेण्ट्रल स्तर पर इरिगेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इन परियोजनाओं का मानीटरिंग करने का है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ब्याज की दर 0.5 प्रतिशत है और ऋण की रकम 20 साल में लौटाई जाती है। अगर किसानों को कोई कठिनाई होगी, तो उसको हम देखेंगे।

श्री एन० डेनिश : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी विशेषज्ञों और विश्व बैंक के दल ने इन परियोजनाओं का परामर्शदात्री सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दौरा किया था। यदि हां, तो कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में उन्होंने क्या टिप्पणियां दीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में आठ सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं जो पिछले तीस सालों से चालू हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और उनकी कास्ट दस गुना, बारह गुना बढ़ गई हैं। उसमें बिहार की कोसी परियोजना भी है, मन्त्री जी पीछे बैठे हैं वह सुन रहे हैं, इसी तरह से राजस्थान की भी है। तो इस तरीके से आप जो लोन ले रहे हैं या लोन लिया है क्या आपने यह तय किया है या नहीं कि पहले से जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं उनको पूरा कर लेंगे तब दूसरी परियोजना को टेक अप करेंगे या अगर नहीं तो जो 20 साल से चल रही हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और कितने दिनों में वह पूरी हो जाएंगी?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है;

श्री के० मायातेवर : मेरे चुनाव-क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जिन्हें पिछले 25 वर्षों से पूरा नहीं किया गया है। क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि कितनी परियोजनाएं ठीक समय पर पूरी नहीं की गयीं तथा कितनी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं? चूंकि इन्हें पूरा नहीं किया गया है इसलिए विश्व बैंक ने सुधार कार्य तथा कुछ नए सरकारी कार्यक्रमों के लिए ऋण देने से मना कर दिया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : विश्व बैंक ने कभी ऋण देने को मना नहीं किया और मद्रास की परियोजना भी जैसा मैंने कहा, यदि इनकम्पलीट है तो उसको शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री के० मायातेवर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे माननीय सदस्य के पास भेज दिया जायेगा।

श्री के० के० तिवारी : बिहार में सोन नदी से कुछ नहरें निकलती हैं जो एक सौ साल पुरानी हैं और बिहार के चार जिलों की सिंचाई उन पर निर्भर करती है। उनके आधुनिकीकरण की योजना थी। विश्व बैंक से जो धनराशि मिलती है भारत सरकार को उससे उन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाना था। बिहार सरकार से वह पूरी योजना बनकर केन्द्र सरकार के पास आ गई लेकिन केन्द्र सरकार से आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली जिसके कारण बिहार की ग्रेनरी कहलाने वाले उन चार जिलों में जहां ज्यादा अन्न पैदा होता था, वहां सूखे की स्थिति है और वह चार जिले तबाह हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक से जो धनराशि मिल रही है उसमें उसके मुताल्लिक कोई योजना है या नहीं ? यदि है तो उसको पूरा करने में और स्वीकृति देने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस परियोजना के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अत्यधिक मूल्यों पर खाद्य तेलों की खरीद

*318. **श्री त्रिलोक चन्द** :

श्री जगपाल सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने पूरे देश में वितरित किये जा रहे खाद्य तेलों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत अधिक मूल्यों पर ख़रीदा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात और वितरण पर निगरानी के लिए कोई मार्ग-निर्देश बनाए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम द्वारा विभिन्न किस्म के खाद्य तेलों की खरीद अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी दरों पर की गई है।

(ख) सरकार की आयात तथा वितरण की परिवीक्षा करने की एक नियमित प्रणाली है।

श्री त्रिलोक चन्द : मान्यवर, मेरा सवाल बहुत सिम्पल है लेकिन जवाब जिस ढंग से दिया गया है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जवाब देने की कोशिश नहीं की गई है। पूछा गया था :—

> "क्या राज्य व्यापार निगम ने पूरे देश में वितरित किए जा रहे खाद्य तेलों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से बहुत अधिक मूल्यों पर खरीदा है।"

जवाब मिल गया "नहीं।" हां या नहीं कह देना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई रीजन नहीं बताया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है तेल इण्टर-नेशनल मार्केट में ऊंचे दामों पर खरीदे गए।

इसका मेन कारण यह है कि एस०टी०सी० एक संस्था है जो खाने का तेल खरीदती है और दूसरी संस्था गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली है, उसको कांट्रैक्ट दिया गया है, वह भी खरीद सकती है। एक तीसरी संस्था है हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम, जो एडिबल आयल खरीदती है लेकिन सरकार ने गणेश फ्लोर मिल्स को तो अधिकार दे दिया तेल खरीदने का, फिर हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम को अधिकार क्यों नहीं दिया--- यह मैं जानना चाहता हूं। अगर कांपिटीशन था ओपेन मार्केट में तो तीनों संस्थाओं को बराबर दिया जाना चाहिए था और कांपिटीशन होना चाहिए था। इसलिए शक पैदा होता है कि एक संस्था को देने का मतलब है कि ओपेन मार्केट से जो तेल खरीदा जाता है वह फेयर कांपिटीशन के आधार पर नहीं खरीदा जाता है। यह जानकारी मैं चाहता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी मालूम होती है। उत्तर बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि तेल का जो आयात बाहर से होता है वह स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के जरिए ही होता है और स्टेड ट्रेडिंग कार्पोरेशन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो बड़ी-बड़ी रजिस्टर्ड फर्में हैं उनसे टेण्डर मंगाकर टेण्डर के आधार पर खरीदता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घटती-बढ़ती रहती है। जिस समय एस० टी० सी० को तेल खरीदने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए एक पर्चेजिंग कमेटी है जो निर्णय करती है, उसके बाद टेण्डर मंगाए जाते हैं और उसके आधार पर तेल खरीदा जाता है। अभी भारत सरकार की तेल आयात करने की संस्था ए०टी०सी० है। भविष्य के लिए हम विचार कर रहे हैं कि जो अभी नया निगम, हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कार्पोरेशन बनाया गया है, वही वह संस्था बनाई जाए जो तेल लाने, उसका वितरण करने और बेचने के सम्बन्ध में सारा काम करे। इस संस्था को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द : मन्त्री जी ने कहा कि एस०टी०सी० के अलावा कोई दूसरी संस्था तेल नहीं खरीद सकती है लेकिन मेरे पास यह 12-7-84 का "जनसत्ता" है, इसमें वाणिज्य मन्त्री ने कहा था— चालू वर्ष की आयात नीति में उनके मन्त्रालय ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र के गणेश फ्लोर मिल को तेल आयात करने की अनुमति दी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर एस०टी०सी० सोल एथारिटी थी तो गणेश फ्लोर मिल को किस आधार पर इजाजत दी गई ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूर्व उत्तर में बताया कि अभी तक भारत सरकार की तेल आयात करने की संस्था स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ही है लेकिन खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत जो तेल आता है—खाद्य या अखाद्य —, जो पी०डी०एस० के जरिए या वनस्पति मिलों को दिया जाता है उसका वितरण, उसका एलाटमेंट खाद्य और पूर्ति मन्त्रालय करता है। इसलिए इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आयात करना तो एस०टी०सी० के पास है, वितरण और एलाट करना नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के पास है, इन दोनों को मिला दिया जाए। अभी हमने गणेश फ्लोर मिल के स्थान पर हिन्दुस्तान वेजेटेबल आयल कार्पोरेशन की स्थापना कर ली है और उसको आयात करने के लिए कामर्स मन्त्रालय ने अपनी रेड बुक में उसका नाम रख लिया है लेकिन इससे पहले इस संस्था के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ेगा आयात करने के लिए और वह काम हम पूरा कर रहे हैं तथा उसके बाद इस पर विचार किया जायेगा।

श्री त्रिलोक चन्द : गणेश फ्लोर मिल्स को अधिकार दिया या नहीं---यह मैंने पूछा था।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने जवाब दे दिया है। इससे ज्यादा स्पष्ट जवाब और क्या दूं।

भीमकुंड परियोजना का विस्तार

*324. **श्री अनादिचरण दास** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वैतरणी नदी पर भीमकुंड परियोजना का निर्माण करने का है ;

(ख) परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है। अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि यह परियोजना उड़ीसा की सातवीं योजना में शामिल हो जाएगी या नहीं।

(ख) 1980 की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, भीमकुंड परियोजना में नोआपाड़ा में एक बांध तथा 393 मेगावाट की समग्र प्रतिष्ठापित क्षमता के दो बिजली घरों के निर्माण की परिकल्पना है। वैतरणी घाटी में लगभग 1400 वर्ग कि०मी० की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय किए जाना भी इस प्रस्ताव में शामिल है। इस प्रस्ताव पर 394.38 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनादि चरण दास : भीमकुंड परियोजना का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़ा है। हम 1971 से इस परियोजना की मांग कर रहे हैं। कई बार यह प्रश्न संसद में उठाया जा चुका है। क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि सरकार इस परियोजना के निर्माण में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि सम्भव हुआ तो इसे सातवीं योजना में शामिल किया जायेगा। सातवीं योजना का रूप और आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मैं कैसे आपको आश्वासन दे दूं कि इस परियोजना को मन्जूरी दे दी जाएगी ?

श्री अनादि चरण दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस परियोजना को सातवीं योजना में शामिल करने का कोई नीति निर्णय लिया है या नहीं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जिस पर अभी निर्णय न लिया गया हो उस पर कोई भी मन्त्री यह आश्वासन नहीं दे सकता कि उसे सातवीं योजना में शामिल किया जायेगा अथवा नहीं। अभी किसी को भी यह मालूम नहीं है कि इस परियोजना को सातवीं योजना में शामिल किया जायेगा या नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि राज्य सरकार ने यह परियोजना कितनी बार केन्द्र सरकार के पास भेजी है तथा सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने कितनी बार इसकी जांच की है। यह केवल सातवीं योजना का ही प्रश्न नहीं है। इस पर तो पांचवीं योजना से ही विचार-विमर्श हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए उन्होंने कहा है कि वह इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अब तो आप कारण जान गए होंगे।

मछली की प्रति व्यक्ति खपत

326. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में मछली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ;

(ख) मछली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1975-77 की औसत के आधार पर भारत में मछली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 3 2 किलोग्राम थी जबकि विश्व में औसत खपत 12.3 किलोग्राम थी।

(ख) तथा (ग) सरकार ने उत्पाद के बेहतर विपणन और विविधीकरण के जरिए मछली तथा मछली से बने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए हैं। स्थानीय लोगों में मछली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तालाबों, टैंकों तथा जलाशयों में मछली पालन को प्रोत्साहन दिया गया है। मछली जैसे शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिन्सों के लिए अनुकूल शीतागारों तथा उपयुक्त वितरण प्रणाली का विकास किया गया है।

मछली का उत्पादन बढ़ाकर मछली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्तर्देशीय जलक्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर मछली पालन, तटवर्ती क्षेत्रों में खारे जल में मछली पालन तथा समुद्री मात्स्यकी के संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कदम उठाए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण पेयजल पूर्ति कार्यक्रम का पुनरीक्षित अनुमान

*315. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण पेयजल पूर्ति कार्यक्रम के पुनरीक्षित अनुमानों को मन्जूरी देने का निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल के लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग के मुख्य इन्जीनियर ने त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के संशोधित आंकलनों के तकनीकी अनुमोदन के लिए दिनांक 7-7-82 को निर्माण और आवास मन्त्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इन्जीनियरी संगठन के सलाहकार को पत्र लिखा था। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरणीय इन्जीनियरी संगठन संशोधित आंकलनों को मन्जूर नहीं करता है। यह बात 25-8-82 को केरल के लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग के मुख्य इन्जीनियर को बता दी गई थी।

रूई की किस्मों में गिरावट

*317. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रयोग की जाने वाली रूई की किस्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनमें से कितनी किस्मों में मुख्यत: बीजों को मिला देने से उनकी किस्म में गिरावट आई है ;

(ग) क्या प्रतिष्ठित लिवरपूल काटन एसोसिएशन ने सतर्क किया है कि बहुत सारी किस्में हो जाने के कारण ही मिलावट होती है जिसके फलस्वरूप किस्म में गिरावट आती है ; और

(घ) देश में कपास-उत्पादकों तथा विदेशों में उसके आयातकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुछ किस्मों को सूची से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(ख) इनमें से किसी भी किस्म में बीजों को मिला देने से उनकी गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) इस प्रकार की कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु सरकार को इस समस्या की जानकारी है।

(घ) कपास नियन्त्रण अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित करने का अधिकार है जहां केवल विशिष्ट किस्में उगाई जा सकती हैं।

विवरण

क्र०सं०	किस्म/संकर का नाम	क्र०सं०	किस्म/संकर का नाम
1.	सुविन	2.	डी०सी०एच०-32
3.	वारालक्ष्मी	4.	जे०के०एच०वाई०-II
5.	एम०सी०यू०-9	6.	एम०सी०यू०-5

7.	एम०सी०यू०-5 वी०टी०	8.	एच०-4
9.	खांडवा-3	10.	पी०के०वी०एच०वाई०-1
11.	सौभाग्य	12.	के०सी०एच०-1
13.	संकर-6	14.	वदनावार-1
15.	एल०-147	16.	जे०के०एच०वाई०-1
17.	वी०-1007	18.	डी०एच०वाई०-286
19.	के०-8	20.	अमरावती
21.	कृष्णा	22.	सरस्वती
23.	नर्मदा	24.	खांडवा-2
25.	एस०आर०टी०-1	26.	ए०के०एच०-4
27.	संगम	28.	एम०सी०यू०-6
29.	के०-9	30.	एम०सी०यू०-7
31.	एफ०-414	32.	एल०एच०-372
33.	गंगानगर अगेती	34.	सी०-इन्दौर-1
35.	दिग्विजय	36.	प्रमुख
37.	ज्योति	38.	वाई०-1
39.	ए०के०-277	40.	लक्ष्मी
41.	हम्पी	42.	जयाधर
43.	एच०-777	44.	बीकानेरीनर्मा
45.	मलजारी	46.	वी०-797
47.	ए०के०-235	48.	श्रीसेलम
49.	जी०-6	50.	सुधाधर
51.	विरनार	52.	एस०एच०-131

53.	जी०-46	54.	रायचूर-51
55.	एकनाथ	56.	लोहित
57.	जी०-27	58.	एल०डी०-133
59.	देविराज	60.	जी०-22
61.	एल०आर०ए०-5166		

कोलार सिंचाई और जल प्रदाय परियोजना के लिए वन-भूमि अन्तरित करने का मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

*319. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से वन भूमि को कोलार सिंचाई तथा जल प्रदाय परियोजना के लिए राज्य के सिंचाई विभाग को अन्तरित करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस प्रस्ताव पर पर्यावरण विभाग तथा राज्य सरकार के परामर्श से विचार कर रही है।

कर्नाटक को खाद्यान्नों की सप्लाई

*320. **श्री के० मालन्ना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1984 के "बिजनैस स्टेण्डर्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कर्नाटक सरकार लेवी खरीद में कमी को पूरा करने और एक रक्षित भण्डार बनाने के लिए काफी मात्रा में खाद्यान्न खरीदने हेतु केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम से बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो मांगे गए खाद्यान्न और केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को सप्लाई किए गए खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक स्टाक में वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम से निर्यात-योग्य लगभग 30,000 मीटरी टन चावल की वाणिज्यिक खरीदारी करने में रुचि दिखाई है। इस मामले पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

खाद्य तेलों के आयात और वितरण पर प्रतिबन्ध

*321. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम द्वारा खाद्य तेलों का आयात और वितरण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा यह कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया है ;

(ख) यदि हां तो यह समस्त कार्य मात्र राज्य व्यापार निगम को ही सौंप देने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या सरकार खाद्य तेलों के आयात और वितरण का काम हिन्दुस्तान एडिबल आयल लिमिटेड को सौंपने के प्रश्न पर पुन: विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां तो इसके द्वारा किस तारीख से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा किस दर पर आयात की जाएगी और वितरित की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा खाद्य तेलों के आयात और वितरण करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है और यह कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम दिसम्बर, 1978 के दौरान खाद्य तेलों के आयात के मार्गीकरण की तारीख से यह कार्य कर रहा है। गणेश फ्लोर मिल्स, जिसे अब हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि० में मिला दिया गया है, को भी खाद्य तेलों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम के साथ-साथ मार्गीकरण अभिकरण के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) अभी तक सारा आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि गणेश फ्लोर मिल्स का राष्ट्रीयकरण मार्च, 1984 को किया गया है।

(ग) सरकार खाद्य तेलों के आयात तथा वितरण के कार्य को हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि० को सौंपने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(घ) यह कार्य निगम द्वारा आधार-ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएं तैयार किए जाने के आधार पर किया जाएगा।

दिल्ली से बाहर सुपर बाजार खोलना

*322. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की सप्लाई करने के

लिए सरकार का देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए दिल्ली से बाहर देश के विभिन्न भागों में सुपर बाजार खोलने का विचार है ; और

(ख) क्या जिलों, नगरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने के लिए आवे आने वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों को इसके लिए सहायता दी जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तथा (ख) दि को-आपरेटिव स्टोर लि०, दिल्ली एक पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी सोसायटी है, जो आम तौर पर "सुपर बाजार" के नाम से जानी जाती है। देश के कई राज्यों की राजधानियों व अन्य शहरों में इस प्रकार के सहकारी उपभोक्ता भंडार कार्य कर रहे हैं और आमतौर से इनके नाम सुपर बाजार, जनता बाजार, सहकारी बाजार, सहकारी भण्डार, अपना बाजार, आपका बाजार, नया बाजार आदि हैं। केन्द्रीय सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए छठी योजना में विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों के तहत, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे उपभोक्ता सहकारी समितियों को बहु विभागी भण्डार, बड़े/छोटे आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए, राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों को उनके व्यापार का विस्तार करने तथा उसमें विविधता लाने के लिए और कमजोर/रुग्ण उपभोक्ता सहकारी भंडारों की पुनः स्थापना के लिए तथा उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर सकें। केन्द्रीय सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी/बड़े आकार की बहु-धंधी सहकारी सोसायटी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये सहायता देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना को भी क्रियान्वित कर रही है।

सुपर बाजार खोलने के लिए वित्तीय सहायता विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को दी जाती है। अतः सुपर बाजार खोलने के लिए किसी व्यक्ति को इस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्न स्टोर डिपो, शक्ति नगर, दिल्ली में आकस्मिक जांच पड़ताल

*323. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के खाद्यान्न स्टोर डिपो, शक्ति नगर में कदाचारों के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8346 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं की और सब्जी मण्डी/शक्ति नगर, दिल्ली के उन रेल स्थलों (हैड) जहां माल उतारा जाता है, आकस्मिक जांच पड़ताल की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच-पड़ताल अब तक कुल कितनी बार की गई/कितनी बार छापे मारे गये तथा इस संबंध में यदि कुछ लोग जिम्मेदार ठहराये गए हैं तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या रेल-स्थल, सब्जी मण्डी/खाद्यान्न स्टोर डिपो, शक्ति नगर, दिल्ली में कार्यरत उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही पूरी हो गयी है / आरम्भ कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 25 अप्रैल, 1984 को अचानक छापा मारा गया था। भारतीय निगम के दो अधिकारी उचित दर की एक दुकान को जारी किए गए खाद्यान्न के स्टाक के सम्बन्ध में तौल में अन्तर करने के लिए उत्तरदायी पाए गए थे। एक मामले में चावल में 16.5 किलोग्राम चावल का अन्तर था और दूसरे मामले में गेहूं में 2.3 किलोग्राम का अन्तर था। इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध तोल में लापरवाही बरतने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

मध्य प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाएं

*325 **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में कितनी बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाएं तैयार की गई थीं तथा उन्हें किस वर्ष से प्रारम्भ किया गया और जून, 1984 तक उनमें कितनी प्रगति हुई ;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा उनको पर्याप्त धनराशि और प्राथमिकता न दिए जाने के कारण जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही है ; और

(ग) उपरोक्त योजनाओं में से कितनी योजनायें पूरी हो चुकी हैं ; कितनी योजनाएं छठी योजना में पूरी की जायेंगी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है ?

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई हैं।

(ख) राज्य सरकार ने छठी योजना के अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में जनजातियों उपयोजना परियोजनाओं के वास्ते अधिक परिव्ययों की व्यवस्था की है। तथापि, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण इनकी प्रगति पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) नौ मध्यम परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और दो और परियोजनाओं के वर्तमान योजना अवधि में पूर्ण होने की संभावना है। राज्य की सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इस तरह से पूर्ण होने के लक्ष्यों को इंगित करना सम्भव नहीं है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कारगिल जिले को सम्मिलित करना

*327. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्विभागीय दल लद्दाख के समूचे जिले कारगिल को मरुस्थल विकास कार्यक्रम में पुनः सम्मिलित करने के मामले पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उपर्युक्त दल को दो से तीन महीनों के अन्दर (फरवरी 1984 तक) अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था ;

विवरण

मध्य प्रदेश की जन-जातियां उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा

वित्तीय (लाख रुपयों में) — भौतिक प्रगति हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	परियोजना का नाम (जिला)	अनुमानित लागत	आरम्भ किए जाने का वर्ष	पूर्ण होने का वर्ष/पूर्ण किए जाने का संभावित वर्ष	1980 तक व्यय	छठी योजना परिव्यय	1984 तक प्रत्याशित व्यय	कुल क्षमता	जनजातिय क्षेत्रों में क्षमता	1983-84 तक जन-जातिय क्षेत्र में सृजित क्षमता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बृहद											
1.	पेरी (रायपुर)	1900	चौथी योजना	—	1085	281	225	72.9	48.5	31.3	
2.	थानवर (मांडला)	1525	— 84-85	सातवीं योजना	230	930	720	18.2	18.2	3.2	
3.	मान (धार)*	3800	(बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे)	सातवीं योजना	—	ख	225	16.1	16.2	—	
4.	जोबाट (धार)*	2692	—वही—	सातवीं योजना	—	ख	23	13.2	13.2	—	

मध्यम										
1. बीजना (रायपुर)	147	पांचवीं योजना	80-81	133	8	13	1.2	1.2	1.2	पूर्ण
2. जोहिल्ला (शाहडोल)	210	—वही—	80-81	171	9	23	1.3	1.3	1.3	पूर्ण
3. बिचिया (मांडला)	160	—वही—	80-81	136	—	24	2.3	2.3	2.3	पूर्ण
4. मझगांव (मांडला)	162	पांचवीं योजना	80-81	157	2	5	1.7	1.7	1.7	पूर्ण
5. मतियारी (मांडला)	1600	—	सातवीं योजना	78	562	556	10	10	शून्य	
6. बारमंडल (धार)	54	—वही—	81-82	41	18	13	0.5	0.5	0.5	पूर्ण
7. सकालडा (धार)	198	—	83-84	94	86	94	1.7	1.7	1.7	पूर्ण
8. चारवोरारी (छाबुआ)	83	पांचवीं योजना	82-83	44	36	39	0.9	0.9	0.9	पूर्ण
9. मदसागर (छाबुआ)	170	—वही—	83-84	23	120	147	1.3	1.3	1.0	पूर्ण किए जाने की संभावना है।
10. वागनदी सोपान-I (बस्तर)	62	—	83-84	43	8	17	2.7	2.7	2.7	पूर्ण
11. झुमका (सुरगुजा)	440	—	84-85	205	169	235	2.9	2.9	2.9	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	वांकी (सुरगुजा)	710	—	सातवीं योजना	75	248	434	4.0	4.0	1.4	
13.	गुनघूटा (सरगुंजा)	2000	—	—वही—	131	599	576	10	10	शून्य	
14.	धोलवर्दे (रतलाम)	515	—	—वही—	109	355	298	6.4	6.4	1	
15.	बंजार (बालाघाट)	400	पांचवीं योजना	83-84	29	84	168 (+125)	2.4	2.4	1	पूर्ण किए जाने की संभावना
16.	खमारपाकत (रायगढ़)	405	—	सातवीं योजना	19	211	244	4.7	4.7	शून्य	
17.	मांड व्यपवर्तन (रायगढ़)	800	—	—वही—	92	514	316	14.6	14.6	शून्य	
18.	देजला देवड़ा (खारगांव)	1874	छठी योजना	—वही—	—	—	362	12.1	12.1	शून्य	
19.	वर्नी (सरगुआ)	400	छठी योजना	—	—	—	35	2.4	2.4	शून्य	
20.	महान (सिंधी)	2442	—वही—	—	—	—	135	16.7	16.7	शून्य	
21.	करार तीड़ा (बस्तर)	2700	—वही—	—	—	—	163	10	10	शून्य	
22.	गेज (सरगुजा)	996	—वही—	—	—	—	34	4.1	4.1	शून्य	

23. बरचार (सुरगुजा)	430	—वही—	—	—	—	277	2.5	2.5	शून्य	
कुल : 26875				2895	4240	5405 (+125)	236.8	212.4		54.1

*कार्यकारी दल ने मान और जोरबाट के लिए क्रमशः 100 और 50 लाख रुपए बशर्ते की निधियां उपलब्ध हों, के परिव्यय की सिफारिश की है।

( ) कोष्ठांक में आंकड़े खान विभाग से निधियों को उल्लिखित करते हैं।

"ख" का अर्थ यह है कि यदि अधिक धनराशि उपलब्ध होती है।

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तरविभागीय दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(घ) कारगिल जिले को मरूस्थल विकास कार्यक्रम में पुन: सम्मिलित करने के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक अन्तर-विभागीय दल कुछ अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के अभ्यावेदनों के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी विचार कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। सम्बद्ध ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कुछ राज्य सरकारों को अतिरिक्त समय देना पड़ा था।

(घ) शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

वनस्पति एककों को अपनी क्षमता का उपयोग "हार्ड आयल" बनाने में करने में अनुमति

*328. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति एककों को साबुन निर्माण में प्रयुक्त "हार्ड आयल" बनाने हेतु अपनी क्षमता का उपयोग करने की सामान्य अनुमति भी दी गई है ;

(ख) क्या बड़े पैमाने के साबुन निर्माताओं को "हार्ड आयल" बनाने के लिए अखाद्य तेलों का प्रयोग करना होता है जिसका बाद में साबुन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो वनस्पति एककों को अपनी इच्छानुसार साबुन निर्माण के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने की खुली छूट देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यद्यपि वनस्पति एककों को आमतौर पर साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाले औद्योगिक हार्ड तेलों के उत्पादन की अनुमति दे दी जाती है, तथापि यह कार्य वे वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश 1947 के तहत वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय द्वारा दी गई विशिष्ट अनुमति के बाद ही कर सकते हैं। अनुमति में उन अखाद्य तेलों, जिनका प्रयोग किया जा सकता है तथा उस अवधि, जिसके दौरान इस तरह का उत्पादन किया जा सकता है, का उल्लेख किया जाता है।

ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महानदी में बाढ़ नियंत्रण उपायों सम्बन्धी अध्ययन

*329. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत सरकार के विशेषज्ञों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने वर्ष 1982 में महानदी में आई बाढ़ जिसने उड़ीसा के पुरी, कटक और अन्य जिलों में तबाही मचा दी थी, के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, महानदी घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपायों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा में महानदी में आने वाली बाढ़ से उत्पन्न तबाही का सामना करने के लिये सरकार का विचार तत्काल कुछ कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह स्वीकार करते हुए कि महानदी में भारी बाढ़ों के आने से उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र का विनाश हो जाता है, भारत सरकार ने प्रभावी बाढ़ नियंत्रण एवं इसके जल के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से विभिन्न सम्भव विकल्पों के साथ महानदी और उसकी सहायक नदियों पर संचयन जलाशयों के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को आवश्यक अन्वेषण करने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1982 की बाढ़ों के पश्चात् हीराकुंड के नीचे एक दूसरे बांध के निर्माण की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करने के वास्ते एक डिवीजन बनाई गई है।

भारत सरकार ने भी केन्द्रीय जल आयोग के अधीन महानदी बेसिन में एक बाढ़पूर्वानुमान तंत्र की स्थापना के लिए एक स्कीम को स्वीकृति दी है। बाढ़ नियंत्रण एक राज्य विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण उपायों की आयोजना एवं उसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उड़ीसा सरकार का है।

केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा केरल के वृहत्तर कोचीन विकास प्राधिकरण को सहायता

*330. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के वृहत्तर कोचीन विकास प्राधिकरण को केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा कितनी धनराशि दी गई और यह किस प्रयोजन के लिए दी गई ;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि धनराशि का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए और इसकी वापस अदायगी हो जाए ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वृहत्तर कोचीन विकास प्राधिकरण को और अधिक धनराशि देने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) महानगरीय शहरों

तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत विकास की तत्कालीन केन्द्रीय योजना जो पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान चालू थी, के अन्तर्गत कोचीन कस्बे को समान आधार पर 3.57 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

मार्गनिर्देशनों के अनुसार जिन घटकों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी वे निम्न प्रकार हैं :—

(i) जलपूर्ति नालियां तथा कूड़े करकट निपटान सहित मल जल निर्यास ;

(ii) भूमि अर्जन तथा विकास, स्थल तथा सेवायें ;

(iii) यातायात और परिवहन (बसों जैसी यातायात एकको को छोड़कर),

(iv) मलिन बस्ती सुधार

(v) रोग निवारक सुविधाओं के सुधार के लिए गश्ती गाड़ियों के रूप में चिकित्सा सुविधायें ;

(vi) पार्क तथा खेल मैदान।

आवास तथा नगर विकास निगम ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग/ उच्च आय वर्ग के 15,357 मकानों के निर्माण आदि तथा निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के वर्गों के लिए 562 प्लाटों के विकास के लिए भी 11.13 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 3.57 करोड़ रुपए तथा 11.13 करोड़ रुपए की राशियां उस प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था।

जबकि एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देय राशि का भुगतान केवल 31 मार्च, 1981 तक ही किया गया है, आवास तथा नगर विकास निगम को देय राशि का भुगतान 31 मार्च, 1984 तक कर दिया गया है।

(ग) वृहत कोचीन विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं के लिए हुडको द्वारा ऋण दिये जाने को छोड़कर सरकार का विकास प्राधिकरण को धन देने का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई में गन्दी बस्ती सुधार कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

*331. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री बम्बई में गन्दी बस्ती सुधार कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बारे में 16 अप्रैल 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में शीघ्र कार्यवाई की गई है और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या बम्बई में गन्दी बस्ती सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ग) "हुडको" के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सुधार योजना, जो बम्बई में कार्यान्वित की जा सकती है, का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन निर्माण कार्यों के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ;

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट की भूमि पर मलिन बस्तियों में सुधार कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय की भूमि पर चुनिन्दा मलिन बस्तियों में मूल-भूत जनसुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए रक्षा मंत्रालय हाल ही में सिद्धान्त रूप में सहमत हुआ है। प्रमाणु ऊर्जा विभाग की भूमियों पर बसी मलिन बस्तियों के पुन: स्थान निर्धारण पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अन्य मलिन बस्तियों के मामले को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों के पास उठाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आवास तथा नगर विकास निगम ने किसी मलिन बस्ती सुधार योजना की वित्त व्यवस्था नहीं की है।

(घ) क्योंकि मलिन बस्ती सुधार कार्य राज्य विषय है, इसलिए इस बारे में कोई समय सूची बताना भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

वन-अतिक्रमण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

*332. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को "वन अतिक्रमण के कार्य-दल से प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उनके मन्त्रालय ने कार्य-दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या उपाए किए हैं ;

(घ) क्या "झूम खेती" और "वन अतिक्रमण" सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यों और संघशासी क्षेत्रों को सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यदि उनके मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई मार्ग-निर्देश भेजे हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृतक बल की मुख्य सिफारिशें विवरण-1 में दी गई हैं, जिसे सभापटल पर रख दिया गया है। सरकार इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) "झूम खेती" से सम्बन्धित एक अन्य कृतक बल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सम्बद्ध राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

(ङ) 1952 में अपनायी गयी राष्ट्रीय वन नीति में मूल मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। कृतक बल की सिफारिशों से पैदा होने वाले कार्यवाही के मुद्दें विवरण-2 में दिए गए हैं, जिसे सभापटल पर रख दिया गया है। इन्हें सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भी समुचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

विवरण-1

(1) आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों की बाहरी सीमाओं को एक त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पहले ऐसा न किया गया हो। उन्हें प्रत्येक वर्ष स्पष्ट और सत्यापित किया जाना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में वन राजिक को हर वर्ष मण्डलीय वन अधिकारी को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) वन गश्त क्षेत्र ऐसे होने चाहिएं कि वन संरक्षक अपने मुख्यालय से दूरस्थ क्षेत्र तक एक दिन में पहुंच सके। सुझाव है कि समतल और सामान्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश में वन गश्त क्षेत्र 1500 हैक्टार से तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 हैक्टार से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) प्रत्येक मण्डलीय अधिकारी के पास एक उप वन राजिक के अन्तर्गत एक चलता-फिरता सशस्त्र गश्ती दल और कम से कम 7 सशस्त्र संरक्षक होने चाहिएं, जिन्हें बाहरी सीमाओं का नियमित रूप से दौरा करना चाहिए। प्रत्येक राज्य के पास वन विभाग के वेतन चिट्ठा पर प्रांतीय सशस्त्र रक्षी दल की एक या एक से अधिक बटालियन होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे किसी भी समय बुलाया जा सके। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील क्षेत्रों में मानसून के चार महीनों के लिए विशेष संरक्षण दल तैयार करना चाहिए।

(4) सुदृढ़ विस्तार तन्त्र का विकास किया जाना चाहिए तथा अतिक्रमण के खतरे के बारे में जनता, ग्राम प्रधानों और राजनीतिक नेताओं को निरन्तर रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए तथा वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों को रोकने और अतिक्रमणकारियों को निकालने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(5) समूचे देश में अतिक्रमण सम्बन्धी समस्याओं ने निपटने के लिए समान कानून होना चाहिए। अतिक्रमण एक कानूनी और गैर-जमानती अपराध है। इसके अतिरिक्त, इसके लिए दण्ड कम से कम 3 महीनों की अवधि का सख्त कारावास होना चाहिए जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है या कम से कम 500 रु० का जुर्माना

जिसे बढ़ाकर 500/-रुपए तक किया जा सकता है या कारावास तथा जुर्माना दोनों किए जा सकते हैं।

(6) वन रक्षिकों तथा इससे ऊंचे पद वाले सभी वन अधिकारियों को, अतिक्रमकारियों को निकालने का अधिकार होना चाहिए। कर्नाटक राज्य में हाल ही में इस अधिकार को एफ० सी० ए० को अंतरित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया ।

(7) सीमा से लगे वन क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार लोगों की श्रमिक सहकारी समितियों के गठन के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष योजनाएं तैयार करनी चाहिएं ताकि उनकी वनों में अनधिकार प्रवेश की आदत छुड़ाई जा सके। इन सहकारी समितियों को बड़े और छोटे वन उत्पादों के निष्कासन का कार्य दिया जाए तथा समिति के गठित होते उनके लिए कार्य की योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे लोगों को रोजगार पर लगाने के लघु वन उत्पाद पर आधारित उद्योग शुरू किए जाने चाहिएं।

(8) **अनधिकार प्रवेश के विभिन्न तरीकों से कैसे निपटा जाए**

(क) जहां तक सम्भव हो पहले से ही अनारक्षित घोषित किए गए क्षेत्र को फार्म वानिकी के तहत लाया जाए। ऐसे क्षेत्रों में "वन रोपण के जरिए सामाजिक सुरक्षा" जैसी योजनाओं, जैसा कि गुजरात में है, को विस्तृत तौर पर लागू किया जाए।

(ख) वन-ग्रामों के तहत आने वाले क्षेत्र को अनारक्षित घोषित न किया जाय, बल्कि उन्हें लाभानुभोगियों को वंशागत तथा अहस्तांतरकरणीय आधार पर 20 वर्ष तक के दीर्घावधि पट्टे के आधार पर दे दिया जाए। इससे वे बैंक से मिलने वाले ऋण तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे क्षेत्र को पट्टे पर दिए जाने अथवा उसके वनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी। इन क्षेत्रों को फार्म वानिकी अथवा "वन रोपण के जरिए सामाजिक सुरक्षा" जैसी योजनाओं के तहत लाए जाने के भी प्रयास किए जाएं। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी भवनों जैसे स्कूल, अस्पताल तथा कम से कम संख्या में पक्के रिहायशी मकानों की भी अनुमति दी जाए।

(ग) दीर्घावधि आधार पर पट्टे पर दिए गए अनधिकार प्रवेश क्षेत्र, जिन्हें अनारक्षित घोषित नहीं किया गया है, को अनारक्षित घोषित न किया जाए। इनके पट्टों के नवीकरण की अवधि आने पर इनके नवीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी। इनका नवीकरण तभी किया जा सकेगा जब पट्टेदार एक निश्चित संख्या में वृक्ष लगाने पर सहमत होगा, जोकि वर्षा तथा उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करेगी।

(घ) उन क्षेत्रों को, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने 25-10-1980 से पहले

हुए अनधिकार प्रवेश को नियमित करने का वचन दिया है, अनधिकार प्रवेश कर्त्ताओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में पेड़ लगाने, जोकि मृदा और जलवायु पर निर्भर करता है, पर ही पट्टे पर दिया जाए। ऐसे क्षेत्रों को पट्टे पर दिए जाने से पूर्व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी।

(ङ) अन्य सभी अनधिकार प्रवेश वाले क्षेत्रों, चाहे जब भी उन पर अनधिकार प्रवेश किया गया हो, को खाली कराया जाए तथा उन पर त्वरित कार्यक्रम के तहत वृक्ष लगाए जाएं।

(9) स्थानीय अधिकारों के लिए अपेक्षित सुरक्षा के तहत उद्योगों के लिए मनमोहक वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए वन विकास निगमों और उद्योगों के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों को चलाने पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है। वनरोपण के तहत लाए गए क्षेत्र पर वन विकास निगमों का पूर्ण अधिकार होगा तथा उक्त मामले में ये किसी भी रूप में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को प्रभावित नहीं करेंगे। चूंकि कृषि की भारी मांग होने के कारण वन क्षेत्र का काफी बड़ा भाग समाप्त हो चुका है, और राष्ट्रीय वन नीति के तहत निर्धारित 1/3 क्षेत्र में वन लगाने के उद्देश्य से देश काफी पीछे रह गया है, अतः राज्य सरकारों को वन रोपण के लिए कृषि के लिए अनुपयुक्त समझी जाने वाली राजस्व भूमि को वन विभागों को हस्तांतरित किए जाने पर विचार करना चाहिए।

विवरण-2

झूम खेती के सम्बन्ध में कृतक बल की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली मुख्य कार्रवाई सम्बन्धी बातें, जो सम्बन्धित राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सूचित कर दी गई हैं, नीचे दी गई हैं :—

(1) निम्नलिखित के रूप में कार्यक्रम को समेकित किया जाएगा :

(क) भूमि पर आधारित मिश्रित प्रबन्ध अनुसूची;

(ख) विशेष तौर से सड़कों और विपणन सम्बन्धी अवसंरचनात्मक विकास;

(ग) जहां कहीं भी सम्भव हो सहायक धन्धे जैसे कि पशुधन प्रबन्ध, लघु/कुटीर उद्योग, और मत्स्य पालन करना।

(2) कार्यक्रम का निरूपण जल विभाजक प्रबन्ध के सिद्धान्त पर किया जाना चाहिए। तथापि, इसे समग्र गांव के लिए और परिवारोन्मुखी बनाना होगा।

(3) समस्या, गम्भीरता आदि की मात्रा को देखते हुए नियमित अन्तराल पर आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, एन० आर० एस० ए० इत्यादि को शामिल करने के लिए कृतक बल की सिफारिशें स्वीकार की जानी चाहिएं। अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन अन्य अधोगति

जोखिमों की भांति इस सम्बन्ध में भी समन्वय करेगा और सूचना की देखभाल करेगा।

(4) परियोजना के क्रियान्वयन के पैमाने को निर्धारित करते समय जनसंख्या का दबाव तथा नई पीढ़ियों के एक वर्ग का दूसरे धन्धों को अपनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों के द्वारा निधियों को गतिशील बनाना वांछनीय होगा।

(5) वैकल्पिक कार्यक्रमों की अवधि के दौरान परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए झूम खेती करने वालों को आकर्षित करने हेतु खाद्य डिपुओं के प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए।

(6) झूम खेती की वजह से वन भूमि पर होने वाले और अधिक अतिक्रमण को रोकने के लिए कुछ प्रबन्ध किए जाने चाहिएं जिसके लिए जहां भी व्यावहारिक हो, लोगों की शिक्षा और विनियमन की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

(7) कृतक बल द्वारा बताए गए वैकल्पिक व्यवसायों की व्यवस्था हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की संगणता के लिए एकक लागत के रूप में प्रति परिवार 30,000 रु० पर विचार किया जाना चाहिए।

(8) बहुपक्षीय कार्यकलापों का समन्वय करने और एकल प्वाइंट आयोजना और प्रबोधन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए संगठनात्मक प्रबंधों में संशोधन किया जाना चाहिए।

(9) उपर्युक्त पर सातवीं योजना स्कीमें तैयार की जानी चाहिएं और इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की जानी चाहिए।

"नाफेड" द्वारा बम्बई पत्तन से प्याज का निर्यात न किया जाना

*333. **डा० प्रताप वाघ :**

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों के साथ विवादों के कारण "नाफेड" द्वारा बम्बई पत्तन से प्याज का निर्यात रुक गया है ;

(ख) क्या उक्त फेडरेशन देश की अन्य सभी बन्दरगाहों से प्याज का निर्यात बन्द कर देगा ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) "नेफेड" ने सूचित किया है कि बम्बई बन्दरगाह के गोदी कर्मचारियों के साथ उसका कोई सीधा टकराव नहीं है। तथापि, नेफेड द्वारा एक श्रमिक

सहकारी समिति को प्याज का श्रेणीकरण तथा पैक करने का ठेका देने के मामले पर बम्बई स्थित परिवहन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने बम्बई बन्दरगाह पर 5 जुलाई, 1984 से नेफेड की सभी निर्यात खेपों के संचालन का बहिष्कार किया था। इस बहिष्कार से उत्पन्न होने वाली असामान्य स्थिति की प्याज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा 9 जुलाई, 1984 को जायजा लिया गया जिसमें सहयोगी पोत-वणिक भी शामिल हुए। इस आपातकालीन बैठक में एक फैसला यह किया गया कि जब तक मामले पर सहमति नहीं हो जाती है तब तक किसी भी भारतीय बन्दरगाह से प्याजों का और लदान नहीं किया जाएगा।

(ग) 18 जुलाई, 1984 को अपर आयुक्त, श्रमिक, महाराष्ट्र सरकार की मध्यस्थता से अब समस्या का समाधान हो चुका है तथा सहयोगी पोत-वणिकों ने प्याज के निर्यात सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिए हैं।

जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर दिया जाना

3063. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1983 से 15 जुलाई, 1984 तक संसद सदस्यों ने जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के चेयरमैन और अधिकारियों के पास कितने पत्र भेजे और उन्हें कितने पत्रों का उत्तर नहीं भेजा गया ;

(ख) क्या उपर्युक्त उपक्रम संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर नहीं भेजता है और उन पर कोई कार्यवाई नहीं की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त उपक्रम को संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर भेजने के निदेश देगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैन शुद्ध वनस्पति कम्पनी के विरुद्ध जांच

3064. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वनस्पति में चर्बी मिलाने के बारे में जैन वनस्पति कम्पनी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां तो जांच का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) कम्पनी मालिकों के विरुद्ध किस किस्म की कार्यवाही की गई, जो दोषी पाए गए ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) कम्पनी द्वारा वनस्पति में चर्बी की मिलावट करने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक करने की नीति

3065. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उर्वरक उद्योग के सहयोग से उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक करने की नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसानों में इस नीति का कैसे प्रचार करने का विचार किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों व उर्वरक उद्योग के सहयोग से खरीफ 1981 से 67 चुने हुए जिलों में सघन उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 1982 में यह कार्यक्रम 104 जिलों तक बढ़ा दिया गया। इन चुने हुए 104 जिलों की सूची, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए पता लगाए गए "प्रमुख विनिर्माता" का उल्लेख है, विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस कार्यक्रम की नीति का प्रचार क्षेत्रीय प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मृदा जांच, उर्वरक मेले, कृषक बैठकें और फसल सेमिनार आयोजित करके किया जाता है।

विवरण

सघन उर्वरक उत्पाद अभियान के लिए चुने गए जिलों की सूची

क्र०सं०	राज्य/जिला	प्रमुख विनिर्माता
1.	**कर्नाटक**	
1.	धारवाड़ ×	जुआरी
2.	तुमकुर ×	जुआरी
3.	रायचुर ×	इफ्को
4.	बीदर ×	आर० सी० एफ०
5.	कोलार ×	एस० पी० आई० सी०
6.	बंगलौर ×	फैक्ट
7.	हसन ×	एम० एफ० एल०

2. तमिलनाडु

8. धर्मपुरी ×	एम० एफ० एल
9. रामनाड	एस० पी० आई० सी०
10. पुडुकोटाई	फैक्ट
11. तिरुननेलबेली	एस० पी० आई० सी०
12. कन्याकुमारी	एस० पी० आई० सी०
13. सेलम	एम० एम० एफ० एल०

3. केरल

14. मल्लापुरम ×	एफ० ए० सी० टी०
15. कन्नेनोर ×	एफ० ए० सी० टी०
16. क्विलोन ×	एफ० ए० सी० टी०

4. आन्ध्र प्रदेश

17. श्रीकाकुलम	कोरुमण्डल
18. विशाखापटनम	—वही—
19. विजयानगरम	आर० सी० एफ०
20. नालगोंडा ×	जुआरी
21. मेडक ×	एफ० ए० सी० टी०
22. कुडापाह	कोरुमण्डल
23. चित्तूर	एम० एफ० एल०
24. नेल्लोर	एस० पी० आई० सी०
25. आदिलाबाद ×	आर० सी० एफ०

5. गुजरात

26. मेहसाना ×**	इफ्को

27. अहमदाबाद ×	—वही—
28. बड़ोच ×	जी॰ एन॰ बी॰ एफ॰ सी॰
29. बुलसर ×	—वही—
30. गांधीनगर ×	जी॰ एस॰ एफ॰ सी॰
31. बनस बनासकंठा ×	—वही—
32. पंचमहल ×	—वही—
6. राजस्थान	
33. भीलवाड़ा	आई॰ एफ॰ एफ॰ सी॰ ओ॰
34. जयपुर	श्रीराम
35. उदयपुर	जी॰ एस॰ एफ॰ सी॰
36. भरतपुर ×	एन॰ एफ॰ एल॰
37. अलवर ×	—वही—
38. बांसवाड़ा	जी॰ एस॰ एफ॰ सी॰
39. अजमेर ×	श्रीराम
40. झालवाड़ ×	आई॰ एफ॰ एफ॰ सी॰ ओ॰
41. गंगानगर	—वही—
42. चित्तौड़गढ़	श्रीराम
43. कोटा ×	—वही—
7. महाराष्ट्र	
44. औरंगाबाद ×	आई॰ एफ॰ एफ॰ सी॰ ओ॰
45. पुणे ×	आर॰ सी॰ एफ॰
46. नांडेड ×	जुआरी
47. प्रभानी ×	आर॰ सी॰ एफ॰

48. ओसमानाबाद ×	जुआरी
49. अकोला ×	आर० सी० एफ०
50. भण्डारा	—वही—
51. सतारा ×	—वही—

8. मध्य प्रदेश

52. होशंगाबाद ×	इफको
53. सागर ×	जी० एन० वी० एफ० सी०
54. शाजापुर ×	श्रीराम
55. विदिशा ×	इफको
56. राजनन्न गांव ×	एच० एफ० सी०
57. दामोह ×	एफ० सी० आई०
58. रायपुर	डी० एम० सी० सी०
59. मौरेना	डी० एम० सी० सी०
60. टीकमगढ़	एच० एफ० सी०
61. बिलासपुर ×	इफको
62. दुर्ग	डी० एम० सी० सी०

9. बिहार

63. पुर्णिया ×	एच० एफ० सी०
64. सहरसा ×	एच० एफ० सी०
55. पश्चिम चम्पारन	एच० एफ० सी०
66. आरंगाबाद	एफ० सी० आई०
67. समस्तीपुर	इफको
68. दरभंगा	एफ० सी० आई०

69. भागलपुर	एच० एफ० सी०
70. पटना	एफ० सी० आई०
71. पूर्वी चम्पारन ×	एफ० सी० आई०
10. पश्चिम बंगाल	
72. पश्चिम दी नाजपुर ×	एच० एफ० सी०
73. 24-परगना ×	इफको
74. बीरभूम	एच० एफ० सी०
11. असम	
75. डिब्रूगढ़	एच० एफ० सी०
12. उड़ीसा	
76. गंजम	इफको
77 ढेनकनाल ×	एफ० सी० आई०
78. सुन्दरगढ़ ×	एफ० सी० आई०
79. फूलबाई ×	एच० एफ० सी०
80. सम्बलपुर ×	कोरोमण्डल
13. हरियाणा	
81. गुड़गांव	एन० एफ० एल०/इफको
82. रोहतक	एन० एफ० एल०
83. महेन्द्रगढ़ ×	एन० एफ० एल०
84. हिसार	इफको
85. जींद	एन० एफ० एल०
14. पंजाब	
86. रोपड़	एन० एफ० एल०

87. होशियारपुर	एन० एफ० एल०
15. उत्तर प्रदेश	
88. एटा	श्रीराम
89. उन्नाव	एफ० सी० आई०
90. हरदोई	आई० ई० एफ०
91. बहराइच ×	इफ्को
92. बांदा ×	एफ० सी० आई०
93. मिर्जापुर ×	इफ्को
94. अल्मोड़ा ×	आई० ई० एल०
95. पौड़ी-गढ़वाल ×	एफ० सी० आई०
96. आगरा	जी० एन० वी० एफ० सी०
97. बदायूं	आई० एफ० एफ० सी० ओ०
98. फतेहपुर	—वही—
99. रायबरेली	एफ० सी० आई०
16. जम्मू और कश्मीर	
100. अनन्तनाग	आई० एफ० एफ० सी० ओ०
102. कठुआ	एन० एफ० एल०
17. हिमाचल प्रदेश	
102. सिरमौर ×	एन० एफ० एल०
103. सोलन ×	—वही—
104. कांगड़ा	—वही—

× = वर्षा सिंचित जिले = 61

कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उर्वरकों क प्रयोग

3066. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : देश में उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में और ठीक समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना, उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋण देना, खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाना, 104 चुनिंदा जिलों में सघन उर्वरक सम्वर्द्धन अभियान चलाना, सरकारी खर्चे पर खण्ड-मुख्यालय तक उर्वरकों की सुपुर्दगी, अनुकूल लागत-लाभ अनुपात सुनिश्चित करना, आदान पखवाड़ों का आयोजन और छोटे और सीमान्त किसानों को दलहन तथा तिलहनों के बीजों और उर्वरकों के मिनीकटों का निःशुल्क वितरण करना, शामिल है। पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित विशेष कदम भी उठाए गए हैं :—

(1) उपरोक्त सघन उर्वरक सम्वर्द्धन अभियान के तहत बिहार के 9 जिलों, उड़ीसा के 5 जिलों, मध्य प्रदेश के 11 जिलों और उत्तर प्रदेश के 12 जिलों का चयन किया गया है।

(2) एक भारत-ब्रिटेन उर्वरक शिक्षा परियोजना हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि० के माध्यम से बिहार के 4 जिलों, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों, उड़ीसा के 4 जिलों, और, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

(3) वर्ष 1984-85 के दौरान पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की गई हैं, जिसके तहत इन राज्यों में उर्वरकों के मिनीकिट वितरित किए जाएंगे।

(4) उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋणों के आटबंन के मामले में पूर्वी राज्यों को अतिरिक्त प्राथमिकता दी गई है।

(5) पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण प्रवाह को बढाने के लिए विशेष प्रयास किए गये हैं।

चीनी के कारखानों का बन्द होना

3067. **श्री रेणु पद दास** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चीनी के कितने कारखाने बन्द हो गए है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी ; और

(ग) उन्होंने मजदूरों और गन्ना उत्पादकों का कितना देना था ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1983-84 मौसम के दौरान 326 चीनी फैक्ट्रियों में से 325 ने पिराई कार्य बन्द कर दिया था क्योंकि मुख्य पिराई मौसम समाप्त हो गया था। तथापि, 5 चीनी फैक्ट्रियों—कर्नाटक की 3 और तमिलनाडु की 2 फैक्ट्रियों में विशेष मौसम के लिए पिराई कार्य पुन. शुरू कर दिया था।

(ख) देश में 15-7-84 को चीनी मिलों की चीनी के उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 68.53 लाख मीटरी टन है।

(ग) देश की चीनी मिलों को 30-6-84 तक 1983-84 मौसम के लिए 108.66 करोड़ रु० और अतीत के मौसमों के लिए 19.37 करोड़ रु० का भुगतान करना था। केन्द्रीय सरकार के पास कामगारों के प्रति उनकी देयताओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमावली और नियमों का अनुसरण

3068. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधीन अण्डमान लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की नियमावली और नियमों का पूरी तरह अनुसरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के ड्राफ्टमैनों और सर्वेयरों के वेतनमान संशोधित किए हैं और इस सम्बन्ध में 13 मार्च, 1984 के परिपत्र संख्या एफ० 5 (59) ई०-III 82 जारी किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ये आदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत ड्राफ्ट्समैनों और सर्वेयरों पर भी लागू होते हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में दुग्ध क्रान्ति के अन्तर्गत दस वर्षीय योजना

3069. **श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अब दुग्ध क्रान्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली, अप्रैल, 1983 के बाद से एक 10 वर्षीय योजना तैयार की है जिस पर 99 करोड़ रुपए व्यय होंगे और जिससे दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग सुविधाओं में 6 लाख लीटर प्रतिदिन की वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इतने विलम्ब से आरम्भ करने और भारी प्रस्तावित निवेश के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 90 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से 9 वर्षों की अवधि में 19 जिलों में अस्थायी तौर पर लागू करने के लिए एक सन्दर्भ योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम में 6 लाख लीटर प्रतिदिन तक दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने और इसे प्राप्त करने और इसकी सम्भाल करने के लिए आधारीय ढांचा तैयार करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने मई 1981 में भारतीय डेरी निगम के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके लिए प्राथमिक कार्य जैसे प्रभावपूर्ण सर्वेक्षण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, जिला-वार उप परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार करने आदि में कुछ समय लग गया। कार्यक्रम के आयाम को देखते हुए, इसे तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसीलिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल, 1983 में सोलापुर, उस्मानाबाद तथा औरंगाबाद जिलों में इसे चालू किया गया।

त्रिवेणी कला संगम के परिसर में कैंटीन का चलाया जाना

3070. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** त्रिवेणी कला तथा संगीत अकदामियों को आबंटित भूमि के दुरुपयोग के बारे में 19 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि त्रिवेणी कला संगम द्वारा पिछले कई वर्षों से अपने परिसर में एक कैंटीन चलाई जा रही है तथा कैंटीन आम जनता के लिए खुली रहती है ; और

(ख) उल्लिखित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह कहने के क्या कारण थे कि "फिर भी इनमें से किसी भी संस्था द्वारा किसी कैंटीन का निर्माण नहीं किया गया है" जबकि त्रिवेणी कला संगम द्वारा अपने परिसर के अन्दर एक कैंटीन को प्रश्न का उत्तर दिए जाने की तिथि से वर्षों पहले से चलाया जा रहा था ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"इण्डिया वान्ट्स एण्ड आफ पोचिंग इन "एक्सक्लूसिव इक्नॉमिक जोन" शीर्ष से प्रकाशित समाचार

3071. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 जून, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "इण्डिया वान्ट्स एण्ड आफ पोचिंग इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स" शीर्षक समाचार देखा है ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में उन्होंने ट्रालरों के चलने के कारण मछली पकड़ने की मात्रा में आई गिरावट के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ग) यदि हां, तो हमारे जल क्षेत्र में विदेशी लाइसेंस प्राप्त नौकाओं को अनुमति दिए जाने के

क्या कारण हैं क्योंकि वे हमारे समुद्री संसाधनों को लूट रहे हैं ;

(घ) हमारे अपने विशिष्ट आर्थिक खण्डों (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स) में अधिकृत रूप से मछली पकड़ने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या विदेशी लाइसेंस प्राप्त मत्स्य-नौकाओं द्वारा किए गए विभिन्न उल्लंघनों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन में हमारे शिष्ट मण्डल द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के अनुसार सख्त कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जून, 1984 को रोम में हुए मात्स्यकी प्रबन्ध तथा विकास से सम्बन्धित खाद्य और कृषि संगठन के विश्व सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्व में मछली की आपूर्ति और मांग के बीच भारी अन्तर होने तथा मछली के उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आने की प्रवृत्ति पर गहरी चिन्ता प्रकट की थी । उन्होंने आगे कहा कि ट्रालरों से बड़े पैमाने पर कार्य लेकर तटवर्ती क्षेत्र से भारी मात्रा में मछली पकड़ी जा रही है तथा इससे वहां मछली के संसाधनों के खत्म होने का खतरा हो गया है ।

(ग) 40 फैदम की गहराई अर्थात् तटवर्ती जल क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में मात्स्यकी के संसाधनों के उपयोग के लिए कुछ भारतीय कम्पनियों को विदेशी मत्स्यन जलयान चार्टर, करने के अनुमति-पत्र जारी किए गए हैं। जलयान चार्टर करने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों का एक संवर्ग तैयार करने, प्रचुर मात्रा में मछली पकड़ने तथा उनका वितरण करने, कम खर्च में प्रचालन सम्बन्धी कार्य करने के लिए उपयुक्त वृद्धि दर का जायजा लेने और उसे क्रियान्वित करने, प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने और स्वामित्व के आधार पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के बेड़े को बढ़ाने पर जोर दिया गया है ।

(घ) भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 में कठोर दण्ड, जिसमें चोरी छिपे मछली का शिकार करने वाले जलयान को जब्त कर लेना भी शामिल है, की परिकल्पना की गयी है । चोरी-छिपे मछली का शिकार करने वाले कई जलयान पकड़े गए हैं तथा उन्हें जब्त कर लिया गया है ।

(ङ) तथा (च) विदेशी चार्टर जलयानों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतों की जांच की जाती है तथा उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

छोटे और मध्यम नगरों का विकास

3072. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1982-83 और 1983-84 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में समेकित लघु एवं

मध्यम नगर विकास की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गयीं ;

(ख) इस योजना की सफलता के लिए नियत की गई धनराशि के बारे में क्या ब्यौरा है और क्या राज्य ने सारी धनराशि का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) इस योजना के कार्य निष्पादन के बारे में क्या ब्यौरा है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा में नामत: जैपुर तथा धेनकानल शहरों के लिए दो परियोजनायें 1982-83 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई थी। उड़ीसा में 1983-84 के दौरान कोई नई परियोजनायें मंजूर नहीं की गई।

(ख) प्रत्येक शहर के लिए 40.00 लाख रुपए या परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, आबंटित किए जाते हैं। इस आधार पर उड़ीसा में अनुमोदित सभी 6 शहरों के लिए अधिकतम 240 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कम लागत की स्वच्छता के लिए कतिपय शर्तों पर प्रत्येक के लिए 15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध है। 31-7-1984 तक राज्य सरकार को 147.27 लाख रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 15-6-84 तक किया गया व्यय 248.23 लाख रुपए हैं जो कि केन्द्र द्वारा दी गई राशि तथा राज्य के अंशदान दोनों में से किया गया है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा में छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्य निष्पादन का विवरण।

क्रम सं०	अनुमोदित शहरों का नाम	परियोजना लागत	जुलाई, 1984 तक दी गई केन्द्रीय सहायता	15-6-84 तक व्यय	राज्य सरकार के समान अंशदान सहित निधियों के उपयोग के उपयोग का प्रतिशत	टिप्पणी
1.	सम्बलपुर	85.66	35.50	45.61	64.24	कुल
2.	पुरी	80.00	20.00	30.11	75.27	मिलाकर कार्य
3.	बालासोर	80.06	34.77	65.30	93.90	निष्पादन अच्छा
4.	राउरकेला	82.87	35.00	65.27	93.24	है
5.	जैपुर	80.00	10.00	19.96	99.80	
6.	धेनकानेल	80.00	12.00	21.98	91.58	
	योग :	488.59	147.17	248.28	84.28	

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे टाइप-IV के क्वार्टर

3073. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली में बनाए जा रहे टाइप-4 के क्वार्टरों का ब्योरा क्या है ;

(ख) दिल्ली में किस वरीयता तिथि तक के कर्मचारियों को टाइप IV के क्वार्टर दे दिए गए हैं ;

(ग) क्या सामान्यत: टाइप-IV के क्वार्टरों की कमी रहती है ; और

(घ) यदि हां, तो टाइप-IV के अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सैक्टर 12, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाइप-IV के क्वार्टर निर्माणाधीन है ।

(ख) 31-7-84 की स्थितिके अनुसार टाइप IV के क्वार्टरों के लिए विभिन्न पूलों के सम्बन्ध में अग्रता की तारीख निम्नलिखित है :—

(I) सामान्य पूल	16-8-1961
(II) अनुसूचित जाति पूल	15-10-1963
(III) अनुसूचित जनजाति पूल	20-3-1978
(IV) महिला पूल (अविवाहित तथा विवाहित)	अद्यतन
(V) पदावधि (टन्युर) पूल	29-3-1978

(ग) 1-1-1984 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में टाइप-IV के क्वार्टरों की कमी 10794 की मांग की अपेक्षा 5424 है ;

(घ) टाइप IV के और अधिक क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है ।

महानिदेशक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक को अभ्यावेदन

3074. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक को सम्बोधित दिनांक 2 जुलाई, 1984 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें निहित शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कुछ दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों ने अपने संघ को मान्यता देने के लिए अपनी मजदूरी को बढ़ाने, रहने के लिए क्वार्टरों का प्रावधान करने तथा कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त करने के लिए निवेदन किया है ।

(ग) ऐसे मामलों में उनकी शिकायतों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के अन्तर्गत जहां तक सम्भव हो सकेगा दूर किया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन

3075. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन करने में सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, वह कौन सी किस्म है और उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस किस्म की खेती के लिए उपयुक्त है ;

(घ) इस किस्म की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) देश में चावल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और आयात से बचने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चावल की कई किस्में विकसित की हैं । इनमें से सातवें दशक के अन्त में पूसा 2-21 तथा पूसा 33 रिलीज की गई जिनमें 4-5 टन/हैक्टर की उपज क्षमता है ।

(ग) इन किस्मों ने राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा असम के भागों में लोकप्रियता हासिल की है ।

(घ) किसानों को उनके बीज उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम तथा सम्बद्ध राज्यों द्वारा इन किस्मों के लिए एक बीज सम्बर्धन कार्यक्रम चलाया गया है ।

(ङ) विभिन्न वांछित अवस्थाओं, रोग तथा कीट व्याधि रोधी, बेहतर उर्वरक उपयोग, उचित सस्य विज्ञानी विधियों की पहचान तथा पर्याप्त मात्राओं में बढ़िया बीज के उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास सहित देश में चावल उत्पादन के सुधार हेतु अन्य उपाय किए गए हैं । इन उपायों से हम बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेंगे तथा आयात से बचेंगे ।

राज्यों में भवनों का निर्माण करने के लिए "हुडको" की योजनाएं

3076. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या "हुडको" ने विभिन्न राज्यों में भवनों का निर्माण करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "हुडको" द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) हुडको राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अभिकरणों को रिहायशी एककों के निर्माण, शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में, प्लाटों के विकास, मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं आदि के प्रावधान के लिए ऋण सहायता देता है। 31-7-84 की स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-7-84 की स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा राज्यवार स्वीकृतियों का विवरण

राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण (लाख रुपयों में)	रिहायशी एकक
1	2	3
आंध्र प्रदेश	12729.35	219763
असम	563.69	2249
बिहार	3616.29	41197
गुजरात	15009.60	263708
हरियाणा	5515.76	34301
हिमाचल प्रदेश	846.47	2889
जम्मू और कश्मीर	983.18	2755

1	2	3
कर्नाटक	8829.09	296067
केरल	7890.69	170821
मध्य प्रदेश	8623.77	56078
महाराष्ट्र	15144.03	118035
मणिपुर	208.66	282
उड़ीसा	3836.85	40320
पंजाब	5719.39	48493
राजस्थान	14607.13	140574
तमिलनाडु	13015.47	127395
त्रिपुरा	27.55	290
उत्तर प्रदेश	17155.32	117971
पश्चिम बंगाल	3527.16	14662
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9.00	15
चण्डीगढ़	2663.65	15395
दिल्ली	2298.47	14343
गोआ दमण तथा द्वीप	55.78	206
पाण्डिचेरी	208.26	1341
योग :	143084.60	1729150

चीनी के डीलरों की भंडारण सीमा

3077. **श्री बीलत सिंह जी जदेजा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि चीनी और खांडसारी के डीलर एक

समय पर 250 क्विंटल (बोरे) चीनी और खांडसारी से अधिक नहीं रख सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह अध्यादेश कब जारी किया गया था और यह किस तारीख से प्रभावी होगा ;

(ग) क्या इससे चीनी के डीलरों में असंतोष है और उन्होंने उपभोक्ताओं और जनहित में इस अध्यादेश को वापस लेने हेतु सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 के अधीन 22-5-84 को एक आदेश जारी किया था जिसमें चीनी और खण्डसारी के अधिकृत व्यापारियों की स्टाक रखने की अधिकतम सीमा को तत्काल कम कर दिया गया था और उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया था कि वे प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर अपने स्टाक को निकाल दें। इस आदेश के अधीन, कलकत्ता और विस्तृत क्षेत्र के अधिकृत व्यापारियों, जोकि पश्चिमी बंगाल के बाहर से चीनी मंगवाते हैं और जिनकी स्टाक रखने की सीमा 3,500 क्विंटल निर्धारित की गई थी, को छोड़कर उन शहरों और नगरों के मामले में जिनकी जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक है, चीनी के व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा कम करके 250 क्विंटल कर दी गई थी। एक लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य कस्बों के चीनी के व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल की निम्नतर स्टाक सीमा निर्धारित की गई थी। देश भर में खण्डसारी के व्यापारियों के बारे में अधिकतम स्टाक सीमा 250 क्विंटल निर्धारित की गई थी।

(ग) और (घ) चीनी और खण्डसारी के कुछ व्यापारियों और उनकी एसोसियेशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने उपर्युक्त आदेशों को वापस लेने अथवा विशेषतया स्टाक का निपटान करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा में संशोधन करने का सुझाव दिया है। व्यापारियों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से इस आदेश को विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में चुनौती भी दी थी। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों ने इस आदेश को सही माना है लेकिन कुछ न्यायालयों में मामले अभी लम्बित हैं।

अप्रैल/मई, 1984 में खुले बाजार में चीनी और खण्डसारी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने, व्यापारियों द्वारा सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर जिन्सें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आदेश को जारी किया गया था। फिलहाल जनहित में इन प्रतिबन्धों को हटाने का कोई विचार नहीं है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के लक्ष्य और इनकी प्राप्ति

3078. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में देश में सिंचाई

के लिए योजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इस सम्बन्ध में उपलब्धियां क्या हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : 1983-84 तक छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों सहित योजना-वार सूचना संलग्न विवरण (पृ० 58) में दी गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पटसन की खरीद के लिए नीति

3079. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पटसन-उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण कच्चे पटसन के चालू वर्ष के दौरान पटसन-फसल की अनिश्चितता को देखते हुए दक्षिण बंगाल के पांच पटसन उत्पादक जिलों में एक खरीद नीति तैयार करने के लिए भारतीय पटसन निगम (जे० सी० आई०) बी० ई० एन० एफ० ई० डी०, पश्चिम बंगाल सरकार के सहकारिता एवं कृषि विभाग जैसी महत्वपूर्ण पटसन की खरीददारी और उत्पादक एजेन्सियों की एक बैठक दिनांक 16 जुलाई, 1984 को राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान द्वीप समह के लिए पशुपालन निदेशक का चयन

3080. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने संघ लोक सेवा आयोग से अण्डमान द्वीप समूह के लिए एक निदेशक, पशुपालन का चयन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब किया गया था ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग से कुछ नाम प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या किसी व्यक्ति का नाम अनुमोदित/किसी को नियुक्त किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) जी, हां। अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा 21 अप्रैल, 1983 को अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, हां।

विवरण

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई लक्ष्य, उपलब्धियां तथा सरकारी सेक्टर में हुआ व्यय ।

(करोड़ रुपए/मिलियन हैक्टेयर)

योजनाएं	वृहद तथा मध्यम				लघु	
	व्यय (वास्तविक)	क्षमता (मिलियन हैक्टेयर)		व्यय (वास्तविक) (करोड़ रुपए)	लक्ष्य (मिलियन हैक्टेयर)	उपलब्धि (मिलियन हैक्टेयर)
		लक्ष्य	उपलब्धि			
योजनापूर्व	—	—	9.7	—	—	12.90
प्रथम योजना	300	3.4	2.5	76	4.45	1.16
द्वितीय योजना	380	4.2	2.1	142	3.64	0.73
तृतीय योजना	581	5.2	2.3	328	5.18	2.22
वार्षिक योजना (1966-69)	434	2.5	1.5	326	4.25	1.99
चतुर्थ योजना (1969-74)	1237	4.8	2.6	513	3.20	4.50
पंचम योजना (1974-78)	2442	5.3	4.1	631	7.06+	3.80
वार्षिक योजनाएं (1978-80)	2072	2.48	1.8	515	1.50++	2.70
षष्ठम् योजना (1980-85)	5781*	5.74	3.5*	1323*	8.00	5.60

\+ 1978-79 के लक्ष्य भी शामिल हैं

++ केवल 1979-80 के लिए लक्ष्य

* 1983-84 तक प्रत्याशित व्यय/उपलब्धि

(घ) व (ङ) चूंकि यह पद एक वर्ष से अधिक अवधि से खाली पड़े रहने के कारण रोक के अन्तर्गत आ गया था ; अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जा सका। रोक अब हटाई जा चुकी है तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन को रिक्त पद भरने की अनुमति दे दी गई है।

"वैराइटल रिलीज कमेटी"

3081. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मन्त्री "वैराइटल रिलीज कमेटी" के बारे में 30 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बीज समिति को सबसे पहले कब गठित किया गया था ; कार्य सौंपे गए थे तथा इस समिति की परिकल्पना कब की गई थी तथा इसके द्वारा वास्तविक रूप में वर्ष-वार कितना कार्य-निष्पादन किया गया ;

(ख) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के बीच वर्ष-वार तथा फसलवार, इनकी मांग की तुलना में प्रजनन बीजों का कितना उत्पादन किया गया और वर्ष 1984-85 के लिए तत्सम्बन्धी पूर्वानुमान क्या है ;

(ग) क्या पशुओं तथा पौधों की कोई किस्में जारी नहीं की गई ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार का विचार एक उच्च अधिकार समिति गठित करने का है, यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रथम केन्द्रीय बीज समिति 26 सितम्बर, 1968 को गठित की गई थी। बीज अधिनियम (1966 का 54 वां) और उसके तहत बनाये गए बीज नियमों के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय बीज समिति के निर्दिष्ट कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय बीज समिति नियमित बैठकों के माध्यम से अपने नियत कार्यों का निर्वाह कर रही है।

(ख) 1981-82 से 1983-84 तक फसलों के विभिन्न समूहों के लिए उत्पादित प्रजनक बीजों की फसलवार और वर्षवार मात्रा नीचे सारणीबद्ध है :—

(मात्रा क्विंटलों में)

क्रम संख्या	फसल	1981-82	1982-83	1983-84 (अनुमानित)
1.	अनाज	1943.47	11067.23	7951.85
2.	दलहन	574.41	2816.30	1730.90
3.	तिलहन	1373.06	2721.12	3860.55
4.	रेशेदार तथा अन्य फसलें	23.73	461.73	10062.80
	योग—	3914.67	17066.38	23606.10

1984-85 के लिए विभिन्न फसलों के प्रजनक बीजों के उत्पादन का लक्ष्य 29,377 क्विंटल है।

(ग) देश में पौधों की किस्में निर्मुक्त करने की एक नियमित पद्धति विद्यमान है। तथापि, पशुओं की प्रजातियां निर्मुक्त करने की कोई पद्धति नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय बीज समिति के कार्य

बीज अधिनियम में दिये गए केन्द्रीय बीज समिति के कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) इस अधिनियम को लागू करने में पेश आने वाले मामलों के बारे में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सलाह देना और इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा इसे सौंपे गए अन्य कार्यों को करना।

(धारा 3 (1)

(2) केन्द्रीय सरकार को एक विशेष जाति या किस्म के बीज को "अधिसूचित" जाति या किस्म (राजपत्र में अधिसूचित करके) घोषित किए जाने के बारे में सलाह देना ताकि कृषि के मतलब से बेची जाने वाली जाति/किस्म के बीज की गुणवत्ता का विनियमन किया जा सके और यदि हां, तो किन/राज्यों और/अथवा उनके किन क्षेत्रों के लिए।

(धारा 5)

(3) केन्द्रीय सरकार को किसी अधिसूचित जाति या किस्म के किसी बीज के सम्बन्ध में अंकुरण और विशुद्धता की न्यूनतम सीमाओं तथा ऐसे चिन्ह और लेबल, जिसमें यह उल्लेख हो कि ऐसा बीज निर्धारित अंकुरण और विशुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप है तथा उन ब्यौरों, जिनका उल्लेख ऐसे चिन्ह तथा लेबल में निहित हो, के बारे में सलाह देना।

(धारा 6)

(4) केन्द्रीय सरकार को विदेश की किसी विशेष बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक एजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदान करने के बारे सलाह देना।

(धारा 18)

इसके अलावा अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार द्वारा 1968 में घोषित बीज निगम, 1968 में केन्द्रीय बीज समिति के निम्नलिखित कार्य विनिर्दिष्ट हैं, जो अधिनियम द्वारा समिति को सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त हैं :—

(क) केन्द्रीय तथा राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषित नमूनों और प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए ली जाने वाली फीस की सिफारिश करना ;

(ख) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपयुक्तता के बारे में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों को सलाह देना ;

(ग) अपनी सिफारिशें और अन्य सम्बन्धित रिकार्ड केन्द्र सरकार को भेजना ;

(घ) बीजों के प्रमाणीकरण, परीक्षण और विश्लेषण की पद्धति तथा मानकों की सिफारिश करना ; और

(ङ) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों के अनुपूरक, प्रासंगिक या आनुषंगिक हैं ।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3082. **श्री नवीन रावणी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो सब्जियों, फलों और फल उत्पादों का निर्यात करते हैं ;

(ख) उन राज्यों द्वारा वर्ष 1983-84 में कितने मूल्य की सब्जियों, फलों और फल उत्पादों का निर्यात किया गया ; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सब्जियों, फलों और उत्पादों का निर्यात करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं ।

(ख) सब्जियों, फलों और फल उत्पादों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते । तथापि, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1983-84 के दौरान ताजे फलों, सब्जियों और फल उत्पादों का तकरीबन 105 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ ।

(ग) ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात खुलेआम लाइसेन्स के अन्तर्गत होता है । इन चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इनमें नकद प्रतिपूरक समर्थन का प्रावधान, नये माल का आयात, आवश्यक आदानों को प्राप्त करने की सुविधाएं शामिल हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए सिंचाई का लक्ष्य

3083. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश में और अधिक नई भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने हेतु राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सरकार को कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए अर्थात 1984-85 की वार्षिक योजना तथा इस वर्ष के राज्यवार लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) छठी योजना के 13.74 मिलियन हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 1983-84 के अन्त तक लगभग 9.1 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में से कुछेक महत्वपूर्ण उपाय हैं : (1) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अधिकतम सम्भव निधियों को आबंटित करके यथासम्भव अधिकाधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देना, (2) कम आपूर्ति वाली निर्माण सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रयास करना ; (ग) राज्य स्तर पर तथा चुनी हुई परियोजनाओं की केन्द्रीय स्तर पर मानीटरिंग करना ।

खाद्यान्नों की खरीद तथा भण्डार

3084. **श्री ए० के० राय** :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री एन० डेनिश :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में देश में खाद्यान्नों की कुल कितनी खरीद की गई तथा 1 अप्रैल, 1984 को उसका कितना भण्डार था तथा मद-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1983 और 1 अप्रैल, 1982 को उसकी स्थिति क्या थी और क्या इस वर्ष भण्डार सबसे अधिक है ;

(ग) राज्यों की खाद्यान्नों की मांगों का पिछले छः महीनों का ब्यौरा क्या है तथा माह-वार सप्लाई का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या राज्यों की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में कोई कमी हुई है तथा अच्छी फसल होने के कारण केन्द्र द्वारा बेहतर सप्लाई की गई है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) 1983-84 की फसल में से 4 अगस्त, 1984 तक, कुल 169.4 लाख मी० टन खाद्यान्नों की वसूली की गई थी।

पहली अप्रैल, 1982, 1983 तथा 1984 को स्टाक की स्थिति का मदवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख मीटरी टन में)

निम्नलिखित तारीखों को	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1-4-1982	63.6	45.5	1.7	110.8
1-4-1983	52.4	56.4	2.2	111.0
1-4-1984 (अ)	52.5	96.2	0.6	149.3

(अ)—अनन्तिम

(ग) एक विवरण (उपाबन्ध) संलग्न है जिसमें जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मांग, आबंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) जनवरी से जून, 1984 तक तथा पिछले वर्ष की इस अवधि के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांग और उन्हें किए गए आबंटन के सम्बन्ध में विस्तृत स्थिति इस प्रकार है :—

(लाख मीटरी टन में)

जनवरी से जून	मांग	आबंटन
1984	143.12	90.05
1983	143.11	78.09

लोगों को सस्ते दामों पर सप्लाई किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता

3085. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आबादी के गरीब वर्ग को राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की सप्लाई करने सम्बन्धी नई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को प्रति मास कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है ;

विवरण

जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग, उनको किया गया आबंटन और उनका उठान

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग				आबंटन				उठान			
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1984												
जनवरी	1089.45	1291.14	20.0	2400.59	557.05	941.91	—	1498.96	515.8	552.8	—	1068.6
फरवरी	1126.55	1296.94	20.0	2443.49	549.15	958.61	—	1507.76	459.0	598.3	—	1058.1
मार्च	1126.55	1295.35	20.0	2441.90	549.15	958.61	—	1507.76	503.7	567.9	—	1071.9
अप्रैल	1148.55	1292.98	20.0	2361.53	533.15	958.61	—	1491.76	445.6	390.0	—	835.6
मई	1083.02	1296.01	20.0	2399.21	542.15	958.61	—	1500.76	479.9	349.6	—	829.5
जून	936.65	1208.93	20.0	2165.58	539.65	958.61	—	1498.26	466.6	345.2	—	811.8
जोड़	6510.95	7681.35	120.0	14312.30	3270.30	5734.96	—	9005.26	2071.4	2803.8	—	5675.2

(ख) लोगों को गेहूं और चावल की सप्लाई किस दर पर की जाती है ;

(ग) क्या सरकार को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नई योजना के अन्तर्गत बेहतर किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए और यह भी सुनिश्चित करने हेतु कि सप्लाई नियमित रूप से और जरूरतमन्द लोगों के पास पहुंचे, क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न जो अब मजदूरों को रियायती दरों पर वितरित किये जा रहे हैं, प्रतिमास आबंटित नहीं किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन छमाही आधार पर किये जाते हैं। प्रथम दो तिमाही के लिए किये गये राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ख) गेहूं रुपये 1.50 प्रति किलोग्राम की दर से तथा साधारण किस्म का चावल रुपये 1.85 प्रति किलोग्राम की दर से सप्लाई किया जाता है। यदि साधारण किस्म का चावल उपलब्ध नहीं हो तो अच्छी किस्म का अथवा बहुत अच्छी किस्म का चावल क्रमश: रुपये 1.95 प्रति किलोग्राम की दर से तथा रुपये 2.10 प्रति किलोग्राम की दर से सप्लाई किया जाता है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्नों की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने हेतु यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किये जाएं तथा किसी भी हालत में घटिया किस्म के खाद्यान्न सप्लाई/स्वीकार नहीं किये जाएं। खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अग्रिम में ही खाद्यान्न भेज दिए जाते हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि खाद्यान्नों के वितरण पर कड़ी निगरानी रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्यान्न उन मजदूरों को प्राप्त होने चाहिए जिनके लिए ये हैं।

विवरण

चालू वर्ष अर्थात 1984-85 की प्रथम दो तिमाही के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये खाद्यान्नों का आबंटन

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1984-85 की प्रथम दो तिमाहियों के लिए आबंटित खाद्यान्नों की क्वालिटी	
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12,770	12,375
2.	असम	3,500	3,375
3.	बिहार	21,665	20,955
4.	गुजरात	4,520	4,445
5.	हरियाणा	850	810
6.	हिमाचल प्रदेश	940	910
7.	जम्मू तथा कश्मीर	955	940
8.	कर्नाटक	9,140	9,040
9.	केरल	5,965	5,875
10.	मध्य प्रदेश	13,170	13,930
11.	महाराष्ट्र	17,140	16,460
12.	मणिपुर	140	140
13.	मेघालय	240	235
14.	नागालैंड	135	125
15.	उड़ीसा	9,715	9,375

1	2	3	4
16.	पंजाब	(खाद्यान्नों के वितरण से छूट दी गई है)	
17.	राजस्थान	3,440	3,335
18.	सिक्किम	110	110
19.	तमिलनाडु	16,110	15,895
20.	त्रिपुरा	525	515
21.	उत्तर प्रदेश	25,210	24,355
22.	पश्चिम बंगाल	16,260	16,040
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	155	155
24.	अरुणाचल प्रदेश	155	110
25.	चण्डीगढ़	20	20
26.	दादरा तथा नगर हवेली	90	90
27.	दिल्ली	40	45
28.	गोवा, दमन तथा दीव	135	135
29.	लक्षदीप	30	25
30.	मिजोरम	100	100
31.	पांडिचेरी	100	100
	योग :	1,63,285	1,60,020

बाजार में खुली बिक्री के लिए भारी मात्रा में चीनी जारी करना

3086. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन महीनों अर्थात मई, जून और जुलाई के दौरान सुरक्षित भंडार से भारी मात्रा में चीनी निकाली है ;

(ख) मई, जून, जुलाई और अगस्त के प्रारम्भ में सुरक्षित भण्डार में कुल कितनी चीनी थी तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा इसकी क्या स्थिति थी ; और

(ग) सुरक्षित भण्डारों से किन कारणों से भारी मात्रा में चीनी जारी करनी पड़ी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार ने बफर स्टाक में से जून और जुलाई, 1984 के महीनों के लिए क्रमश: 2.00 लाख मीटरी टन और 1.50 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की थी। मई, 1984 के मास के लिए कोई बफर स्टाक निर्मुक्त नहीं किया गया था।

(ख) आंकड़े निम्न प्रकार हैं : —

(लाख मी० टन में)

मास की पहली तारीख	1983	1984
मई	5.00	10.00
जून	5.00	10.00
जुलाई	5.00	8.00
अगस्त	5.00	8.50

(ग) सरकार ने चीनी का बफर स्टाक इसलिए तैयार किया है और उसे बनाए रखा है ताकि मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए खुली बिक्री के बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु इसका आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि मई मास में इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी, इसलिए बाद में चीनी के बफर स्टाक की मात्रा के एक अंश को निर्मुक्त किया गया था।

त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धन का आबंटन

3087. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1980 को विभिन्न राज्यों में कितने समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया है ;

(ख) छठी योजना में इन समस्याग्रस्त गांवों में शीघ्र जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि निर्धारित की गई ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि दी गई है ;

(घ) 30 जून, 1984 तक प्रत्येक राज्य में कितने समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में उड़ीसा में प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :(क) तथा (घ) इस मन्त्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डानुसार अप्रैल, 1980 में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या और 30-6-84 तक लाभान्वित गांवों में से समस्याग्रस्त गांवों की संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(ख) तथा (ग) 1980-84 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई अनुदान राशि एवं 1983-84 के दौरान प्रोत्साहन योजना के तहत राज्यों को दी गई राशि विवरण 2 में दी गई है।

(ङ) 1980 में उड़ीसा में पता लगाए गए 23,616 समस्याग्रस्त गांवों में से, 30-6-1984 तक 17,864 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया गया था। शेष समस्याग्रस्त गांवों को 31-3-85 तक लाभान्वित किए जाने की आशा है।

विवरण-1

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	1-4-80 से 30-6-84 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त गांव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8206×	7029
2.	असम	15743	6673
3.	बिहार	15194×	12074
4.	गुजरात	5318×	3239
5.	हरियाणा	3440	1368
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4293
7.	जम्मू और कश्मीर	4698×	1551
8.	कर्नाटक	15456×	15443
9.	केरल	1158क	995

1 2	3	4
10. मध्य प्रदेश	24944×	22315
11. महाराष्ट्र	12935×	10126
12. मणिपुर	1212×	642
13. मेघालय	2927×	586
14. नागालैंड	649×	323
15. उड़ीसा	23616×	17864
16. पंजाब	21767	395
17. राजस्थान	19803×	13970
18. सिक्किम	296×	183
19. तमिलनाडु	6649×	6138
20. त्रिपुरा	2800	2043
21. उत्तर प्रदेश	28505×	20406
22. पश्चिम बंगाल	25243ख	8779
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	131
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	1127
25. चण्डीगढ़	—	—
26. दिल्ली	91ग	89
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—
28. गोवा, दमण और द्वीव	66	52
29. लक्षद्वीप	—	—

1	2	3	4
30.	मिजोरम	214×	88
31.	पांडिचेरी	118	102
	योग :	230784	158024

टिप्पणी : ग. दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित 3 समस्याग्रस्त गांव और बिजंन 7 समस्याग्रस्त गांव ।

× इसमें आंशिक रूप से लाभान्वित गांव भी शामिल हैं ।

क. इसमें पिछले सालों में लाभान्वित 390 गांव शामिल हैं ।

ख. 1981-81 और 1981-82 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषद स्थल स्रोतों के तहत कवरेज शामिल नहीं है ।

विवरण-2

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया अनुदान निर्माण कार्य

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1980-84 के दौरान जारी की गई राशि	प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जारी की गई राशि 1983-84	1984-85 नियतन	9-8-84 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1829.72	400.00	743.23	518.00
2.	असम	2032.57	420.00	981.03	686.00
3.	बिहार	2991.16	277.00	1046.10	729.00
4.	गुजरात	1444.86	350.00	500.74	350.00
5.	हरियाणा	1263.00	450.00	34.670	252.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1450.00	200.00	378.90	263.00

1 2	3	4	5	6
7. जम्मू और काश्मीर	3239.51	शून्य	1801.56	1260.00
8. कर्नाटक	2390.54	72.00	950.19	665.00
9. केरल	2666.95	400.00	1121.30	784.00
10. मध्य प्रदेश	4365.45	600.00	1669.56	1167.00
11. महाराष्ट्र	2647.55	93.00	975.40	670.00
12. मणिपुर	557.67	135.00	158.38	106.00
13. मेघालय	1121.68	शून्य	शून्य	420.00
14. नागालैण्ड	712.96	115.00	307.18	214.00
15. उड़ीसा	2549.32	450.00	1062.38	742.00
16. पंजाब	676.12	150.00	276.00	190.00
17. राजस्थान	7656.62	750.00	3363.83	2352.00
18. सिक्किम	370.71	125.00	272.39	189.00
19. तमिलनाडु	2677.52	500.00	943.53	658.00
20. त्रिपुरा	391.07	70.00	140.75	99.00
21. उत्तर प्रदेश	7239.23	750.00	4091.16	2863.00
22. पश्चिम बंगाल	3454.58	300.00	1931.93	1351.00
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	44.14	शून्य	56.56	38.00
24. अरुणाचल प्रदेश	167.00	शून्य	157.77	शून्य
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—
26. दिल्ली	23.00	शून्य	—	—
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
28.	गोवा, दमण और द्वीप	97.72	4.00	513.07	35.00
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	35.25	शून्य	17.67	11.00
31.	पाण्डिचेरी	48.50	शून्य	25.60	17.00
	योग :	54144.40	611.00	24000.00	16629.00

नई दिल्ली नगर पालिका में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारी

3088. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के विभिन्न विभागों में दो वर्षों से अधिक समय से दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन्हें नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1518

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि मस्टर रोल पर कार्यरत व्यक्तियों को नियमित करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे उनके यहां उपलब्ध (रिक्त) पदों के लिए बने भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

फलों का निर्यात और आंतरिक मूल्यों पर इसका प्रभाव

3089. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेब, आलूबुखारा, आड़ू और चैरी आदि जैसे संतुलित फलों का उन देशों को निर्यात करके, जहां इन फलों का उत्पादन नहीं होता, विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने का है।

(ख) क्या इन संतुलित फलों की मांग काफी बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ताजे फलों का निर्यात खुले आम

लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है। सरकार ने फलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए नकद क्षतिपूर्ति सहायता, आयात की प्रतिपूर्ति, शुल्क माफी सुविधाएं समेत अनेक उपाय किए हैं।

(ख) फलों की मांग में वृद्धि जनसंख्या और इसकी आय का स्तर बढ़ने से होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे :—

(1) फलों के उत्पादन, विपणन और संसाधन की देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना ;

(2) अधिक उत्पादकता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए श्रेष्ठ संतति फलोद्यान एवं नर्सरियां स्थापित करने की योजना ;

(3) सेब पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों में बढ़िया सेब के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी।

जल के रिसने, जमा हो जाने तथा खारा हो जाने सम्बन्धी समस्याओं का जायजा लेने के लिए सिंचाई योजनाओं का मूल्यांकन

3090. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री ई० बालानन्दन :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में बहुत सी नहर योजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं में जल के रिसने, इसके एकत्र हो जाने तथा खारा हो जाने की गम्भीर स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा भारत में पहले स्थापित की जा रही सभी सिंचाई योजनाओं की गहराई से व्यापक जांच कराने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : भारत सरकार सिंचाई परियोजनाओं के कमानगत क्षेत्रों में जल-रिसाव, जल-जमाव तथा लवण्यता की समस्या से अवगत है। अत्यधिक रिसन/जल-जमाव इत्यादि के बुरे प्रभावों से भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार राज्य सरकारों को उपचारात्मक उपाय करने हेतु सलाह देती रही है। इन उपचारात्मक उपायों में नहर प्रणालियों को पक्का करना, विद्यमान सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण, भू-जल एवं भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग, बारबंदी सहित सुधरी हुई सिंझाई पद्धतियों को लागू करना और तुरन्त उपचारी उपाय करने के लिए भूमिगत जल-तालिका का प्रेक्षण करना शामिल है। कमानगत क्षेत्रों में होने वाली जल-जमाव की समस्याओं की जांच राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में भूमि की उत्पादकता

3091. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भूमि की उत्पादकता कम है तथा कुल 257 तालुकों में से 87 तालुके बार-बार सूखे की चपेट में आते रहते हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1979-80 में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में कृषि का केवल 28 प्रतिशत अंशदान था, जबकि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह अंशदान काफी अच्छा 40.6 प्रतिशत था ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कभी किसी अवसर पर इस विक्षोभकारी स्थिति की जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके क्या निष्कर्ष रहे ; और

(घ) इस निराशाजनक स्थिति से उभरने के लिए केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को कैसे सहायता और सलाह देने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महाराष्ट्र में खाद्यान्नों और अन्य मुख्य फसलों की उत्पादकता अखिल भारत स्तर की तुलना में सामान्यतः कम है। बहुधा सूखे से ग्रस्त रहने वाले तालुकों की संख्या के बारे में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ख) तथा (ग) 1979-80 महाराष्ट्र का निवल स्वदेशी उत्पाद में कृषि का आनुपातिक अंशदान, वर्तमान कीमतों पर अखिल भारत के 35.7 प्रतिशत अंश की तुलना में 26.8 प्रतिशत है। कृषि की कम उत्पादकता के अलावा, महाराष्ट्र के निवल स्वदेशी उत्पाद में कृषि के आनुपातिक अंशदान की प्रतिशतता कम होने का कारण यह भी है कि यह राज्य औद्योगिक रूप से अधिक उन्नत है। इस राज्य का विनिर्माण क्षेत्र का 1979-80 का अंशदान, वर्तमान कीमतों पर, अखिल भारत स्तर के 17.3 प्रतिशत की तुलना में 27.6 प्रतिशत है।

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकार महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है जैसे सिंचाई की सुविधा का विस्तार, आदानों के प्रयोग में वृद्धि और विभिन्न आदानों की सप्लाई की व्यवस्था, बारानी खेती की प्रौद्योगिकी को अपनाना अनुसन्धान तथा विस्तार को तीव्र करना आदि ;

भारत सरकार मुद्रणालय अलीगढ़ के कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था

3092. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय अलीगढ़ के 1200 कर्मचारियों की आवासीय बस्ती में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अभी तक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार खाली पड़ी 6 दुकानों को एक प्राथमिक स्कूल में बदल कर बस्ती के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रेस मुख्य शहर के समीप स्थित है, जहां सन्तोषजनक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस प्रकार प्रेस कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग स्कूल की आवश्यकता नहीं है।

नई दिल्ली की शान्ति निकेतन कालोनी में दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो खोलना

3093. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** नई दिल्ली की शान्ति निकेतन में दुग्ध योजना का डिपो खोलने के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली दुग्ध योजना का डिपो खोलने के मामले में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम ने, जिसे स्थल आबंटन के लिए कहा गया था इस प्रयोजन के लिए किसी स्थल का आबंटन कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने दूध का बूथ स्थापित करने के लिए शान्ति निकेतन की तीसरी गली के कोने में बिजली के सब-स्टेशन के निकट जगह आबंटित की है। तदनुसार, दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त टाउन प्लानर ने दिल्ली अर्बन आर्टस कमिश्नर से उपरोक्त स्थान की स्वीकृति प्राप्त करने तथा उसे आगे की कार्यवाही के लिए दिल्ली दुग्ध योजना को भेजने का अनुरोध किया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी राष्ट्रीय नीति

3094. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में "आवास" सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है, ताकि निकट भविष्य में प्रत्येक बेघर परिवार के लिए मकान की व्यवस्था की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले ऐसी कोई नीति तैयार कर ली जायेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आवास की राष्ट्रीय नीति में आश्रयहीन लोगों की पर्याप्त संख्या को कम

करने तथा अन्य लोगों को उनके आवासीय वातावरण में सुधार का वातावरण मुहैया करने को आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने लिए ग्रामीण भूमिहीन कामगारों तथा शिल्पकारों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता के प्रावधान को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरी क्षेत्रों में, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्यक्ष सहायता मुहैया की गई है। आवास (पुलिस आवास सहित) के लिए वर्ष 1984-85 में 401.36 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एस-4 वैज्ञानिक

3095. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में तथा संस्थानों में तैनात एस-4 वैज्ञानिकों को समान दर्जा देता है, हालांकि इन दोनों स्थानों के लिए न तो कर्तव्य (ड्यूटी) और न ही न्यूनतम अनिवार्य अर्हताएं एक जैसी हैं ;

(ख) अपने वैज्ञानिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की क्या व्यवस्था है ;

(ग) क्या शिकायत समिति के सदस्यों का वैज्ञानिकों द्वारा चुनाव किया जाता है अथवा नहीं ; और

(घ) क्या अपने वैज्ञानिकों की सहायता करने के उद्देश्य से सरकार का विचार सम्बद्ध नियमों में सुधार करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एस-4 से आगे के सभी पद चाहे वह मुख्यालय या संस्थान में हो वे अनुसंधान प्रबन्ध के पदों का ही एक भाग है। परिषद् के अन्तर्गत या तो मुख्यालय या संस्थानों में एस-4 पदों सहित अनुसंधान प्रबन्ध के पदों के लिए सभी नियुक्तियां अनुसंधान प्रबन्ध के पद नियमों के अनुसार की जाती हैं। विभिन्न पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं तथा अपेक्षित अनुभव करीब-करीब समरूप है। उसकी नियुक्तियों की शर्तों के अनुसार उनकी भारत में कहीं भी सेवाएं ली जा सकती हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी ड्यूटी सौंपी जा सकती है।

(ख) परिषद् में प्रथम श्रेणी तथा उससे ऊपर अधिकारियों की शिकायत समिति है जिसमें वैज्ञानिक भी प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति का अध्यक्ष भी एक वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिकों के अतिरिक्त समिति में तकनीकी तथा प्रशासनिक श्रेणियों के भी अधिकारी होते हैं। तथापि वैज्ञानिक तथा अन्य श्रेणी के सम्बन्धित अधिकारी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत के बारे में अभिवेदन कर सकते हैं।

(ग) वैज्ञानिकों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिकायत समिति का सदस्य सम्बद्ध वैज्ञानिकों द्वारा चुना जाता है।

(घ) वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषजनक पाए गए तथा वैज्ञानिकों को सहायता हेतु सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

मोतिया खान, दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

3096. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार मोतिया खान क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों में लोगों को आबंटन करने के लिए स्व-वित्त पोषित फ्लैट बनाने का है ;

(ख) क्या इन बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ; यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) आबंटन के लिए ये इमारतें कब तक तैयार हो जायेंगी ;

(घ) आबंटितियों से इन फ्लैटों के मूल्य की कितनी किस्तें वसूल कर ली गई हैं या अगले तीन महीनों में वसूल की जा रही हैं और इन फ्लैटों के कुल मूल्य और वसूल की गई धनराशि का परस्पर प्रतिशत अनुपात कितना है ;

(ङ) आधा मूल्य की वसूली और तीन-चौथाई से अधिक मूल्य की वसूली करने और फ्लैटों का कब्जा देने के बीच समय का कितना-कितना अन्तर है ; और

(च) किश्तों की जमा राशि पर आबंटियों को ब्याज के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 2 टावरों (128 फ्लैटों) के लिए निविदायें पहले ही प्राप्त हो गई हैं। जैसे ही अस्थाई अतिक्रमण हटा दिए जायेंगे वैसे ही शेष तीन टावरों के लिए निविदायें आमंत्रित कर दी जायेगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन फ्लैटों की 3 से 3-1/2 वर्षों के समय में तैयार हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) अधिकांश आबंटियों ने फ्लैट की लागत के लिए दूसरी किश्त का भुगतान कर लिया है जो कि फ्लैट की अनुमानित लागत का 45 प्रतिशत है। इन फ्लैटों की अनुमानित लागत के भुगतान की समय-सूची निम्नलिखित है :—

1. 25 प्रतिशत (पंजीकरण के लिए दी गई राशि सहित)	10-4-83
2. 20 प्रतिशत	10-1-84
3. 25 प्रतिशत	10-10-84
4. 20 प्रतिशत	10-7-85

5. 10 प्रतिशत + अनुमानित लागत तथा फ्लैट के तैयार होने की लागत के बीच का अन्तर, यदि कोई हो।

(च) विवरणिका में दी गई शर्तों के अनुसार यदि फ्लैट 3-1/2 वर्षों के अन्दर पूर्ण नहीं होते हैं तो आबंटियों को आवेदन पत्र स्वीकार करने की तारीख से 3-1/2 वर्षों की अवधि के बाद उनकी जमा राशि पर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना के पास बटर आयल का कोई भंडार न होना

3097. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पास 11 मई, 1984 को बटर आयल का कोई भण्डार नहीं था और अगले दिन सप्लाई के लिए दूध भी गत रात्रि बटर आयल प्राप्त होने के बाद ही तैयार किया जा सका था ; यदि हां, तो सरकार का विचार दूध की सप्लाई में व्यवधान न आने देने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय करने का है ; और

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को मई से लेकर जुलाई, 1984 तक महीनावार "क्लुसा" से कितनी मात्रा में एस० एम० पी० उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ तथा मार्च, 1985 तक इसकी कितनी मात्रा आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सही नहीं है कि दिनांक 11-5-84 को दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के पुनर्गठन के लिए बटर आयल का कोई स्टाक नहीं था।

(ख) क्लुसा से उपहार के रूप में प्राप्त स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण की मात्रा भी भारतीय डेरी निगम में स्वदेशी साधनों से प्राप्त स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के साथ स्टाक में ले ली जाती है। डेरियों को इसी पूल स्टाक से सप्लाई की जाती है। अतः क्लुसा से उपहार के रूप में प्राप्त स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण में से दिल्ली दुग्ध योजना को मई से जुलाई, 1984 तक आबंटित की गई मात्रा को बताना सम्भव नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना और अन्य डेरियों को जारी की जाने वाली सम्भावित मात्रा, ताजे दूध की अधिप्राप्ति, उनकी वास्तविक आवश्यकता, स्टाक की उपलब्धता, स्टाक जारी करने सम्बन्धी नीति आदि जैसे घटकों पर निर्भर करेगी। अतः भारतीय डेरी निगम ने दिल्ली दुग्ध योजना को मार्च, 1985 तक जारी की जाने वाली कोई विशेष मात्रा निर्धारित नहीं की है।

स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बसन्त कुंज के आबंटियों द्वारा दूसरी किस्त के भुगतान को आस्थगित करना

3098. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 26 जुलाई, 1984 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" जैसे

स्थानीय दैनिक पत्रों में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बसन्त कुंज के आबंटियों द्वारा दूसरी किस्त के भुगतान को अस्थगित करने के सम्बन्ध में जिन्हें इसके भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किए गए थे सार्वजनिक नोटिस जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे एम० आई० जी० फ्लैटों के आबंटी जिन्होंने इससे पहले पहली किस्त का भुगतान कर दिया था, संत्रस्त है ;

(घ) उनमें कितने लोगों ने आबंटन वापस लेने के लिए डी० डी० ए० को लिखा था ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे आबंटियों को जिन्होंने पहली किस्त का भुगतान किया है, अनिश्चित काल तक असमंजस में रखने के बजाय दिल्ली में वैकल्पिक एम० आई० जी० फ्लैट आबंटित करने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, क्योंकि निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है।

(ग) यह उपर्युक्त समझा गया कि दूसरी तथा तीसरी किस्त को वसूल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है और जनता को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है। सन्त्रास वाली कोई बात बताई नही गई है।

(घ) 26/7/84 के बाद कुछ व्यक्तियों ने इस योजना से अपने नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया है। अभी नाम वापस लेने वालों की वास्तविक संख्या नहीं बताई जा सकती है क्योंकि कई मामलों में पहली किश्त के भुगतान की अन्तिम तिथि 15/9/84 को समाप्त होगी।

(ङ) जी, नहीं। फ्लैटों के निर्माण कार्य के शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

पुनर्वास कालोनियों में आवासीय स्थानों में दुकानों का निर्माण

3099. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** पुनर्वास कालोनियों में आवासीय स्थानों पर दुकानों के निर्माण के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प संख्या 140 दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 और 137 दिनांक 15 जुलाई, 1984 दिनांक 15 जुलाई, 1978 को सभापटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की आवासीय कालोनियों में मकान मालिकों/किरायेदारों को रहने के मकानों में दुकानें चलाने की अनुमति है ; और

(ख) 8 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के उत्तर में 5 नवम्बर, 1983 को पूरे किए गए आश्वासन के अन्तर्गत् दिल्ली प्राधिकरण द्वारा सूची बद्ध की गई प्रत्येक कालोनी में आवासीय मकानों में दुकान चलाने के विरुद्ध कितने मुकदमें चलाये जा रहे हैं ; और प्रत्येक मामले सम्बन्धी ब्यौरा तथा अपराध का स्वरूप क्या है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नर्मदा परियोजना को सातवीं योजना में शामिल करना

3100. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नहर परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को सातवीं योजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) संभवतः राजस्थान में नर्मदा जल के इसके हिस्से के .5 मिलितन एकड़ फुट के उपयोग करने का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने अभी तक परियोजना रिपोर्ट को तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है। सातवीं योजना को भी अभी तैयार किया जाना है और इसलिए अभी यह नहीं बताया जा सकता कि क्या राजस्थान इस परियोजना को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिए शामिल कर रहा है।

रानीताल रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग की परियोजना रूपरेखा

3101. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** भारतीय खाद्य निगम में घाटे को कम करने के लिए रानीताल रेलवे स्टेशन रेलवे साइडिंग के बारे में 2 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5944 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय ने उड़ीसा में रानीताल रेलवे स्टेशन पर भारतीय खाद्य निगम भंडारों के साइडिंग की व्यवस्था के लिए अपेक्षित खाका योजना इसके निर्माण के लिए उनके मन्त्रालय को 61 लाख रुपए जमा करने हेतु प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग की मांग पर इसके निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि जमा करा दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति का ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा तिलहनों के उत्पादन हेतु अनुसन्धान सम्बन्धी सहायता

3102. **श्री अजित बाग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान के सम्बन्ध में क्या सहायता करती है और किन-किन क्षेत्रों में करती है ;

(ख) उनके संबंध में पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन कार्यक्रमों प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 1975 से 1984 के बीच तिलहन अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्रमों पर वर्षवार तथा राज्यवार कितना व्यय किया गया है और प्रत्येक राज्य में वर्ष 1975 से 1982 तक तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में कितना सुधार हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार उक्त अनुसन्धानों के परिणामों से सन्तुष्ट है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाने वाली अनुसन्धान सहायता का ब्योरा देने वाले अलग विवरण तथा पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं का (I से IV अनुबन्धों सहित विवरण-एक तथा विवरण-दो में) दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

विवरण-एक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तिलहन अनुसन्धान को बढ़ाने विशेषकर उत्पादन हेतु कई कदम उठाये हैं। तिलहन अनुसन्धान पर निम्नलिखित कार्यक्रम प्रगति पर है :

(1) हैदराबाद स्थित (केन्द्रों की सूची अनुबन्ध-I में संलग्न है) तिलहन अनुसंधान निदेशालय के साथ अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान प्रायोजना के 83 फसल आधारित अनुसन्धान केन्द्र।

(2) राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़।

(3) (अनुबंध-II देखें) अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार प्रायोजना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, कनाडा की सहायता से पंतनगर, हिसार, इन्दौर तथा वरीधाचलम में तोरिया-सरसों, कुसुम तथा तिल पर अनुसंधान को

गहन करने के लिए चार प्रगत अनुसंधान केन्द्र ।

(5) इण्डो स्वीडीश संयुक्त सहयोगी कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच केन्द्रों में यानी लुधियाना, जोबनेर, कानपुर, कल्याणी तथा शिलौगनी में तोरिया सरसों अनुसंधान को गहन करना ।

(6) सिंचित कृषि दशाओं (अनुबंध-III) के अन्तर्गत तिलहन तथा दाल पर आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान को गहन करने के लिए 16 कमान क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र ।

(7) हैदराबाद में तिलहन विकास के लिए प्रशिक्षण तथा संचार केन्द्र ।

(8) उत्पादन बढ़ाने हेतु (अनुबंध-II) तिलहनों पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए बारानी कृषि क्षेत्रों में विस्तार शिक्षा केन्द्र ।

(9) सूरजमुखी को छोड़कर सभी तिलहन फसलों के प्रजनक बीज के उत्पादन पर योजना ।

(10) सूरजमुखी की सर्वोत्कृष्ट तथा अति सर्वोत्कृष्ट बीज के उत्पादन लिए योजना ।

(11) तिलहन उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के बढ़ावा के लिए बीस तदर्थ अनुसंधान योजनाएं चालू हैं ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा बारानी कृषि अनुसंधान प्रायोजना द्वारा तिलहन अनुसंधान चलाया जा रहा है । विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विस्तार शिक्षा गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं ।

अनुबन्ध-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रायोजना के अन्तर्गत तिलहन अनुसन्धान केन्द्रों की फसलवार सूची

1. मूंगफली

1. लुधियाना (पंजाब)
2. मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
3. खरगांव (मध्य प्रदेश)
4. जूनागढ़ (गुजरात)
5. जलगांव (महाराष्ट्र)

6. लातुर (महाराष्ट्र)

7. चिप्लीमा (उड़ीसा)

8. कादिरी (आन्ध्र प्रदेश)

9. गरिकापदु (आन्ध्र प्रदेश)

10. राजेन्द्र नगर (आंध्र प्रदेश)

11. धारवाड़ (कर्नाटक)

12. रायचूर (कर्नाटक)

13. कोलार (कर्नाटक)

14. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

15. अलीयार नगर (तमिल नाडु)

16. त्रिवेंद्रम (तमिलनाडु)

17. आई० ए० आर० आई० आर० आर० एस०, हैदराबाद

18. दुर्गापुर (राजस्थान)

19. एन० आई० एन०, हैदराबाद अफ्लोटोक्सिन

2. तिल

1. सुमेर पुर (राजस्थान)

2. अमरेली (गुजरात)

3. जबलपुर (मध्यप्रदेश)

4. जलगांव (महाराष्ट्र)

5. भुवनेश्वर (उड़ीसा)

6. जगतियल (आंध्र प्रदेश)

7. येल्लामनचिली (आंध्र प्रदेश)

8. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

9. झांसी (उत्तर प्रदेश)

3. तोरिया तथा सरसों

1. शिल्लोनगनी (असम)

2. बेहरामपुर (पश्चिमी बंगाल)

3. पन्तनगर (उत्तर प्रदेश)

4. कटिहार (बिहार)

5. हिसार (हरियाणा)

6. बावल (हरियाणा)

7. ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

8. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

9. पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)

10. शालीमार (जम्मू और कश्मीर)

11. दुर्गापुर (राजस्थान)

12. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

4. सूरजमुखी

1. दिग्राज (महाराष्ट्र)

2. अकोला (महाराष्ट्र)

3. बंगलौर (कर्नाटक)

4. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

5. आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली

5. कुसुम

1. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

2. जलगांव (महाराष्ट्र)

3. राजेन्द्रनगर (आंध्र प्रदेश)

4. अन्निनेरी (कर्नाटक)

5. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

6. पलतन (महाराष्ट्र)

6. रामतिल

1. रांची (बिहार)

2. जबलपुर (मध्य प्रदेश)

3. इगतपुरी (महाराष्ट्र)

4. सिमिलीगुडा (उड़ीसा)

5. रायचूर (कर्नाटक)

7. अलसी

1. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

2. मौरानीपुर (उत्तर प्रदेश)

3. रायपुर (मध्य प्रदेश)

4. कांके (बिहार)

5. पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)

6. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

7. अकोला (महाराष्ट्र)

8. दुर्गापुर (राजस्थान)

8. अण्डी

1. दांतिवाड़ा (गुजरात)

2. पालेम (आंध्र प्रदेश)

3. रायचूर (कर्नाटक)

4. सेलम (तमिलनाडु)

5. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

6. धोली (बिहार)

7. अण्डी का जैव नियन्त्रण

8. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

9. छोटे तिलहन

1. जबलपुर (मध्य प्रदेश)

2. भुवनेश्वर (उड़ीसा)

10. जन्वि द्रव्य एकक

1. शोलापुर (महाराष्ट्र) कुसुम

2. बंगलौर (कर्नाटक) सूरजमुखी

3. जबलपुर (मध्य प्रदेश) तिल तथा रामतिल

4. कानपुर (उत्तर प्रदेश) अलसी

5. हिसार (हरियाणा) तोरिया-सरसों

11. अन्य एकक

1. आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली, शरीर क्रिया विज्ञान

2. आई० ए० आर० आई, नई दिल्ली, सूक्ष्म जीव विज्ञान

3. मैनपुरी (उत्तर प्रदेश), व्हाइट ग्रब

4. कोयम्बटूर (तमिलनाडु) शरीर क्रिया विज्ञान तथा वाइरस

5. ऑफ सीजन नर्सरी, अलीयार नगर (तमिलनाडु)

अनुबन्ध-2

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्र

1. नई दिल्ली

2. परभणी (महाराष्ट्र)

3. बंगलौर (कर्नाटक)

4. पन्तनगर (उ० प्र०)

5. जबलपुर (म० प्र०)

6. पालमपुर (हि० प्र०)

7. रांची (बिहार)

8. कल्याणी (पश्चिम बंगाल)

9. धारवाड (कर्नाटक)

10. कोरापुट (उड़ीसा)

11. जोरहाट (असम)

12. लुधियाना (पंजाब)

13. जूनागढ़ (गुजरात)

14. अमरावती (महाराष्ट्र)

15. पूना (महाराष्ट्र)

16. मंझेरा (महाराष्ट्र)

17. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

18. श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)

कमान क्षेत्र केन्द्र

1. सिरूगुप्पा (कर्नाटक)

2. गरीकापाडू (आ० प्र०)

3. कुमारगंज (उ० प्र०)

4. देवोल (गुजरात)

5. भिवानी (हरियाणा)

6. पीची (केरल)

7. पन्डारपुर (महाराष्ट्र)

8. धौली (महाराष्ट्र)
9. अदूथूराई (तमिलनाडु)
10. पेथारेसाला (महाराष्ट्र)
11. श्रीगंगानगर (राजस्थान)
12. राम गंगा (उ० प्र०)
13. नलहटी (पश्चिम बंगाल)
14. चिपलिमा (उड़ीसा)
15. ग्वालियर (म० प्र०)
16. पटना (बिहार)

विस्तार शिक्षा केन्द्र

1. गुलबर्ग (कर्नाटक)
2. मड्या (कर्नाटक)
3. अनन्तपुर (आ० प्र०)
4. रास्टाकुन्टाबाई (आ० प्र०)
5. तिस्लूही (उ० प्र०)
6. बड़ोदा (जी० ए० यू०) (गुजरात)
7. राजकोट (गुजरात)
8. बावल (हरियाणा)
9. कयामकुलम (केरल)
10. धुले (महाराष्ट्र)
11. शोलापुर (महाराष्ट्र)
12. अकोला (महाराष्ट्र)
13. कोविलपट्टी (तमिलनाडु)
14. वरीधाचलम (तमिलनाडु)
15. परभणी (महाराष्ट्र)
16. दुर्गापुर (राजस्थान)

17. कपूरथला (पंजाब)

18. गुरदासपुर (पंजाब)

19. मथुरा (उ० प्र०)

20. राईगंज (पश्चिम बंगाल)

21. हथवाडा (पश्चिम बंगाल)

22. भुवनेश्वर (उड़ीसा)

23. रीवा (म० प्र०)

24. इन्दौर (म० प्र०)

25. कान्के (बिहार)

26. धौली (बिहार)

27. डपोली (महाराष्ट्र)

विवरण-दो

पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न तिलहन अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए आबंटन तथा केन्द्रों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	प्रायोजना/कार्यक्रम	पांचवीं योजना (1974-79) (रु० लाख में)	केन्द्रों की आबंटन संख्या	छठी योजना (1980-85) (रु० लाख में)	केन्द्रों की आबंटन संख्या
1	2	3		4	
1.	तिलहन प्रायोजना	55	395.02	83	602.59
2.	सोयाबीन प्रायोजना	21	49.00	18	86.27
3.	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़		62.75	1	95.17
4.	तोरिया सरसों अनुसन्धान पर इन्डो स्वीडीश सहयोगी प्रायोजना	—	—	5	29.00
5.	तोरिया सरसों, कुसुम तथा तिल अनुसंधान पर आई० डी० आर० सी० सहायक प्रायोजना	—	—	4	75.00

1	2	3		4	
6.	सर्वोत्कृष्ट तथा अति सर्वोत्कृष्ट सूरजमुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम	5	63.23	5	120.00
7.	सिंचित कमान क्षेत्र अनुसंधान कार्यक्रम	16	18.00	16	245.75
8.	तिलहनों पर प्रजनक के बीज उत्पादन कार्यक्रम	—	—	30	175.00
9.	राष्ट्रीय संचार तथा प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद	—	—	1	22.00
10.	अन्य योजनाएं (संभावित होने वाले खर्चे)	—	18.00		20.00
	कुल :		606.00		1470.76

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी

3103. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारी अपनी कोशिश से दिल्ली विकास प्राधिकरण में दो बार, तीन बार, यहां तक की पांच बार प्रतिनियुक्ति पर आए हैं ;

(ख) क्या उनके अपने विभागों में लौटने सम्बन्धी यह कार्यवाही सरकारी आदेशों/अनुदेशों को पूरा करने और प्रतिनियुक्ति की अवधि को फिर बढ़ाने के लिए की जाती है ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी उनके अपने कैडर में बेकार और विफल सिद्ध हुए और इसलिए दो महीने की थोड़ी अवधि में ही अनेक विभागों में परीक्षण के तौर पर उन्हें भेजा गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों का विवरण क्या है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में एकाधिक बार प्रतिनियुक्ति पर लिए गए और प्रत्येक बार उनके प्रतिनियुक्ति पर आने और अपने विभागों में लौटने की तारीख क्या है तथा उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण में बार-बार प्रतिनियुक्ति पर लेने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार ऐसे भी उदाहरण हैं जब अधिकारियों को दूसरी या तीसरी बार प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है।

(ख) बताया गया है कि इन अधिकारियों को दूसरी या तीसरी बार प्रतिनियुक्ति पर इस संगठन के हित में लिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात का खण्डन किया है।

(घ) जिन अधिकारियों को संगठन के हित में एक से अधिक बार प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन अधिकारियों के ब्यौरे जो इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं और पहले भी इस प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर थे

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	विभाग/सेवा जिससे संबंधित है	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
1.	कंवलजीत सिंह	वित्त सदस्य	आई०आर०एस० (यूटी)	(i) 21-4-76 से 30-11-78 तक (ii) 31-5-80 से अभी तक
2	पी० चक्रवर्ती	अपर आयुक्त (समन्वय)	दिल्ली प्रशासन	(i) 23-7-71 से 31-8-76 तक (ii) 4-3-80 से 11-1-84 तक (iii) 21-7-84 से अब तक
3.	बी०के० मल्होत्रा	मुख्य सतर्कता अधिकारी	आई०ए०एस० (राजस्थान) एस०ए०एस	(i) दिसंबर, 68 से जुलाई 73 तक (ii) जनवरी, 77 से अक्तूबर, 80 तक (iii) दिसम्बर, 83 से अभी तक
4.	अशोक बख्शी	निदेशक (ओ०एस०बी)	डी०ए०एन० आई०	(i) 16-11-72 से 21-7-77 तक (ii) 2-12-80 से अभी तक

1	2	3	4	5
5.	एस०पी०भटनागर	अध्यक्ष के सचिव	—वही—	(i) 18-3-76 से 2-7-80 तक (ii) 1-8-80 से अभी तक
6.	एम०एल० बुद्धराजा	लेखाकार	वेतन तथा लेखा कार्यालय, सूचना एवं,प्रसारण मंत्रालय	(i) 2-69 से 12-11-71 तक (ii) 16-1-81 से अभी तक
7.	एस० अजहरअली ×	लेखा निरीक्षक	लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तरी रेलवे	(i) 12-1-70 से 28-9-75 तक (ii) 1-6-77 से अभी तक
8.	के० डी० मदान	वरिष्ठ लेखाकार	लेखा नियंत्रक, निर्माण और आवास मंत्रालय	(i) 9-7-68 से 2/73 तक (ii) 5-7-79 से अभी तक

× दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्थाई रूप से नियुक्ति का मामला प्रक्रिया/विचाराधीन है।

पशु बीमा योजना का सर्वेक्षण

3104 **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि इस समय पशु बीमा योजना समेकित ग्रामीण विकास परियोजना क्षेत्रों तक ही सीमित है तथा पशुओं के मालिकों को इसकी जानकारी नहीं है ;

(ख) क्या ऐसे अनुमान हैं कि पशुओं में पैरों और मुंह के रोगों के कारण प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये दुधारु पशुओं की मूल्य की हानि होती है ; और

(ग) यदि हां, तो पशु बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मवेशियों की बीमा योजना के तहत लाए गए क्षेत्र के सम्बन्ध में युनाइटेड इण्डिया बीमा कम्पनी ने कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है। भारतीय सामान्य बीमा निगम (जी० आई० सी०) की सम्बद्ध कम्पनियां न केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बल्कि उन मवेशियों का भी जिनके स्वामी अलग-अलग व्यक्ति और डेरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं, बीमा करने की कई योजनाएं लागू कर रही है।

(ख) जी हां। भारतीय डेरी निगम द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, खुरपका और मुंहपका रोग के कारण दुग्ध उत्पादन की वार्षिक हानि 400 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ग) सरकार और बीमा उद्योग द्वारा गांवों में मेलों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों का आयोजन करके और ग्रामीण इलाकों में फिल्मों के प्रदर्शन के जरिए किसानों में मवेशियों के बीमे की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में "मोनो पार्टस" की चोरी

3105. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड नई दिल्ली से लगभग एक लाख रुपये के मूल्य के "मोनो पार्टस" चोरी हुए हैं ;

(ख) क्या उन्हें अभी तक बरामद नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह उस मुद्रणालय के सतर्कता/प्रशासनिक अधिकारियों की स्पष्ट रूप से लापरवाही और प्रशासनिक भूल नहीं है ; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां। पांच मामले हैं जो पुलिस के जांचाधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

साउथ एवेन्यू में पानी की कम सप्लाई

3106. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में पिछले दो महीनों से पानी की कम सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या 10·00 बजे मध्याह्न के बाद पानी के कम दबाव के कारण पानी टंकियों में भी उपलब्ध नहीं होता है और उसके परिणामस्वरूप लोगों को स्नान किये बिना रहना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो पानी की कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) पानी की सामान्य सप्लाई कब से पुनः आरम्भ होने की आशा है, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने उक्त क्षेत्र में बूस्टिंग पम्प वाला भूमिगत टैंक बनाने के लिए एक योजना आरम्भ की है। इस बारे में कार्य प्रगति पर है।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली नगरपालिक द्वारा उक्त क्षेत्र में पानी की सप्लाई प्रात: 4·30 से 9.30 बजे तक और सायं 4.30 से 9.00 बजे तक उपलब्ध है।

(घ) बूस्टिंग प्रबन्धों सहित भूमिगत टैंक बन जाने से, नई दिल्ली नगर पालिका को पानी की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है। नई दिल्ली नगरपालिका को अगली गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले ही कार्य आरम्भ होने की आशा है।

"इफको" द्वारा फूलपुर में सोडा ऐश कारखाना खोलना

3107. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलपुर में इफको काम्प्लैक्स में सोडा ऐश कारखाने की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सोडा ऐश कारखाने की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसमें उत्पादन कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार ने इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लि० (इफको) के पक्ष में फूलपुर में एक सोडा ऐश संयन्त्र स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किया था। लागत में वृद्धि और कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा सोडा ऐश उद्योग की स्थिति में हुई तबदीलियों की दृष्टि से इफको परियोजना प्रस्तावना पर विचार कर रहा है।

केन्द्रीय टर्मिनल, नई दिल्ली के नजदीक अनधिकृत फेरी लगानेवाले और खोमचों वाले

3108. **श्री केशव राव पारयी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बस टर्मिनल, दिल्ली के निकट सड़क के साथ-साथ पैदल चलने वालों के लिए बनाये गए फुटपाथ पर अनेक फेरी लगाने वालों, चाट के खोमचों वालों और दूसरे अन्य सामान बेचने वालों ने अपने अनधिकृत स्टाल लगा लिए हैं जिनके कारण केवल पैदल चलने वालों को फुट-पाथ पर चलने में कठिनाई ही नहीं होती अपितु वहां पर लगे कूड़े-करकट के ढेर और फेंके गये प्रयुक्त पत्तलों की वजह से वहां का वातावरण बदबू से भर जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन फेरी वालों को, जिन्होंने अनधिकृत रूप से फुट-पाथ पर कब्जा कर लिया है, हटाने के लिए तुरन्त कोई प्रभावी कार्यवाही करने और वहां से कूड़ा-करकट भी हटाने का है ताकि जनता फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए है, का प्रयोग उचित ढंग से कर सके ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार, फेरीवाले केन्द्रीय सचिवालय बस टर्मिनल

को जाने वाले चर्च रोड के फुटपाथ पर अनधिकृत रूप से अधिवासी है जो गन्दगी फैलाते तथा पैदल यातायात के आवगमन में रुकावट डालते हैं।

(ख) फुटपाथ से अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए प्रभावी उपाय करने का नई दिल्ली नगरपालिका को परामर्श दिया गया है।

तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका के स्वीपर नियमित रूप से कूड़े-कर्कट की सफाई कर रहे हैं।

वजीरपुर "कर्मशियल काम्प्लैक्स" में भूमि की नीलामी

3109. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** कजीरपुर "कर्मशियल काम्प्लैक्स" में भूमि की नीलामी के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त विद्यालय को आबंटित भूखण्ड पर स्थानान्तरित किया जा चुका है और यदि नहीं, तो इसके लिए क्या तारीख नियत की गई है ;

(ख) यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण बोली देने वालों को इन भूखण्डों का वास्तविक कब्जा देने की स्थिति में नहीं था तो उनकी नीलामी करने के क्या कारण थे ;

(ग) उच्चतम बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक भूखण्ड के लिए पेशगी धनराशि तथा अन्य धनराशि के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितनी धनराशियां किस-किस तारीख को जमा की गई थी ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन भूखण्डों के उच्च बोली दाताओं को किस तारीख को मांग पत्र जारी किए थे तथा उनको किस तारीख को कब्जा लेने के लिए बुलाया था ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्कूल अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है क्योंकि दिल्ली नगर निगम ने आबंटित स्थल का कब्जा नहीं लिया है।

(ख) नीलामी के समय प्लाट नं० 3 पर कोई अतिक्रमण नहीं था। प्लाट नं० 4 नीलाम नहीं किया गया है। प्लाट नं० 5 पर दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग का अस्थायी अतिक्रमण था। शिक्षा विभाग से अस्थायी टेंट स्कूल को समाज सदन वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से आबंटित स्थल पर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्लाट नं० 3 तथा 5 के बारे में 7,26,250/- रुपये तथा 6,23,750/- रुपये की धरोहर राशि क्रमशः 9.2.1982 तथा 12.11.82 को प्राप्त की गई थी। इन प्लाटों के बारे में कोई अन्य भुगतान नहीं लिए गए हैं।

(घ) प्लाट नं० 3 तथा 5 के बारे में मांग पत्र क्रमशः 14.4.82 तथा 24.3.83 को जारी किए गए थे। कब्जा देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 75 प्रतिशत शेष प्रीमियम की अदायगी प्राप्त नहीं हुई है।

ड्राफ्ट्समैन के वेतनमानों में संशोधन

3110. **श्री रेशमा मोतीराम भोथे** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार ग्रेड, एक, दो और तीन के ड्राफ्टसमैन के वेतनमान संशोधित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय के विभिन्न स्कंधों में सरकार के निर्णय से कितने ड्राफ्ट्समैन को फायदा हुआ है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मंत्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

यमुना बिहार से मौजपुर-जाफ़राबाद सड़क पर सार्वजनिक नलों की व्यवस्था करना

3111. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल की पाइप लाइन यमुना विहार से मौजपुर-जाफराबाद (शाहदरा) दिल्ली तक की मुख्य सड़क पर स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मुख्य सड़क पर स्थित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक नल लगाने का विचार है जिसमें मौजपुर और जाफराबाद क्षेत्र के निवासी कम से कम पीने के लिए तो पानी प्राप्त कर सकें ;

(ग) यदि हां, तो उक्त नल कब तक लगा दिए जाएंगे ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संयन्त्र से शाहदरा क्षेत्र को गंगा जल पहुंचाने वाला पम्प बहुत बड़ा ट्रांसमिशन मेन हैं। मौजपुर तथा जाफराबाद क्षेत्र को जलपूर्ति दिल्ली बिकास प्राधिकरण द्वारा बिछायी जाने वाली वितरण लाइनों के माध्यम से मुहैया कराई जा सकती है।

लास एन्जिलिस खेलों का बहिष्कार करने वाले राष्ट्र

3112. **श्री चित्त महाटा** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कुछ राष्ट्रों ने लॉस एंजिलिस में ओलम्पिक खेलों का बहिष्कार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसे कौन-कौन से देश हैं ?

खेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत रूस, जर्मन जनवादी गणतन्त्र (जी० डी० आर०) चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, क्यूबा, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वियतनाम, कम्बूचिया, लाओस, लीबिया, अफगानिस्तान, अंगोला; इथोपिया और अपर वोल्टा की राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों (एन० ओ० सीज) ने लॉस एन्जिलिस ओलम्पिक खेलों में भाग नहीं लिया था ।

तास द्वारा प्रकाशित के अनुसार सोवियत रूस की एन० ओ० सी० ने लॉस एन्जिलिस खेलों में भाग नहीं लिया था क्योंकि, उसका यह विचार था कि यू० एस० ए० में आयोजित विरोधी आन्दोलन का लक्ष्य यह था कि उन्हें खेलों में भाग लेने से रोका जाए और उनके लिए भाग लेना असम्भव कर दिया जाए ।

प्रत्येक देश की एन० ओ० सी० को ओलम्पिक खेलों में भाग लेने या न लेने, का निर्णय लेने के अपने-अपने ही कारण हैं ।

किराया कानूनों में एकरूपता लाने के लिए कदम

3113. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराया कानूनों में भारी विषमता है और इस प्रकार इन विषमताओं के कारण लोग परेशान हो रहे हैं ; और

(ख) किराया कानूनों में एक रूपता लाने और मकान मालिक किराएदार के विवादों में कमी लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) किराया नियंत्रण राज्य का विषय है । इसलिए यह राज्य सरकारों के लिए है वे उचित समझे जाने पर अपने किराया नियंत्रण कानूनों का संशोधन करें ।

तथापि, निर्माण और आवास मन्त्रालय का सम्बन्ध दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम 1958 से है जिसके संशोधन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

उर्वरकों का मूल्य

3114. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उत्पाद के हित में उर्वरकों की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत में समूचे देश के किसानों के लिए उर्वरकों के मूल्य समान स्तर पर रखे जाते हैं। इन मूल्यों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी गई है और वास्तव में हाल ही में 29 जून, 1983 से उर्वरकों के मूल्यों में लगभग 7.5 प्रतिशत की कमी की गई हैं।

भारतीय मानक संस्थान के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं को लाने का प्रस्ताव

3115. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक वस्तुओं को भारतीय मानक संस्थान के अन्तर्गत लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय मानक संस्थान के अन्तर्गत लाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके लिए क्या कार्य विधि अपनाई जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना स्वैच्छिक स्वरूप की है। कुछ वस्तुओं को अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाने की जरूरत पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए कानूनी कार्यवाही आवश्यक होगी।

मत्स्य नौकाओं और पोतों की घाट लागत के अध्ययन हेतु समिति

3116. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य नौकाओं और पोतों की घाट लागत के सभी पहलुओं का ध्यान करने और निर्धारित की जाने वाली दरों का सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की गई है ;

(ख) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) मत्स्य पोतों की ऊंची घाट दरों को कम करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। मत्स्यन पत्तन के व्यय और आय तथा उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यन उद्योग और यंत्रीकृत मत्स्यन पोतों पर उगाही हेतु निर्धारित मौजूदा उपभोक्ता दरों की समीक्षा करने और उपयुक्त उपभोक्ता दरें सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

(ग) सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और पत्तन ट्रस्टों तथा सम्बन्धित विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु परिचारित किया जा चुका है।

उर्वरकों का आयात कम करने का प्रस्ताव

3117. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **कृषि मन्त्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संतुलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार, उर्वरकों का आयात कम करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां तो इस बारे में पिछले दो साल का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा देशी उत्पादन और देश में उपलब्ध भण्डार के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये उर्वरकों के आयात की आवश्यकता होती है। आयात आवश्यकता की वर्ष के दौरान समीक्षा की जाती है। यह खपत और घरेलू उत्पादन की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। देश में इस आदान की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों की आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) नाइट्रोजन और फास्फेट युक्त उर्वरकों के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं। इन उर्वरकों के देशी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो 1981-82 में 40.93 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1982-83 में 44.04 लाख मीटरी टन तथा 1983-84 में 45.33 लाख मीटरी टन पोषक तत्व हो गया है। तथापि, देश में पोटाश युक्त उर्वरकों की मांग की समग्र पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है क्योंकि देश में पोटाश युक्त उर्वरकों का कोई उत्पादन नहीं होता है।

आवश्यक वस्तुओं को बरामद करने लिए मारे गए छापे

3118. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं को बरामद करने के लिए वर्ष 1983-84 से अब तक (जून 1984) कुछ छापे मारे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

इलेक्टानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जी, हां। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन के मामले में आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में लगे व्यापारियों के परिसरों पर छापे मार रहे हैं। 1983 के दौरान और जून 1984 तक मारे गए छापों का ब्यौरा अनुबन्ध-I तथा अनुबन्ध-II में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8578/84]

"मिनिस्ट्रीज डोमीनेंस ओवर आई० ओ० ए०, रिसेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3119. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जुलाई, 1984 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में मिनिस्ट्रीज डोमीनेंस ओवर आई० ओ० ए० रिसेटेड शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां तो भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा की गई शिकायत का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नई दिल्ली नगर पालिका में अस्थाई कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी) को स्थाई किया जाना

3120. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कर्मचारी ने कितना-कितना सेवा काल पूरा किया है; और

(ग) उन्हें कितने समय में स्थाई बना दिया जाएगा ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 4353

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि जब भी स्थाई रिक्तियां उपलब्ध होंगी, अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाएगा।

विवरण

चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों की संख्या और नई दिल्ली नगर पालिका में उनके द्वारा की गई सेवाकाल के वर्ष वार ब्यौरों का विवरण

वर्ष	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या
1962	6
1964	3
1965	25
1966	20
1967	5
1968	8
1969	8
1970	66
1971	98
1972	173
1973	391
1974	426
1975	499
1976	270
1977	414
1978	553
1979	239
1980	226
1981	196
1982	428
1983	107
1984	192
	4353

बिना परीक्षण की गई कृमिनाशी दवाइयों का भारत में आयात

3121. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसी कीटनाशी और कृमिनाशी दवाइयों के आयात के मामलों की ओर दिलाया गया है जिनका किसी भी देश में परीक्षण नहीं किया गया है लेकिन उनका परीक्षण भारत में पशुओं तथा मनुष्यों पर किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) कीटनाशी गुणों का परीक्षण करने के आशय से मंगाए जाने वाले रसायनों, जिसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, की थोड़ी मात्रा का जांच, विश्लेषण, परीक्षण अथवा प्रयोग हेतु, सरकार की आयात नीति के अनुसार भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार की अनुमति से भारत में आयात किया जा सकता है। कीटनाशी अधिनियम की अनुसूची में पहले से शामिल किए गए रसायनों के मामले में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत गठित की गई पंजीकरण समिति की अनुमति की जरूरत होती है। सक्षम प्राधिकारी प्रयोगशालाओं में पशुओं पर उन रासायनों की मुखवर्ती तथा त्वचीय विषाक्तता से सम्बन्धित विदेशी आंकड़ों की जांच करने के पश्चात् तथा इस बात का पता लगाकर कि क्या उक्त रासायन का निर्माण करने वाले देश में इसके विनिर्माण, बिक्री, वितरण, आदि की अनुमति है, विशिष्ट उद्देश्य जिसके लिए कि रासायन की आवश्यकता है, उन फसलों/कीड़ों जिनके सम्बन्ध में रसायन की जांच किए जाने का प्रस्ताव है, उन संस्थानों का नाम जहां इसका परीक्षण किया जाना है, उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसके निरीक्षण में परीक्षण किए जाने हैं, आदि की जांच करने के पश्चात् इसके आयात की अनुमति देता है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त अपेक्षित तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो जाने पर ही इनके आयात की अनुमति दी जाती है।

(ग) जहां कहीं भी अनियमितताएं जानकारी में आयेंगी सम्बन्धित प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जाएंगी।

नदियों का भू-स्तर और गाद बढ़ जाने के कारण उत्पादन की हानि

3122. **श्री राम लाल राही** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदियों में गाद और भू-स्तर बढ़ जाने के कारण जलमग्न क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च करती है तथा दूसरी ओर लाखों टन उत्पादन की हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रकोप के कारण खर्च की गई धनराशि तथा उत्पादन में हुई हानि का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ऐसा कोई निर्णयात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है कि जिससे सामान्यतः यह स्थापित हो कि गाद भरने के कारण नदियों का भू-स्तर बढ़ रहा है और इसके फलस्वरूप जलमग्न होने वाले क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

(ख) पांचवीं और छठी योजनावधि के दौरान बाढ़ नियन्त्रण सेक्टर के अन्तर्गत हुआ व्यय निम्नवत् है :—

	(करोड़ रुपए)
पांचवीं योजना (1974-78)	298.60
छठी योजना (1980-85)	
(1) 1980-81 (वास्तविक)	156.40
(2) 1981-82 (वास्तविक)	163.19
(3) 1982-83 (वास्तविक)	146.92
(4) 1983-84 (सम्भावित)	164.30

उपर्युक्त अवधियों के दौरान राज्यों द्वारा सूचित फसलों के नुकसान का मुद्रा-मूल्य निम्नवत् है :—

फसलों को नुकसान

	(करोड़ रुपए)
पांचवीं योजना (1974 से 1977 की बाढ़ों के दौरान)	1998.52
छठी योजना	
(1) 1980	366.35
(2) 1981	497.96
(3) 1982	589.40
(4) 1983	1279.92

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का संस्थान, जोधपुर द्वारा 'खेजरी' के पेड़ और 'तूम्बा, फसल के सम्बन्ध में अनुसंधान

3123. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए गए मुख्य वृक्ष 'खेजरी' और वाणिज्यिक फसल 'तूम्बा' के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुसंधान के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त अनुसंधान के परिणाम किसानों तक पहुंचे ; केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) 'खेजडी' के प्रवर्धन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसके प्रारम्भ से ही इस वृक्ष पर अनुसंधान कर रहा है। इस पर उपलब्ध जानकारी को एक मोनोग्राफ के रूप में प्रलेखित किया गया है। एक जर्म-प्लाज्म बैंक के विकास के लिए यह संस्थान विशेषताओं में विस्तृत परिवर्तनशीलता सहित जल्दी बढ़ाने वाले वृक्षों की पहचान करने हेतु अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कर रहा है। हाल ही में, वायु दाब-कलम के माध्यम से कायिक प्रवर्धन तकनीकों को मानकीकृत किया गया है। यह तकनीक बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए 'खेजडी' के सुधरे बीजों की आपूर्ति करके क्लोनयुक्त बीज बागानों की स्थापना करने में बहुत उपयोगी होगी।

तूम्बा की खेती पर किये गये अनुसंधान अन्वेषण से इसकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए एक कृषि विधि के विकास का पता चला है। बालू मिट्टियों में इसकी खेती करने की सस्य तकनीक को मानकीकृत किया गया है।

'खेजड़ी' (पत्तियों, फलियों और टहनियों) के विभिन्न हिस्सों के प्रवर्धन और लाभकारी उपयोग की जानकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा लोकप्रिय साहित्य के वितरण के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के सहयोग से इस फसल की खेती को बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र के किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए एक-एक हैक्टर के तूम्बा प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था की है।

उकई सिंचाई परियोजना

3124. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के अन्त तक गुजरात की उकई सिंचाई परियोजना पर अपनी धनराशि खर्च की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ख) उकई सिंचाई परियोजना की बायीं और दाहिनी तरफ के तटबन्धों का कुल कमान क्षेत्र कितना है और 1983 के अन्त तक इस क्षेत्र में से वर्ष भर समुचित रूप से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही थी और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ;

(ग) सिंचाई के अन्तर्गत कम क्षेत्र लाए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) दोनों नहरों की न्यूनतम और अधिकतम जल वहन क्षमता कितने क्यूसेक फिट है और इस समय उनमें कितना क्यूसेक फिट पानी बहता है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या इन नहरों में निर्माण सम्बन्धी विभिन्न त्रुटियों के कारण उनकी सिंचाई क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता और क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) 1983-84 के अन्त अर्थात् मार्च, 1984 तक 134.93 करोड़ रुपए का व्यय होने की आशा है तथा ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : —

	(करोड़ रुपए में)
1982-83 तक किया गया व्यय	133 93
1983-84 के दौरान व्यय	1.00
1983-84 के अन्त तक योग	134.93 करोड़ रुपए

(ख) परिकल्पित सिंचाई क्षमता वाम तट नहर के अन्तर्गत 85,000 हैक्टेयर तथा दक्षिण तट नहर के अन्तर्गत 67400 हैक्टेयर है। दोनों नहरों की कुल मिलाकर सिंचाई क्षमता 152400 हैक्टेयर है। राज्य सरकार ने 1984-85 के अपने वार्षिक योजना दस्तावेज में 1983-84 के अन्त तक वास्तविक सिंचाई उपयोगिता 38,000 हैक्टेयर होने का उल्लेख किया है। मौसमी सिंचाई तथा सम्पूर्ण वर्ष के दौरान होने वाली सिंचाई के क्षेत्र के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते।

(ग) राज्य सरकार ने जुलाई, 1984 में सूचित किया है कि कमानगत क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा उन्होंने परियोजना की सिंचाई क्षमता का पुनः मूल्यांकन किया है तथा अब दोनों नहरों से कुल मिलाकर क्षमता 1,27,000 हैक्टेयर होने का जायजा लगाया गया है। उन्होंने आगे यह सूचित किया है कि निम्नलिखित कारणों से परियोजना से उपयोगिता धीमी रही है :—

(1) परियोजना के कमानगत क्षेत्र का प्रमुख भाग ऊंचा-नीचा है तथा खेतों को सिंचाई योग्य बनाने से पहले भूमि के समतलन की आवश्यकता है।

(2) कमानगत क्षेत्र के अधिकांश कृषक जनजातियों के हैं तथा अपनी वर्तमान प्रणाली को छोड़कर सिंचित कृषि को अपनाने में उनको समय लगता है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यरत होने तथा खेत नालियों के निर्माण, खेतों से जल निकास, वाराबन्दी और अन्य उपायों को शुरू करना जैसे उपायों के पैकेज से परियोजना से उपयोग के तेज हो जाने की आशा है।

(घ) वाम तट नहर की अभिकल्पित डिसचार्ज क्षमता 1236 क्यूविक फुट प्रति सेकेंड तथा दक्षिण तट नहर की 1272 क्यूविक फुट प्रति सेकेंड है। नहरों में पहुंचने वाले वास्तविक डिसचार्ज की मात्रा अलग-अलग मौसमों में अलग-अलग होती है जो कि खेत में फसलों तथा वर्षापात की स्थितियों जैसे कई कारणों पर निर्भर करती है।

(ङ) राज्य सरकार ने नहरों में किसी ऐसे दोष की सूचना नहीं दी है जिससे कि उनकी सिंचाई क्षमता में कमी आए।

तटवर्ती लवण युक्त क्षेत्रों में चुकन्दर की खेती करने का प्रस्ताव

3125. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती लवण युक्त क्षेत्रों में चुकन्दर की खेती आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में क्या उपाय किये हैं ;

(ग) सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र में चुकन्दर की खेती को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई कार्यवाही आरम्भ की है अथवा प्रायोजित की है, तो वह क्या है, और इस प्रयोजन हेतु भूमि के वास्तविक क्षेत्र, चुकन्दर की पैदावार और चीनी की पैदावार आदि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सुन्दरवन क्षेत्र में चुकन्दर की खेती को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य आरम्भ करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को सामान्यतया लवणीय स्थितियों में और विशेष रूप से सुन्दरबन क्षेत्र में इस फसल की शुरूआत की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक अनुसंधान योजना की मंजूरी दी है। सुन्दरवन क्षेत्र के 6-7 हैक्टार क्षेत्र में परीक्षण किए जा रहे हैं और प्रति हैक्टार औसतन 50-55 मीटरी टन की पैदावार प्राप्त हुई है। चुकन्दर से लगभग 6 मीटरी टन प्रति हैक्टार चीनी प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रस्ताव है कि सुन्दरवन क्षेत्रों में चुकन्दर की खेती के अनुसंधान कार्य को और तेज किया जाए ताकि इस फसल की उत्पादन प्रौद्योगिकी को दक्ष बनाया जा सके।

उड़ीसा को कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता

3126. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का पूरा उपयोग किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिए दी गई वित्तीय सहायता से वर्ष 1982-83 और 1983-

84 के दौरान निर्मित मकानों का ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आवास राज्य का विषय है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास सहित सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार समेकित अनुदानों और समेकित ऋणों के रूप में योजना सहायता प्रदान करती है जो किसी विशेष योजना से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आवास की केन्द्रीय प्रवर्तित कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भरमार के कारण खाद्यान्न के मूल्य में गिरावट

3127. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या खाद्यान्न की भरमार है, जिसकी वजह से कृषकों को मिलने वाले मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1983-84 के दौरान अखिल भारतीय खाद्यान्न उत्पादन इस समय 1506 लाख मीटरी टन आंका गया है। यद्यपि यह रिकार्ड उत्पादन है, तथापि सरकार द्वारा अधिप्राप्ति तथा मूल्य समर्थन कार्यों से सम्बन्धित उचित नीतियां अपनाने की वजह से खाद्यान्नों की भरमार नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना पर कार्य

3128. **श्री विलास मुत्तेभवार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोसीखुर्द सिंचाई परियोजना पर किस तारीख को कार्य शुरू किया गया तथा उस पर खर्चे की अनुमानित राशि कितनी है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ;

(ख) क्या उक्त परियोजना से सम्बद्ध कार्य इसके शुरू होने के लगभग 10 वर्षों बाद भी पूरा नहीं हुआ है और उसकी लागत भी बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक इस परियोजना के पूरे हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या खाद्यानों के उत्पादन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में

पूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ)घोसीखुर्द सिंचाई परियोजना एक नई वृहद परियोजना है जिसे महाराष्ट्र सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव था। तथापि, छठी योजना में इस परियोजना के लिए राज्य कोई विशिष्ट परिव्यय समंजित नहीं कर सका। योजना आयोग ने भी इस परियोजना को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। यह सही नहीं है कि परियोजना की लागत में 300 करोड़ रु० की वृद्धि हो गई है। राज्य द्वारा 1980 में भेजी गई प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 407.57 करोड़ रु० थी तथा राज्य द्वारा दिसम्बर, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 372.22 करोड़ रुपए है।

इससे पहले कि योजना आयोग इस परियोजना पर स्वीकृति हेतु विचार करे इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए इस परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार 1981-82 से इस परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षणों तथा अन्य प्रारम्भिक कार्य-कलापों पर कुछ व्यय करती आ रही है और मार्च, 1984 तक केवल 1.25 करोड़ रुपए का संचयी व्यय हुआ है।

सिंचाई राज्य विषय होने के कारण, महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक निधियां उपलब्ध करानी हैं और तदनुसार इस परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि निर्धारित करनी है।

पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध

3129. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर गण्डक नदी के दाहिनी ओर पिपरासी-पिपराघाट तटबन्ध जून, 1983 में 8 से 11 किलोमीटर तक बह गया था जिसके कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों और करोड़ों रुपए की फसल को क्षति पहुंची थी ;

(ख) क्या इस 8 से 11 किलोमीटर तक की दरार को पिछले एक वर्ष से भरा नहीं गया है और इस दरार में एक नया रास्ता बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दरार को कितने दिनों में भर देगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) पिपरासी पिपराघाट तटबंध प्रणाली में 1983 में गण्डक की दायीं ओर के तटबन्ध में 8 से 11 कि० मी० में कुछ दरारें पड़ी हैं। बिहार सरकार द्वारा जनता के विरोध के कारण दरारों को बन्द करने के लिए पश्च बांध पूरा नहीं किया जा सका। यह सूचना मिली है कि इन दरारों में से बाढ़ का पानी निकलने के कारण बिहार तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बाढ़ आई।

बिहार सरकार ने बताया है कि उन्होंने इन कार्यों को 1984 की बाढ़ों के बाद हाथ में लेने का

निर्णय किया है। यह बताना संभव नहीं है कि इन दरारों को बन्द करने में बिहार को कितने दिन लगेंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानों के लिए धनराशि का आबंटन

3130. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 1983-84 और 1984-85 में 1 अगस्त, 1984 तक के दौरान कृषि संबंधी अनुसंधान कार्यों के लिए योजना/कार्यक्रम-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कितनी धनराशि दी गई थी तथा उसकी तुलना में योजना की शेष अवधि में कितनी धनराशि दिए जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या योजना आबंटनों और धनराशियों के वास्तविक उपयोग के बीच भारी अन्तर पाया गया है जिसमे पता चलता है कि योजनाओं के निरूपण या उनके कार्यान्वयन या कि दोनों में ही खामियां रही हैं और इसका कार्यक्रम-वार औचित्य क्या है ;

(ग) विकास कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित धनराशि के कुशल उपयोग तथा अनुसंधानों के परिणाम उचित समय पर उपलब्ध कराये जाने के मामलों में सरकार किस प्रकार निगरानी करती है तथा इनका सुनिश्चिय करती है ; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार

(ख) योजना आबंटन वार्षिक बजट प्रावधानों के रूप में बांटा जाता है और प्रतिवर्ष उसे आर० ई० अवस्था में संशोधित किया जाता है। चालू कार्यक्रमों के मामलों में वार्षिक आबंटन और वास्तविक उपयोग में कोई अन्तर नहीं है। फिर भी नए कार्यक्रमों के लिए अलबत्ता अन्तर है। जो कुल योजना आबंटन का लगभग 9% बैठता है। ऐसा इसलिए होता है कि योजना के बनाने में समय लगता है। उन्हें आगे मंजूर कराने में, स्थान का चयन करने में और भूमि अधिग्रहण करने में समय लग जाता है।

(ग) परिषद् के मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से हर महीने निधि उपयोग की जांच की जाती है। कर्मचारी अनुसंधान परिषद की मार्फत प्रतिवर्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जाँच संस्थानों, कार्यशालाओं और समन्वित प्रायोजनाओं आदि के क्षेत्र में की जाती है। पांच साला समीक्षण दल द्वारा इनका पंचवर्षीय मूल्यांकन भी होता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	छठी योजना आबंटन	1980-85 स्वीकृत	1980-81 आर० ई०	1980-81 वास्तविक	1981-82 आर० ई०	1981-82 वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
1. संस्थान तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र						
(क) पिछले से जारी	11675.34	11348.17	1228.65	1548.87	1583.60	1791.74
(ख) नई शुरुआत	900.03	835.70	—	—	—	—
कुल (क+ख)	12575.37	12183.87	1228.65	1548.87	1583.60	1791.74
2. समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं						
(क) पिछले से जारी	7405.19	7471.18	1263.22	1144.30	1152.19	1168.93
(ख) नई शुरुआत	784.79	49.32	—	—	2.50	—
कुल (क+ख)	8189.98	7820.50	1263.22	1144.30	1154.19	1168.93

1	2	3	4	5	6	7
3. कृषि शिक्षा						
(क) पिछले से जारी	7192.00	6981.91	1100.00	1197.50	1296.18	1300.71
(ख) नई शुरुआत	467.00	249.10	—	—	2.79	—
कुल (क+ख)	7659.00	7231.01	1100.00	1197.50	1298.97	1300.71
4. मूल्यालय तथा प्रकाशन						
(क) पिछले से जारी	—	—	—	—	—	—
(ख) नई शुरुआत	225.00	175.00	8.00	1.10	7.75	0.39
कुल (क+ख)	225.00	175.00	8.00	1.10	7.75	0.39
5. विश्व बैंक तथा विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं						
(क) पिछले से जारी	4501.07	4317.92	298.00	245.36	634.00	524.40
(ख) नई शुरुआत	849.58	923.90	104.35	93.28	55.00	6.31
कुल (क+ख)	5350.65	5241.82	402.35	339.92	689.00	530.71

कुल पिछले से जारी (क) :	30773.60	30119.18	3889.87	4136.03	4665.97	4785.78
कुल नया (ख) :	3226.40	2633.02	112.35	95.02	68.04	6.70
कुल योग :	34000.00	32752.20	4002.22	4231.05	4734.01	4792.48

	1982-83		1983-84		1984-85	
	आर० ई०	वास्तविक	आर० ई०	वास्तविक	बी० ई०	जून, 84 तक वास्तविक*
	8	9	10	11	12	13
(क)	1843.35	2338.20	2500.87	2422.33	3403.00	367.78
(ख)	29.00	—	13.40	4.36	112.00	1.02
(क+ख)	1872.35	2338.20	2514.27	2424.69	3515.00	368.80
(क)	1350.50	1393.17	1204.25	1357.00	1529.00	21.44
(ख)	13.00	1.17	64.00	104.36	120.00	4.63
(क+ख)	1363.50	1394.35	1268.25	1461.36	1649.00	26.07
(क)	1399.94	1457.90	1465.62	1462.65	1276.70	41.01
(ख)	13.60	—	8.80	5.75	73.30	—
(क+ख)	1413.54	1457.90	1474.42	1468.40	1350.00	41.01

(क)	—	—	—	—	—	—
(ख)	7.00	2.41	11.50	1.77	23.00	1.30
(क+ख)	7.00	2.41	11.50	1.77	23.00	1.30
(क)	730.00	710.47	956.00	1064.44	1188.00	173.33
(ख)	98.50	29.36	64.56	31.49	75.00	—
(क+ख)	8285.50	739.83	1020.56	1095.93	1263.00	173.23
योग (क)	5323.79	5899.74	6126.74	6306.42	7396.70	603.46
(ख)	161.10	32.95	162.26	147.73	403.30	6.95
कुल योग :	5484.89	5932.69	6289.00	6454.15**	7800.00	610.41**

*केवल जून 1984 तक 1984-85 के लिए अद्यतन योजना खर्च उपलब्ध है।

**अस्थाई

विजयमण्डल एन्क्लेव और ईस्ट कैलाश में स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

3131. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत ईस्ट कैलाश (सी० एच० एफ० फ्लैटों के निकट) में श्रेणी-I के फ्लैटों के आबंटनों ने और विजय मण्डल एन्क्लेव में श्रेणी-II फ्लैटों के आबंटियों ने मार्च, 1983 में चौथी किश्त की अदायगी कर दी थी ;

(ख) क्या उक्त फ्लैट आबंटियों को देने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा करने और इन्हें शीघ्र ही आबंटियों को सौंपने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनमें से अधिकांश ने चौथी किस्त का भुगतान मार्च, 1984 में कर दिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को आशा है कि फ्लैटों के पूर्ण होने और उन्हें सौंपने का कार्य सामान्य अवधि के भीतर अर्थात फरवरी, 1985 तक हो जाएगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी उपाय किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध की गई पेयजल सुविधाएं

3132. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के बाद से आज तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों को ये सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और कितने गांवों को ये सुविधायें अब तक भी उपलब्ध नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं :

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया ;

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए योजनाएं बनाती है एवं उनका कार्यान्वयन करती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए प्रावधान किया जाता है। जिन गांवों में स्वच्छ पेयजल का कोई स्रोत नहीं है, उनका पता लगाने के लिए सन्, 1980 में एक सर्वेक्षण किया गया था और निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 2,30,784 गांवों का "समस्याग्रस्त गांवों" के रूप में पता लगाया गया था। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र, पता लगाए गए इन समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के प्रयोजनार्थ राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों को अनुदान देता है। 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, पता लगाए गए 2,30,784 समस्याग्रस्त गांवों में से, 30 जून, 1984 तक 1,58,024 गांवों में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर दी गई है और शेष 72,760 गांवों को लाभान्वित किया जाना है। 1984-85 के दौरान 41,859 गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभान्वित किए जाने वाले 37,017 गांव शेष रह जाएंगे। छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, आशा है कि 53.2 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पेयजल सुविधाओं से लाभान्वित हो जाएंगी।

31-3-1984 तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित न करने का कारण आंशिक रूप से अपर्याप्त संसाधन एवं आंशिक रूप से कठिन भू-भाग तथा स्थानीय हालात हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों को 31-3-85 तक स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत से लाभान्वित करने का लक्ष्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-91) के लक्ष्य, नामत: 31-3-91 तक शतप्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करने के लक्ष्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

(घ) इस बारे में ठीक-ठीक सूचना छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ही उपलब्ध होगी। तथापि, मौजूदा सूचना के अनुसार, 37,017 समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल किए जाने की आशा है।

(ङ) इन कारणों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही बता दिया गया है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नियतन बढ़ा दिया गया है और 1984-85 के दौरान 242.50 करोड़ रु० उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रोत्साहन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा "फैरो सीमेंट" से बने अन्न भण्डारों का विकास

3133. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्न के सुरक्षित भण्डारण के लिए, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की

ने "फैरो सीमेंट" से निर्मित अन्न भण्डारों का विकास किया है और इन अन्न भण्डारों का उपयोग छोटे और बड़े दोनों प्रकार के किसान कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ये अन्न भण्डार ग्रामीण क्षेत्रों में बनाकर इनकी सुविधाएं किसानों को उनके अपने ही गांवों में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का है ताकि किसानों के खाद्यान्न को नष्ट होने से बचाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने स्थानों पर किसान "फैरो सीमेंट" से अन्न भण्डारों का उपयोग कर रहे हैं और सरकार उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की और न कि केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था, रुड़की द्वारा फैरो सीमेंट बिनों का विकास किया गया है। ये बिन किसानों में लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई हैं। इस मन्त्रालय का किसानों को सस्ती दरों पर इन बिनों को उपलब्ध कराने का कोई विचार नहीं है।

अव्यवस्थित शहरीकरण की समस्याओं की पुनरीक्षा तथा आवास नीति का कार्यान्वयन

3134. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अव्यवस्थित शहरीकरण, की समस्याओं की पुनरीक्षा करने के लिए उनकी अध्यक्षता में राज्य सरकार के मन्त्रियों और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकारियों की 18 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी।

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में आवास नीति तथा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में अन्य कौन सी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था ; और

(घ) राज्य उनको किस हद तक कार्यान्वियन करने पर सहमत हुए थे ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की 21 वीं बैठक और स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् और अखिल भारत महापौर परिषद् की कार्यकारी समिति की 10 वीं संयुक्त बैठक 18 तथा 19 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में हुई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय शासन, आवास, नगर विकास और पर्यावरण के प्रभारी मन्त्रियों तथा महापौरों को इस बैठक में आमन्त्रित किया गया था। इस बैठक में आवास, नगर विकास, स्थानीय शासन जैसे विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मत संकल्प पारित किए गए।

अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण उपाय

3135. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण उपाय करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन नदी घाटी परियोजनाओं को उन परियोजनाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण उपाय करने के लिए छठी योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ग) क्या अपर-कोलाब, सुवर्ण रेखा और इन्द्रावती अन्तर्राज्यीय नदी-घाटी परियोजनाएं उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में किए गए मिट्टी संरक्षण उपायों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार नदी-घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय नदियों के कुछ स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण उपाय शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उड़ीसा राज्य में हीराकुण्ड माचकुण्ड और रेंगाली मन्दिरा नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत तीन स्रवण क्षेत्रों अर्थात ऊपरी कोलाव, सुवर्ण रेखा और इन्द्रावती, को छठी योजना के दौरान शामिल करने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा जांच की गई थी। कोष की कमी के कारण इन्हें शामिल करना सम्भव नहीं पाया गया है।

(घ) मृदा संरक्षण उपायों में खेती के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना और भूमि विकास करना, वनरोपण, वृक्षारोपण, दरार भरना तथा भूमि कटाव नियन्त्रण व भण्डारण तन्त्र का विनिर्माण करना शामिल है।

बम्बई में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए गन्दी बस्ती सुधार योजना

3136. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती सुधार योजना हैबीटेट इण्डिया को सौंपी गई थी जिससे बम्बई में गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए इमारतों का निर्माण करना था ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब शुरू किया जाना था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या हैबीटेट इण्डिया की सम्पूर्ण योजना का परित्याग कर दिया गया है।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उसने हैबीटाट इण्डिया को कुछेक भूमि के सर्वेक्षण, समतलन तथा भराई एवं प्रतिवेशी सरकारी भूमि पर अनधिवास कर रहे मलिन बस्ती निवासियों की सहकारी आवास समितियों को प्रोन्नत करने, उन्हें स्थायी रिहायशी एकक प्रदान करने की दृष्टि से लाइसेंस दिया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि जून, 1984 तक कार्य आरम्भ किए जाने की आशा थी।

(ग) राज्य सरकार ने हैबीटाट इण्डिया को कार्य आरम्भ करने के लिये कहा है।

सामूहिक आवास समितियों को निर्माण हेतु ऋण

3137. **श्री आनन्द सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों को निर्माण के लिए ऋण नहीं मिल पा रहा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम तथा अन्य एजेंसियों को यह निदेश देने का है कि वे रियायती ब्याज दर पर आवास निर्माण ऋण प्रदान करें ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सहकारी ग्रुप आवास समितियों को निम्न प्रकार से ऋण सहायता मुहैया की जा रही है।

(i) दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि०, दिल्ली में सहकारी आवास समितियों को दीर्घकालिक ऋण सहायता देती है। दिल्ली सामूहिक आवास विकास समिति ने अब तक सहकारी आवास समितियों को 13.46 करोड़ रु० रिलीज किए हैं।

(ii) आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटिड, पंजीकृत प्राइमरी आवास समितियों को आवास योजनायें आरम्भ करने के लिए या अपने सदस्यों को बने-बनाये मकान खरीदने के लिए ऋण देता है। यह राज्य स्तर की एपैक्स आवास वित्त समितियों को सम्पूर्ण देश में पंजीकृत प्राइमरी सहकारी आवास निर्माण समितियों को बने बनाये मकान फ्लैट खरीदने सहित भूमि विकास तथा आवास योजनाओं को आरम्भ करने या वित्त व्यवस्था करने के लिए भी यह ऋण देता है। 31-7-1984 की स्थिति के अनुसार हुडको ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 4.70 करोड़ रु० की हुडको की ऋण स्वीकृत सहित 8.27 करोड़ रु० की लागत की 9 योजनायें स्वीकृत की हैं।

(iii) केन्द्रीय सरकार अपने उन कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम देती है जो सहकारी ग्रुप आवास समितियों की सदस्यता के माध्यम से फ्लैट अर्जन करते हैं।

(iv) जीवन बीमा निगम, दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति सीमित ग्रुप आवास समिति को धन देने के लिए ऋण निधियां मुहैया करता है। जीवन बीमा निगम ने

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति को 11.00 करोड़ रु० पहले ही रिलीज कर दिए हैं तथा हाल ही में 1.60 करोड़ रु० और स्वीकृत किए हैं।

जीवन बीमा निगम के ऋण पर ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से है, जो अर्द्ध-वार्षिक रूप से देय है।

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट

3138. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने हाल ही में सरकार को विभिन्न खाद्य फसलों के सम्बन्ध में लागत सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग ने उत्पादन लागत के अनुमानों और अन्य सम्बद्ध घटकों पर विचार करने के बाद 1984-85 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों की मूल्य नीति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धान, मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) तथा खरीफ दलहनों (तुर, मूंग और उड़द) के लिए सिफारिशें की हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार 1984-85 विपणन मौसम के लिए सरकार धान की 'सामान्य' समूह की किस्मों के लिए अधिप्राप्ति मूल्य पहले ही 137 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर चुकी है। जहां तक अन्य खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, सरकार आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों पर विचार कर रही है।

मछली पकड़ने के बन्दरगाह के स्थान हेतु सर्वेक्षण

3139. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पूर्वी और पश्चिमी तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाह स्थापित करने हेतु किन विभिन्न स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान मछली पकड़ने के बन्दरगाह स्थापित करने के लिए उड़ीसा तट पर किन स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त योजना अवधि के दौरान मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाए गए हैं ;

(घ) मछली पकड़ने के प्रत्येक बन्दरगाह की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ङ) उड़ीसा तट पर मछली पकड़ने का बन्दरगाह स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)

पूर्वी तट

1. वीरपांडिआपत्तिनम	}	(तमिलनाडु)
2. टोंडी		
4. तरकमूबार		
4. मछलीपटनम	—	आन्ध्र प्रदेश
5. पारादीप	}	(उड़ीसा)
6. गोपालपुर		
7. फरासरगंज	—	(पश्चिम बंगाल)

पश्चिमी तट

8. मोरा	}	महाराष्ट्र
9. रैवंास		
10. देवगढ़		

(ख) पारादीप और गोपालपुर

(ग) और (घ)

मत्स्यन बन्दगाह		अनुमोदित लागत अनुमान (लाख रुपए)
विशाखापत्तनम	(चरण-दो)	580
रायचौक	(पश्चिम बंगाल)	350
मद्रास		1065
मालपे	(कर्नाटक)	426
होनोवर	(,,)	46
मल्लीपटनम	(तमिलनाडु)	11
कोडियाक्काराय	(,,)	14

(ङ) अस्तरंग में 642 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक समेकित मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण जनवरी, 1984 से शुरू किया गया है।

पारादीप में मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में लगभग 5 लाख की लागत से एक "माडल अध्ययन" चल रहा है।

रूशीकुल्या नदी के मुहाने पर एक मत्स्यन बन्दरगाह/मछली उतारने के केन्द्र के निर्माण के लिए माडल अध्ययन का आयोजन कृष्ण राजेन्द्र इन्जीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, मैसूर कृष्ण राजसागर में किया गया था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3140. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कोई मध्यावर्ती पुनरीक्षण किया है कि विभिन्न राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया है ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पूरे देश में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस धनराशि का राज्यवार आबंटन कितना है ; और

(घ) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 3500 रु० तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में आय सृजित करने वाली योजनाएं आरम्भ करके गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। प्रत्येक खंड में हर साल 600 परिवारों को सहायता दी जाती है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कोई विस्तृत मध्यावधि पुनरीक्षण नहीं किया गया है, यद्यपि योजना आयोग ने समग्र रूप से छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन इस समय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देशव्यापी मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के परिणामों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) विवरण-एक सभा-पटल पर रखा है।

(ख) विवरण-दो सभा-पटल पर रखा है।

विवरण-एक

छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सारे देश में कार्यान्वित करने हेतु निर्धारित की गई कुल धनराशि को दर्शाने वाला विवरण राज्य-वार

काल्पनिक आबंटन

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	छठी योजना आबंटन*
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11436.00
2.	असम	4690.00
3.	बिहार	20545.00
4.	गुजरात	7630.00
5.	हरियाणा	3141.00
6.	हिमाचल प्रदेश	2415.00
7.	जम्मू और काश्मीर	3233.00
8.	कर्नाटक	6125.00
9.	केरल	5152.00
10.	मध्य प्रदेश	16046.00
11.	महाराष्ट्र	10360.00
12.	मणिपुर	910.00
13.	मेघालय	936.00
14.	नागालैण्ड	735.00
15.	उड़ीसा	10990.00
16.	पंजाब	4111.00

1 2	3
17. राजस्थान	8184.00
18. सिक्किम	140.00
19. तमिलनाडु	13211.00
20. त्रिपुरा	595.00
21. उत्तर प्रदेश	30836.00
22. पश्चिम बंगाल	11725.00
23. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	175.00
24. अरुणाचल प्रदेश	1680.00
25. चण्डीगढ़	35.00
26. दादरा और नगर हवेली	35.00
27. दिल्ली	175.00
28. गोआ, दमन और दीव	420.00
29. लक्षद्वीप	175.00
30. मिजोरम	700.00
31. पांडिचेरी	140.00
अखिल भारत	176681.00

*समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए छठी योजना का परिव्यय 1500 करोड़ रुपये का है। राज्य-वार/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार काल्पनिक आबंटन का हिसाब 5011 खंडों में लिए प्रति खंड 35.00 रुपये की दर से तथा छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए 81 अतिरिक्त खंडों (सिद्धांततः अनुमोदित) के लिए 16.00 लाख रुपये की दर से लगाया गया है।

विवरण-दो

छठी योजना अवधि के दौरान अब तक उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्राप्त की गई उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (मई, 1984 तक)
1. कुल आबंटन (लाख रुपये)	1570.00	1884 00	2512.00	2512.00	2512.00
2. केन्द्रीय आबंटन (लाख रुपये)	785.00	942.00	1256.00	1256.00	1256.00
3. केन्द्रीय बंटन (—वही—)	1680.35	731.19	1083.21	900.00	—
4. कुल व्यय (—वही—)	669.08	1485.95	2292.78	2248.96	133.56
5. कुल जुटाया गया आवधिक ऋण (—वही—)	1590.40	2075.13	3532.78	2948.96	133.55
6. कुल निवेश (लाख रुपए)	2259.48	3570.98	5825.56	5197.11	—
7. शामिल लाभभोगियों की कुल संख्या (संख्या)	100749	134367	252453	217073	10405
8. शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों की संख्या (संख्या)	32117	55175	113230	106267	4218

दामोदर घाटी के निचले क्षेत्र में जल निकास प्रक्रिया में सुधार करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

3141. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर के निचले भाग में जल निकास प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं जिसके अन्तर्गत अनेक तटबन्धों का पुनर्निर्माण करना, कुछ तटबन्धों को नया रूप में देने, कुछ अपवर्तन नहरों का निर्माण करने और रूपनारायण नदी से कीचड़ निकालने का कार्य शामिल है ;

(ख) क्या ये प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के पास अन्तिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में तुरन्त स्वीकृति देने और उनके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) दामोदर घाटी के निचले क्षेत्रों में जल-निकास प्रणाली में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 1972 में एक स्कीम तैयार की थी जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाना था। आम्ता नाली से और नालियां निकालने की स्कीम का चरण-एक लगभग पूरा होने वाला है। स्कीम का चरण-दो तथा तीन संशोधित कर दिए गए हैं। गंगा बाढ़, नियन्त्रण आयोग के साथ विचार-विमर्श करते हुए राज्य सरकार ने 14.80 करोड़ रुपये की लागत वाली संशोधित स्कीम को अन्तिम रूप दे दिया है। पश्चिम बंगाल की राज्य तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने इस स्कीम को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। पश्चिम बंगाल की तकनीकी परामर्शदात्री समिति को इसकी स्वीकृति के मामले को शीघ्र निपटाना होगा। उसके बाद, इस स्कीम को गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग के माध्यम से योजना आयोग को भेजा जाना होगा और इस स्कीम के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करानी होंगी।

ग्रामीण मकान स्थल-व-निर्माण सहायता योजना की क्रियान्विति

3142. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण मकान स्थल-व-निर्माण सहायता योजना की क्रियान्वित में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ;

(ख) छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा ; और

(ग) भूमिहीनों को मकान के लिए नकद सहायता देने की योजना की प्रगति के बारे में उनके मन्त्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 30 जून, 84 तक छठी योजना के दौरान ग्रामीण आवास-स्थल एवं निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत राज्यवार प्रगति वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 68 लाख परिवार

(ग) आवास के लिए भूमिहीनों को नकद सहायता देने के लिए निर्माण और आवास मन्त्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (30-6-1984 तक) के दौरान आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजना के अन्तर्गत प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवास स्थल	निर्माण सहायता
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1241183	446786
2. असम	45032	20047
3. बिहार	76392	40777
4. गुजरात	357057	136412
5. हरियाणा	88190	7365
6. हिमाचल प्रदेश	739	747
7. जम्मू तथा कश्मीर	1552	1531
8. कर्नाटक	348586	227166
9. केरल	12810	8861
10. मध्य प्रदेश	99359	169978
11. महाराष्ट्र	161645	117093
12. उड़ीसा	87043	10596
13. पंजाब	4930	26950

1	2	3
14. राजस्थान	288464	91218
15. तमिलनाडु	1145390	118071
16. त्रिपुरा	22049	11988
17. उत्तर प्रदेश	483488	43508
18. पश्चिम बंगाल	24296	52669
19. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2550	949
20. दादर तथा नागर हवेली	102	314
21. दिल्ली	6603	1699
22. गोवा दमण तथा द्वीव	2736	720
23. पाण्डिचेरी	6904	7570
योग :	4507071	1543015

टिप्पणी :—मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, तथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना चालू नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री में हानि

3143. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पुस्तकों और पत्रिकाओं की कम बिक्री और काफी बड़ी संख्या में रद्द किए जाने के कारण हानि हो रही है ;

(ख) क्या कुछ पत्रिकाओं की लगातार कम बिक्री होने के बावजूद परिषद उन्हें बड़ी संख्या में प्रकाशित कर रही है यदि हां, तो इस प्रकार की प्रत्येक पत्रिका का ब्यौरा क्या है, सार्वजनिक धन के नुकसान विशेषकर 1978 के बाद से, के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रबन्ध संस्थान को मूल्यांकन का कार्य सौंप कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई प्रकाशनों की कम बिक्री के कारणों की जांच की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। पिछले 10 वर्षों के दौरान पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से कुल आय के केवल 2-2 प्रतिशत मूल्य की पुस्तकों और पत्रिकाओं को परिषद के अनुमोदित छटाई नियमों के अनुसार छटाई की गयी है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। परिषद की पत्रिकाओं की मुद्रण संख्या ग्राहकों की संख्या, मुफ्त जाने वाली प्रतियां, विनिमय स्वरूप जाने वाली प्रतियां और आशातीत भावी बिक्री के आधार पर तय की जाती है। 1978 से 83 तक मुद्रित प्रतियों का 97.3 प्रतिशत बेचा गया।

(ग) परिषद व्यापारिक दृष्टि से प्रकाशन नहीं करती बल्कि अनुसंधान सूचना को जो कृषि पशु विज्ञान आदि विषयों से सम्बन्धित है, को प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रकाशन करती है। इसी कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ प्रकाशन धीमे बिकते हैं। परिषद की एक प्रकाशन समिति भी है जो प्रकाशन, बिक्री आदि के बारे में राय देती है। अतः किसी प्रबन्ध संस्थान की मार्फत मूल्यांकन कराने का प्रश्न नहीं उठता।

पान के पत्तों की पैदावार करने वाले क्षेत्र

3144. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों के बड़े क्षेत्र में पान के पत्ते उगाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पान के पत्ते उगाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पान के पत्ते उगाने वालों की सहायता करने के लिए अथवा पान के पत्तों के उत्पादन और खेती में सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह फसल विभिन्न राज्यों में एक सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है।

(ख) पान की फसल के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं—कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और उड़ीसा।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पान के रोगों के नियन्त्रण की दृष्टि से अप्रैल, 1981 से एक बहु-स्थानिक अनुसंधान परियोजना मंजूर की है। यह परियोजना विभिन्न राज्यों में चल रही है। राज्य के कृषि बागवानी विभाग आवश्यकता पड़ने पर पान उत्पादकों का तकनीकी मार्गदर्शन करते हैं। कर्नाटक में पान उत्पादकों को 'नाबार्ड' की सहायता से दीर्घकालिक ऋण-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

लॉस एंजेलेस में चीफ दे मिशन के बिना ही दल भेजा जाना

3145. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, को लांस एंजेलेस में भेजे गए दल के साथ कोई नेता (चीफ दे मिशन) उपनेता सचिव या कोषाध्यक्ष नहीं भेजा गया है ;

(ख) यदि हां तो इस असाधारण स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन (आई० ओ० ए०) जो इस मामले से सम्बन्धित है, से प्राप्त सूचना के अनुसार 41 भाग लेने वाले तथा अधिकारियों का प्रथम दल XXIII ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए 15 जुलाई, 1984 को लॉस एंजिलिस के लिए रवाना हुआ था। दल के साथ एक नेता गया था जिसे आई० ओ० ए० द्वारा चीफ-दे-मिशन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था क्योंकि यह आई० ओ० ए० का विशिष्ट परमाधिकार है कि वह भारतीय ओलम्पिक दल के साथ खेल अधिकारियों को नामांकित करे।

राष्ट्रीयकृत चीनी मिलों की और गन्ने की बकाया धनराशि

3146. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की आठ चीनी मिलों का अधिग्रहण किया है और यदि हां, तो कब ;

(ख) इस अधिग्रहण के क्या कारण हैं ;

(ग) अधिग्रहण किये जाने से लेकर विभिन्न चीनी मिलों की ओर किसानों के गन्ने की बकाया धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) क्या लस्कर शूगर मिल (सहारनपुर) की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत बहुत अधिक है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) दो विवरण, संख्या 1 और 2, संलग्न हैं।

(घ) इन मिलों के कस्टोडियनों ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार से ऋण देने का अनुरोध किया है।

(ङ) उत्पादन लागत निम्नलिखित कारणों से बहुत अधिक है :—

(1) वास्तव में गन्ने के अधिक मूल्यों का भुगतान करना ;

(2) पुरानी मशीनरी होना और इसलिए उसका अकुशल होना ; और

(3) कम रिकवरी होना।

विवरण-I

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	अधिग्रहण की तारीख	अधिग्रहण करने के कारण
1.	दि अजुध्या शुगर मिल्स राजा-का-सहसपुर जिला मुरादाबाद (उ० प्र०)	7-12-78	अनुमेय सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने के कारण
2.	दि जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शंकरनगर, जिला बुल्डाना (महाराष्ट्र)	13-12-78	अनुमेय सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने के कारण
3.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, केशोरायपाटन, जिला बून्दी (राजस्थान)	13-12-78	(i) अनुमेय सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने के कारण ; और (ii) नियत दिन तक उत्पादन आरंभ करने में असफल रहने के कारण
4.	दि देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया, जिला देवरिया (उ० प्र०)	27-12-78	नियत दिन तक उत्पादन आरंभ करने में असफल रहने के कारण
5.	श्री सीताराम शुगर कं० लि०, बैतालपुर जिला देवरिया (उ० प्र०)	27-12-78	नियत दिन तक उत्पादन आरम्भ करने में असफल रहने के कारण
6.	दि राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि०, लक्सर, जिला सहारनपुर, (उ० प्र०)	2-2-79	अनुमेय सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने के कारण
7.	दि कावेरी शुगर्ज एण्ड केमिकल्ज लि०, पेट्टायवयालाई, जिला तिरुची (तमिलनाडु)	7-2-79	नियत दिन तक उत्पादन आरंभ करने में असफल रहने के कारण
8.	दि सेकसरिया शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बभनान, जिला गोंडा (उ० प्र०)	13-3-79	अनुमेय सीमा से अधिक गन्ने की बकाया राशि होने के कारण

विवरण-II

15-7-84 को केन्द्र द्वारा संचालित फैक्ट्रियों की और गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को बताने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	निम्न वर्षों के लिए गन्ने की मूल्य की बकाया राशि							
		1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	गन्ने की मूल्य की कुल बकाया राशि
1.	अजुध्या	9.06	—	—	—	—	—	83.92	92.98
2.	देवरिया	—	—	—	—	—	—	30.04	30.04
3.	बैतालपुर	—	—	—	—	—	—	57.74	57.74
4.	केशोरायपाटन	—	—	—	—	—	—	—	शून्य
5.	जीजामाता	0.01	—	—	—	0.04	0.01	12.70	12-76
6.	कावेरी	0.31	—	—	—	—	—	0.38	0.69
6.	लक्सर	—	13.83	—	—	—	—	159.28	173.11
8.	बभनान	0.11	—	—	—	—	—	39.33	39.44
		9.49	13.83	—	—	0.04	0.01	383.39	406.76

मुकदमेबाजी, दावेदारों के आगे न आने के कारण 1983-84 से पूर्व के मौसमों की बकाया राशि लम्बित है।

त्रिपुरा के लिए खाद्य पदार्थ के प्रोसेसिंग एकक

3147. **श्री बाजू बान रियान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक खाद्य पदार्थ प्रोसेसिंग केन्द्र को स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ तथापि, यह मंत्रालय त्रिपुरा के कुमारघाट में एक खाद्य विधायन केन्द्र स्थापित कर रहा है ।

(ग) इस केन्द्र से यह आशा की जाती है कि वह साधारण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल के विधायन को बढ़ावा दे । इस केन्द्र की प्रमुख गतिविधि फल तथा सब्जी का विधायन होगा । यद्यपि त्रिपुरा सरकार ने इस केन्द्र के लिए भूमि सुलभ कर दी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार 5 वर्ष के लिए 6.20 लाख रुपए की अनावर्ती लागत और 1.08 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आवर्ती लागत को पूरा करेगी । तदोपरान्त, त्रिपुरा सरकार इस केन्द्र को अपने हाथ में ले लेगी ।

पौधों का प्रत्यारोपण किए बिना धान की खेती

3148. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पौधों का प्रत्यारोपण किए बिना धान की खेती करने की उन्नत तकनीक की जानकारी है, जिसमें समय और श्रम तो कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में चावल उत्पादन में कमी तथा उसके परिणाम स्वरूप चावल के काफी मात्रा में आयात को ध्यान में रखते हुए चावल उत्पादकों को इस तकनीक की जानकारी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् । सीधे बीज बोने वाली धान उगाने की तकनीक का विकास किया गया है । सामान्यत: गीली जुताई की गई भूमि में बीज-वपित्र का इस्तेमाल करके 4-5 बीजों को पंक्तिओं में डाला जाता है ।

(ख) इस प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना का बुलेटिन, पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और विस्तार एजेंसियों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है ।

साकेत में स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 66 मकानों का आवंटन

3149. **श्री दलबीर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विस्तार (एक्सटेंशन) (साकेत) में स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत 1983 में निर्मित 66 फ्लैटों को, इस क्षेत्र में स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों से इतर व्यक्तियों को आवटित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रकार आवंटन किस आधार पर किए गए हैं ; और

(ग) क्या इन 66 फ्लैटों में से कोई फ्लैट बिना आवंटित किए रह गए हैं और यदि हां तो क्या इन्हें मालवीय नगर विस्तार (साकेत) में स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत वैध आवंटियों को आवंटित किया जाएगा ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पूर्ण किए गए 66 अतिरिक्त फ्लैटों में से 64 फ्लैट जनता के विभिन्न वर्गों को नियतित कर दिए गए हैं जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें साकेत में बिना बारी के आधार पर फ्लैट नियतित किए गए हैं या जिन्हें अनुकम्पा आधार पर फ्लैटों की बदली की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, हां 2 फ्लैट अभी आवंटित नहीं किए गए हैं और साकेत (मालवीय नगर एक्सटेंशन) के आवंटियों को दिए जाएंगे।

देश में भण्डारण डिपो

3150. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भण्डारण डिपो के प्रयोजन से भारत में कितने क्षेत्र/जोन हैं और प्रत्येक जोन/क्षेत्र में कितने भण्डारण डिपो हैं ; और

(ख) विगत में बनाये गये भण्डारण डिपुओं की निर्माण लागत क्या थी, उनमें प्रति मीटर टन भण्डारण क्षमता कितनी थी और वे किस-किस वर्ष बनाये गये थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के 19 क्षेत्रों से बनाए गए चार जोन हैं जिनमें 1782 भण्डारण डिपो हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें भण्डारण डिपुओं का जोनवार/क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) निगम द्वारा 1983-84 के दौरान बनाए गए उन भण्डारण डिपुओं के निर्माण की लागत लगभग 500/-रु० प्रति मीटर टन थी जहां रेलवे साइडिंग की व्यवस्था नहीं है और जहां रेलवे साइडिंग की व्यवस्था है उन डिपुओं के मामले में यह 770/-रु० प्रति मीटरी टन थी।

विवरण

जोन	क्षेत्र	भण्डारण डिपुओं की संख्या
1	2	3
I. पूर्वी	1. असम	57
	2. उत्तर पूर्वी फ्रंटियर	21
	3. बिहार	95
	4. उड़ीसा	50
	5. पश्चिम बंगाल	245

1	2	3
II. पश्चिमी	6. गुजरात	27
	7. मध्य प्रदेश	246
	8. महाराष्ट्र	34
III. उत्तरी	9. दिल्ली	4
	10. हरियाणा	90
	11. हिमाचल प्रदेश	14
	12. जम्मू तथा कश्मीर	9
	13. पंजाब	257
	14. राजस्थान	114
	15. उत्तर प्रदेश	197
IV. दक्षिण	16. आन्ध्र प्रदेश	143
	17. केरल	36
	18. कर्नाटक	57
	19. तमिल नाडु	86
	जोड़	1782

लांस एंजिलेस भेजे गए दल के प्रत्येक सदस्य को की गई अदायगी

3151. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लॉस एंजिलेस ओलम्पिक खेलों के लिए भेजे गए भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को लॉस एंजिलेस में ठहरने और खाने पीने के खर्च के लिए 1600/-रु० देने को कहा गया था ;

(ख) क्या खेलों के लिए चुने गए अनेक व्यक्तियों में से अनेक ने यह खर्च अपनी जेब से दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार ने भारतीय ओलम्पिक दल के

किसी भी सदस्य को लॉस एंजिलिस में भोजन तथा आवास के खर्च के लिए कोई राशि जमा कराने के लिए नहीं कहा था।

(ख) सरकार को किसी भी ऐसे खिलाड़ी से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ओलम्पिकस सहित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की यात्रा लागत को वहन करने और अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने में सहायता करती है।

वास्तविक कब्जे से पहले शालीमार बाग भाग-दो में फ्लैटों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान

3152. **श्री नारायण चौबे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग भाग-दो में उन व्यक्तियों को लाट्री द्वारा फ्लैट आवंटित किए गए हैं जो पंजीकृत थे तथा फ्लैटों का वास्तविक कब्जा देने से पहले उनमें लगभग 8000/-रु० की धनराशि का भुगतान करने को कहा गया था ;

(ख) क्या ये फ्लैट अभी तक पूरे तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन आवंटियों से मासिक किश्तें देने के लिए कहा जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निम्न आय वर्ग में आवंटी अपने आवंटित फ्लैट में चले जाने के बाद ही किश्तों का भुगतान कर सकता है ; क्योंकि उन्हें वर्तमान किराए वाले परिसर के किराए आदि का भुगतान करना पड़ता है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मासिक किश्त की मांग को स्थगित करने तथा फ्लैट का वास्तविक कब्जा देने के बाद ही इसकी वसूली करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नवीन पद्धति आवास योजना 1979 (हुडको) के अन्तर्गत जनता तथा निम्न आय वर्ग श्रेणी के फ्लैटों को 1982 में निकाली गई लाटरी में इसके पंजीकृतों को आवंटित किया गया है तथा मांग पत्र 1983 में जारी किए गए। पंजीकृतों से मांगी गई राशि को निम्नलिखित आधारों पर आंका गया :—

(1) नकद खरीद आधार पर आवंटित फ्लैटों के मामले में आवंटी को मांग तथा आवंटन पत्र जारी करने की तारीख से 2 माह के भीतर फ्लैट की कुल लागत, आदि जमा करनी पड़ती है।

(2) किराया खरीद आधार पर आवंटित फ्लैटों के मामले में भूमि के लिए प्रिमियम जमा

फ्लैट की शेष लागत का 20 प्रतिशत आवंटन के समय प्रारम्भिक जमा के रूप में, मांग तथा आवंटन पत्र जारी करने की तारीख से दो माह के भीतर देय है तथा शेष राशि को किश्तों में वसूल किया जाना है।

(ख) तथा (ग) जनता श्रेणी के अन्तर्गत, जिन्हें बी-1ए, पाकिट "एफ" में आवंटन मिला है वे फ्लैट का कब्जा ले रहे हैं क्योंकि इस पाकिट में फ्लैट तैयार हो गए हैं। पाकिट सी ब्लाक बी में आवंटित फ्लैट अभी तैयार नहीं है तथा किश्तों के आस्थगन के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं निम्न आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत ब्लाक बी, पाकिट सी में अधिकांश कब्जे दे दिए गए हैं लेकिन ब्लाक बी पाकिट आर में फ्लैटों को अभी पूर्ण किया जाना है। इस मामले में भी किश्तों के आस्थगन के लिए कार्यवाही की जाएगी जैसे सामान्यतया दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है, यदि निर्माण में विलम्ब होता है।

(घ) उन मामलों में जहां किश्तों को आस्थगित किया गया है आवंटी को फ्लैट का कब्जा देने से पूर्व किश्त का भुगतान करने को नहीं कहा जाता है। अन्यथा आवंटी को मांग पत्रों में दी गई एक माह की तारीख के बाद किश्तों का भुगतान करना होता है।

(ङ) जी हां, उपर्युक्त मामलों में।

(च) शालीमार बाग में ब्लाक बी, पाकिट सी में जनता श्रेणी के अन्तर्गत 600 फ्लैटों की किश्तों की अदायगी को अक्तूबर, 83 तक पहले ही आस्थगित कर दिया गया है तथा उसी को और आगे बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। इसी प्रकार, निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत ब्लाक बी, पाकिट "आर" में 204 फ्लैटों की किश्तों के भुगतान को आस्थगित करने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 1976 में पंजीकृत हुए लोगों को शालीमार बाग में फ्लैट आवंटित किया जाना

3153. **श्री अनवर अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 1976 में पंजीकृत हुए लोगों को शालीमार बाग में फ्लैट आवंटित करने के बारे में 30 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन फ्लैटों के आवंटन के लिए कोई विशिष्ट ड्रा आयोजित किया गया है ;

(ख) क्या इन फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) फ्लैटों की वास्तविक लागत कितनी आंकी गई है ;

(ङ) क्या पहले अनुमोनित की गई लागत में अब वृद्धि हुई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ठेकेदार अभी तक कार्य पूरा नहीं कर सका। ठेकेदार के अपने जोखिम तथा लागत पर कार्य को पूरा करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) से (च) कार्य के पूरा होने के बाद ही प्लेंट की वास्तविक लागत का हिसाब लगाया जाएगा।

दिल्ली में सरकारी रिहायशी मकानों की देख रेख.

3154. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तीन विभागों द्वारा दिल्ली में सरकारी रिहायशी मकानों की उपयुक्त ढंग से देख-रेख नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी उचित देख-रेख को सुनिश्चय करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(ग) सरकार को रिहायशी मकानों से किराये के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती है तथा उनकी देख-रेख पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(घ) क्या इन रिहायशी मकानों में लगे उपलब्ध छत के पंखों की सर्विस न करने तेल न देने के फलस्वरूप वे या तो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं अथवा शोर उत्पन्न करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन पंखों की समय पर सर्विस/आयलिंग करने तथा पंखों और बिजली के उपकरणों का दो वर्ष में एक बार पेंट करने का सुनिश्चय करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली में सरकार के अधिकार के रिहायशी आवास का अनुरक्षण मानकों तथा निधि सीमाओं के अनुसार उचित रूप में अनुरक्षण किया जा रहा है।

(ग) सरकारी रिहायशी वास के लिए किराए आदि के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 600.28 लाख रु० की राशि वसूली योग्य थी। इस राशि में केन्द्र/राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों के विभिन्न विभागों के अधीन रखे रिहायशी सरकारी वास के बारे में किराए आदि के कारण वसूल की जाने वाली राशि शामिल नहीं है।

1983-84 के दौरान अनुरक्षण (सिविल, विद्युत/बागवानी) पर 893.23 लाख रु० की राशि खर्च की गई है।

(घ) तथा (ङ) रिहायशी वास लगाए गए छतों के पंखों को सही हालत में रखने के लिए उनकी

आवधिक सर्विस की जाती तथा तेल डाला जाता है । सामान्यतः 2 वर्षों में एक बार पंखों पर पेन्ट तथा बिजली सम्बन्धी फिटिंग की जाती है ।

सुन्दरवन क्षेत्र में समुद्री मछलियों के प्रोसेसिंग के लिए उद्योगों की स्थापना

3155. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखाद्य मछलियों और झींगा तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध अन्य बेकार मछलियों से मुर्गियों का भोजन तैयार करने हेतु सुन्दरवन क्षेत्र में नवाखोन/काकद्वीप/मथुरापुर/पत्थर प्रतिमा में समुद्री मछलियों के प्रोसेसिंग के लिए उद्योगों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान का बन्द किया जाना

3157. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा राजस्थान में उदयपुर स्थित सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दी जाने वाली अनुदान सहायता बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या इस सहायता के बन्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान में कृषि अनुसन्धान और विस्तार कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस सहायता को पुनः आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्। केवल सहायता के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, जिस रूप में कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है। उसकी जगह उस तरह सहायता दी जायेगी जैसे सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों को दी जाती है ।

(ख) सहायता के स्वरूप में इसलिए परिवर्तन किया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस विश्वविद्यालय को एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय में बदलने के लिए सहमत नहीं हुई। सहायता का स्वरूप बदलने से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाने वाली राशि में भारी कमी आयेगी। इस प्रकार की कमी से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अथवा नहीं पड़ेगा, वह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा ।

(ग) सहायता के स्वरूप को तभी बदला जा सकता है, यदि राज्य सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए अपनाये गए आदर्श अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय को एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में गठित करेगी और चलायेगी।

अपना निजी मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन करने सम्बन्धी नीति की समीक्षा

3158. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति इस तथ्य के विपरीत है कि जिन्हें आवास की भारी जरूरत है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि दिल्ली में जिनके अपने मकान हैं, उन्हें आवास मुहैया हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग आवास को आगे किराये पर चढ़ा देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आबंटन की इस वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में अपने मकानों वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वास के आबंटन के सम्बन्ध में कोई असंगति नहीं है। आबंटन नियमों में ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने की व्यवस्था है जहां सरकारी वास की उप किरायेदारी का आरोप सिद्ध हो जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अपने मकानों वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०) की सिफारिशों, जिन्हें सरकार ने मान लिया था, के आधार पर सामान्य पूल वास के लिए पात्र मान लिया गया है।

तिलहन बैंकों की स्थापना

3159. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिलहन बैंकों को स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इन बैंकों को स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) तिलहनों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तिलहन और

वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने 20-7-84 को हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय तिलहन बैंक स्थापित करने के एक प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी। प्रस्ताव के ब्यौरे बोर्ड द्वारा अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार तिलहन विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। तिलहन उत्पादन को और बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं को पुनर्रोन्मुखी बनाया गया है और एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में इसका विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, जो 1984-85 के दौरान क्रियान्वित की जा रही है, 1984-85 के दौरान 38 करोड़ रुपये का कुल व्यय स्वीकृत किया है। कार्यक्रम की सारी वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

इस परियोजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बीज उत्पादन के लिए भारी व्यय करना, गुणवत्ता बीजों, वनस्पति संरक्षण उपकरणों, रसायनों का रियायती दरों पर वितरण करना और प्रचालनात्मक खर्चों पर राजसहायता देना ;

(2) बीज/उर्वरक मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण ;

(3) विशेष परियोजना के तहत मूंगफली की फसल के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरकों और जिप्सम का रियायती दरों पर वितरण करना ;

(4) उन्नत खेती उपस्करों का रियायती दरों पर वितरण करना ;

(5) विशेष परियोजनाओं में मूंगफली की फसल के लिए छिड़काव सेटों और सिंचाई सुविधाओं हेतु राजसहायता ;

(6) बड़े पैमाने पर खेतों में प्रदर्शन करना ; और

(7) परियोजना और विपणन सहायता के क्रियान्वयन और प्रबोधन हेतु संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना।

इसके अतिरिक्त केरल और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में क्रमशः 3434 हैक्टार और 940 हैक्टार क्षेत्र पर रेड आयल पाम बागान का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आदानों की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, लाभकारी मूल्यों पर अधिप्राप्ति और तिलहनों का परिसंस्करण और विपणन व्यवस्था करके सहायता उपलब्ध है।

महाराष्ट्र के लिए नई चीनी मिलें

3160. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** महाराष्ट्र के लिए नई चीनी मिलों के बारे में 12 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी बनाने की नई फैक्टरियां शुरू करने हेतु दिए गए लाइसेन्सों के कार्यान्ववन की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं और उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही समीक्षा कर ली है और यह पाया है कि नए लाइसेन्स उन राज्यों को प्राप्त हुए हैं जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग हैं । चीनी उद्योग में असन्तुलित ढंग से लाइसेन्स देने को रोकने के उद्देश्य से, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सभी पहलुओं और यह सुनिश्चित करने कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के साथ भी उचित व्यवहार हो और किसी चीनी वर्ष विशेष में कम से कम उन्हें लाइसेन्सशुदा नई चीनी परियोजनाओं का एक हिस्सा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, के बारे में विचार करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

एन०बी०सी०सी० के चेयरमैन के दौरों से सम्बन्धित नियम

3161. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कन्शट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने अधिकारियों के देश और विदेशों के दौरे करने के लिए कुछ नियम बनाये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान चेयरमैन ने नियमानुसार दौरे किए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश और विदेशों में उनके द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना खर्च हुआ था तथा वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान इनकी क्या उपलब्धियां रहीं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

तिलहनों का उत्पादन

3162. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था या आवश्यकता से कम था ;

(ग) यदि कम था, तो कमी को किस प्रकार पूरा किया गया ; और

(घ) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने और इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में फसल वर्ष 1982-83 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 105.5 लाख मीटरी टन था। फसल वर्ष 1983-84 के लिए, इस समय अनुमान लगाया जाता है कि उत्पादन 126.85 लाख मीटरी टन के लगभग होगा।

(ख) व (ग) इस समय खाद्य तेलों का देशी उत्पादन देश की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति का अन्तर आयात से पूरा किया जाता है।

(घ) 1983-84 तक चल रही तिलहनों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को नया रूप दिया गया है और उन्हें एक ठोस राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में मिला दिया गया है, जिसे देश में 1984-85 में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार को शतप्रतिशत सहायता से 38 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत मूंगफली, तोरिया और सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष कार्यक्रम तथा मूंगफली, तोरिया व सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल और तिल सम्बन्धी सघन तिलहन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा, तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसन्धान प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। उत्पादकों को उपयुक्त मूल्य-नीतियों के माध्यम से अच्छे प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा केरल और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह शेड आयल पाम की खेती शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त वृक्ष और वन मूलक तिलहनों, चावल की भूसी आदि के उपयोग में भी तेजी लाई जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी आवास निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

3163. **श्री राम अवध** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अब तक कितनी सहकारी आवास निर्माण समितियां पंजीकृत हैं ;

(ख) उन्हें भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची में उनकी क्रम संख्या कितनी है ; और

(ग) इन समितियों को सम्भवतः कब तक भूमि आवंटित कर दी जाएगी और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछली बार सहकारी ग्रुप आवास समितियों से भूमि के आवंटन के लिए जुलाई-अगस्त, 1981 में आवेदन पत्र मांगे थे। इसके अनुसरण में भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में 453 सहकारी आवास समितियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से सभी पात्र 424 समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1982 और 1983 के दौरान भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

गांधी नगर में राष्ट्रीय खेल संस्थान का पश्चिमी जोनल केन्द्र खोला जाना

3164. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गांधी नगर में राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला का पश्चिमी जोनल केन्द्र खोलने के लिए कोई अनुरोध किया है और यदि हां, तो उक्त अनुरोध कब किया गया था और उसे कब तक स्वीकार कर लिया जाएगा ;

(ख) गांधी नगर में खेलों का जोनल केन्द्र खोलने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद, इस अनुरोध को स्वीकार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गुजरात राज्य खेल के मामले में पीछे रह रहा है और यदि हां, तो क्या राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस केन्द्र को शीघ्र ही खोल दिया जायेगा ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने सितम्बर, 1983 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का गांधी नगर में पश्चिमी केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से भी प्राप्त हुआ है। तदनुसार, ने० सु० रा० खेल संस्थान के पश्चिमी केन्द्र की स्थापना को सोतवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया गया है तथापि, मामले में अन्तिम निर्णय केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सम्भव होगा।

(ग) खेलों के मामले में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित स्तर को निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिए ओबराय बन्धुओं को मुआवजा दिया जाना

3165. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरू प्लेस में ओबराय होटल्स लिमिटेड की भूमि के अनेक प्लाट अधिग्रहीत कर लिए हैं और उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नेहरू प्लेस में ओबराय बन्धुओं की स्वामित्व वाली भूमि के पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार ने वह भूमि कब अधिग्रहीत की थी ; और

(घ) मुआवजा कब और किस आधार पर दिए जाने का प्रस्ताव है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) नेहरू प्लेस में ओबराय होटल लिमिटेड की कुछ भूमि के प्लाटों का दिल्ली प्रशासन ने अर्जन किया था। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अधिग्रहीत प्लाटों का मुआवजा दे दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	अवार्ड सं०	अवार्ड की तारीख	अधिग्रहीत खसरा संख्या का विवरण	क्षेत्र, बीघों में	टिप्पणी
1.	2038	29-1-67	1276/873/1, 1279/873/1, 1281/873/1, 1281/873/4/1, 1281/873/5/1, 1277/873/1,	39/97 बीघा	भूमि अधिग्रहण समहर्ता द्वारा 25-1-83 के द्वारा मुआवजा दिया गया था। जहां तक ए० डी० जे० न्यायालय के बढ़े हुए मुआवजे का प्रश्न है, यह 28-7-71 तथा 19-8-71 को ए० डी० जे० को भेजा गया था। उच्च न्यायालय से संबंधित बढ़े हुए मुआवजे को 5-3-81 तथा 29-6-82 को ए०डी०जे० को भेज दिया गया था।
2.	1148	21-6-61	1280/873/2, 1281/873/4/2 1281/873/6, 1276/873/2 1277/873/2 1279/873/2, 1281/873/5/2,	27/09 बीघा	एल० ए० सी० द्वारा दी गई राशि का 2559.63 को भुगतान किया गया था।। उच्च न्यायालय से सम्बन्धित राशि को ए. डी. जे. को न्यायालय में 9-3-81 तथा 10-1-83 को भुगतान के लिए भेज दिया गया था।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड नई दिल्ली में रिक्त पदों की संख्या

3166. **श्री शकरान आजम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय मिण्टो रोड़, नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पड़े पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) मुद्रणालय में फिलहाल रिक्त पड़े पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पदों के भरने की कार्यवाही पहले ही प्रक्रिया में है।

विवरण

रिक्त पड़े पदों के ब्यौरे

भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिल्ली

क्रम० सं०	पद की श्रेणी	पदों की संख्या
1.	सहायक आर्टिस्ट रिटचर	2
2.	ओफसैट मशीन मैन ग्रेड II	12
3.	लाइनो आपरेटर	7
4.	मैकनिक (मैकनिकल)	1
5.	डार्क रूप सहायक	1
6.	निम्न श्रेणी लिपिक	10
7.	सहायक, मैकनिक (मोनो)	1
8.	मशीन सहायक	10
9.	बाइण्ड्री सहायक	12
10.	प्रूफ प्रैस मैन ग्रेड-II	6
11.	व्हील ड्राईवर	1
12.	श्रमिक	17
13.	चपरासी	2
	योग :	82

कृषि विपणन सलाहकार के पद का भरा जाना

3167. **श्री लासा राम केन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपणन और निरीक्षण निदेशालय के राजपत्रित तकनीकी अधिकारी संघ ने कृषि विपणन सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियमों में कुछ असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त असंगतियों को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(ग) क्या उक्त पद इन असंगतियों को दूर करने के बाद भरा जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के राजपत्रित तकनीकी अधिकारी संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि विपणन सलाहकार के पद को केवल विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकारों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के दृष्टिकोण से कृषि विपणन सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया है। कृषि विपणन सलाहकार के पद हेतु भर्ती नियमों में इस पद को राज्य के उपयुक्त प्रथम श्रेणी अधिकारियों अधिमान्यत: कृषि विपणन अथवा सहकारिता विभाग के अधिकारियों अथवा अखिल भारतीय सेवा अथवा प्रथम श्रेणी केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों जिन्हें अपेक्षित अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। अत: वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार के पद के लिए सरकार को इस क्षेत्र में अनुभवी सरकारी अधिकारियों के एक विस्तृत वर्ग में से उपयुक्त व्यक्ति के चयन का अवसर मिलता है। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के अधिकारियों (प्रथम श्रेणी) को इस पद के लिए आवेदन भेजने से मनाही नहीं है। अत: भर्ती नियमों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया है। कृषि विपणन सलाहकार के पद को भरने हेतु कार्यवाही वर्तमान नियमों के आधार पर ही की जा रही है।

होबीदपुर सहकारी नारियल कृषि संस्था दक्षिण अण्डमान का कार्यकरण

3168. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होबीदपुर सहकारी नारियल कृषि संस्था दक्षिण अण्डमान के कार्यकरण में गबन, धनराशियों के दुरुपयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं का समाचार मिला है अथवा जिसमें सहकारी विभाग के अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) होबीदपुर कोआपरेटिव कोकोनट फार्मिंग सोसायटी के प्रशासकों के रूप में नियुक्त किए गए विभागीय अधिकारियों द्वारा

सोसायटी के धन का गबन किए जाने की जानकारी मिली है। प्रशासन का सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकद्दमा दायर करने का प्रस्ताव है।

चीनी कारखानों को गन्ने का उपलब्ध न होना

3169. **श्री रेणुपद दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चीनी मौसम में एक निश्चित अवधि से अधिक अवधि तक गन्ने के उपलब्ध न होने के कारण आधे चीनी कारखानों को चीनी का उत्पादन बन्द करना पड़ा ;

(ख) क्या यह गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति के कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो गन्ने से चीनी की प्राप्ति की दर में वृद्धि करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जिन 326 चीनी फैक्ट्रियों ने चालू मौसम 1983-84 के दौरान कार्य किया था, उनमें से 149 फैक्ट्रियों ने मार्च, 1984 के अन्त तक कार्य करना बन्द कर दिया था, जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख तक 321 फैक्ट्रियों में से 25 फैक्ट्रियों ने कार्य करना बन्द कर दिया था। फैक्ट्रियां सामान्यतः उनके पास उपलब्ध सारे गन्ने की पिराई हो जाने के बाद बन्द हो जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूधृति विनियमों में संशोधन

3170. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूधृति विनियमों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) व (ख) संविधान के अन्तर्गत राज्य विधान-मण्डल द्वारा पारित कुछ विधेयकों, जो भूमि से सम्बन्धित हैं, का अधिनियमन करने के लिए राष्ट्रपति जी की सम्मति अपेक्षित है। इस प्रकार के विधेयक अक्सर प्राप्त होते रहते हैं। इनकी जांच ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा यह निर्णय लिए जाने से पूर्व की जाती है कि उन पर राष्ट्रपति जी की सम्मति दी जा सकती है अथवा नहीं।

पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के कारण परियोजनाओं का काम रुक जाना

3171. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी राज्यों के पहाड़ी जिलों में सड़क

निर्माण, सिंचाई और पन बिजली परियोजनाओं तथा ऐसी परियोजनाओं जिन पर भारी धनराशि खर्च की जा चुकी है लेकिन वे अभी पूरी नहीं हुई हैं का निर्माण कार्य वनों के संरक्षण के नाम पर रोक दिया गया है जिससे स्थानीय लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक ऐसी परियोजना की स्थिति क्या है जिसे रोक दिया गया है जिसका कार्य पुनः शुरू होगा तथा जो अभी विचाराधीन है और जिनको अन्तिम रूप से त्याग दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी उपकर की वसूली

3172. **श्री रेणुपद दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उपकर के रूप में इसे शुरू करने की तारीख से वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि एकत्रित की जाती है ;

(ख) पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर इस स्रोत से अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) अन्य उद्देश्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) चीनी उपकर को शुरू करने की तारीख से इसकी एकत्र की गई वर्ष-वार कुल राशि निम्नानुसार है :—

(1) 1-6-82 से 31-3-83 (82-83)	51,53,89,450.68 रु०
(2) 1-4-83 से 31-3-84 (83-84)	1,06,81,36,120.65 रु०
(3) 1-4-84 से 30-6-84 (84-85)	18,87,26,286.83 रु०
एकत्र की गई कुल राशि	1,77,22,51,858.16 रु०

(ख) पुरानी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) विभिन्न प्रयोजनों के लिए 1984-85 के दौरान आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

(1) चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान (योजना-भिन्न)	10 लाख रु०

(2) चीनी मिलों को पुनर्वासन/आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण	5 करोड़ रु०
(3) गन्ने के विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	2 करोड़ रु०
(4) 5 लाख मी० टन चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए चीनी मिलों को राजसहायता	46 करोड़ रु०

उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां

3173. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आरम्भ किए गए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन करवाया है ;

(ख) क्या आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों को जहां तक उस राज्य में विकास का सम्बन्ध है कोई प्राथमिकता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इससे आदिवासियों की समग्र स्थिति सुधारने में कितनी सहायता मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए कुछ सीमित अध्ययन किए गए हैं।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक व्यक्तिपरक कार्यक्रम है। अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को परिसम्पत्तियां हासिल करने के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा दूसरों के लिए रुपए 3,000/- के मुकाबले जनजातियों को रुपए 5,000/- की राशि प्रदान की जाती है।

(ग) ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

खण्ड-स्तर पर उर्वरकों का वितरण

3174. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खण्ड-स्तर पर उर्वरकों के वितरण के लिए कोई पहल की थी ;

(ख) क्या इस योजना की कार्य निष्पत्ति के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना के कार्यकरण में यदि कोई कमियां पाई गई हैं तो इसे किसानों के लिए अधिक लाभदायक बनाने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस योजना द्वारा किए गए कार्य का अभी कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि समय-समय पर राज्य सरकारों, संस्थागत एजेन्सियों, विनिर्माताओं, पूल भण्डार को सम्भाल करने वाली एजेन्सियों के साथ हुई बैठकों के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यों पर भी विचार-विमर्श किया गया है और रिपोर्ट दी गई है कि यह योजना कारगर है और दूर-दराज के क्षेत्रों में उर्वरक अधिक सहजता से पहुंच रहा है। यह भी देखा गया है कि 1983-84 में उर्वरकों की खपत 1982-83 की तुलना में 22 प्रतिशत और 1982-83 में 1981-82 की तुलना में 5.8 प्रतिशत तक बढ़ी है। बिक्री केन्द्रों, खुदरा केन्द्रों की संख्या भी मई, 1981 में 1.10 लाख से बढ़कर मार्च, 1984 तक करीब 1.45 लाख हो गई।

महानगरों में गन्दी बस्तियों की संख्या

3175. **श्री सूरजभान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर बम्बई में वर्ष 1976 में 1990 गन्दी बस्तियां थीं जिनमें 5,75,000 झोंपड़ियां थीं जो वर्ष 1982 में बढ़कर 7 लाख तक हो गई और इस समय उनकी संख्या 7.5 लाख है और यह बम्बई की कुल आबादी का 42 प्रतिशत है ;

(ख) कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी संख्या कितनी हो जाने की सम्भावना है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार वृहत बम्बई में लगभग 1680 मलिन बस्तियां थीं जिनमें मलिन बस्ती निवासियों की जनसंख्या 28,31,384 थी बम्बई में 1976 में तथा 1982 में स्लम टेनामैंटों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली प्रशासन ने क्रमशः मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली में मलिन बस्ती निवासियों की कुल जनसंख्या का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किया है। इसलिए, कोई यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रतिपादनाधीन है और योजना के प्रकाशित हो जाने के बाद ही सम्भावित संख्या का पता चलेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में कृषि उद्योग निगम की स्थापना

3176. **श्री मनोरंजन भगत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संघशासी क्षेत्र में एक कृषि उद्योग निगम की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब मिला और इस मामले में की गयी कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य अण्डमान में भूमि के आबंटन हेतु अभ्यावेदन

3177. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरायण और कडामताला मध्य अण्डमान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के लोगों से आस-पास के क्षेत्रों में, जहां वन विभाग द्वारा वनों की सफाई का कार्य किया गया, कृषि भूमि के आबंटन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमिहीन कृषकों को इस प्रकार की भूमि कब तक देने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन से उत्तरायन और कदमताला, मिडिल अंडमान द्वीप के लोगों को वन भूमि का आबंटन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1970 के दौरान कृषि भूमि का आबंटन पाने वाले लोग

3178. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम के बनने से पूर्व 1970 में कुछ लोगों को कृषि का आबंटन किया गया था और उसका कब्जा उन्हें अभी तक भी नहीं दिया गया है ; क्योंकि मन्त्रालय उक्त वन भूमि को अनारक्षित करने पर सहमत नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कृषि भूमि आबंटित करने के लिए, जिसके आवंटन के आदेश पहले ही 1970 में जारी किए जा चुके हैं ; सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने सरकार से इस भूमि को अनारक्षित करने का प्रस्ताव किया है, और यदि हां तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"हुडको" द्वारा अनुमोदित नई आवास परियोजनाएं

3179. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने देश में नई आवास परियोजना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा यह योजना गुजरात के किन-किन नगरों में लागू की गई है ;

(घ) क्या निर्माण-कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान तथा 31-7-84 की स्थिति के अनुसार हुडको ने 71.19 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 165 योजनाएं मंजूर की हैं।

(ग) उपर्युक्त मंजूरियों के अन्तर्गत गुजरात राज्य को 5.89 करोड़ रुपये की हुडको ऋण सहायता से 14 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें भड़ोच, मेहसाणा, खेड़ा तथा बड़ौदरा जिलों की 6 ग्रामीण योजनाएं और राजकोट, किडाना, कोड़ी, दुधेज, बड़ौदरा तथा नादिया के शहरों तथा कस्बों की 8 योजनाएं शामिल हैं।

(घ) और (ङ) इन योजनाओं का कार्यान्वियन ऋण लेने वाले सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा किया जाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन

3180. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

(ख) वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा कितने प्रतिशत राशि व्यय की गई और किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कम धनराशि का उपयोग किया गया और इसलिए काम की प्रगति की दर भी बहुत धीमी रही ; और

(घ) देश के, विशेषकर पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1-4-83 तक उपयोग में लायी गयी धनराशि, वर्ष 1983-84 के दौरान किए गए केन्द्रीय बंटन तथा राज्य के अंशदान और निधियों के उपयोग की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8579/84] 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए

187.76 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता तथा 202.44 करोड़ रुपये का राज्य अंशदान, जो कुल 390.21 करोड़ रुपए बनता है, दिया गया था। इसकी तुलना में अब तक प्राप्त व्यय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 393.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस प्रकार, 1983-84 के दौरान बंटित निधियों की अपेक्षा खर्च अधिक किया गया था।

जहां तक वर्ष 1983-84 में कार्यक्रम के निष्पादन का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिए निर्धारित 322.26 मिलियन श्रम-दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले में अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 302 मिलियन श्रम-दिवसों के रोजगार सृजन की उपलब्धि हुई है जो लक्ष्य की 93 प्रतिशत बनती है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-2 भी संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8579/84]

(घ) मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा कम वेतन वाले मजदूरों के क्षेत्रों में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए प्राथमिकता दी जाए। तथा कुल परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत भाग केवल इस वर्ग के व्यक्तियों के लाभ हेतु निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किया जाए।

नारियल के तेल का आयात

3181. **श्री के० मालन्ना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल उत्पादन में गिरावट के फलस्वरूप देश में इसके मूल्य को नियन्त्रित रखने के लिए नारियल तेल को एक सीमित मात्रा में आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार नारियल के उत्पादन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आयात करने के लिए क्या कार्यक्रम हैं तथा सरकार ने कितनी मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है; और

(घ) इस समय देश में नारियल के तेल की कितनी खपत है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:—

(नारियल की संख्या दस लाख में)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83
आन्ध्र प्रदेश	175.3	178.9	178.8
असम	51.8	45.9	45.9
कर्नाटक	890.0	917.6	930.1
केरल	3036.4	3005.7	2444.3
महाराष्ट्र	61.7	61.1	61.1
उड़ीसा	98.8	98.8	98.8
तमिलनाडु	1132.4	1019.2	1650.0
त्रिपुरा	1.7	1.7	1.7
पश्चिम बंगाल	32.3	29.4	29.4
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	97.8	87.0	87.0
गोवा, दमन व द्वीव	105.0	91.0	100.0
लक्षद्वीप	21.4	21.7	21.7
पांडिचेरी	15.4	15.4	15.5

(ग) नारियल के तेल की 9000 मीटरी टन मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गयी है। नारियल के तेल का आयात नियमित आधार पर करने का विचार नहीं है।

(घ) नारियल के तेल का कुछ अंश खाने के प्रयोजन के लिए तथा कुछ अंश औद्योगिक इस्तेमाल, विशेषरूप से नहाने का साबुन बनाने के लिए, कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारियल के तेल के समस्त देशी उत्पादन की खपत उसके इन दोनों प्रकार से इस्तेमाल करने में हो जाती है।

उर्वरकों की सप्लाई में कदाचार रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का संशोधन

3182. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की पूर्ति में कदाचार करने वालों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधि-

नियम में कोई उपबन्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एक प्रावधान बनाने का भी विचार है ताकि बिचौलिए किसानों को निर्धारित मूल्य पर और अच्छी किस्म के उर्वरक की पूर्ति के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित न कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक जिन्सों की सप्लाई के अनुरक्षण विषयक अधिनियम, 1980 में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का पहले ही प्रावधान है, ताकि उसे किसी ऐसे तरीके से काम करने से रोका जा सके जो किसी आवश्यक जिन्स की सप्लाई को बरकरार रखने के प्रतिकूल हो। उर्वरक को पहले ही आवश्यक जिन्स घोषित किया जा चुका है।

(ख) व (ग) आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले अधिकांश उर्वरकों की कीमतों पर उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के तहत सांविधिक नियन्त्रण है। विभिन्न उर्वरकों के मानक विनिर्देश भी इसी आदेश के तहत निर्धारित किए जाते हैं।

किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसे उर्वरक की बिक्री कर रहा हो, जो निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हैं या उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के तहत निर्धारित कीमतों से ज्यादा कीमत ले रहा हो, कानून के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है।

जीवाणु संवर्धन

3183. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं, धान, आलू और दालों की उपज को 10 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने वाली एक जीवाणु संवर्धन की विधि निकाली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में जीवाणु संवर्ध (कल्चर) का कार्य प्रगति पर है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से कभी भी यह दावा नहीं किया गया कि इन संवर्धों के प्रयोग से विभिन्न फसलों की पैदावार 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

(ख) भा० कृ० अ० सं० नई दिल्ली में **राइजोबिया**, नीले व हरे शैवाल जैसे जीव उर्वरकों पर तथा अभी हाल ही में **ऐजोटोबैक्टर** तथा **ऐजोस्प्रिल्लम** जैसे कुछ दूसरे "नौन-सिम्बिओटिक नाइट्रोजन" को निश्चित करने वाले सूक्ष्म जैव क्रिया जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, इनके ऊपर गहन, मौलिक तथा प्रयोगात्मक कार्य चल रहा है।

--"पीट कल्चर" तथा क्षेत्रों प्रयोगों से मिले आंकड़ों से पता लगा है कि इन जीवाणु संवर्धों से पैदावार में केवल 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है।

ग्रीष्म ऋतु में नदी और जोहड़ का पानी सूख जाने पर उनके तल पर खेती

3184. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु के दौरान नदी और जोहड़ का पानी सूख जाने पर उनके तल पर, जहां नमी और गाद मौजूद होती है, खेती शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में कौन-कौन सी विभिन्न फसलों के होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दियारा भूमि पर उपयुक्त फसलें उगाने की सम्भावना से सम्बन्धित अध्ययन किया जा रहा है। तथापि, नदी का पानी सूख जाने पर उसके तल को कास्तकारों द्वारा कभी-कभी खरबूजे, कद्दू आदि जैसी फसलें उगाने के उपयोग में लाया जाता है।

मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने हेतु तमिलनाडु की योजना

3185. **श्री एन० डेनिस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई योजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के तहत 1984-85 के दौरान मूंगफली की सघन खेती करने से सम्बन्धित परियोजना नामक प्रस्ताव, जो तिलहन निदेशक, तमिलनाडु द्वारा सचिव कृषि विभाग, तमिलनाडु की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, की सिर्फ एक प्रति प्राप्त हुई है। खरीफ मूंगफली के तहत 8.0 लाख हैक्टार और रबी ग्रीष्मकालीन मूंगफली के तहत 3.65 लाख हैक्टार का क्षेत्र लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। इस प्रस्ताव में प्रमाणीकृत बीज, उर्वरक, (फास्फेट तथा जिप्सम) राइजोबियम कल्चर, उन्नत उपस्कर, छिड़काव करने वाले सैट, बीज मिनिकिट तथा पौध संरक्षण उपाय, प्रदर्शन, सिंचित क्षेत्र का विस्तार, स्टाफ, आकस्मिक खर्चे आदि शामिल हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धन का आबंटन

3186. **श्री एन० डेनिस** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को किए गए आबंटन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस परिव्यय में से अब तक राज्य-वार, कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को विशेष रूप से तमिलनाडु में कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन तथा 1980-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर हुआ व्यय

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	छठी योजना आबंटन* (लाख रु० में)	शामिल परिवारों की संख्या (1980-84)	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	11,436,00	939371	10167.00
2. असम	4,690.00	142467	1887.75
3. बिहार	20,545.00	1321298	11457.13
4. गुजरात	7,630.00	579347	5518.44
5. हरियाणा	3,141.00	386238	2515.61
6. हिमाचल प्रदेश	2,415.00	172018	1664.51
7. जम्मू तथा कश्मीर	3,233.00	117052	1292.17
8. कर्नाटक	6,125.00	532450	5756.66
9. केरल	5,152.00	425265	3685.54
10. मध्य प्रदेश	16,046.00	1104824	11178.87

1	2	3	4
11. महाराष्ट्र	10,360.00	728243	7561.13
12. मणिपुर	910.00	20191	292.56
13. मेघालय	936.00	19786	159.98
14. नागालैण्ड	735.00	37373	427.28
15. उड़ीसा	10,990.00	708642	6706.67
16. पंजाब	4,111.00	321626	3535.79
17. राजस्थान	8,184.00	551082	6930.35
18. सिक्किम	140.00	6105	63.42
19. तमिलनाडु	13,211.00	1162752	11286.83
20. त्रिपुरा	595.00	40966	473.48
21. उत्तर प्रदेश	30,836.00	27377398	21929.42
22. पश्चिम बंगाल	11,725.00	436510	3001.12
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	175.00	330	3.75
24. अरुणाचल प्रदेश	1,680.00	31583	563.91
25. चंडीगढ़	35.00	1097	2.97
26. दादरा तथा नगर हवेली	35.00	909	17.87
27. दिल्ली	175.00	13645	156.22
28. गोवा दमन तथा दीव	420.00	23930	319.45
29. लक्षद्वीप	175.00	876	38.46
30. मिजोरम	700.00	8918	242.95
31. पांडिचेरी	140.00	8654	89.50
योग : अखिल भारत	1,76,681.00	12580946	118896.19

*छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए 501 ब्लाकों के लिए प्रतिब्लाक 35 00 लाख रु० तथा 81 अतिरिक्त ब्लाकों (सिद्धान्तः स्वीकृत) के लिए 16.00 लाख रुपए की दर से हिसाब लगाया गया है।

छोटे और सीमान्त किसानों को "मिनीकिटों" का वितरण

3187. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वर्ष 1980-81 में प्रत्येक राज्य में छोटे और सीमान्त किसानों को वर्षवार कितने "मिनीकिट" वितरित किए गए ; और

(ख) छठी योजना के शेष अवधि के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार के पास 1980-81 से 1982-83 के दौरान विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को मिनिकिट वितरण करने की कोई योजना नहीं थी। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मिनिकिटों का आबंटन करने में छोटे तथा सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1983-84 में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को तिलहनों तथा दलहनों के बीजों और उर्वरकों के मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्टों के अनुसार 1983-84 के दौरान इस योजना के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को तिलहन तथा दलहन उत्पादन के लिए बीज तथा उर्वरक के लगभग 25.20 लाख मिनिकिट वितरित किए गए थे। तिलहनों तथा दलहनों के उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में तिलहनों तथा दलहनों का उत्पादन करने हेतु बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों का वितरण करने के लिए इस योजना के तहत 1984-85 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य लगभग 20 लाख है।

विवरण

1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत तिलहन तथा दलहन के उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों के राज्यवार वितरण

(मिनिकिटों की संख्या)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तिलहन	दलहन	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	62,566	33,657	96,223
2.	असम	58,690	96,400	1,55,090
3.	बिहार	85,724	8,782	94,506

1 2	3	4	5
4. गुजरात	35,025	37,394	72,419
5. हरियाणा	24,255	38,140	62,395
6. हिमाचल प्रदेश	525	6,375	6,900
7. जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं		
8. कर्नाटक	55,207	15,233	70,440
9. केरल	5,268	49,689	55,257
10. मध्य प्रदेश	98,088	84,371	1,82,459
11. महाराष्ट्र	3,43,647	2,17,478	5,61,125
12. मणिपुर	16,000	23,000	39,000
13. मेघालय	क्रियान्वित नहीं किया गया		
14. नागालैंड	उपलब्ध नहीं		
15. उड़ीसा	31,456	44,901	76,357
16. पंजाब	उपलब्ध नहीं		
17. राजस्थान	क्रियान्वित नहीं किया गया		
18. सिक्किम	800	400	1,200
19. तमिलनाडु	70,393	61,278	1,31,671
20. त्रिपुरा	1,527	9,476	11,003
21. उत्तर प्रदेश	2,59,683	4,80,619	7,40,302
22. पश्चिम बंगाल	1,77,547	2,71,145	4,48,692
23. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	650	1,000	1,650
24. अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं		

1	2	3	4	5
25.	चण्डीगढ़	250	550	800
26.	दादरा तथा नगर हवेली	क्रियान्वित नहीं किया गया		
27.	दिल्ली	500	500	1,000
28.	गोवा दमन तथा दीव	1,664	4,179	5,843
29.	लक्षद्वीप	2,000	1,500	3,500
30.	मिजोरम	क्रियान्वित नहीं किया गया		
31.	पांडिचेरी	800	790	1,590
	अखिल भारत	13,32,265	14,87,157	28,19,422

सिर्फ खरीफ मौसम के लिए

भैंसों के संकर-प्रजनन सम्बन्धी केन्द्रीय योजना

3188. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **कृषि मंत्री** भैंसों के संकर-प्रजनन सम्बन्धी केंद्रीय योजना के बारे में 30 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में उपयोग के लिए प्रमाणिक रूप से सक्षम कितने सांड प्राप्त किए गए तथा इनको किस-किस स्थान से प्राप्त किया गया तथा इसके फलस्वरूप उनकी संतति का कार्य निष्पादन कैसा रहा है ;

(ख) क्या तत्सम्बन्धी दावों की किसी विशेष समिति द्वारा जांच की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तत्सम्बन्धी जांच करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने का है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) उड़ीसा में आपरेशन फ्लड क्षेत्रों से बाहर हिमित वीर्य तकनीक का इस्तेमाल करके पशुओं का विदेशी डेरी नस्लों के संकर प्रजनन और भैंसों की नस्ल सुधारने सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के लिए प्रामाणिक रूप से सक्षम कोई सांड प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ से पटसन की फसल को हुई हानि

3189. **श्री रेणुपद दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल की बाढ़ से पटसन की फसल को कितनी हानि हुई है ;

(ख) कच्चे पटसन के उत्पादन में अत्यधिक कमी आने के कारण इसके मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार के पास पटसन उत्पादकों की भरपाई करने के बारे में कोई कार्यक्रम है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल में आई बाढ़ के कारण पटसन बोए गए क्षेत्र के 11 प्रतिशत भाग को क्षति पहुंची है।

(ख) कच्चे पटसन का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक है।

(ग) भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि दैवी आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली हानि के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति की जाए। तथापि प्रभावित किसानों को फिर से सही हालत में लाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने कृषि सम्बन्धी कार्यों को सामान्य रूप से कर सकें।

खेलों सम्बन्धी विधान

3190. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय खेलों सम्बन्धी कोई विधान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी खेल-कूद गतिविधियों के बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) खेलों पर कोई केन्द्रीय विधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के संविधान के अन्तर्गत खेल राज्य का विषय है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान को सघन भू-संरक्षण कार्यक्रम

3191. **श्री भीखाभाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में तरह-तरह के स्थलाकृतिक भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें भू-संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में भू-संरक्षण के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1981-82 से 1983-84 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए राज्य क्षेत्र में 15.79 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। उसी अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन योजनाओं के तहत 7.52 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

(1) चम्बल, दांतीवाड़ा तथा माही नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ;

(2) साहिबी नदी के बाढ़ प्रवण स्रवण क्षेत्रों में संगेकित पनधारा प्रबन्ध ; तथा

(3) 10 जिलों में सामाजिक वानिकी, जिसमें ग्रामीण जलावन की लकड़ी का पौध-रोपण भी शामिल है।

इसके अलावा, राजस्थान में मृदा संरक्षण के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय योजनाओं के तहत पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई थी।

राजस्थान में कपास का विकास

3192. **श्री भीखाभाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न भागों में कुल कितनी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है ;

(ख) क्या राजस्थान के कपास उत्पादक क्षेत्रों में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष सहायता दिए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान के उत्पादन करने वाले प्रमुख जिलों में वर्ष 1983-84 के दौरान कपास का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

राजस्थान में जिलेवार का उत्पादन

1983-84

जिला	उत्पादन (प्रत्येक गांठ 170 कि० ग्रा० की—हजार गांठें)
गंगानगर	473
अजमेर	17
बंसवारा	11
भीलवाड़ा	29
पाली	20
अन्य	29
योग	579

(ख) तथा (ग) भारत सरकार 1950-51 के बाद से देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान सहित कपास उगाने वाले सभी प्रमुख राज्यों में कपास विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

बृहत बम्बई में मकानों को पारियों में रहने के लिए प्रयोग किया जाना

3193. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहत बम्बई में लगभग 88,250 मकानों को एक से अधिक परिवारों द्वारा पारियों में रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ; और

(ख) भारत के अन्य महानगरों के इस प्रकार के मकानों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वध किए गए पशु

3194. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कृषि मन्त्री वध किए गए पशुओं के बारे में 2 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में कितनी गायों और अन्य दुधारु पशुओं का वध किया गया ;

(ख) इस अवधि में गोमांस, गाय की चर्बी तथा अन्य पशुओं की चर्बी का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या देश में गाय की चर्बी और अन्य पशुओं के रेनेट (जामन) के उत्पादन तथा उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 19 राज्यों में जिन्होंने गाय और इसकी संतति के वध पर रोक अथवा पाबंदी लगाने सम्बन्धी कानून बनाए हैं, प्रजनन, दूध देने और बोझा ढोने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त पशुओं का वध करने की अनुमति नहीं है। केवल 3 राज्यों अर्थात् मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ने गोवध की रोक के लिए कोई कानून नहीं बनाए हैं। पांच संघ शासित क्षेत्रों ने गोवध पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। शेष चार संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने लोगों को खाने पीने की मौजूदा आदतों और उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं की वजह से ऐसे कानून नहीं बनाए हैं। देश के विभिन्न भागों में 1981, 1982 और 1983 के दौरान वध किए गए गोपशुओं की संख्या क्रमश: 55,807, 94,572 और 70,501 अनुमानित थी। चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1981 और 1982 में गोमांस की उत्पादित मात्रा क्रमश: 78 और 80 हजार मीटरी टन थी। वर्ष 1983 और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित गोमांस सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत में चर्बी आम तौर पर मांस के साथ बेची जाती है। इसलिए, मांस से अलग की जाने योग्य पशु चर्बी निकालने की संभावना बहुत सीमित है। चूंकि पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं, अत: उत्पादित चर्बी की मात्रा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) व (घ) इस समय मांस से पशु चर्बी को अलग करने की संभावना सीमित तथा देश में पशुओं की रेनेट का उत्पादन नहीं किया जाता है।

रोहिणी आवासी योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि

3195. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना के लिए कुल कितनी भूमि पर निर्माण कार्य किया जाएगा ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, इसके लिए आवश्यक पूरी भूमि का वास्तव में अधिग्रहण कर लिया है और यदि नहीं, तो अभी कितने क्षेत्र का अधिग्रहण शेष है ;

(ग) क्या कुछ भू-स्वामियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उक्त अधिग्रहण के विरुद्ध न्यायालय

से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं, और यदि हां, तो ये स्थगन आदेश कितने क्षेत्र के लिए प्राप्त किए गए हैं ; और

(घ) स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल 2497.03 हेक्टेयर (1627 एकड़) है।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए लगभग 850 हेक्टेयर (2082 एकड़) भूमि अभी अर्जित की जानी है।

(ग) और (घ) बादली गांव के निवासियों ने सिविल रिट याचिका दायर की है तथा 57 रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं। 3-5-1984 को उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 रिट याचिकाओं के रोकादेश समाप्त कर दिए गए हैं जिसमें 142 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। इस भूमि का कब्जा ले लिया गया है तथा अनुमोदित योजना के अनुसार इसका विकास किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शेष मामलों में विभिन्न न्यायालयों के रोकादेशों को समाप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाली आबंटन पर्चियों का जारी किया जाना

3196. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम बिलास पासवान :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आरोप की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाली आबंटन पर्चियां जारी की गई थीं ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ऐसे कुछ आरोप थे।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए ए० एफ० पी० आर० ओ० द्वारा किया गया सर्वेक्षण

3197. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एफ० पी० आर० ओ० नामक एक स्वैच्छिक विकास अभिकरण ने कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के लिए कौन-कौन ने क्षेत्र चुने गए थे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव "स्विश डेवेलपमेंट कार्पोरेशन" को भेज दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) संभाव्यतः यह प्रश्न ए० एफ० पी० आर० ओ० की परियोजना "लिव विद दि फलडस" से सम्बन्धित है, जिसके लिए स्विस विकास निगम सीधे सहायता दे रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए नहीं। परियोजना के बारे में ए० एफ पी० आर० ओ० द्वारा दी गई कुछ सूचना संलग्न है।

विवरण

ए० एफ० पी० आर० ओ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

ए० एफ० पी० आर० ओ० ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अम्बी कछार में बासगांव खण्ड के पांच गांव अर्थात् जमौली खुर्द, जमौली बुर्जुग, थाथोर, गजरी और चतुर भंदुआरी को सर्वेक्षण के लिए चुना है। परियोजना का नाम "लिव विद दि फ़लडस" है।

350 हेक्टेयर के क्षेत्र वाले पांच गांवों (लगभग 10.000 की कुल जनसंख्या) को जहां बाढ़ का प्रकोप होता रहता है, के उपयुक्त उपयोग द्वारा कृषि विकास हेतु चुना गया है।

इस परियोजना के दो तकनीकी घटक हैं। पहला घटक मध्यवर्ती निकास नालियों के निर्माण से सम्बन्धित है, जिसके द्वारा किसानों के खेत पानी से शीघ्र खाली हो जाते हैं। दूसरे घटक का सम्बन्ध भूमिगत पानी का भण्डारण और उथले कुंए लगाकर रबी और जायद की फसलों की सिंचाई में उसके सदुपयोग से है। परियोजना विवरण के अनुसार स्विस विकास निगम से दो वर्षों के दौरान 6.07 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता मिली है। यह धनराशि 1982 में स्वीकृत की गई थी लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन 1983 से शुरू होने की जानकारी मिली है।

आवासी सहकारी समितियों को जमा पूंजी पर ब्याज का भुगतान

3198. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 2 अप्रैल, 1984 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दिल्ली में आवासी सहकारी समितियों की जमा पूंजी पर, अब तक ऐसी समितियों को विवाद रहित भूमि आबंटित नहीं होती है, उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के बारे में कोई फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फ्लैटों का निर्माण

3200. **श्री सूरजभान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** फ्लैटों के निर्माण के बारे में 19 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3582 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी निगमों और सरकारी तौर से संगठित/सहायता प्राप्त अभिकरणों ने विभिन्न आय वर्गों के लिए राज्य-वार कितने मकानों/फ्लैटों/टैनामेन्ट्स का निर्माण किया है ;

(ख) वास्तव में कितने मकानों का आबंटन किया गया है ;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों के लिए कितना आरक्षण किया गया है ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हुडको और जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को आवासीय ऋण प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया आदि पर पुनः विचार किया जाना

3201. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आवासीय ऋण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के हुडको और जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित वर्तमान मानक और प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या स्थानीय निकाय और शहरी विकास सम्बन्धी केन्द्रीय परिषद् की बैठक में राज्य आवास मन्त्रियों ने हुडको और जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया पर पुनः विचार करने की मांग की है ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कुछ राज्यों के कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण मकानों की भी अपनी योजना प्रस्तुत की है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शहरी आवास (कोर तथा स्कैलेट हाउसिंग सहित) प्लाटों के विकास, स्थल तथा सेवा, ग्रामीण आवास, सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास उन्नयन योजना, नगर विकास, कर्मचारियों के लिए आवास, सहकारी आवास आदि के लिए आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, स्थानीय निकायों आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों को आवास तथा नगर विकास निगम विभिन्न ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकारों को विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम के ऋणों का नियतन किया जाता है। ये ऋण योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित प्रत्येक राज्य सरकार के योजना नियतनों के अंग के रूप में है।

(ख) तथा (ग) स्थानीय शासन नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् ने जुलाई, 1984 में हुई अपनी 21वीं बैठक में हुडको के वित्त-पोषण मापदण्डों की संबीक्षा करने की सिफारिश की है। सरकार इस बारे में आगे अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है।

(घ) तथा (ङ) आवास राज्य का विषय है और आवास परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं। अपने अनुमोदित योजना नियतनों के भीतर, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवं अग्रताओं, के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की आवास योजनाएं भी शामिल हैं, का कार्यान्वयन करने में स्वतन्त्र है।

भारत में निर्मित मत्स्य पोतों की खरीद के लिए ऋण

3202. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में निर्मित मत्स्य पोतों की खरीद के लिए भारी राशि के ऋण दे रही है ;

(ख) क्या ऐसे पोतों के मूल्य बहुत अधिक रखे गए हैं ; और

(ग) भारतीय मत्स्य पोतों की वास्तविक लागत की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा ऐसे नौकाओं की लागत किस प्रक्रिया से निर्धारित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जहाजरानी विकास कोष समिति स्वदेश में निर्मित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए जहाज बनाने के कारखानों को देय लागत की 33 प्रतिशत राजसहायता को घटाकर जलयानों की लागत के 95 प्रतिशत तक के ऋण

स्वीकृत करती है। ऋण लेने वाली कम्पनी द्वारा देय ब्याज की दर 6.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ऋणों की अदायगी 15 वर्ष की अवधि में की जाती है जिसमें एक वर्ष के ऋण स्थगन की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग) उद्यमियों द्वारा ऋण के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिए जाते हैं जिनके साथ जहाज बनाने के तीन पंजीकृत कारखानों से प्राप्त दरें संलग्न होती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लागत का विस्तृत ब्यौरा और जलयान सप्लाई करने करने लिए जहाज बनाने के एक विशेष कारखाने के चुनाव के कारण दिए जाते हैं। लागत के औचित्य सम्बन्धी टिप्पणियां जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के जहाज बनाने के प्रसिद्ध कारखानों के तकनीकी विशेषज्ञों से ली जाती है। जहाजरानी विकास कोष समिति से लिए जाने वाले ऋण के आवेदनों पर एक अन्तर्विभागीय जांच समिति विचार करती है और जहाजरानी विकास कोष समिति को उपयुक्त सिफारिश करती है।

कलकत्ता से "खटाल" हटाने के लिए विदेशी सहायता

3203. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैण्ड सरकार कलकत्ता से "खटाल" हटाकर चार चुनी हुई कालोनियों में ले जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ धन अब तक प्राप्त हो गया है ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक 2.45 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(ग) नीदरलैण्ड सरकार ने कलकत्ता और हावड़ा से खटलों को हटाने के लिए 736 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सन्, 1977 में भारत सरकार के साथ एक करार किया था। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1977-78 और 1979-80 के दौरान किया जाना था। भारत सरकार को प्रतिपूर्ति के जरिए नीदरलैण्ड सरकार से अनुदान मिलना था और यह सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव था। इस राशि का उपयोग (i) गंगा नगर (ii) गार्डन रीच (iii) पूर्वी कलकत्ता और हावड़ा में चार प्रस्तावित मवेशी कालोनियों के विकासार्थ निम्नलिखित मदों पर किया जाना था :

(क) भूमि	0.3413 करोड़ रुपये
(ख) अनतर्वर्ती सुविधाओं सहित भूमि विकास और मूलभूत सेवाएं	1.4142 करोड़ रुपये

(ग) मवेशी शेड और अनुषांगिक संरचनाएं 3.6246 करोड़ रुपये

(घ) दुग्ध उपयोगी करण एवं उपकरणों का रख रखाव 1.9800 करोड़ रुपये

योजना की अन्य मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) 10,000 दुधारु पशुओं और 4,000 बछड़ों को गंगानगर, गार्डन रीच, पूर्वी कलकत्ता और हावड़ा स्थित 4 नए स्थलों में ले जाना है ।

(ii) योजना के अन्तर्गत हटाए गए पशुओं के मालिकों को पश्चिम बंगाल सरकार की बृहत कलकत्ता दुग्धपूर्ति योजना को 4.31 रुपये प्रति किलोग्राम दूध की औसतन कीमत पर जिसमें 7% वसा और 9.25% एम० एस० एन० एफ० शामिल है, कुछ दूध की सप्लाई करनी होती है। मालिकों को कुछ दूध का अदेय था बेचने की स्वतन्त्ता दी गई है ।

(iii) गंगानगर स्थल पर फिलहाल जहां कुछ पशु ठहरे हुए हैं, पशुओं के मालिकों से एक बड़े पशु का एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से शेड का किराया लिया लिया जाता है (6 माह से कम आयु के बछड़ों को मुफ्त रखा जाता है) इस प्रभार के बदले में, दूधियों को आवास, बिजली, पानी, भूसी-चोकर की सुविधा, पशु-चिकित्सा और रहने के लिए आवास मुफ्त मुहैया की जाती हैं ।

भारत में ओलम्पिक खेलों के टिकटों की मुनाफे पर बिक्री

3204. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि बम्बई तथा देश के अन्य शहरों में ओलम्पिक खेलों के टिकटों के एकमात्र एजेन्टों द्वारा टिकटों की बिक्री वास्तविक से बहुत अधिक मूल्य लेकर की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) सरकार ने इसके लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) ओलम्पिक" 84 के टिकटों की काला-बाजारी के बारे में कोई विशेष शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छठी योजना में समेकित लघु और मंझौले नगर विकास परियोजनाओं की असफलता

3205. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित लघु और मझौली नगर विकास परियोजनाओं ने छठी योजना में कोई प्रगति नहीं की है जिससे बड़े नगरों में घनी आबादी हो गयी है जिससे लोगों के रहन-सहन के स्तर में गिरावट आ गयी है ; और

(ख) छोटे नगरों को उपेक्षा से बचाने, सक्षम आर्थिक आधार प्रदान करने और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में संशोधन करने और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना ने कुछ प्रगति की है, क्योंकि निवेश प्रति नगर सीमित है, बड़े नगरों की जीवन कोटि पर प्रभाव बोधगम्य नहीं है।

(ख) केन्द्रीय ऋण सहायता भू-अर्जन, स्थल तथा सेवा, आश्रय में सहयोग देने के लिए यातायात तथा परिवहन, सड़क सुधार, मार्केट तथा मण्डियों के विकास, औद्योगिक सम्पदाओं की व्यवस्था, बूचड़-खानों के सुधार, कम लागत सफाई योजनाओं आदि के लिए दी जाती है। राज्य क्षेत्र घटकों के अन्तर्गत, राज्य सरकारें मलिनबस्ती सुधार/उन्नयन, नगरीय नवीकरण, जलपूर्ति, सीवरेज, नाली तथा सफाई, निवारक चिकित्सीय सुविधाओं, स्वास्थ्य रक्षा पार्कों, खेल मैदानों आदि के लिए निधियां देती है। केन्द्र तथा राज्य घटकों के अन्तर्गत प्राप्त दोनों प्रकार की निधियों का उपयोग करने तथा योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के अनुरक्षण की राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है।

उर्वरकों का आयात

3206. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

श्री छीतूभाई गामित :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों की कमी को देखते हुए विदेशों से इनका आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने उर्वरकों का आयात किया गया और उनका आयात मूल्य कितना था ; और

(घ) वे देश में किसानों को किस मूल्य पर बेचे गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) पिछले वर्षों की तरह चालू वर्ष के दौरान भी कृषि सम्बन्धी जरूरतों और देशी उत्पादन तथा वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध स्टाक के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जा रहा है। आयात की जाने वाली मात्रा का ब्यौरा बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए उर्वरकों की कुल मात्रा नीचे दी गई है—

वर्ष	पोषक तत्वों की लाख मीटरी टनों में मात्रा
1981-82	20.41
1982.84	11.32
1983-84	13.55

पिछले 3 वर्षों के दौरान उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मांग और आपूर्ति की स्थिति के मुताबिक एक देश से दूसरे में समय-समय पर भिन्न-भिन्न रहे।

(घ) भारत में आयातित तथा देशी उर्वरकों दोनों के फुटकर बिक्री मूल्य एक समान हैं तथा सम्बन्धित वर्ष के अन्त में प्रमुख उर्वरकों के मूल्य इस प्रकार रहे :

वर्ष	बिक्री मूल्य (रु० प्रति मीटरी टन)		
	यूरिया	डाई-अमोनिया फास्फेट	म्यूरिएट आफ पोटाश
1981-82	2350	3600	1300
1982-83	2350	3600	1300
1983-84	2150	3350	1200

भारतीय मानक संस्थान का प्रमाण-पत्र प्राप्त वस्तुएं

3207. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान उस संस्थान की जांच और प्रमाणीकरण आई० एस० आई० मानदण्ड के लिए कितनी वस्तुएं प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी वस्तुओं को प्रमाण-पत्र देने के योग्य पाया गया था ;

(ख) क्या इस संस्थान में यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और प्रत्येक मामले में देर की जाती है, यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ; और

(घ) देश में कौन-सा राज्य इस संस्थान को प्रमाणीकरण के लिए सबसे अधिक वस्तुएं भेजता है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नांकित विवरण में दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त हुए नये आवेदन	प्रदान किए गए नए लाइसेंस	कितने नये उत्पाद इनके अन्तर्गत लाये गए हैं
1981-82	2089	1007	36
1982-83	2013	1151	33
1983-84	1956	1260	40

(ख) जी, नहीं। लाइसेन्स प्रदान करने में यदि कोई विलम्ब होता है तो वह सामान्यतया इन कारणों से होता है :—

(1) प्रारम्भिक नमूनों का खराब निकल जाना ;

(2) आवेदक के पास परीक्षण की अपेक्षित सुविधाओं का अभाव होना, तथा

(3) आवेदक के पास दक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए कार्मिकों का अभाव होना।

(ग) भारतीय मानक संस्था ने पहले से ही देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में शाखा तथा निरीक्षण कार्यालय मौजूद हैं। नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत लागू लाइसेन्सों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र राज्य में है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटन

3208. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को 15 अगस्त, 1983 से आज तक, कितनी धनराशि दी गई है और प्रत्येक राज्य में अर्जित की गई स्थायी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को 15 अगस्त, 1983 से अब तक बंटित धनराशि को विवरण-1 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, 1984-85 की पहली दो तिमाहियों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के लिए अग्रिम आबंटन हेतु आर्थिक सहायता के बंटन को विवरण-2 में दर्शाया गया है। चूंकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन 15 अगस्त, 1983 से आरम्भ किया गया है, इसीलिए प्रत्येक राज्य के सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1983 से अगस्त, 1984 तक प्रत्येक राज्य को बंटित धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	बंटित धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2967.50
2.	असम	413.69
3.	बिहार	4271.00
4.	गुजरात	821.88
5.	हरियाणा	84.00
6.	हिमाचल प्रदेश	180.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	225.00
8.	कर्नाटक	1408.50
9.	केरल	1408.50
10.	मध्य प्रदेश	2359.625
11.	महाराष्ट्र	2368.00
12.	मणिपुर	11.00

1	2	3
13.	मेघालय	15.00
14.	नागालैंड	10.00
15.	उड़ीसा	1348.50
16.	पंजाब	210.32
17 .	राजस्थान	719.00
18.	सिक्किम	8.00
19.	तमिलनाडु	2667.50
20.	त्रिपुरा	45.49
21.	उत्तर प्रदेश	5110.50
22.	पश्चिम बंगाल	2308.30
	योग :—	रु० 28961.305 लाख

विवरण-2

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के लिए अग्रिम आबंटन हेतु आर्थिक सहायता

(3-8-84 तक की स्थिति)

क्र० सं०	राज्य का नाम	बंटित धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	47,02,500
2.	असम	12,82,500
3.	बिहार	77,53,350
4.	गुजरात	16,44,650

1	2	3
5.	हरियाणा	2,99,700
6.	हिमाचल प्रदेश	3,36,700
7.	जम्मू तथा कश्मीर	3,57,200
8.	कर्नाटक	34,35,200
9.	केरल	12,32,500
10.	महाराष्ट्र	60,90,200
11.	मणिपुर	53,200
12.	मेघालय	89,300
13.	नागालैंड	47,500
14.	उड़ीसा	35,62,500
15.	राजस्थान	12,33,950
16.	तमिलनाडु	60,40,100
17.	त्रिपुरा	1,95,700
18.	उत्तर प्रदेश	90,11,350
19.	पश्चिम बंगाल	59,34,800
	योग :—	रु० 5,95,45,300

अनुषंगी सेवा प्रभारों सम्बन्धी लोकुर समिति की सिफारिशें

3209. **श्री कमल नाथ**: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस विषय के सम्बन्ध में कि अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रभार नागरिक प्राधिकरणों द्वारा वहन किए जाएं या भूमि खरीदने वाली सोसाइटियों से वसूल किए जाएं लोकुर समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण ने

दक्षिणी दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण कालोनियों के मामले अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और क्या इसको कोई प्रभार वहां पर प्लाटों के आबंटितियों से लिया गया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रासंगिक सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

सहकारी गृह निर्माण समिति जांच समिति (लोकुर समिति) की रिपोर्ट की सिफारिशें

(xxvii) केन्द्रीय ऊपरी स्टोरेज टैंक, परिधीय सेवाओं, विद्युतीकरण तथा सड़क प्रकाश की व्यवस्था में सहयोग हेतु समितियों से की गई मांगों की वैधता का प्रश्न भारत के महाधिवक्ता को उसके मत के लिए भेजा जाना चाहिए ।

(xxviii) परिधीय सेवाओं, केन्द्रीय ऊपरी टैंकों, विद्युतीकरण तथा सड़क प्रकाश के त्वरित निष्पादन के हित में समूह iv की समितियों को शीघ्र ही दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा मांगी गई राशियां जमा कर देनी चाहिए । ऐसी जमा राशि इन मांगों की कानूनी वैधता के भारत के महाधिवक्ता के स्पष्टीकरण की शर्त पर होगी। समय-समय पर इस प्रकार प्राप्त राशियां प्राधिकरणों द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के निष्पादन के प्रति उपयोग में लाई जानी चाहिए ।

निर्माण विहार/प्रीत विहार के लिए अनुषंगी सेवाएं

3210. **श्री कमल नाथ : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण विहार में क्या आनुषंगकीय सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उसकी अनुमानित लागत क्या है और सोसायटी/प्लाट मालिकों से कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) क्या प्रीत विहार में प्लाटों के आबंटियों से अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई वसूली की गई है और दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उस कालोकी में बया सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्माण विहार में सड़कों की परिधीय सेवाएं, जलपूर्ति, बरसाती पानी की नालियां और सीवर लाइनों की व्यवस्था की है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह कार्य मिश्रित योजना के रूप में शुरू किया था जिसमें 42 सहकारी गृह निर्माण समितियां शामिल हैं और इसलिए निर्माण विहार के लिए इस कार्य का कोई पृथक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने निर्माण विहार के बारे में

2.07 लाख रुपये की राशि आम सीवर लाइनों के लिए अनुपातिक प्रभार के रूप में और 0.81 लाख रुपये केन्द्रीय ऊपरि टैंक के लिए अनुपातिक प्रभार के रूप में वसूल किया था।

(ख) प्रीत विहार में प्लाटों के आबंटियों से परिधीय प्रभार (प्लाट के क्षेत्रफल का 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर वसूल किए जा रहे हैं। निर्माण विहार के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसी प्रकार की परिधीय सेवाएं प्रदान कर दी हैं। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति एवं मल-व्ययन संस्थान द्वारा प्रीत विहार समिति से आम सीवर की अनुपातिक लागत के रूप में 2.52 लाख रुपये की राशि भी वसूल की गई थी।

निर्माण विहार, दिल्ली में दिल्ली नगर निगम की सफाई और गन्दे पानी की निकासी में कार्य को सम्भालने में कठिनाई

3211. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की निर्माण विहार कालोनी में सड़कें बनाने और गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाने की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तत्सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम को इस कालोनी में सफाई और गन्दे पानी की निकासी का कार्य अपने हाथ में लेने का निर्णय होने तक इस कालोनी में उक्त सेवाएं शुरू करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सभी सेवाओं नामतः सड़कें, बरसाती पानी की नालियां, जलपूर्ति, मलनिर्यास, सड़कों की लाइट, पार्क तथा खुले स्थान का अनुरक्षण आवेदक समिति द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके द्वारा साथ-साथ किया जाता है। उन्होंने आगे यह भी सूचित किया है कि इस समिति ने अभी तक इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित नक्शे/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

निर्माण आवास और पूर्ति मंत्रालय की सहकारी आवास निर्माण समिति द्वारा अपना पैसा वापिस मांगा जाना

3212. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की सहकारी आवास निर्माण समिति ने अपनी उस धनराशि के वापिस किए जाने की मांग की है जो उसने पश्चिमी दिल्ली के शंकरपुर क्षेत्र में भूमि के लिए अदा की थी जो उसे आबंटित तो की थी परन्तु अभी तक उन्हें उसका कब्जा नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि वापिस किए जाने का दावा किया गया है और उक्त दावे पर क्या कार्रवाई की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) निर्माण आवास तथा पूर्ति गृह निर्माण समिति को 222 बीघा तथा 4 विस्वा भूमि आबंटित की गई थी। जिसमें से इसे 203 बीघा 13 विस्वा भूमि का कब्जा दिया गया। शेष भूमि जिस पर या तो अतिक्रमण था या दिल्ली नगर निगम की थी, को इस समिति को नहीं सौंपा जा सका।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शेष भूमि प्राथमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य उपयोगी सेवाओं जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए थी और इसलिए इसे अन्ततः दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापस सौंपा जाना है। इसलिए प्राधिकरण यह मानता है कि समिति द्वारा कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

निर्माण और आवास मंत्रालय ने भूमि की लागत के तथा उस पर ब्याज के लिए 3,57,299 रुपए को वापस लेने का दावा किया है।

हरियाणा को ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु धनराशि का आबंटन

3213. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक (वर्ष-वार) हरियाणा को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ; और

(ख) हरियाणा में उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की गयी विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) व (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण **अनुबन्ध-1**

कार्यक्रम/वर्ष	राज्य के अंश सहित आबंटित धनराशि (लाख रुपए में)	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या लाख में/ सृजित रोजगार श्रम दिन लाख में
1	2	3
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या लाख में**
1980-81	435.00	0.48
1981-82	672.00	0.80
1982-83	696.00	1.59
1983-84	744.00	1.00
1984-85	744.00	0.01 (जून, 1984 तक)

1	2	3
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		**सृजित रोजगार श्रम दिन (लाख)**
1980-81	425.25	257.17
1981-82	320.00	44.22
1982-83	320.00	16.12
1983-84	340.00	16.75
1984-85	392.00	3.05 (जून, 1984 तक)
सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम		
1980-81	195.00	अनुबंध-1 के अनुसार
1981-82	195.00	
1982-83	155.00	
1983-84	135.00	
1984-85	135.00	
मरु भूमि विकास कार्यक्रम		
1980-81	307.62	
1981-82	307.62	
1682-83	230.00	अनुबंध-2 के अनुसार
1983-84	230.00	
1984-85	230.00	
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		
1983-84	84.00	0.006
1984-85	420.00	1.070 (जून 1984 तक)

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के मुख्य सूचक

राज्य :—हरियाणा

जिला एजेंसी/राज्य	भूमि तथा नमी संरक्षण (हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता का सृजन (लघु सिंचाई) (हेक्टेयर)	वन रोपण तथा चरागाह (हेक्टेयर)	स्थापित दुग्ध सोसाइटियां (संख्या	स्थापित भेड़ सोसाइटियां (संख्या)	लाभार्थियों की संख्या (अर्थात् सहायता प्राप्त परिवार)			सृजित रोजगार (000 श्रम दिन)	
						कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	लघु तथा सीमांत कृषक	
1980-81	500	76	2165	17	154	222380	95109	—	132445	158
1981-82	400	1646	3100	—	—	105008	66647	—	40071	277
1982-83 (अ)	—	1100	3289	—	—	23534	14461	—	9073	112
1983-84 (अ)	—	95	2100	—	—	13902	8284	—	5618	92

अ-अनन्तिम

मरुभूमि विकास कार्यक्रम अनुबन्ध-2

1980-81 से 1983-84 तक वास्तविक उपलब्धियों के मुख्य सूचक

राज्य*: हरियाणा	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अ)
1	2	3	4	5
1. वन रोपण				
(1) वृक्षारोपण (हेक्टेयर) (इसमें सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, चरागाह विकास, ईंधन तथा चोर के लिए वृक्षारोपण भी शामिल है,	819	1068	3222	1516
(2) छायादार वृक्षावली (शेल्टर बैल्ट) (किलोमीटर)	4692	3823	4051	5985
(3) रेत के टीले जमाना (हेक्टेयर)	108	470	1523	800
2. सृजित सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	—	—	—	—
3. (क) जल प्रयोजन ढांचों का निर्माण (संख्या)	—	—	—	—
(ख) खंदियों का निर्माण (संख्या)	—	—	—	—
4. ग्रामीण विद्युतीकरण :				
(1) बिजली के ट्यूववैल पम्प (सं०)	—	117	—	50
(2) ग्राम विद्युतीकरण (संख्या)	—	—	—	—
5. कृषि :				
(1) भूमि सर्वेक्षण (हेक्टेयर)	—	—	—	—
(2) भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	100	—	—	—
(3) वाटर शेड बनाना (हेक्टेयर)	—	—	—	—
6. पशु पालन :				
(1) नए पशु चिकित्सालय/केन्द्र (सं०)	1	—	1	2

1	2	3	4	5
(2) नए स्थापित ऊन विस्तार केंद्र (संख्या)	—	—	10	6
(3) नए स्थापित दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्र/सहकारी सोसायटियां (सं०)	219	60	—	—
(4) नई स्थापित भेड़ प्रजनन सहकारी सोसायटियां (संख्या)	—	—	—	1
(5) कृत्रिम गर्भाधान वाली की गायों की संख्या (संख्या)	—	—	—	—
(6) संकर नस्ल के उत्पन्न/वितरित मेमनों की संख्या	—	—	—	—
(7) सृजित रोजगार (000" श्रम दिन)	913	642	695	541

अ-अनन्तिम

देश के तटवर्ती गांवों को पेयजल की पूर्ति

3214. **श्री ए० नीलालोहितवसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश के तटवर्ती गांवों को पेयजल की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल के कुछ तटवर्ती गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें तटीय ग्रामों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने की योजनाएं बनाती तथा निष्पादित करती हैं। केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित समस्याग्रस्त ग्रामों (1-4-1984 को) लाभान्वित करने के लिए अनुदान देकर राज्यों के संसाधनों की पूर्ति करती है। सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था को प्रधानमंत्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र नं० 8 के रूप में शामिल किया गया है तथा 31-3-1985 तक ऐसे सभी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया किए जाने की सम्भावना है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1407.11 करोड़ रुपए

का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 541.44 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान राज्य सरकारों को 66.11 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था।

चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने के लिए त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत 242.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से 166.29 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही दे दी गई है।

1-4-80 को 2,30,784 समस्याग्रस्त ग्रामों में से जून, 1984 तक 1,58,024 ग्राम लाभान्वित कर दिए गए हैं।

तटीय क्षेत्रों के लिए अनुदान पृथक् से उद्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। तथापि, लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों में तटीय क्षेत्रों के समस्याग्रस्त ग्राम भी शामिल हैं।

(ख) तथा (ग) अगस्त, 1983 में केरल सरकार ने ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय को विशेष सहायता हेतु एक ज्ञापन दिया था। इसमें केरल के तटीय क्षेत्रों के ग्रामों को पेयजल मुहैया करने की निम्नलिखित पांच योजनाएं शामिल थी :—

	(लागत करोड़ रुपयों में)
(I) नजरक्कल तथा प्रतिवेशी पंचायतों की जलपूर्ति योजना	13.41
(II) कदंगोडे तथा प्रतिवेशी पंचायतों के लिए जलपूर्ति योजना	12.87
(III) अन्थीकाड तथा प्रतिवेशी पंचायतों के लिए जलपूर्ति योजना	4.32
(IV) चेलानूर तथा प्रतिवेशी पंचायतों के लिए जलपूर्ति योजना	4.32
(V) कंजीकुजी तथा प्रतिवेशी पंचायतों के लिए जलपूर्ति योजना	13.02
	47.94

उपर्युक्त पांचों परियोजनाएं इस मंत्रालय द्वारा 1984-85 के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ई० ई० सी० सहायतार्थ प्रत्याशी परियोजनाओं में शामिल करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को संस्तुत की थीं। इसे पुनः 1985-86 ई० ई० सी० सहायतार्थ प्रत्याशी परियोजनाओं की सूची में शामिल करने

के लिए संस्तुत किया जाएगा। तथापि, इन परियोजनाओं के समावेशन पर विचार योजना आयोग द्वारा धन की दृष्टि से सहमति देने तथा 7वीं योजना में उनके शामिल कर लिए जाने के बाद ही हो सकता है। उपर्युक्त पांच परियोजनाओं के अतिरिक्त, केरल सरकार ने फरवरी, 84 में नौ और परियोजना विचार भी तटीय क्षेत्रों में पेयजल कुछ क्षेत्रों में सीवरेज मुहैया करने के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान विदेशी सहायतार्थ चर्चा करने के लिए प्रेषित की है। क्योंकि इन परियोजनाओं के बारे में कोई पूर्ण तारीख नहीं दी गई है, कुछ अतिरिक्त सूचना राज्य सरकार से मांगी जा रही है।

देश में पेयजल की कमी

3215. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में पेयजल की कमी महसूस की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा और उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ;

(घ) क्या यह योजना उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित होगी और यदि हां, तो सरकार का विचार पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1980 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 2,30,774 ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में चुना गया था। इनमें से 30-6-1984 तक 1,58,024 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया कराया गया है। 72,760 समस्याग्रस्त ग्रामों को अभी लाभान्वित करना शेष है।

(ख) प्रधान मन्त्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 8 के अन्तर्गत सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को 31-3-1985 तक लाभान्वित किया जाना है।

(ग) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में उपलब्ध किए गये 1407.11 करोड़ रु० के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान केंद्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 541.44 करोड़ रु० की राशि दी गई थी। चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 240.00 करोड़ रु० की राशि का नियतन किया गया है। इस नियतन में से 166.29 करोड़ रु० की राशि पहले ही दे दी गई है।

प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निष्पादन के आधार पर 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 66.11 करोड़ रु० दे दिए गये हैं। 1984-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण जनसंख्या का 53.2 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आशा है।

(घ) तथा (ङ) समस्याग्रस्त ग्रामों को 31-3-85 तक पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया कराने की योजना उत्तरप्रदेश में भी कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार 28,505 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 30 जून, 1984 तक 20,406 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किया गया है।

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम/प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्यों को सभी समुदायों के उपयोग के लिए अनुसूचित जाति की कालोनियों में पानी के नए स्रोत मुहैया कराने की सलाह दी है, यदि ऐसा करना तकनीकी तथा युक्ति-युक्त रूप से व्यवहारिक हो।

ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए गए ग्रामों तथा क्षेत्रों के नाम राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होंगे।

गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत स्थाई पट्टे के आधार पर मकानों का आबंटन

3216. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत राजधानी में स्थाई पट्टे के आधार पर मकान आबंटित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार इस योजना का विस्तार देश के अन्य भागों में करने पर विचार करेगी ;

(ग) यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली में इस प्रकार के कितने मकान हैं और इन मकानों का आबंटन किस प्रकार किया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (घ) दिल्ली में निर्मित टेनामेंटों के आबंटतियों/कब्जेदारों को पट्टाधिकार हकूक देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 39 कालोनियों में लगभग 18,000 मलिन बस्ती फ्लैट हैं। इन फ्लैटों का स्वामित्वाधिकार कब्जेदारों को वार्षिक आर्थिक किराए के 20 गुने के बराबर प्रीमियम अदा कर देने पर दिया जाना है।

(ख) तथा (ग) मलिन बस्ती सुधार राज्य का विषय है। देश के अन्य भागों में मलिन बस्ती वासियों को समकक्ष अधिकार देने का प्रश्न प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार तय किया जाना है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की कालोनियों के सुधार के लिए विस्तृत योजना

3217. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में सुधार करने के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में भी ऐसी योजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दतिया "कैरियर" नहर परियोजना

3218. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया "कैरियर" नहर परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने दतिया "कैरियर" नहर के संरेखण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए दोनों राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रहा है जिसके बाद इस मामले को निपटाने के लिए मन्त्री स्तर की बैठक के बारे में विचार किया जाएगा।

संसद् सदस्यों के लिए डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों का पंजीकरण और आबंटन

3219. **श्री भीखाभाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या है जिन्होंने 1980 से फ्लैटों के आबंटन के लिए अपने नाम डी० डी० ए० में पंजीकृत कराए हैं ;

(ख) उन संसद् सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिनके नाम पंजीकृत किए गए और जिन्हें वर्षवार आज तक फ्लैट आबंटित किए गए हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के आबंटियों के नाम क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन संसद् सदस्यों के विवरण देने सम्भव नहीं हैं जिन्होंने 1980 से अपने नाम पंजीकृत कराए हैं, क्योंकि उनके द्वारा अलग से कोई पंजीकरण रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद् सदस्यों सहित उन 20 संसद् सदस्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट नियतित किए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	संसद् सदस्य का नाम	आबंटन का वर्ष	वर्ग	आबंटित कालोनी	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगजीत सिंह आनन्द	1981	II	मुनीरक	
2.	श्री मोहम्मद युनुस सलीम	1980	II	—वही—	
3.	श्री सतीश अग्रवाल	1983	II	ईस्ट आफ कैलाश	
4.	श्री के० पी० मल्लिकार्जुन	1983	II	बसन्त बिहार	
5.	कुमारी असरारूहक	1984	II	सुखदेव विहार	
6.	श्री हरीश कुमार गंगवार	1983	III	बसन्त कुन्ज	
7.	श्री धर्मचन्द्र जैन	—वही—	III	ईस्ट आफ कैलाश	
8.	श्रीमती कन्नाकम्मा	—वही—	III	शालीमार बाग	
9.	श्री रतन लाल किशोरी लाल	—वही—	III	बसन्त बिहार	
10.	श्री किशन चन्द पाण्डे	—वही—	III	सरिता बिहार	
11.	श्री आर० एल० पी० वर्मा	—वही—	III	मोतियाखान	
12.	श्री सैयद शहाबुद्दी	—वही—	III	सरिता विहार	

1	2	3	4	5	6
13.	श्री एस० एस० रामचन्द्रन	—वही—	III	बसन्त कुन्ज	
14.	श्री छिगवाज कनायक	—वही—	III	—वही—	हां
15.	श्री के. वी. आर. एस. सुब्बाराव	—वही—	III	—वही—	
16.	श्री बारी रामचन्द्र राव	—वही—	III	सरिता विहार	
17.	श्री अरुण कुमार नेहरू	—वही—	III	बसन्त कुन्ज	
18.	श्रीमती माग्रेट अलुवा	1984	III	मोतियाखान	
19.	श्री हरी सिंह नलुआ	—वही—	III	बसन्त कुन्ज	
20.	श्री प्रताप भानु शर्मा	—वही—	III	—वही—	
21.	श्री चन्द्र शेखर सिंह	—वही—	III	—वही—	
22.	श्री दयाराम शाक्य	—वही—	III	—वही—	
23.	श्रीमती मनोरंजन कौर	—वही—	III	—वही—	
24.	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	—वही—	III	—वही—	
25.	श्री जे० के० जैन	—वही—	III	—वही—	
26.	श्री दीन बन्धु वर्मा	—वही—	III	—वही—	
27.	श्री मनोरंजन भक्त	—वही—	III	—वही—	
28.	श्री तायब हुसैन	—वही—	III	—वही—	
29.	श्री जी० सी० भट्टाचार्य	—वही—	III	—वही—	

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक शेडों का आबंटन

3220. **श्री भीखाभाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास औद्योगिक शेडों के लिए वर्ष 1980 से अब तक संसद् सदस्यों सहित कितने लोगों ने आवेदन भेजे तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन आबंटियों का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन आबंटियों में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके पास कोई फ्लैटिड औद्योगिक शेड नहीं है। अत: इस विषय में व्यक्तियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते ।

मछली का उत्पादन और निर्यात

3221. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मन्त्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में कुल कितनी मात्रा में मछली का उत्पादन हुआ था और उस वर्ष कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया था ;

(ख) वर्ष 1978 से 1983 के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में मछली का उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था ; और

(ग) मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

लद्दाख क्षेत्र में चांगथांग के प्राकृतिक विपदा के पीड़तों को राहत का भुगतान

3222. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के विवेक पर उपयोग हेतु रखे गए 130 लाख रु० की मार्जिन राशि का उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्राकृतिक विपदाओं के समय तुरन्त राहत उपाय करने के लिए था ;

(ख) क्या लद्दाख के चांग थांग क्षेत्र में नवम्बर, 1981 में हुए भारी हिमपात के पीड़ितों को अभी तक राहत का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार, राज्य सरकार से प्राकृतिक विपदा से पीड़ित थांग कबीलों को तुरन्त राहत भुगतान करने के मामले में बातचीत करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विवरण

मद	एकक	वर्ष						
		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
(क) मछली उत्पादन	(लाख मीटरी टन में)	23.11	23.06	23.40	24.42	24.44	23.35 (पी)	25.18 (ई)
(ख) निर्यात								
(1) मात्रा	(मीटरी टन में)	64964	77946	92184	74542	75375	75136	86169
(2) अर्जित विदेशी मुद्रा	(करोड़ रुपये में)	179.74	212.16	262.03	218.88	286.71	342.24	362.32

पी : अस्थायी

ई : अनुमानित

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) बार-बार स्मरण कराने के बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1 नवम्बर, 1983 को भेजे गए एक ज्ञापन में सूचना दी है कि राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों अर्थात 1979-80 से 1981-82 की मार्जिन धनराशि में से खर्चे में न में लाई गई 135 लाख रु० की धनराशि बकाया है।

(ख) चांगथांग क्षेत्र में सहायता पहुंचाने हेतु सहायता के लिए जून, 1982 में अनुरोध प्राप्त हुआ था, अत: राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे अपने पास उपलब्ध मार्जिन धनराशि में से खर्च को पूरा कर लें।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और(ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह मामला अब राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है क्योंकि राहत सम्बन्धी व्यवस्था करना राज्य का विषय है।

बम्बई में अस्थाई मकानों में रहने वालों को मुआवजा

3224. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कई केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों की भूमि है जहां पर गन्दी बस्तियां बनी हुई हैं ;

(ख) इन गन्दी बस्तियों और जिन सरकारी एजेन्सियों का इस भूमि पर दावा है, का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अस्थाई मकानों (हटमेन्ट्स) में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अस्थाई मकान जब हटाया गया तो उसे कितना मुआवजा दिया गया ;

(घ) क्या उन्हें कोई वैकल्पिक स्थल दिया जाता है ;

(ङ) क्या इमारती सामान की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे की राशि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है ; और

(च) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभागों की भूमि पर बने हटमेन्टों का विवरण निम्नलिखित है :—

	हैटमेन्टों की संख्या
1. वायुसेना	7,267
2. नौ सेना	1,422
3. थल सेना	3,169

	हैटमेंटों की संख्या
4. नागर विमानन	1,369
5. आई० ए० ए० आई०	13,446
6. पश्चिमी रेलवे	1,693
7. मध्य रेलवे	6,794
8. परमाणु ऊर्जा	609
9. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	425
10. बम्बई पतन न्यास	2,492
11. बम्बई टेलीफोन	748
12. आई० आई० टी० (पीवाई)	17
13. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान	139
योग	42,000

(ग) सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा प्रति परिवार 2,500 रु० का भुगतान किया जाता है।

(घ) जब प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित होती है तो हैटमेन्ट निवासियों को वैकल्पिक वास दिया जाता है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार ने अनुदान राशि को प्रति परिवार 2,900 रु० तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति

3225. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने उड़ीसा की नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और योजना आयोग ने भी उन परियोजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं, उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी तथा उनकी सिंचाई क्षमता कितनी होगी ;

(ग) उड़ीसा सरकार ने उनमें से कितनी परियोजनाओं का कार्य छठी योजना की परियोजना के रूप में आरम्भ कर दिया है ; तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के आरम्भ के समय से वर्ष 1984-85 तक के लिए परियोजना-वार उनके लिए कितनी धनराशि दी है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) उड़ीसा की नई सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा विवरण जिन्हें छठी योजना अवधि में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया और जिनको योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है देने वाली अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस विवरण में मार्च, 1984 तक किए गए व्यय एवं 1984-85 वर्ष के वास्ते प्रस्तावित परिव्यय के साथ छठी योजना में क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई परियोजनाएं भी दी गई हैं।

विवरण

(हजार हैक्टेयर/करोड़ रु०)

परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता	मार्च 84 तक प्रत्याशित संचयी व्यय	84-85 के लिय योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किया गया परिव्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
(क) बृहद स्कीम					
1. सामकोई	40.00	18.40	0.98	—	परियोजना को तकनीकी रूप से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु योजना आयोग की सलाहकारी समिति द्वारा कुछ प्रेक्षण किए गए हैं जिनकी स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन से पूर्व राज्य द्वारा अनुपालना की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
2. स्वर्णरेखा (उड़ीसा)	391.41	136.82	3.59	10.00	—तदैव—
(ख) मध्यम स्कीम					
1. बंकावल*	15.53	7.31	2.78	2.00	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा जून, 1980 में अनुमोदित।
2. बड़ानाला	25.89	12.25	1.84	1.18	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा जनवरी, 1981 में अनुमोदित।
3. कन्सवहल	13.01	7.24	0.68	0.02	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1981 में अनुमोदित।
4. अपर जोंक	21.01	11.70	1.02	1+1	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1981 में अनुमोदित।
5. देव सिंचाई	19.45	15.646	—	—	परियोजना को तकनीकी रूप से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। परन्तु योजना आयोग की सलाहकारी समिति द्वारा कुछ प्रेक्षण किए गए हैं जिनकी स्कीम को योजना आयोग द्वारा

1	2	3	4	5	6
					अनुमोदन से पूर्व राज्य द्वारा अनुपालना की रही है।
6. तितलीगढ़	4.07	2.95	—	—	—तदैव—
7. वघलाटी	7.37	3.675	—	—	—तदैव—

• केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यह परियोजना छठी योजना के आरम्भ होने से पूर्व ही तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई थी।

(ख) बशर्ते कि निधियां उपलब्ध रहें।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को हुआ घाटा

3226. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को गत तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) वर्ष 1981-83 के राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के लेखा-परीक्षित लेखा-विवरणों के अनुसार, इन वर्षों के दौरान इसे कोई हानि नहीं हुई है। वर्ष 1983-84 के लेखे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य

3227. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर कितने वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा है ;

(ख) उक्त संस्थान द्वारा प्राप्त की गई विशेष उपलब्धियों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) रेगिस्तानी क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने और किसानों को समृद्ध बनाने में इन उपलब्धियों का क्या योगदान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस संस्थान की स्थापना सन 1959 में भूतपूर्व मरुभूमि वनरोपण मृदा संरक्षण केन्द्र का पुनर्गठन करके की गई थी।

(ख) केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने मरु बागवानी, पनाह-पट्टी की स्थापना बालू टीबा स्थिरीकरण, वनरोपण और पेड़ लगाना, फसल उत्पादन को सुधारना और स्थिर करना, वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा उपयोग, कृषि में लवणीय जल का उपयोग, कृतक कीट नियंत्रण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।

(ग) बेहतर भूमि उपयोग आयोजन और इसके प्रबन्ध को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान सस्थान ने 93,500 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पर बहुशाखीय समाकलित प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

अभी तक वन वृक्षों की 4,80,460 से अधिक पौदें, बेर के 22,900 कलमी पौधे और वृक्ष प्रजातियों का 18.07 टन बीज तथा घास प्रजातियों का 36,06 टन बीज राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के किसानों तथा विकास विभागों को वितरण किया जा चुका है।

केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने 1000 हैक्टर क्षेत्र पर बालू टीबा स्थिरीकरण प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया है।

मार्गों के किनारे पेड़ लगाने की तकनीकों का भी विकास किया गया और इन्हें मानकीकृत किया गया है। इस तकनीक का पालन करते हुए केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने वृक्षविथि तथा बाड़ों के रूप में 200 कि० मी० के मार्गों के किनारों पर पेड़ लगाये हैं तथा उन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया है।

पनाह पट्टियों और बाड़ों को बढ़ाने की तकनीकों का विकास किया गया तथा इन्हें मानकीकृत किया गया। इस तकनीक का पालन करते हुए केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने फसलों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय यांत्रिकृत फार्म, सूरतगढ़ में पता लगाई गई उपयुक्त प्रजातियों से 95 कि० मी० क्षेत्र पर पनाह पट्टियों की स्थापना की है।

केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्पादित प्रौद्योगिकी का अन्य कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से भी उपयोग किया जा रहा है।

राजस्थान के रेगिस्तान के विकास के लिए राज्य सरकार ने भी एक रेगिस्तान विकास बोर्ड तथा एक पृथक् रेगिस्तान वनरोपण और चरागाह विकास विभाग की स्थापना की है। केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सुधरी प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए संस्थान राज्य विभागों के साथ घनिष्ठ संबन्ध बनाये हुए हैं।

उचित दर दुकानों के माध्यम से बेचा गया कंट्रोल कपड़ा

3228. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (अब तक) के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए कितना कपड़ा उपलब्ध कराया गया, किस-किस एजेन्सी से कितना-कितना कपड़ा खरीदा गया और इस प्रयोजन के लिए कितनी राज-सहायता प्रदान की गई ;

(ख) उसमें से कितना कपड़ा उचित दर दुकानों पर बिना बिका पड़ा हुआ है ;

(ग) क्या गत दो वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों के माध्यम से कंट्रोल के कपड़े के रूप में बेचे जा रहे कपड़े की अनेक किस्मों के मूल्य या तो बाजार के मूल्यों के बराबर हैं अथवा उससे अधिक हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तथा किस एजेन्सी के माध्यम से ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ङ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नियंत्रित कपड़े का आबंटन आबादी के आधार पर नियत किये गए कोटे के अनुसार किया जाता है। राज्य के भीतर नियंत्रित कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की है, जो इस बात का भी निर्णय करती है कि किस प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नियंत्रित कपड़ा बेचा जायेगा। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में नियंत्रित कपड़े के वितरण का कार्य विभिन्न अभिकरण करते हैं तथा इन अभिकरणों के माध्यम से वितरित किये गए नियंत्रित कपड़े के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

30-6-1981 से 30-5-1984 तक के नियंत्रित कपड़े के मूल्य निम्नांकित हैं :—

नियंत्रित कपड़े की किस्म	रुपये प्रति रेखीय मीटर
धोती	1.670
साड़ी	2.103
लांग क्लाथ	1.990
पोलीएस्टर कॉटन मिश्रित कमीज का कपड़ा (ब्लेंडिड शर्टिंग)	15-8-83 से 10.50 रुपए

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान नियंत्रित कपड़े पर निम्नांकित राशि राज सहायता के रूप में दी गई :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	राशि
1982-83	57.30
1983-84	52.74
1984-85	52.74

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ढोर प्रजनन सम्बन्धी समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं को अधिकतम कार्य निष्पादन

3229. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की ढोर प्रजनन सम्बन्धी समन्वित अनुसन्धान परियोजना में किन-किन केन्द्रों के बारे में सरकार यह समझती है कि वे अधिकतम कार्य निष्पादन कर रहे हैं तथा वे परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे ; और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार सैनिक डेयरी फार्मों में ढोरों के बारे में बड़े पैमाने पर संकर-प्रजनन अनुसन्धान परियोजना प्रारम्भ करने पर विचार कर रही हैं और यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी उद्देश्यों और निर्धारित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ढोरों की यूरोपियन नस्ल के साथ संकर-प्रजनन के विपरीत अब सरकार का विचार संकर-प्रजनन का सहारा लिए बिना ही एक अनुसन्धान परियोजना प्रारम्भ करना है और यदि हां, तो सरकार की नीति और ढोर प्रजनन सम्बन्धी अनुसन्धानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के औचित्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और क्या विकास नीति में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है ; और

(घ) सरकार ने ढोर प्रजनन के बारे में राज्य-वार अब किस नई निष्कर्षात्मक नीतियों की सिफारिश की है और पचास के दशक से अब तक के अनुसन्धानों के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना के केन्द्र आमतौर पर सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का सैनिक डेयरी फार्मों पर गोपशुओं की बड़े पैमाने पर संकर प्रजनन प्रायोजना आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत प्राप्त परिणामों पर विचार करने पर ऐसा अपेक्षित है कि होलस्टीन संकरों में उत्पादन के आनुवंशिक पहलुओं का अध्ययन करने और सैनिक डेयरी फार्मों में उपलब्ध संकर नस्ल की मूल संख्या का उपयोग करके होल्स्टीन संकर सांडों के सन्तति परीक्षण शुरू करने की एक प्रायोजना प्रारम्भ की जाय।

(ग) दुग्ध उत्पादन में सुधार लाने के अनुसंधान कार्यक्रमों के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का भारवाही अथवा दुधारू पशुओं के लिए सांडों के सन्तति परीक्षण का उपयोग करके

चयन के माध्यम से गोपशुओं की प्रमुख देशी नस्लों को सुधारने हेतु एक अनुसंधान प्रायोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(घ) गोपशु प्रजनन पर सरकार अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने गोपशु प्रजनन नीति तय करने हेतु विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया है जो अभी तक उपलब्ध परिणामों की समीक्षा करेगा तथा देश में गोपशु प्रजनन की एक नीति की सिफारिश करेगा । फिलहाल परिषद् ने चुनिंदा प्रजनन की सिफारिश की है जो कि प्रमुख देशी (दुधारू, भारवाहक या दोनों उद्देश्य वाले) पशुओं, गैर-नस्ली पशुओं के वर्गीकरण और कम दूध देने वाली गैर-नस्ली गोपशुओं की विदेशी नस्ल जैसे होल्स्टीन तथा जर्सी से भयंकर प्रजनन, जहां काफी मात्रा में सिंचित क्षेत्रों में चारा उगाया जा सकता हो, वहां उसकी खपत के बारे में हैं।

बागवानी के विकास हेतु सहायता के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

3230. **श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत किसी संस्थान को पश्चिम बंगाल सरकार से बागवानी के विकास हेतु सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के अनुसरण में कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सातवीं योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पश्चिमी बंगाल माल्डा में आम पर अनुसंधान सूचना तथा प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए एक केन्द्र के शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस समय इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित स्थान की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बरवाह में वनस्पति का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस

3231. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के बरवाह शहर में सहकारिता क्षेत्र में "बरवाह कोआपरेटिव सालवान प्लांट प्रोजेक्ट" के नाम से वनस्पति के उत्पादन हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यह मामला किस चरण में अटका हुआ है ;

(ग) इस प्रस्ताव को सम्भवत: कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने बरवाह, जिला खरगांव (मध्य प्रदेश) में 50 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक वनस्पति एकक की स्थापना करने के लिए "मैसर्स नर्मदा सहकारी तेल प्रक्रिया समिति मर्यादित" को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की सिफारिश की है, "बरवाह कोआपरेटिव सालवान प्लांट प्रोजेक्ट" के लिए नहीं।

(ख) से (घ) वनस्पति उद्योग की और क्षमता सृजित करने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

अपर बेड़ा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

3232. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में खारगोन जिले के भीखानगांव तहसील में अपर बेड़ा सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव भेजा था जो केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़ा है ;

(ख) यह मामला अब किस चरण में है ; और

(ग) यह परियोजना सम्भवत: कब तक स्वीकृत हो जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) अपर बेड़ा सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग के अनुमोदन हेतु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए लम्बित मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

3233. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुनासा सिंचाई और विद्युत परियोजना तथा ओंकारेश्वर सिंचाई और विद्युत परियोजना और महेश्वर सिंचाई और विद्युत परियोजना जो राज्य के खरगांवा जिले के अन्तर्गत आती हैं, केन्द्र सरकार को अनुमोदन और स्वीकृति के लिए भेजी है ;

(ख) इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है ; और

(घ) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) इन परियोजनाओं की

परियोजना रिपोर्टें केन्द्र के पास तकनीकी स्वीकृति तथा योजना आयोग के अनुमोदन हेतु प्राप्त हो चुकी हैं।

केन्द्रीय जल आयोग ने नर्मदासागर (पुनासा) परियोजना की तकनीकी जांच कर ली है तथा योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने इसे स्वीकार्य पाया है। परन्तु योजना आयोग को इस परियोजना की पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं की दृष्टि से स्वीकृति की प्रतीक्षा है। राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए अन्य दो परियोजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार को परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियों का स्पष्टीकरण भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि इन परियोजनाओं को केन्द्र कब स्वीकृति प्रदान कर देगा क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार विभिन्न टिप्पणियों का कितनी जल्दी संतोषजनक स्पष्टीकरण दे पाती है। चूंकि इन वृहद बहु-प्रयोजनी परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें 1983-84 के दौरान ही प्राप्त हुई थीं, अतः कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

वनभूमि पर अतिक्रमण का अनुमान

3234. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1984 तक देश से वनभूमि पर अतिक्रमण का कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वन अनुरक्षण अधिनियम के बावजूद भी अतिक्रमण की कोई सूचना मिली है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मंत्रालय ने वन क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक "कृत्तक बल" का गठन किया था। कृत्तक बल की रिपोर्ट के अनुसार 1-1-83 को लगभग 6.8 लाख हैक्टार वन भूमि अनाधिकार प्रवेश से ग्रस्त है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1-1-1983 को अनाधिकार प्रवेश से ग्रस्त वन क्षेत्र (हैक्टार)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	76,116.00
2.	असम	1,31,196.00

1 2	3
3. बिहार	9,943.73
4. गुजरात	17,265.76
5. हरियाणा	287.00
6. हिमाचल प्रदेश	16,667.56
7. जम्मू और कश्मीर	5,370.00
8. कर्नाटक	12,395.00
9. केरल	उपलब्ध नहीं
10. मध्य प्रदेश	2,46,189.00
11. महाराष्ट्र	22,758.30
12. मेघालय	11,216.34
13. मणिपुर	57.00
14. नागालैंड	990.00
15. उड़ीसा	8,595.51
16. पंजाब	3,177.00
17. राजस्थान	22,000.00
18. सिक्किम	उपलब्ध नहीं
19. तमिलनाडु	20,899.57
20. त्रिपुरा	1,522.00
21. उत्तर प्रदेश	14,493.00
22. पश्चिम बंगाल	14,275.00
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2,847.37

1 2	3
24. अरुणाचल प्रदेश	34,226.99
25. गोवा, दमन और दीव	6,638.07
26. दादर और नागर हवेली	698.12
27. मिजोरम	उपलब्ध नहीं
28. चण्डीगढ़	3.30
योग :	6,73,827.62

उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों के किनारे-किनारे बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की परियोजना

3235. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों के किनारे-किनारे बेकार पड़ी भूमि के विकास हेतु हाल ही में कोई अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की है ;

(ख) क्या ऐसी अनुसन्धान परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी प्रारम्भ की जायेंगी और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में उक्त परियोजना कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ; और

(घ) इस परियोजना के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने दिनांक 1-4-1980 से उत्तर प्रदेश तथा बिहार की नदियों के साथ दियारा भूमि के सुधार के लिए एक समन्वित अनुसंधान प्रायोजना शुरू की है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। इस प्रायोजना के केन्द्रों में से एक केन्द्र असम में भी कार्य कर रहा हैं। पश्चिमी बंगाल में एक केन्द्र स्थापित करने के लिए भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) फैजाबाद, सबौर तथा उत्तरी लखीमपुर में यह प्रायोजना पहले से ही दिनांक 1-4-1980

से चालू है और बिहार के मुंगेर जिले में एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना अक्तूबर 1975 से चालू है ।

(घ) छठी योजना के दौरान इस योजना के लिए 40.00 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण और कमी

3236. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का अनुमानत: कितना भंडारण किया था ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार खाद्यान्नों की अनुमानत: कितनी कमी पायी गयी और उसका मूल्य क्या होगा ;

(ग) भण्डारण किए गए खाद्यान्नों में अनुमानत: कितना खाद्यान्न मानव उपयोग के लायक नहीं रहा, और इसके क्या कारण थे और यह कितने मूल्य का होगा ; और

(घ) निकट भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा०एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास वित्तीय वर्ष के अन्त में खाद्यान्नों की मात्रा, भण्डारण में हानि और उसका मूल्य, अच्छी किस्म के स्टाक से क्षतिग्रस्त श्रेणी में हस्तान्तरित किए गए स्टाक की मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	इतिशेष स्टाक की मात्रा	भण्डारण में हानि		अच्छी किस्म के स्टाक से क्षतिग्रस्त श्रेणी में आन्तरिक किए गए स्टाक की मात्रा	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1980-81	82.18	2.82	45.24	0.43	5.70
1981-82	93.28	2.42	44.47	0.78	11.83
1982-83	110.53	2.26	45.91	0.48	7.27

1983-84 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्षा, बाढ़ों, तूफानों आदि अथवा लम्बे समय तक भण्डारण करने के दौरान किस्म में खराबी आने, खुले भण्डारण (कैप) में खाद्यान्नों का भण्डार करने आदि जैसे कई एक कारणों से खाद्यान्नों को क्षति पहुंचती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने पक्का प्लिंथों का निर्माण करना अथवा गुम्बद के आकार के चट्टे बनाकर खुले में लकड़ी के क्रेटों पर चट्टों का भण्डारण करना और उन्हें पोलीथीन की चादरों से ढकना, स्टाक का उचित वातन करना और स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण करना, मानसून आरंभ होने से पहले ढके हुए गोदामों की निवारक मरम्मत करना, खुले वैगनों में खाद्यान्नों के संचलन को कम करना, वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना, यथासम्भव खुले भण्डारण को कम करना, जैसे कई पग उठाए हैं। इसके अलावा, निगम ने क्रय केन्द्रों पर सख्त गुण नियन्त्रण कार्यविधि अपनाने, लदान और उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी देख-रेख करने, खरीद, परिवहन और प्राप्ति के समय तौल और बोरों की गिनती करने पर जोर देने, सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने, लापरवाही और दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों को उपयुक्त सजा देने विषयक विधियां भी अपनायी हैं।

समृद्ध वर्गों को मकान और प्लाट आबंटित करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति

3237. **श्री चित्त महाटा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण समृद्ध वर्गों को बड़े निर्मित्त मकान और प्लाट आबंटित करके अपनी आधार भूत नीति से विमुख हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो अब तक समृद्ध वर्गों को कितने बड़े निर्मित मकान और प्लाट आबंटित किए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनकी मूलभूत नीति दिल्ली का सुनियोजित विकास करना तथा मुख्यत: समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों की आवास की आवश्यकता को पूरा करना है। मकानों का निर्माण करके इसे प्राप्त किया जा रहा है जिन्हें लाभ रहित आवास पर मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को आबंटित किया जाता है। बेचे गए लगभग 96 प्रतिशत प्लाटों को इन वर्गों के लोगों को आबंटित कर दिया गया है, केवल 4 प्रतिशत प्लाट नीलामी द्वारा उच्च आय वर्गों को बेचे गये हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम को अन्तरित दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में मल-व्ययन की व्यवस्था

3238. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री जगपाल सिंह :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के अनुसार जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों से

सम्बन्धित मल-व्ययन प्रणाली की व्यवस्था हाल में अन्तरित की गई है मल-व्ययन प्रणाली न केवल दोष युक्त है, बल्कि यह काम भी नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने जिम्मेदारी निर्धारित करने के प्रयोजन से दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में दोष-युक्त और निष्क्रिय मल-व्ययन प्रणाली बिछाने के सम्बन्ध में कोई जांच की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किसी भी कालोनी की मल निर्यास पद्धति का अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया है। पिछली बार यह अधिकार 1981 में लिया गया था।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्कूल ऑल एप्लाइड रिसर्च, सांगली द्वारा बैलगाड़ी के "माडल" में सुधार

3239. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल ऑफ एप्लाइड रिसर्च सांगली के वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ी के पुराने "माडल" में कुछ उपयोगी सुधार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को सुधरी हुई तथा मजबूत बैलगाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है ;

(ग) अब तक किसानों को कितनी सुधरी हुई तथा मजबूत बैलगाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं ;

(घ) क्या सरकार बैलगाड़ियां खरीदने के लिए बैंकों से किसानों के लिए ऋणों की व्यवस्था करती है, यदि हां, तो कितना और इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व्यावहारिक अनुसंधान विद्यालय सांगली, जो समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय है, के वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ियों में कुछ उपयोगी सुधार किए हैं।

(ख) व्यावहारिक अनुसंधान विद्यालय, सांगली द्वारा विकसित जानकारी को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है, को इसके वाणिज्यीकरण के लिए हस्तान्तरित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने बैलगाड़ी के सुधरे माडल का विनिर्माण करने के लिए एक वाणिज्यिक इकाई को लाइसेंस दिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सुधरे माडलों

का विनिर्माण कुछ संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैलगाड़ियों की खरीद के लिए छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत की दर से, सीमान्त किसानों व दस्तकारों के लिए 33/1/3% की दर से और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता उपलब्ध है।

(ग) देश में सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा विनिर्मित सुधरी बैलगाड़ियां उपलब्ध हैं। बैलगाड़ियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) बैलगाड़ियों की खरीद करने के लिए किसानों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंक ऋण प्रदान करते हैं। लघु और सीमान्त किसानों व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्यों के लिए 12.5 प्रतिशत वार्षिक है। भिन्न ब्याज की दर सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य उद्योग का विकास

3240. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग का विकास आशा के अनुरूप संतोषजनक नहीं रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ग्रामीण जीवन पर इसका क्या प्रभाव है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में मात्स्यकी का विकास संतोषजनक रहा है। तीन दशकों (1951-1981) के दौरान देश में मछली का कुल उत्पादन तीन-गुना से अधिक हो गया। इसी अवधि के दौरान अन्तर्देशी मछली का उत्पादन चार-गुणा अधिक बढ़ गया। भारत में 1971-81 के दशक के दौरान मछली के उत्पादन में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर रही, जबकि इसी अवधि में विश्व में मछली के उत्पादन की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत रही। 1983-84 में मछली के उत्पादन के अनुमान के मुताबिक, यह 26.04 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

अन्तर्देशी क्षेत्र में, गांवों में तालाबों और जलाशयों का 68,000 हैक्टार से अधिक जल क्षेत्र वैज्ञानिक मछली पालन के अन्तर्गत लाया गया है और ग्रामीण इलाकों में मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत लगभग 46,000 मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) से (घ) विकास योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने की योजना

3241. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उन मछुआरों के परिवारों की संख्या कितनी है जो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित हुए हैं और इस प्रकार के लाभों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन द्वारा की गई संगणना के अनुसार तटीय मछुआरों की जनसंख्या लगभग 21 लाख है। इसमें से लगभग 5 लाख गतिशील मछुआरे बताए जाते हैं। राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मछुआरों की समाजार्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. गतिशील मछुआरों के लिए दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा के लिए राजसहायता।
2. बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए सहायता तथा लघु मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और जहाज खड़ा करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्यों द्वारा ऋण/राजसहायता के जरिए छोटे जलयानों का पंजीकरण।
4. खारे पानी में मत्स्य/झींगा मछली पालन।
5. मत्स्यपालक विकास अभिकरणों की स्थापना।
6. उम्दा किस्म के डिम्पोना का उत्पादन और वितरण।

गतिशील मछुआरों की दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 5 लाख मछुआरों का सामुद्रिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में बीमा किया गया है/बीमे के अन्तर्गत लाया गया है। देश में 147 मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत 46,000 व्यक्ति वैज्ञानिक रीति से मछली पालन में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश—802, असम—1259; बिहार—8447;

गुजरात—441; हरियाणा—1069; कर्नाटक—671; केरल—525;

महाराष्ट्र—658; मध्य प्रदेश—3897; मणिपुर—225;

राजस्थान—694; नागालैंड—46; उड़ीसा—6764; पंजाब—1050;

तमिलनाडु—1236; त्रिपुरा—1437; उत्तर प्रदेश—10,227;

पश्चिम बंगाल—6020

इसके अलावा, कुछ राज्यसहाय्यित आवास, कमी वाले मौसम में राहत देने और मृत्यु और अपंगता के लिए अनुग्रह भुगतान करने जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

वातित पेय के निर्माताओं द्वारा गुमराह करने वाला विज्ञापन

3242. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न 3020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 291 फल उत्पाद आदेश लाइसेंस-धारियों, जिन्हें फल उत्पाद आदेश का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उनमें से कितनों ने फल उत्पाद आदेश 1955 का पालन किया है ;

(ख) कितने लाइसेंसधारियों ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि बाह्य प्रचार, बिक्री स्थान पर सभी विज्ञापनों के सम्बन्ध में इस खण्ड का पालन करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) वे कौन-कौन से लाइसेंसधारी हैं जो इस खण्ड का केवल आंशिक रूप से पालन कर रहे हैं और सभी प्रकार के प्रचार तथा विज्ञापन के सांविधिक सूचना को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं ;

(घ) इनमें से कौन-कौन लाइसेंसधारी "बनावटी स्वाद" विनिर्दिष्ट करके तथा "फल रस युक्त नहीं" को विनिर्दिष्ट न करके इस खण्ड का केवल आंशिक रूप से पालन कर रहे हैं ; और

(ङ) ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा ऐसे कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं जो फल उत्पाद आदेश, 1955 के खण्ड 11 (3) के अनुरूप नहीं होते हैं। इसी प्रकार, सेंसर प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं विज्ञापन-फिल्मों को दिए जा रहे हैं जिनमें इस खण्ड की अनुपालना की गई हो। अन्य माध्यमों में अनुपालना के सम्बन्ध में रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) कुछेक मामलों में उत्पादन को रोक देने सहित फल उत्पाद आदेश, 1955 के खण्ड II (3) का अनुपालन करवाने के लिए कार्रवाई की गई है। तथापि, यह निर्णय किया गया है कि उन लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई न की जाए जिन्होंने सांविधिक उपबन्धों का अनुपालन करना शुरू कर दिया है या उनका अनुपालन करने का वचन दिया है। सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे इस आदेश के अधीन उन लोगों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें जो अभी तक इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

खेलों का विकास

3243. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो खेलों के विकास के लिए कौन-कौन से स्थानों पर खेलों की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं अथवा कराए जाने का विचार है इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार खेल सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाएं तैयार की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) खेल शारीरिक शिक्षा और युवा सेवाओं पर सातवीं योजना कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-1990) के दौरान खेल और शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 541 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की है। तथापि, सातवीं योजना के लिए वास्तविक आबंटन को योजना आयोग के परामर्श से यथा समय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि खेल राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार की अनिवार्यत: राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने तथा उनके प्रस्तावों का उत्तर देने में भूमिका अदा करनी है। इन मामलों में पहल करना मूलत: राज्य सरकारों का ही कार्य है और उपलब्ध संसाधनों की तुलना में योजनाओं के स्वीकृत ढांचे के अनुसार उनके प्रत्येक प्रस्ताव की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

स्वयं-वित्त पोषण योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण और नाम वापस लेना

3244. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने तीसरी, चौथी, तथा पांचवीं स्वयं वित्त पोषण आवास योजनाओं, के अन्तर्गत अपने नाम पंजीकृत कराए थे तथा उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने जनवरी, 1984 में पहली किस्त जमा की थी ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने पहली किस्त की धनराशि जमा नहीं की तथा उपरोक्त योजनाओं से अपने नाम वापस लिए हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों की क्षेत्रवार संख्या क्या है जिन्होंने प्रथम तथा दूसरी स्वयं-वित्त पोषण आवास योजनाओं में अपने आबंटनों को रद्द कराया है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 46,862 व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की तीसरी, चौथी और पांचवीं स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना में अपने नाम पंजीकृत करवाए थे। 5928 पंजीकृतों ने जनवरी, 1984 में पहली किस्त की राशि जमा की थी (3/84 तक प्राप्त की गई)।

(ख) 2236 व्यक्तियों ने अपने पंजीकरण रद्द करवाए थे।

(ग) स्व-वित्त पोषित योजना I तथा II के तहत पंजीकृत 4 व्यक्तियों ने जिन्हें नवम्बर 1 दिसम्बर, 1983 में निकाली गई लाटरी में फ्लैट का नियतन किया गया था, अपने आबंटन रद्द करवाए थे। क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कालोनी का नाम	छोड़े गए/रद्द किए गए नियतन की संख्या
1. कटवारिया सराय	1
2. बसन्त कुंज	1
3. पश्चिमपुरी	1
4. बसन्त विहार (जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय),	1

वर्ष 1981-84 के दौरान सड़कों को चौड़ा करने की योजनाएं

3245. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-84 के दौरान विजय चौक, डलहौजी रोड तथा विजय चौक साउथ एवेन्यू तथा नार्थ एवेन्यू रोड के सम्बन्ध में सड़कों को चौड़ा करने, मल निकासी व्यवस्था में सुधार करने ह्यूम पाइप बिछाने तथा पुराने पाइप विखंडित करने तथा आर० सी० सी० टनल्स के निर्माण की लगभग 50 योजनाएं तैयार की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बार कितनी योजनाएं बनाई गई तथा उपरोक्त सड़कों के सुधार पर वर्ष 1981-84 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि यातायात में भारी वृद्धि होने के कारण उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में साउथ एवेन्यु, नार्थ एवेन्यू तथा डलहौजी रोड को चौड़ा करने का प्रस्ताव किया था जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि विजय चौक पर कोलतार बिछाने का कार्य उन्होंने 4.27 लाख रुपये की लागत से 1983-84 के दौरान किया था। सड़कों को चौड़ा नहीं किया गया था।

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमनित लागत	अब तक व्यय की गई राशि	टिप्पणी
1.	साऊथ एवेन्यू रोड को चौड़ा करना तथा फुटपाथ बनानी	7,50, 600 रु०	8.53 लाख रु०	कार्य पूरा कर दिया गया
2.	नार्थ एवेन्यू रोड को चौड़ा करना	17.16 लाख रु०	12.03 लाख रु०	—वही—
3.	डलहौजी रोड को चौड़ा करना	20.50 लाख रु०	8.19 लाख रु०	कार्य प्रगति पर है।

सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों को बिना बारी के आबंटन

3246. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय के अनेक अधिकारियों को अधिकृत श्रेणी से ऊंची श्रेणी के आवास बिना बारी के आधार पर आबंटित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर निदेशालय के जिन अधिकारियों के आवास आबंटित किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनकी अधिकृत श्रेणी से ऊंचे दर्जे का आवास दिया गया है और उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिकारियों को अधिकृत श्रेणी से काफी ऊंची श्रेणी का आवास आबंटित किए जाने के सम्बन्ध में जिससे बहुत लम्बे समय से अधिकृत आवास के आबंटन की प्रतीक्षा सूची के अधिकारियों को आबंटन से वंचित होना पड़ा है जांच कराने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार निदेशालय के कार्यकरण की भारी कमियों को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यकरण से आमूल परिवर्तन करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय तिलहन बोर्ड का तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि का सुझाव

3247. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति विकास तेल विकास बोर्ड द्वारा देश में तिलहनों तथा खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने हेतु हाल ही में नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(ग) सातवीं योजना अवधि में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड की पहली बैठक 20 जुलाई, 1984 को हुई थी।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के गठन की पृष्ठभूमि, तिलहन और वनस्पति तेल उद्योग के वर्तमान स्तर, तिलहन विकास और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसंधान को प्रोत्साहन, तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण और परीक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, तिलहन विकास में आने वाली अड़चनों के बारे में अध्ययनों के आयोजन और बोर्ड की प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना सम्बन्धित विषयों आदि पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप, बोर्ड ने बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया, जिसमें क्षेत्रीय बैंकों और बीज फार्मों की स्थापना, तिलहनों और वनस्पतियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण और परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण संस्थान की स्थापना, तिलहन विकास और इससे सम्बद्ध मामलो में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अध्ययनों का आयोजन करना भी शामिल है।

(ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मछली उत्पादन में सुधार के नार्वे की योजना

3248. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे सरकार द्वारा हमारे देश के समुद्री तटों पर विशेष रूप से उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के सन्दर्भ में मछली उत्पादन में सुधार और इसके परिवहन और निर्यात के लिए कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र, राज्यों और नार्वे सरकार का हिस्सा कितना है ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच करार हुआ है ;

(घ) उड़ीसा में इस योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्य कब आरम्भ होगा और योजना के पूरा होने की अन्तिम तिथि क्या है और इससे क्या क्या सुधार होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, इस समय नार्वे की सहायता से उड़ीसा के तट पर इस प्रकार की कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड

3249. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य विचारणीय विषय क्या-क्या हैं तथा बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को भी बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है यदि हां, तो किस रूप में ; और

(घ) इस क्षेत्र का विनियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा क्या क्या प्रमुख निर्णय लिए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड में, निर्माण और आवास मन्त्री (अध्यक्ष) योजना, जहाजरानी तथा परिवहन केन्द्रीय मन्त्री, गृह, विद्युत तथा संचार केन्द्रीय राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमन्त्री दिल्ली के महापौर, मुख्य कार्यकारी पार्षद्, दिल्ली, दिल्ली के उप-राज्यपाल तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय के संयुक्त सचिव सदस्य हैं। बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रत्येक सहभागी सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन अभिकरणों के माध्यम से महानगरीय क्षेत्रों (आस-पास के क्षेत्रों सहित) के लिए तथा यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए समन्वित योजनाएं बनाना सुनिश्चित करना।

(ii) चरणबद्ध तथा एकीकृत आधार पर योजनाओं को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियों के प्रावधान को सुनिश्चित करना ताकि योजना या योजनाओं में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पूर्ण क्षेत्र में विकास को सन्तुलित किया जा सके ;

(iii) विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को मार्गनिर्देश देना ;

(iv) ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना, जो बदलती हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार योजना में संशोधन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयोजना अभिकरणों से समय-समय पर प्राप्त हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पुनर्जीवित बोर्ड की 28-6-1984 को हुई प्रथम बैठक में यह महसूस किया गया था कि दिल्ली की अधिकतम जनसंख्या का विभिन्न सेवाओं के आधार पर इसकी क्षमता के अनुसार पहले निर्णय किया जाना चाहिए और तब जनसंख्या के परिक्षेपण को प्राप्त करने के लिए नीतियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में अनुवर्ती निर्णय किए जाने चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नियंत्रणीय सीमाओं के अन्तर्गत दिल्ली की भावी जनसंख्या में वृद्धि को सीमित करने के लिए सभी सम्भव कार्यवाहियां की जानी चाहिए, 1973 में अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का संशोधन किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए विद्यमान प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ किया जाए और सम्बन्धित राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ब्यौरों तथा योजनाओं के निष्पादन के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए।

भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास उपायों सम्बन्धी राष्ट्रीय मानदण्ड

3250. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास उपायों के लिए राष्ट्रीय मानदण्ड निर्धारित करने हेतु गठित की गई उच्चाधिकार समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास उपायों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के वास्ते मन्त्रियों की समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) भाग (क) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सड़कों द्वारा नहीं जुड़े गांव

3251. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने गांव हैं जो सड़कों द्वारा नहीं जुड़े हैं ;

(ख) उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्षों के दौरान कितने गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाएगा ; और

(ग) प्रति सौ वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई का राष्ट्रीय औसतन क्या है और कौन-कौन से राज्य इस औसत से नीचे हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) 190 गांव ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

31-3-84 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से न जोड़े गए गांवों की संख्या (अनन्तिम) तथा 31-3-81 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई (कि० मी०)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	31-3-84 तक न जोड़े गए गांवों की संख्या	31-3-81 तक प्रति 100 वर्ग कि० मी० में सड़कों की लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	16464	45.43
2. असम	9762	76.02
3. बिहार	46155	48.08
4. गुजरात	7148	29.64
5. हरियाणा	128	51.97
6. हिमाचल प्रदेश	9973	35.35
7. जम्मू व कश्मीर	2662	5.22
8. कर्नाटक	18832	57.31
9. केरल	—	268.25
10. मध्य प्रदेश	55335	23.65
11. महाराष्ट्र	24289	34.88
12. मणिपुर	5121	26.06

1 2	3	4
13. मेघालय	2267	21.20
14. नागालैंड	332	35.31
15. उड़ीसा	53154	76.62
16. पंजाब	162	91.18
17. राजस्थान	27348	18.69
18. सिक्किम	175	14.54
19. तमिलनाडु	10290	95.25
20. त्रिपुरा	2698	74.74
21. उत्तर प्रदेश	102044	51.23
22. पश्चिम बंगाल	20631	64.68
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	145	7.97
24. अरुणाचल प्रदेश	3463	15.76
25. चण्डीगढ़	—	113.16
26. दादरा व नगर हवेली	20	44.40
27. दिल्ली	—	937.17
28. गोवा, दमन व दीव	33	197.98
29. लक्षद्वीप	×	—
30. मिजोरम	654	5.35
31. पांडिचेरी	22	442.29
	415807	45.70 (राष्ट्रीय औसत)

स्रोत :—कालम 2 के लिए योजना आयोग।

कालम 3 के लिए—नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के परिवहन अनुसन्धान प्रभाग द्वारा प्रकाशित "बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स आफ इण्डिया—1980-81।"

प्रक्षिप्त जनसंख्या पर आधारित आंकड़े।

×पृथक द्वीप—कोई गांव नहीं।

धान इतर फसलों की खेती पर बल देने के लिए मार्ग निदेश

3252. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को धान इतर फसलों की खेती पर बल देने के लिए कुछ निदेश/मार्ग निदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में अपनी रुचि प्रकट की है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कोई योजना/कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) धान इतर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं/कायक्रम शुरू किए गए हैं : –

(1) नि:शुल्क मीनिकिट वितरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत धान्यों, दालों, तिलहनों की अधिक उपज देने वाली/उन्नत किस्मों के बीजों के मीनिकिट बड़ी संख्या में किसानों को नि:शुल्क बांटे जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे तथा सीमांत किसान योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को तिलहनों तथा दलहनों के बीज और उर्वरक का नि:शुल्क वितरण भी किया जाता है।

(2) आदिवासी इलाकों में मक्का प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

यह योजना बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के चुनिंदा जिलों में चालू है। इस योजना के तहत बीज, उर्वरक तथा कृमिनाशी औषधि की लागत पर राज-सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

(3) दलहन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

इस योजना के तहत प्रमाणीकृत/ठीक तरह से लगे लेबल बीज, वनस्पति रक्षण रसायनों, उपस्करों, प्रचालनात्मक खर्चे, तथा रिजोबियम कलचर के रूप में किसानों को राजसहायता दी जा रही है। इस योजना में ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन कार्यक्रम के तहत क्षेत्र विस्तार की भी व्यवस्था है।

(4) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

1984-85 के दौरान 38 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से इस योजना के अन्तर्गत

बीज उत्पादन, अच्छे बीजों, वनस्पति रक्षण उपकरणों, का राजसहायता प्राप्त वितरण, रसायन तथा प्रचालनात्मक खर्चे, मीनिकिटों तथा प्रदर्शनों, मूंगफली के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरक तथा जिप्सम का राजसहायता प्राप्त वितरण, फार्म औजारों तथा छिड़काव करने वाले सेटों पर राज सहायता देना शामिल है।

(5) कपास उगाने वाले प्रमुख सभी नौ राज्यों में सघन कपास विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

इस योजना में बीज, वनस्पति रक्षण उपकरणों, छिड़काव तथा प्रदर्शन पर राज-सहायता की व्यवस्था है।

(6) पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और मेघालय के 31 चुनिंदा जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन पटसन/मेस्ता/सनहेम्प विकास कार्यक्रम

इस योजना के तहत उन्नत तथा प्रमाणीकृत बीजों, वनस्पति रक्षण रसायनों, प्रदर्शनों तथा गन्दे तालाबों की सफाई करने पर राजसहायता दी जाती है।

गेहूं का निर्यात

3253. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गेहूं का निर्यात करने की सोच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में अचानक वृद्धि के कारण ऐसा सम्भव हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आस-पास के देशों को गेहूं का निर्यात करने हेतु स्रोतों का पता लगा रही है ;

(घ) यदि हां, तो हम वस्तुतः कितनी मात्रा में गेहूं बचा सकते हैं और क्या तत्सम्बन्धी सौदे के बारे में कोई प्रक्रिया बना ली गई है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 210 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का रिकार्ड भण्डार भी जमा किया गया है ; और

(च) क्या अनाजों की खरीद पहले ही निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच चुकी है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) गेहूं का निर्यात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) जी, हां।

(च) चावल और गेहूं की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, 1983-84 की फसल में से 4-8-1984 तक 169.4 लाख मीटरी टन अनाजों की रिकार्ड वसूली की गई है।

ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के पानी का उपयोग

3254. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र में प्रतिवर्ष लगातार बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में एक बड़े क्षेत्र की तबाही करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक अलग तरीके से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के पानी का प्रयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव बनाया है ताकि इस लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को बचाया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो क्या ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के पानी का उपयोग करने की योजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ को रोकने की योजना शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों में बाढ़ों से प्रत्येक वर्ष ब्रह्मपुत्र घाटी गम्भीर रूप से प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ और कटाव की समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1980 के ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम की अनुपालना में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड को जिसने 1982 के शुरू में कार्य करना आरम्भ किया है, अन्य लाभप्रद प्रयोजनों के वास्ते जल संसाधनों के विकास करने को ध्यान में रखते हुए बाढ़ों को नियन्त्रित करने, तट-कटाव तथा जल-निकास में सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करनी है। बोर्ड ने इस कार्य को हाथ में ले लिया है। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़े आकार की नदी के वास्ते मास्टर योजना तैयार करना एक जटिल कार्य है और इस कार्य में काफी समय लगने की सम्भावना है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा मास्टर योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक राज्य सरकार विभिन्न बाढ़ नियन्त्रण उपाय कर रही है। असम की राज्य सरकार ने मार्च, 1983 तक लगभग 13.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की है। केन्द्रीय सरकार भी ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए असम सरकार को ऋण सहायता दे रही है और मार्च, 1984 तक 97 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की व्यवस्था की गई है।

सातवीं योजना के दौरान बीज उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

3255. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री अमर सिंह राठवा :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री छीतू भाई गामित :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान बीज उत्पादन छः गुना बढ़ाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1983-84 में 3.98 मिलियन के क्विंटल उत्पादन को बढ़ाकर 1989-90 तक 22.6 मिलियन क्विंटल करने के लिए कोई कार्यवाही-कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या 200 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य किन मुख्य बातों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) मौजूदा अनुमान के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्वान्तिम वर्ष (1989-90) में प्रजनक, आधारी और प्रमाणीकृत बीजों की आवश्यकता क्रमशः 3 लाख, 13 लाख और 260 लाख क्विंटल होने की सम्भावना है। इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ हुई एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था तथा देश में बीज की उपरोक्त मात्रा का उत्पादन तथा वितरण करने के लिए दस-सूत्री कार्यकारी कार्यक्रम तैयार किया गया था। कार्यकारी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) अग्रिम योजनाएं तैयार करने, प्रबोधन करने तथा बीज के उत्पादन और वितरण में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तर की समितियों की स्थापना करना ;

(2) अपेक्षित संख्या में परिसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करना ;

(3) बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ करना ;

(4) राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों तथा भारतीय राज्य फार्म निगमों द्वारा बफर स्टाक बनाए रखना ;

(5) पर्याप्त क्षमता वाले बीजों के लिए प्रतिबन्धित भण्डार का निर्माण ;

(6) बीज के खुदरा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना तथा किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए चल-वाहन शुरू करना ;

(7) बीज की क्वालिटी, मूल्य तथा वितरण पर नियन्त्रण रखना ;

(8) सारे देश में प्रत्येक प्रखण्ड में बीज फार्मों का विकास ;

(9) उन्नत किस्म के प्रमाणीकृत बीजों को लोकप्रिय बनाने तथा बीज-ग्रामों की संकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए गहन विस्तार प्रयास करना ;

(10) संस्थागत क्षेत्रों में बीज उत्पादकों तथा वितरकों को अल्पावधि ऋण, साम्य शेयर, आदि के रूप में वित्तीय सहायता देना ।

तमिलनाडु में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा दी गई सहायता

3256. **श्री वी० वी० देसाई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों ने गत वर्ष समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर लगभग 3 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के योग्य बनाया ;

(ख) क्या इन बैंकों ने 1983-84 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 3 लाख से अधिक लोगों को विभेदी ब्याजदर योजना के अन्तर्गत भी 28.29 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से भी यह कहा है कि वे तमिलनाडु में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का अनुसरण करें ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कहां तक लागू कर सके है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1983-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु में 2.77 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है। बैंकों द्वारा 5975.09 लाख रुपए की धनराशि आवधिक ऋण के रूप में दी गयी है ।

(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विभेदी ब्याज की दर पर दिए गए ऋण से सम्बन्धित सूचना इस मंत्रालय द्वारा एकत्रित नहीं की जा रही है ।

(ग) व (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के सभी खण्डों में आरम्भ कर दिया गया है। 1980-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति को राज्य-वार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1980-84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए परिवारों की सं० (1980-84)	जुटाया गया आवधिक ऋण (1980-84) (लाख रु० में)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	939371	18985.21
2. असम	142467	2551.66
3. बिहार	1321298	19287.66
4. गुजरात	579347	9816.20
5. हरियाणा	386230	3571.94
6. हिमाचल प्रदेश	172018	2034.48
7. जम्मू और कश्मीर	117052	1805.06
8. कर्नाटक	532450	10695.21
9. केरल	425265	8913.90
10. मध्य प्रदेश	1104824	25119.93
11. महाराष्ट्र	728243	17207.16
12. मणिपुर	20191	7.68
13. मेघालय	19786	—
14. नागालैण्ड	37373	—
15. उड़ीसा	708642	10146.46
16. पंजाब	321626	5617.05
17. राजस्थान	551082	10400.24

1	2	3
18. सिक्किम	6105	51.22
19. तमिलनाडु	1162752	19964.92
20. त्रिपुरा	40966	786.41
21. उत्तर प्रदेश	2737398	51728.37
22. पश्चिम बंगाल	436510	4815.50
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	330	—
24. अरुणाचल प्रदेश	31583	—
25. चण्डीगढ़	1097	—
26. दादरा और नागर हवेली	909	20.55
27. दिल्ली	13645	321.05
28. गोआ, दमन और दीप	13930	433.58
29. लक्षद्वीप	876	—
30. मिजोरम	8918	—
31. पांडिचेरी	8654	132.22
अखिल भारत	12580946	224413.66

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्या मूलक गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित वर्ष

3257. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर गुजरात राज्य में, 1 अप्रैल, 1984 को कितने ऐसे गांव थे जिनमें पेय जल की समस्या अभी भी है ;

(ख) वर्ष 1984-85 में कितने गांवों को यह सुविधा दिए जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) देश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गांवो को पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है ;

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लक्ष्य प्राप्त करना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों, 31-3-84 तक लाभान्वित गांवों और 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार शेष समस्याग्रस्त ग्रामों के बारे में सूचना अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) 1984-85 के दौरान, 41,859 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 1984-85 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए 242.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन पर आधारित अनुदान जारी करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वर्ष 1984-85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में प्रदत्त परिव्यय 364 करोड़ रुपए हैं।

(ग) प्रधान मन्त्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 8 के अन्तर्गत, सभी समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल का कम से कम एक स्रोत से 31-3-85 तक लाभान्वित किया जाना अपेक्षित था। मौजूदा लक्षणों के अनुसार, वर्ष 1983-85 के दौरान लगभग 41,859 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया जा सकेगा और शेष 37,017 गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल किया जाएगा।

(घ) तथा (ङ) त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम प्रोत्साहन योजना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में राज्य क्षेत्र में किए गए प्रावधान के अलावा, दिल्ली में आयोजित जलपूर्ति के राज्य मन्त्रियों की हाल ही के सम्मेलन में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान अनेक समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित किया जाए। उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित प्रोत्साहन योजना को भी शीघ्र लाभान्वित करने के लिए बढ़ाया गया है।

विवरण

1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या, 31-3-84 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों और 1-4-84 को लाभान्वित किए जानेवाले शेष समस्याग्रस्त गांव

क्र० सं०	राज्य का नाम	1-4-84 को समस्याग्रस्त गांव	1983-84 तक लाभान्वित गांव	1-4-1984 को शेष गांव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8206	6708	1498
2.	असम	15743	6268	9475
3.	बिहार	15194	11156	4038
4.	गुजरात	5318	3120	2198
5.	हरियाणा	3440	1322	2118
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4196	3619
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4698	1507	3191
8.	कर्नाटक	15456	15361	95
9.	केरल	1158	934++	224
10.	मध्य प्रदेश	24944	21729	3215
11.	महाराष्ट्र	12935	9896	3039
12.	मणिपुर	1212	617	595
13.	मेघालय	2927	570	2357
14.	नागालैण्ड	649	314	335
15.	उड़ीसा	23616	16857	6750
16.	पंजाब	1767	372	1395

1 2	3	4	5
17. राजस्थान	19803	13496	6307
18. सिक्किम	296	178	118
19. तमिलनाडु	6649	6097	552
20. त्रिपुरा	2800	2002	798
21. उत्तर प्रदेश	28505	18955	9550
22. पश्चिम बंगाल	25243	8668	16575
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	124	49
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	1125	615
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	99+	99	—
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोआ, दमण तथा द्वीप	66	52	14
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	214	83	131
31. पांडिचेरी	118	102	16
योग	2,30,784	1,51,898	78,876

केरल++ इसमें 1983-84 के दौरान बताए गए 390 गांव शामिल हैं यद्यपि, इससे पूर्व के वर्ष में आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए गांव ।

पश्चिम बंगाल :—1980-81 तथा 1982 के लिए जिला परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित गांवों की सूचना अभी भी प्रस्तुत की जानी है।

दिल्ली+ निर्जन पाए गए 7 गांव और दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित 3 गांव। (कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में लाभान्वित गांवों के आंकड़ों में आंशिक रूप से लाभान्वित गांव हैं।)

राज्यों और संघ शासी क्षेत्रों को ग्रामीण विकास के लिए दी गई सहायता

3258. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है और 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासी क्षेत्र को ग्रामीण विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी ;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ शासी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) व (ख) इस मंत्रालय के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम है, आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी खंडों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में निधियों के केन्द्रीय बंटन तथा वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण एक, दो व तीन संलग्न हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बागवानी का विकास

3259. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने छठी योजना के दौरान बागवानी के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं ;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान बागवानी के विकास के लिए कितनी धनराशि निश्चित की गयी है ;

(ग) योजना अवधि के दौरान बागवानी के विकास के लिए राज्यवार कितना आबंटन किया गया ; और

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान अब तक उड़ीसा में शुरू किए गए बागवानी कार्यक्रमों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी, हां। इस मन्त्रालय ने छठी योजना-वधि के दौरान बागवानी विकास के लिए कई केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं।

(ख) छठी योजना में बागवानी पौध रोपण हेतु सभी केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 19.58 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

विवरण एक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	निधियों का केन्द्रीय बंटन (लाख रुपये में)			सृजित किये गये रोजगार (लाख श्रम दिवस)		
		1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1896.00	1983.00	1935.21	503.55	336.08	265.68
2.	असम	400.00	200.00	490.50	53.20	49.00	56.43
3.	बिहार	1210.00	2540.00	2466.86	318.70	450.64	375.86
4.	गुजरात	560.00	740.00	650.54	56.55	216.53	133.14
5.	हरियाणा	160.00	160.00	170.00	44.22	16.12	16.75
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	120.00	79.98	6.89	16.17	14.74
7.	जम्मू और कश्मीर	80.00	160.00	138.29	11.00	17.08	21.11
8.	कर्नाटक	828.00	1300.00	1190.59	233.94	271.22	228.83

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	804.00	847.00	940.22	128.32	107.32	118.78
10.	मध्य प्रदेश	1320.00	1704.50	1797.34	365.43	279.93	267.40
11.	महाराष्ट्र	1420.00	1498.00	1165.00	468.00	188.44	103.60
12.	मणिपुर	10.00	20.00	6.63	0.20	3.02	2.29
13.	मेघालय	10.00	20.00	10.00	शून्य	2.13	0.72
14.	नागालैंड	20.00	25.00	22.82	1.36	3.62	4.00
15.	उड़ीसा	820.00	865.00	536.01	194.31	176.61	127.98
16.	पंजाब	252.00	266.00	276.38	33.48	28.29	17.45
17.	राजस्थान	468.00	466.20	488.65	95.48	48.16	67.38
18.	सिक्किम	8.00	16.00	10.07	1.00	2.18	2.36
19.	तमिलनाडु	1480.00	1960.00	1808.00	448.19	496.13	341.29
20.	त्रिपुरा	60.00	60.00	66.00	14.90	13.73	9.52
21.	उत्तर प्रदेश	3340.00	3513.00	3448.00	367.15	415.36	459.80

22. पश्चिम बंगाल	1348.00	1414.00	844.40	195.38	360.22	285.00
23. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	16.00	32.00	26.32	2.02	2.99	4.16
24. अरुणाचल प्रदेश	16 00	11.88	47.00	0.07	1.16	4.4
25. चण्डीगढ़	—	8.00	4.40	—	0.04	0.32
26. दादरा और नगर हवेली	—	16.00	8.80	—	0.01	0.81
27. दिल्ली	—	8.00	7.59	—	असूचित	0.16
28. गोमा दमन और दीप	—	32.00	69.62	—	2.28	4.56
29. लक्षद्वीप	—	8.00	22.46	—	0.49	1.89
30. मिजोरम	32.00	32.00	32.67	1.41	6.54	0.80
31. पांडिचेरी	16.00	19.97	32.00	0.24	1.56	2.95
कुल :	166.94.00	28085.55	18776.35	3545.19	3512.03	3020.22

विवरण दो

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय बंटन (लाख रुपये में)			शामिल किये गये लाभभोगियों की संख्या		
		1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1434.765	1265.00	1245.00	238846	284783	249259
2.	असम	148.50	214.00	536.00	22171	39568	60423
3.	बिहार	1249.06	1921.00	1842.00	276169	362354	430145
4.	गुजरात	508.79	849.87	931.50	116115	173790	183965
5.	हरियाणा	299.93	348.105	395.00	79605	158678	100407
6.	हिमाचल प्रदेश	176.10	264.05	276.00	34877	45755	43296
7.	जम्मू और कश्मीर	180.07	159.00	231.00	27689	35435	44571
8.	कर्नाटक	360.30	652.00	672.00	87460	178856	202228
9.	केरल	371.54	592.025	660.00	96832	127798	120547

10. मध्य प्रदेश	1374.00	1814.00	1928.00	231861	313870	325093
11. महाराष्ट्र	693.02	1038.00	1343.00	139092	219690	256052
12. मणिपुर	13.50	52.00	36.00	3627	8358	5438
13. मेघालय	16.50	5.37	48.00	6045	7457	1017
14. नागालैंड	63.00	63.00	105.00	12565	—	8087
15. उड़ीसा	731.19	1083.215	900.00	138367	252453	217073
16. पंजाब	351.00	468.00	472.00	86867	98435	72963
17. राजस्थान	676.09	983.00	1053.00	121576	183402	163421
18. सिक्किम	6.00	8.62	16.00	262	3150	2656
19. तमिलनाडु	1272.76	1547.64	1695.45	358225	271563	277641
20. त्रिपुरा	50.00	68.00	68.00	10146	9122	10692
21. उत्तर प्रदेश	2513.58	3359.62	3390,32	540160	554980	643272
22. पश्चिम बंगाल	39.84	362.00	876.00	67338	95607	236150
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	5.00	5.00	—	73	257

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	अरुणाचल प्रदेश	130.00	193.80	329.91	5921	13685	9241
25.	चण्डीगढ़	—	4.00	4.00	—	405	692
26.	दादरा और नगर हवेली	—	8.00	8.00	—	249	660
27.	दिल्ली	30.00	40.439	45.00	2040	5027	4017
28.	गोआ, दमन और दीव	72.00	96.00	96.00	5256	6616	6938
29.	लक्षद्वीप	—	40.00	20.00	—	312	564
30.	मिजोरम	60.00	86.26	160.00	1712	1977	4749
31.	पांडिचेरी	23.40	27.00	32.00	2591	1971	3820
	विविध प्रकार के समायोजन			3.48			
	अखिल भारत	12844.935	17617.964	19422.66	2713418	2455447	3685334

विवरण तीन

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम*

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	बंटित धनराशि (लाख रुपये में) 1983-84	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस में) 1983-84
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	990.00	शून्य
2.	असम	216.00	12.30
3.	बिहार	1425.00	शून्य
4.	गुजरात	320.00	1.43
5.	हरियाणा	84.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00	शून्य
7.	जम्मू और काश्मीर	75.00	अप्राप्य
8.	कर्नाटक	470.00	7.73
9.	केरल	470.00	0.03
10.	मध्य प्रदेश	823.25	15.97
11.	महाराष्ट्र	790.00	11.01
12.	मणिपुर	11.00	0.10
13.	मेघालय	15.00	शून्य
14.	नागालैंड	10.00	अप्राप्य
15.	उड़ीसा	450.00	—

* यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 को शुरू किया गया था।

1 2	3	4
16. पंजाब	135.00	0.70
17. राजस्थान	240.00	5.59
18. सिक्किम	8.00	0.23
19. तमिलनाडु	890.00	2.69
20. त्रिपुरा	33.00	1.85
21. उत्तर प्रदेश	1705.00	7.52
22. पश्चिम बंगाल	770.00	अप्राप्य
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	शून्य
24. अरुणाचल प्रदेश	—	शून्य
25. चण्डीगढ़	1.75	शून्य
26. दादरा तथा नगर हवेली	—	शून्य
27. दिल्ली	—	अप्राप्य
28. गोआ, दमन और दीव	—	0.40
29. लक्षद्वीप	—	शून्य
30. मिजोरम	—	0.21
31. पांडिचेरी	8.00	0.29
	10000.00	68.05

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) छठी योजनावधि में उड़ीसा में बागवानी विकास के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यक्रम आरम्भ किए हैं :—

I. काजू

1. किसानों की जोतों में प्रदर्शन करना।

2. वनस्पति प्रसार करके काजू में सुधार लाना।

3. काजू में नस्ल फलोद्यान स्थापित करना।

4. रियायती दरों पर काजू का पौध रोपण।

5. काजू के सम्बन्ध में वनस्पति संरक्षण उपाय अपनाना।

II. नारियल

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(i) काजू का पैकेज कार्यक्रम।

(ii) नारियल की टी० × डी० संकर पौध का उत्पादन और वितरण।

(iii) डी० × टी० संकर पौध का उत्पादन करने के लिए सर्वोत्कृष्ट बीज फार्म स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त, नारियल विकास बोर्ड भी नारियल विकास पर निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :—

(i) नारियल के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना।

(ii) नहरों के किनारों पर नारियल के पेड़ लगाना।

(iii) अच्छी किस्म के पौधों का उत्पादन करना।

दामोदर घाटी निगम के जलाशयों के भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

3260. **श्री चित्त बसु :**

श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री नवीन रावणी :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कहा है कि दामोदर घाटी निगम के जलाशयों की मैथों और पांचेट स्थित जलाशयों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की जाए ताकि वर्षा ऋतु में दक्षिण बंगाल में बाढ़ और पानी के जमाव को रोका जा सके ; और

विवरण

छठी योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान बागवानी विकास हेतु राज्यवार आबंटन (केन्द्रीय अंश)

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	निम्न के विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
		नारियल	मसाले	सेब के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	काजू के पैकेज कार्यक्रम	बागवानी विकास
1.	केरल	107.91	—	—	111.81	—
2.	कर्नाटक	34.00	—	—	62.35	—
3.	उत्तर प्रदेश	—	—	11.20	—	—
4.	तमिलनाडु	19.32	—	—	49.82	—
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	40.19	—	—
6.	आंध्र प्रदेश	8.14	—	—	68.87	—
7.	महाराष्ट्र	0.64	—	—	6.69	—
8.	उड़ीसा	12.10	—	—	160.09	—
9.	पश्चिम बंगाल	0.64	—	—	3.99	—

10.	असम	0.64	—	—	—	—	11.17
11.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	13.81	—	2.59	—
13.	त्रिपुरा	—	—	—	—	55.99	3.13
14.	गोवा	2.08	0.88	—	—	—	14.47
15.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	23.00	—	—	—	28.77
	योग :	185.47	23.88	66.20	522.20		

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) बिहार सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुए 1973 के अन्तर्राज्यीय समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि मैथोन और पंचेत बांधों के अन्तर्गत शेष रही जलाशय भूमि अधिगृहीत की जाएगी और मुख्य रूप से बाढ़ नियन्त्रण के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

दामोदर घाटी में बाढ़ नियन्त्रण को पूर्णत: प्रभावी बनाने के लिए, जैसाकि मूल रूप से आयोजना की गई थी, पूरा बाढ़ नियन्त्रण भण्डारण उपलब्ध कराना होगा।

फरक्का बांध पर गंगा द्वारा भूक्षरण

3261. **श्री चित्त बसु**

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गंगा नदी द्वारा भूक्षरण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस भूक्षरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार भूक्षरण निरोधक उपाय अपनाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गंगा से फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह दोनों में कटाव हो रहा है।

(ख) से (घ) चूंकि बाढ़ नियन्त्रण एक राज्य विषय है इसलिए बाढ़ नियन्त्रण एवं कटाव-रोधी निर्माण कार्यों की आयोजना तथा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। पश्चिम बंगाल अपने संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गंगा पर कुछ कटाव-सुरक्षा कार्यों को हाथ में लेता है। पश्चिम बंगाल सरकार गंगा पर कटाव-सुरक्षा कार्यों के वित्त-पोषण के वास्ते भारत सरकार से अनुरोध करती रही है। इन कार्यों के लिए अपेक्षित परिव्ययों की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक बजटों में की जानी होती है। केन्द्रीय सरकार केवल राज्य योजना के लिए समग्र रूप से ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों की व्यवस्था करती है जो किसी परियोजना अथवा क्रियाकलाप के सेक्टर के साथ जुड़ी नहीं होती।

केन्द्रीय सरकार ने जहां पर गंगा के साथ तट के कटाव द्वारा फरक्का बराज कम्पलैक्स प्रभावित होता है अथवा प्रभावित होने की सम्भावना होती है, तट-सुरक्षा निर्माण-कार्यों को हाथ में लिया है।

केरल द्वारा जल प्रदाय योजनाओं के लिए विशेष सहायता मांग

3262. **श्री ई० बालनन्दन ;**

श्री ए० नीलालो हितादसन नाडार :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जल प्रदाय योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) सम्पूर्ण हरिजन तथा गिरिजन आबादी को तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में 3 से 5 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत जलपूर्ति मुहैया करने के लिए अपेक्षित 48.95 करोड़ रु० की राशि से 50 प्रतिशत तक विशेष सहायता देने के लिए केरल सरकार ने अगस्त, 1983 में निर्माण और आवास मन्त्रालय को एक ज्ञापन भेजा था।

(ग) पेयजल पूर्ति राज्य का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति मुहैया कराने के लिए योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जाती हैं। जिनके लिए राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रावधान किया जाता है केंद्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान देकर राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करता है। केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियाँ 1-4-80 तक समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाए गये ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए हैं तथा 250 से 300 की आबादी के लिए पानी के एक स्रोत (हैण्डपम्प या सार्वजनिक स्टेण्डपोस्ट) के मानदण्ड के आधार पर पानी के स्रोत मुहैया कराए जाते हैं। छठी योजना के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों में सभी जातियों के उपयोग के लिए शुद्ध पेय जल के कम से कम एक स्रोत मुहैया कराने का प्रयास है। केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए अलग से निधियां उद्दिष्ट नहीं की जाती हैं। तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समस्याग्रस्त ग्रामों में पानी का प्रत्येक स्रोत अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में लगाएं यदि ऐसा करना युक्ति युक्त तथा तकनीकी रूप से असम्भव न हो। यह स्रोत सभी समुदायों के लिए खुला हो। समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए केरल शासन को 1980-81 से आज तक निम्न-लिखित अनुदान दिए गये :

वर्ष	त्वरित जलपूर्ति कार्यक्रम के कार्य	एम० एण्ड आई०	प्रोत्साहन योजना (लाख रुपयों में)
1980-81	328.40	1.68	—
1981-82	526.25	3.28	—
1982-83	641.00	2.20	—
1983-84	1171.30	6.00	400.00
1984-85	784.00	—	—

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार को 1984-85 के दौरान नियतित राशि 1121.20 लाख रु० है।

केरल शासन को 1984-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उनके कार्य निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त राशि भी दी जा सकती है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए गए और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त वन रोपण कार्यक्रम

3263. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित किए गए और विश्व बैंक की सहायता से इस समय देश में कार्यान्वित किए जा रहे वन रोपण कार्यक्रम के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या वे लक्ष्योन्मुखी नहीं हैं ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस प्रकार के मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सभी राज्यों और चार संघ शासित क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव तथा मिजोरम से चुने गए जलावन की लकड़ी की कमी वाले 157 जिलों में ग्रामीण जलावन की लकड़ी के बागानों सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र, द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) प्रत्येक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ग) वन रोपण कार्यक्रम का समय-समय पर प्रबोधन और मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता चला है कि अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जीवित रहने वाले पौधे 65 प्रतिशत से अधिक हैं।

सघन चावल उत्पादन कार्यक्रम

3264. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में जहां कि चावल की उत्पादकता कम है और जहां देश में कुल चावल उत्पादन का केवल 48.7 प्रतिशत ही चावल पैदा होता है 200 करोड़ रु० की लागत से कार्यान्वित किए जा रहे पंचवर्षीय सघन चावल उत्पादन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस योजना को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी लागू न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित पंचवर्षीय सघन चावल उत्पादन कार्यक्रम के ब्यौरों को अभी अनन्तिम रूप नही दिया गया है। उसके अग्रदूत के रूप में चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों के 51 घण्टों में 5 करोड़ रु० की लागत, जिसमें 10 करोड़ रु० ऋण घटक के रूप में भी शामिल हैं, से एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की गई है। इस मार्गदर्शी परियोजना के तहत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रबन्ध और समन्वय करने, आदानों और ऋण आपूर्ति हेतु अवसंरचना में सुधार लाने और उसे मजबूत बनाने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों के माध्यम नई प्रौद्योगिकी शुरू करने और कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने आदि पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(ख) गत 10 वर्षों की औसत ली जाए तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर इन राज्यों में चावल का उपज प्रति हैक्टार लगभग एक टन या इससे कम बैठता है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में उसी अवधि के दौरान चावल की उपज अधिक रही अर्थात प्रति हैक्टार 1.56 टन से 1.97 टन के बीच रही।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीश मन्दिर एकक की ऊंची दीवार का निर्माण करने की अनुमति

3265. **श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने टैगोर गार्डन के एफ० बी० और एफ० डी० ब्लाकों के बीच आवागमन सर्विस लेन को रोकने के लिए सात फीट ऊंची दीवार का निर्माण करने के लिए शीश मन्दिर स्कूल को अनुमति दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप ब्लाइण्ड लेन बन गई है जिससे आसपास के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है, वर्षा जल को स्वाभाविक निकासी रोकने और आग लगने का खतरा उत्पन्न हो रहा है ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस बारे में सरकार को पत्र लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी ,नहीं। स्कूल में ब्लाक एफ० बी० और एफ० डी० के बीच सर्विस लेन को मन्द करने वाली अधिकृत रूप से 7 फुट ऊंची दीवार बनाई है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत अनधिकृत अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं।

विजय मण्डल एन्क्लेव में फ्लैटों (श्रेणी-दो) का निर्माण

3266. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय मण्डल इन्क्लेव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त पोषी योजना के अन्तर्गत बनाए गए फ्लैट (श्रेणी-दो) उस क्षेत्र में किए गए आबंटन से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और उन सभी व्यक्तियों को, जिनको वहां पर आबंटन किया जा चुका है फ्लैट दिल्ली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) ; (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वर्ग-II के 224 मकानों का निर्माण कार्य जुलाई, 1982 के प्रथम सप्ताह में आरम्भ किया गया था । तथापि, किसी सुरक्षित स्मारक (विजय मण्डल) के नजदीक होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आपत्तियों के कारण 5-10-1982 को 28 मकानों का निर्माण कार्य रोक दिया गया । 228 मकानों (224 मकानों के स्थान पर) के लिए संशोधित विन्यास नक्शा तैयार किया गया है और इसे अनुमोदन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है । उस विभाग से औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है । जैसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्वीकृति दी जायेगी जैसे ही शेष 32 मकानों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा । इन 32 मकानों के निर्माण से फ्लैटों की संख्या इस समय आबंटित फ्लैटों की संख्या से अधिक होगी ।

एशियाई खेलों के दौरान ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया जाना

3267. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि :

(1) तालकटोरा तरण ताल के सम्बन्ध में ठेकेदारों को 191 करोड़ रु० का अधिक भुगतान किया गया था ;

(2) इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम के मामले में विस्तृत नक्शों विभाजन दीवार आदि में परिवर्तन किए गये थे, जिससे और अधिक लागत का भार बढ़ा ;

(3) खेलकूदों का स्थान हरियाणा से दिल्ली बदला गया था जिसके परिणामस्वरूप 8.45 लाख रु० की अतिरिक्त लागत आई ;

(4) 20.95 लाख रु० लागत का अतिरिक्त "एस्ट्रो टर्फ" खरीदा गया था ;

(5) एशियाई खेल गांव में दो ठेकेदारों को 7.96 लाख रु० तथा 18.81 लाख रु० का अतिरिक्त भुगतान किया गया था ;

(6) 36.99 लाख रु० मूल्य का साज सामान इस्तेमाल नहीं किया गया, और

(ख) तथा अतिरिक्त भुगतान की गई धनराशियां इस बीच वसूल की गई है और उक्त चेकों के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सम्बन्धित प्राधिकरणों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

ओलम्पिक के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाले अधिकारी

3268. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओलम्पिक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन करने का किसको अधिकार है ;

(ख) आई० ए० ओ० द्वारा लॉस एन्जिल्स ओलम्पिक में भाग लेने के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा शेष व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्वीकृति न देने के क्या कारण है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यह भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन का विशेष अधिकार है कि ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए दल भेजें।

(ख) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने 1984 ओलम्पिक्स के लिए भारतीय दल में शामिल करने के लिए 57 खिलाड़ी चुने थे।

(ग) यात्रा लागत के भुगतान तथा विदेशी मुद्रा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए माप-दण्ड को ध्यान में रखकर, 49 खिलाड़ियों की अनुमति दी गई थी।

सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णयों का पालन न किया जाना

3269. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ सहकारी आवास निर्माण समितियों ने भूमि के उपयोग सम्बन्धी कुछ मामलों में पट्टादाता/दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णयों का पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार भूमि के उपयोग के मामले में उप-पट्टेदारों के हितों की रक्षा किस प्रकार करने का है ; और

(घ) भूमि के उपभोक्ताओं के मामले में किसके आदेशों को अन्तिम माना जायेगा अर्थात दिल्ली

विकास प्राधिकरण अथवा सहकारी आवास निर्णय समितियों का ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस प्रकार का कोई विशेष मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में नहीं आया बताया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) बृहत योजना/क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग निर्धारित किया गया है और यह क्षेत्रीय विनियमनों के अनुरूप किया जाता है। इसको प्रवर्तित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, पट्टाकर्त्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जिला कृषि अधिकारियों को "गमैक्सीन" की खरीद करने के सम्बन्ध में अनुदेश

3270. **श्री रामलाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिला कृषि अधिकारियों को 49 गमैक्सीन फैक्ट्रियों से एक कीटनाशक दवा "गमैक्सीन" की खरीद न करने के अनुदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उपर्युक्त अनुदेशों के विपरीत उत्तर प्रदेश के "कृषि रक्षा यूनिटों" (एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन यूनिट्स) के कृषि अधिकारियों ने "गमैक्सीन" की खरीद की है और यदि हां, तो यह खरीद किस आधार पर की गई है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा चावल की खरीद पर प्रतिबन्ध

3271. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों के नागरिक पूर्ति निगमों के माध्यम से की जाने वाली चावल की खरीद को सीमित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर गैर-सरकारी क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस मामले में अपनी आपत्ति प्रकट की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के खाते पर चावल की अन्तर्राज्यीय खरीदारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होता है। इसे इसलिए आवश्यक समझा जाता है क्योंकि राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर चावल की खरीदारी करने से अधिशेष राज्यों में बाजार-उपलब्धता और मूल्यों और साथ ही केन्द्रीय भण्डार के लिए वसूली पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) देश में व्यापार खाते पर लेवी मुक्त चावल और गेहूं के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार के अनुरोध पर, उन्हें खरीफ विपणन मौसम 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश से 40,000 मीटरी टन चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि उन्हें यह मात्रा आन्ध्र प्रदेश से खरीदने की अनुमति प्रदान की जाए। अधिशेष राज्यों की पूर्ति और मांग की स्थिति की समीक्षा करने के बाद केरल सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश से अत्यधिक खरीदारी करना वांछनीय नहीं समझा गया था और राज्य सरकार को मध्य प्रदेश से अनुमत मात्रा खरीदने की सलाह दी गई थी।

अच्छे किस्म के नारियल की पौध उत्पादन और वितरण की योजना

3272. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अच्छे किस्म के नारियल की पौध के उत्पादन और वितरण की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है और पौध के उत्पादन तथा वितरण के लिए क्या सहायता दी गई है , और

(ग) क्या केरल राज्य ने इन सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने बढ़िया किस्म के नारियल पौध उत्पादन के लिए निम्नलिखित योजनाएं मंजूर की हैं। योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है।

योजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		1984-85 के लिए स्वीकृत कुल धनराशि (लाख रुपए)
1	2		3
1. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :			
(1) टी × डी संकर पौध का उत्पाद और वितरण	केरल		2.826
	कर्नाटक		2.736
	तमिलनाडु		0.562
	आंध्र प्रदेश		0.423
	उड़ीसा		2.480
		कुल	9.027
(2) डी × टी संकर उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यानों की स्थापना	केरल		3.160
	कर्नाटक		6.200
	तमिलनाडु		3.611
	उड़ीसा		2.290
		कुल	15.261
(3) कर्नाटक में टी × डी संकर के लिए विशिष्ट बीज फार्म	कर्नाटक		2.220
2. नारियल विकास बोर्ड परियोजनाएं :			
(1) बढ़िया नारियल पौध के उत्पादन की परियोजना	पौध केरल करनाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, गोवा, और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह		86.38

1	2	3
(2) तमिलनाडु में संकर बीज उद्यानों तथा क्षेत्रीय नर्सरियों में मार्गदर्शी संकर परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की परियोजना	मुख्यतः तमिलनाडु और अन्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में	4.16
(3) कर्नाटक में मांडया में नारियल प्रदर्शन एवं बीज फार्म स्थापित करना	कर्नाटक	4.60

(ग) केरल राज्य सरकार ने विस्तृत नारियल विकास कार्यक्रम, जिसमें 4 वर्ष की अवधि के लिए 466.20 लाख रु० के कुल परिव्यय से बढ़िया किस्म की नारियल पौध का उत्पादन शामिल है, के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह योजना अत्यधिक प्रस्तावित परिव्यय और चालू वर्ष के दौरान आर्थिक उपायों के कारण शुरू नहीं की जा सकी।

मालवीय नगर एक्सटेंशन (साकेत) के आबंटियों को स्वयं वित्त पोषण योजना के फ्लैटों का कब्जा देना

3273. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वयं वित्त पोषण योजना, मालवीय नगर एक्सटेन्शन (साकेत) के 400 आबंटियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तिथियों पर अक्तूबर, 1982 तक चार किश्तों तक धनराशि जमा कराई थी और उनको अभी तक फ्लैटों का कब्ज़ा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसमें असाधारण विलम्ब की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब किस तिथि तक आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित फ्लैटों का कब्जा निर्धारित तिथि तक देने को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भूमि के कतिपय भागों के सम्बन्ध में विवाद सीमेंट की कमी कतिपय अवधियों में श्रमिकों की अत्यधिक कमी संगठनात्मक नियन्त्रणों के भीतर नक्शे तथा डिजाइनों के बनाने में लिया गया समय, ठेकेदारों द्वारा विलम्ब तथा स्थल सीमा निर्धारण तथा इसका उपागमन जैसे विभिन्न कारणों से फ्लैटों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ग) कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद ठेके की शर्तों के अन्तर्गत विलम्ब के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

(घ) इन फ्लैट के 30 नवम्बर, 1984 तक आबंटन के लिए तैयार होने की आशा है।

(ङ) निर्धारित तिथि तक फ्लैटों के पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए, ठेकेदारों से तेजी से काम करने के लिए सशक्त रूप से कहा जा रहा है। विस्तृत पट्टे चार्ट वार चार्ट भी तैयार किए गएहैं और त्रुटियों और कमियों को ठीक करने के लिए कार्यवाही करने हेतु प्रगति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है।

भारत में खेलने वाली विदेशी टीमें

3274. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी टीमों की संख्या क्या है जिन्होंने भारत में वर्ष 1983-84 तथा जून, 1984 तक मैच खेले ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : सरकार द्वारा अप्रैल, 1983 से जून, 1984 की अवधि के दौरान भारत में 221 विदेशी टीमों/खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विषयों में मैच खेलने की अनुमति दी गई थी।

झूम खेती

3275. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झूम खेती वाले राज्यों के क्या नाम हैं और उनके किन-किन क्षेत्रों में झूम खेती की यह प्रणाली अभी भी विद्यमान है ;

(ख) क्या सरकार ने खेती की इस प्रणाली द्वारा किये जा रहे पर्यावरण प्रदूषण और वनों की क्षति को रोकने के लिए कोई नियम बनाये हैं और यदि हां, तो उन नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार खेती की इस प्रकार की पुरानी प्रणाली को बन्द करने के लिए निकट भविष्य में कुछ सख्त कदम उठायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों तथा मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ने झूम खेती से सम्बन्धित कुछ नियम और विनियम बनाए हैं। इनमें मृदा और जल-संरक्षण के हित में झूम खेती को रोकथाम करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार ये नियम व विनियम वनों के नुकसान से बचाते हैं। तथापि, व्यवहार में प्रवर्तन प्रभावशाली नहीं रहा है क्योंकि उन समुदायों जो इस कृषि पद्धति को व्यवहार में ला रहे हैं, के रीति रिवाज, परम्पराओं और संस्कृति का सम्मान करना होता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार और इस समस्या से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों का विचार यह है कि झूम खेती करने वालों को इस कार्य से वैकल्पिक लाभकारी व्यवसाय का प्रबन्ध करके हटाया जाना है। सम्बन्धित राज्यों और संघ शासित क्षत्रों को इस दृष्टिकोण की सिफारिश करने के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा तदनुसार 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपयुक्त विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करने का भी विचार है।

राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्रों पर व्यय

3276. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या इन नेहरू युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित युवकों ने कुछ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विजय हासिल की है ;

(ग) क्या नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से युवा बालिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया तथा क्या उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) नेहरू युवक केन्द्रों की योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है।

(ख) योजना युवकों द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 1200 लड़कियों को सिलाई, बुनाई, टेलरिंग कढ़ाई आदि जैसे चुने हुए व्यवसायों में राजस्थान के नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था ताकि उनकी कार्यात्मक क्षमताएं बढ़ें और वे आत्म निर्भर हो सकें।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

3277. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को अभी तक

सरकारी आवास नहीं मिला है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में 3 वर्ष से भी अधिक समय से सेवारत हैं ; और

(ख) यदि हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल में टाइप 'ए' तथा 'बी' में 10 प्रतिशत तथा टाइप 'सी०' और टाइप 'डी' में 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटन के लिए आरक्षित होती हैं तथा कर्मचारियों की अग्रता तिथि के अनुसार आबंटन किया जाता है 16-7-1984 की स्थिति के अनुसार सामान्य पूल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की किस अग्रता तिथि तक आबंटन किया गया है वह निम्न प्रकार है :—

वास का टाइप	अग्रता तिथि	
	अनुसूचित जाति	/ अनुसूचित जनजाति
टाइप-ए	11-4-1966	14-11-69
टाइप-बी	23-9-67	3-2-71
टाइप-सी	19-12-63	1-7-73
टाइप-डी	5-8-63	20-3-63

(ख) 31 जुलाई, 1984 को समाप्त हुए भूखण्डीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को, उनके लिए आरक्षित कोटे में से, आबंटित किए गए क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है—

टाइप	ए०	बी०	सी०	डी
अनुसूचित जाति	162	372	619	56
अनुसूचित जनजाति	81	167	97	28

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सामान्य पूल वास के आबंटन के लिए भी पात्र होते हैं।

मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का किराया खरीद के बजाए नकद भुगतान के आधार पर आबंटन

3278. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आय सीमा कम करके अधिक संख्या में लोगों को

विभिन्न वर्गों के फ्लैट आबंटित करने के लिए हुडको/नई पद्धति योजना के अन्तर्गत 1977 में पंजीकरण शुरू किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है तथा उनमें से वर्ग-वार कितने उम्मीदवार किराया खरीद के आधार पर और कितने उम्मीदवार नकद आधार पर फ्लैटों का आबंटन चाहते हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार मध्यम आय वर्ग के सभी फ्लैटों को, उम्मीदवारों के किराया खरीद विकल्प के विपरीत, नकद आधार पर आबंटित करने का है और इस प्रकार उन्हें किराया खरीद के आधार पर फ्लैटों के आबंटन से वंचित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे पंजीकृत लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके किराया खरीद विकल्प के विपरीत नकद आधार पर फ्लैट लेने को बाध्य किया जाएगा ; और उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि हुडको नवीन पद्धति आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित आय सीमा के अनुसार पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

(ख) विभिन्न संवर्गों के दृष्टिगत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का पंजीकरण निम्न प्रकार से किया गया है :—

मध्यम आय वर्ग	1947
निम्न आय वर्ग	5816
जनता	10352
कुल	18115

किराया अथवा नकद खरीददारी के आधार पर पंजीकरण का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता। क्योंकि इस स्कीम के अन्तर्गत किसी विकल्प पर अमल नहीं किया जा सकता।

(ग) नीति के अनुसार पंजीकरण के लिए किए गए आवेदनों के अनुरूप स्कीम के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों में से 40 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग तथा 25 प्रतिशत जनता तथा निम्न आय वर्गों के फ्लैट किराया खरीद के आधार पर अलाट किए गए।

(घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित अनुपात के आधार पर लाटरियां निकाली गई हैं। यदि ड्रा के बाद भुगतान की विधि, नकद अथवा किराया खरीद, में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो उस पर अलाटी की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

केन्द्रीय जल आयोग के अधीन भुवनेश्वर में जल-विज्ञान कार्यालय

3279. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन एक जल-विज्ञान वेधशाला और एफ० एफ० सर्किल खोलने हेतु सार्वजनिक मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भुवनेश्वर में सर्किल खोलने के लिए कदम उठा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) भुवनेश्वर में एक नया जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान सर्किल खोलने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए भारत सरकार को कुछ संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। खर्च में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में भुवनेश्वर में एक नया सर्किल खोलना सम्भव नहीं हो सकेगा।

बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन

3280. **श्री चित्त महतो** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग सभी क्षेत्रों/गांवों में व्याप्त भारी बेरोजगारी की समस्या के कारण ग्रामीण वहां से पलायन करते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए 1980-81 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के 300-400 मिलियन श्रमदिनों के वार्षिक रोजगार का लक्ष्य प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा रहा है। ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। निर्माण कार्यों को पिछड़े क्षेत्रों में कम मजदूरी वाले इलाकों में, और उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है जहां भूमिहीन श्रमिक अधिक संख्या में रहते हैं। 1984-85 के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी लगभग 300 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार पैदा होने की आशा है। सातवीं योजना के दृष्टिकोण पत्रक में उल्लेख किया गया है कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बेहतर आयोजन गहरी निगरानी और सुगठित व्यवस्था द्वारा इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास पर बल दिया जाता रहेगा।

विश्व बैंक सहायता से बम्बई में रिहायशी इकाइयों के निर्माण की व्यापक योजना

3281. **श्री सूरज भान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से 280 मिलियन डालर की सहायता की पेशकश के साथ बम्बई में चार वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 100,000 रिहायशी इकाइयों के निर्माण की एक व्यापक योजना बैंक द्वारा लगायी गई इस विशेष शर्त के साथ तैयार की गई है कि किराया नियन्त्रण हटा लिया जाएगा ताकि निम्नतम आय वर्ग भी अपनी अदायगी स्वयं कर सकें।

(ख) बम्बई योजना कब तक शुरू होगी ;

(ग) क्या अन्य महानगरों के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले की प्रगति क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) बम्बई में एक नगर विकास परियोजना, जिसमें स्थल तथा सेवाओं, नगरपालिका सुविधाओं में सुधार तथा मलिन बस्तियों का दर्जा ऊंचा करना जैसे घटकों को शामिल करने की सम्भावना है, में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है। तथापि, विश्व बैंक के साथ बातचीत पूर्ण हो जाने पर ही घटकों के ब्यौरे तथा ऋण की राशि को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) तथा (घ) विश्व बैंक की सहायता से बहुत-सी योजनायें चल रही हैं जैसे कि कानपुर नगर विकास परियोजना, मद्रास नगर विकास परियोजना-II तथा कलकत्ता नगर विकास परियोजना-III। इन परियोजनाओं में घटक भिन्न-भिन्न हैं तथा समय-समय पर इनकी प्रगति का सरकार द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

भूमि और विकास कार्यालय द्वारा दुरुपयोग के कारण लगाए गए प्रभार

3282. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** भूमि और विकास कार्यालय द्वारा दुरुपयोग के कारण लगाए गए प्रभार के बारे में 25 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के अनुबन्ध दो में दिए गए प्रत्येक मामले की नवीनतम स्थिति तथा उच्चतम न्यायालय का अन्तिम आदेश क्या है और प्रत्येक मामले में भविष्य में क्या कार्यवाही की जाएगी ; और

(ख) उपरोक्त अनुबन्ध दो में क्रम संख्या 5, 9 और 10 में उल्लिखित मामले को निपटाते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश का सही-सही ब्यौरा क्या है तथा क्या प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय के सही आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा यथा सूचित सूचना संलग्न विवरण में दी गई उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतिलिपियां सुगम दस्तावेजों में उपलब्ध हैं।

विवरण

क्रम सं०	पट्टाधारी/भूतपूर्व पट्टाधारी का नाम व पता	सम्पत्ति का विवरण	नवीनतमस्थिति और उच्चतम न्यायालय का अन्तिम आदेश	भावी कार्यवाही	प्रश्न के भाग (ख) में यथा अपेक्षित उच्चतम न्यायालय के सही ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
1.	श्री इन्द्र प्रसाद	16017 20 हार्डिग एवेन्यू	भूमि अर्जन समाहर्ता, दिल्ली का अवार्ड सं० 14/73-74 के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एस० एल० पी० (सिविल) 9255/79 भूमि तथा विकास कार्यालय का प्रति शपथ पत्र 19-2-81 को दायर किया गया। उच्चतम न्यायालय का अन्तिम आदेश प्राप्त नहीं हुआ।	प्रश्न ही नहीं उठता	लागू नहीं होता
2.	स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल के उत्तराधिकारी तथा निष्पादक, द्वारा श्रीमती सुशीला देवी 2407, तिलक गली, चूना मण्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली	91/6 13, लैंडी हार्डिग रोड	रिट याचिका सं० 3569/82 भूमि तथा विकास कार्यालय के पैरावार टिप्पणियां उच्चतम न्यायालय को 14-4-83 को भेज दी गई थी क्योंकि यह मामला 5-5-83 के लिए निर्धारित किया गया था। अगली तारीख तय नहीं की गई है।	—वही—	—वही—

3.	श्री एस० पी० अग्रवाल और श्रीमती प्रेमवती, एस०/250 पंचशील पार्क, नई दिल्ली	एम०—16/बी कनाट सर्कस	यह मामला किरायेदार और पट्टाधारी के बीच है। यह कार्यालय प्रोफार्मी पार्टी है और पट्टाधारी ने अवधियों के लिए आवेदन नहीं किया है—उच्चतम न्यायालय का अन्तिमादेश प्राप्त नहीं हुआ।	—वही—	—वही—
4.	श्रीमती दयावन्ती पुंज तथा अन्य, द्वारा सत्यनारायण प्रकाश पुंज, पुंज हाउस, एम०—13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	148/40 9, कीलिंग रोड	उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका 15-9-82 को दायर की गई। सुनवाई के लिए मामले को अभी निर्धारित नहीं किया गया।	—वही—	—वही—
5.	श्री किशन दास, एस०-27 सुन्दर नगर, नई दिल्ली	171/एस०-27 सुन्दर नगर, नई दिल्ली	अपीलकर्त्ता—डा० बी० आर० सौंढी के वकील, प्रतिवादी श्री किशनदास तथा भूमि तथा विकास अधिकारी को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था। अपीलकर्ता परिसर को 31 मार्च, 1984 को अथवा इससे पहले खाली कर देगा। वह इस आशय का वचनपत्र दो सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा	15-1-70 से 14-7-84 तक अनधिकृत निर्माणों आदि के नियमितिकरण की शर्तें पार्टी को 27-3-84/ 19-5-84 को सूचित कर दी गई है।	1, 9-1-84 को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया था कि अपील कर्त्ता भूमि तथा विकास अधिकारी को दुरुपयोग प्रभार अदा करेगा जो निर्माण और आवास मन्त्रालय, भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली के दिनांक 31-3-76 के कार्यालयादेश संख्या 23/ 76 के खण्ड (8) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, कार्या-

कि वह प्रतिवादी भू-स्वामी को 31 मार्च, 1984 को अथवा इससे पहले रिक्त तथा शान्तिपूर्ण कब्जा सौंप देगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा अथवा परिसर का कब्जा देगा। किराए की बकाएदारी यदि कोई हो, तो 31 मार्च, 1984 को अथवा इससे पहले प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा अदा कर जाएगी।

भूमि तथा विकास अधिकारी सहित सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हुईं कि प्रश्नगत दुरुपयोग बन्द कर दिया गया है तथा अनधिकृत निर्माण जोकि बना लिए गए थे, को भी फरवरी, 1982 तक हटा लिया गया है। अपीलकर्ता भूमि तथा विकास अधिकारी को दुरुपयोग के लिए प्रभार अदा करेगा जोकि निर्माण और आवास मन्त्रालय, भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली के दिनांक 31 मार्च, 1976 के कार्यालय आदेश के खण्ड (8) के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, जोकि निम्नलिखित रूप में पठित है :—

लय आदेश निम्नलिखि रूप से पठित है :

उन मामलों में जहां पट्टाधारी/भूतपूर्व पट्टाधारी दोषी किराएदारों के विरुद्ध दुरुपयोग नोटिस की प्राप्ति पर खाली कराने के लिए अपील दायर करता है तथा ऐसे किराएदारों के निष्कासन में सफल हो जाते हैं तो एक प्रतिशत प्रभार निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से जुर्माने के रूप में वसूल किए जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार दुरुपयोग प्रभारों का 1 प्रतिशत अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में जमा कराई गई 20,000 रुपये की राशि में से वसूल किया जायेगा। सरकारी वकील को आवश्यक

कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। अनधिकृत निर्माण के लिए हर्जाना प्रभार पर प्रतिशत समंजित दण्ड की वसूली के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने याचिकादाता की सिविल मिसलेनियस पैटिशन को 16-4-84 को अस्वीकार कर दिया है।

"जिस मामले में दुरुपयोग के लिए हमारे नोटिस की प्राप्ति पर पट्टाधारी/भूतपूर्व पट्टाधारी दोषी किराएदार के विरुद्ध बेदखली के लिए याचिका दायर करता है और इस प्रकार के किराएदारों को बेदखल कराने में सफल होता है, उस मामले में निर्माण और आवास तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से सांकेतिक दण्ड के रूप में प्रभारों का एक प्रतिशत वसूल किया जायेगा।"

इस प्रकार निर्धारित किये गए दुरुपयोग प्रभार अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय में जमा कराई गई 20,000 रुपये की राशि में से भूमि तथा विकास अधिकारी को भुगतान करने के बाद शेष रही राशि अपीलकर्ता को वापिस की जाएगी। भूमि तथा विकास अधिकारी दुरुपयोग प्रभारों की राशि पर 31 मार्च, 1984 तक या उससे पहले निर्णय करेगा। यदि भूमि तथा विकास अधिकारी राशि निर्धारित करने में विलम्ब करता है, तो अपीलकर्ता को इस न्यायालय में अगले निर्देशनों के लिए आवेदन करने की छट होगी। इस मामले

1	2	3	4	5	6
			में जारी किये गए निर्देश कि भूमि तथा विकास अधिकारी उक्त सन्दर्भित अनुच्छेद (8) के अनुसार दुरुपयोग प्रभारों तथा अनधिकृत निर्माण वसूल करेगा, किसी अन्य मामले के लिए पूर्वोदाहरण नहीं होगा। यह अपील तदनुसार बिना लागत के आदेश सहित समाप्त किया जाता है।		
6. इण्डियन एक्सप्रेस		बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	महाधिवक्ता तथा वरिष्ठ सरकारी वकील ने तर्क बन्द कर दिए थे और यह मामला निर्णय के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।	जब भी न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।	लागू नहीं
7. लोक कल्याण समिति		राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली	यह मामला अभी तक नहीं उठाया गया है।	—वही—	—वही—
8. राजेन्द्र नगर शिक्षा समिति		मानवस्थली स्कूल, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	उच्चतम न्यायालय ने अपील को निपटाने तक एकतरफा रोकादेश दे दिए।	मामले पर निर्णय दिए जाने के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी।	—वही—

9. मैसर्स क्यूरवैल (I)	बी० पी० 72 रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली	उच्चतम न्यायालय में 30-1-84 की तारीख निश्चित की गई थी और गुणावगुण के आधार पर यह मामला सुनवाई के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया।	क्योंकि यह मामला निर्णयाधीन है इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।	गुणावगुण पर सुनवाई के लिए यह मामला अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है।
10. स्वर्गीय श्री भगवान सिंह	13126, पूर्वी पटेल नगर	यह मामला अभी भी निर्णयाधीन है। अभी तक उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिए गए हैं।	न्यायिक रूप से निर्णय किए जाने के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।	न्यायालय द्वारा कोई अन्तिम आदेश नहीं दिए गए हैं।
11. श्री दर्शन सिंह, अखिल दिल्ली साइकिल रिक्शा चालक संघ के सचिव के रूप में	1982 की सिविल याचिका सं० 6404	यह मामला मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध है। इस मामले को अभी सुनवाई की सूची में नहीं लिया गया है। कोई अन्तिम आदेश नहीं दिए गए हैं।	मामले पर निर्णय लिए जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी।	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन्जीनियरों द्वारा लोदी कालोनी में भवन सामग्री की बिक्री

3283. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी कालोनी पूछताछ कार्यालय में तैनात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ इन्जीनियरों ने लोदी कालोनी में सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए भारी मात्रा में रखे गए सीमेंट शीशे और अन्य भवन सामग्री को हाल में गैर-सरकारी पार्टियों को बेचा है ;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निगरानी विभाग ने भवन सामग्री के निबटन में शामिल इन्जीनियरों को पकड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं और उन इन्जीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) लोधी कालोनी में सरकारी क्वार्टरों के अनुरक्षण के लिए सीमेंट की अधिक मात्रा, शीशे तथा अन्य भवन निर्माण सामग्रियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुछ इन्जीनियरों द्वारा गैर सरकारी पार्टियों को बेचने के प्रमाण अभी नहीं मिले हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एशियाई खेल गांव में वातानुकूलित रेस्तरां

3284. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल गांव में एक पानी के ओवरहैड टैंक के साथ-साथ एक वातानुकूलित रेस्तरां और दर्शक दीर्घा का निर्माण करने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या उक्त परियोजना पर 35 लाख रुपये खर्च किए जाने के बाद भी रेस्तरां आदि का निर्माण नहीं किया गया ; और

(ग) क्या वातानुकूलन की व्यवस्था न होने से सम्बन्धित फाइल लेखा-परीक्षा करने वालों को दिखाई गई थी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऊपरि जल टैंक तथा रेस्तरेन्ट एवम् दृश्यावलोकन गैलरी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था तथा एशियाई खेलों के दौरान इस्तेमाल में लाने

के लिए इसे खोल दिया गया था। एशियाई खेलों के दौरान एशियाई खेल ग्राम में प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध के कारण रेस्तरां को जनता के लिए नहीं खोला जा सका।

(ग) जी, हां।

चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जारी करना

3285. **श्री जी० भूपति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में चीनी की कीमतें कम करने के उद्देश्य से सरकार का विचार चीनी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने का है जो मांग के अनुरूप हो ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) प्रत्येक मास पर्याप्त मात्रा में मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की जा रही है ताकि खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा जा सके। अत: जून, जुलाई और अगस्त, 1984 के प्रत्येक मास के लिए 3.40 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई है जबकि 1983 में इन्हीं महीनों के लिए 2.30 लाख मीटरी टन से 2.60 लाख मीटरी टन के रेंज में मुक्त बिक्री की चीनी का मासिक कोटा निर्मुक्त किया गया था। मुक्त बिक्री की चीनी की उदारता पूर्वक निर्मुक्तियां करने से उपभोक्ताओं को उचित दरों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी सुलभ करना सुनिश्चित हो पाया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेलों के लेखा परीक्षित लेखे

3286. **श्री नीरेन घोष** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के लेखा परीक्षित लेखों में 100 करोड़ रु० का सरकारी व्यय बताया गया है ;

(ख) मूल अनुमान से इसमें कितनी धनराशि की वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या कोई अवैध टेण्डर मंजूर किया गया था ;

(घ) एशियाई खेलों के सम्बन्ध में हरियाणा की विभिन्न एजेंसियों तथा राज्य सरकार के क्या दावे हैं उसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या 400 फ्लैटों के निर्माण से सम्बन्धित समझौते का उल्लंघन किया गया है ; और

(च) एम० डी० सी० तथा डी० डी० ए० द्वारा इस संबंध में कितना अधिक व्यय किया गया है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के लिए संघ सरकार (सिविल) के लेखा पर नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने । एशियाई खेलों के आयोजन के लिए सितम्बर/1983 तक 62.43 करोड़ रुपए मुक्त किए थे जबकि अनुमानित व्यय 54.83 करोड़ रुपये था। वर्तमान संकेतों के अनुसार सरकार द्वारा खेलों के आयोजन पर लगभग 67 करोड़ रु० के व्यय की सम्भावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) हरियाणा सरकार ने एशियाड 82 से संबंधित 6 प्रतियोगिताओं को राई में आयोजित करने सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए 8.45 लाख रुपये मुआवजे की प्रतिपूर्ति का दावा किया है ।

(ङ) और (च) सम्बन्धित प्राधिकरणों से तथ्य मांगे गए हैं ।

एफ० पी० ओ० लाइसेंसों के विरुद्ध शिकायतें और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

3287. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** एफ० पी० ओ० लाइसेंसों के विरुद्ध शिकायतें और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 291 एफ० पी० ओ० लाइसेंसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्हें एफ० पी० ओ० की धारा 11 (3) का उल्लंघन करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ;

(ख) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आज तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपभोक्ता संगठनों के यह आरोप कि इस आदेश (एफ० पी० ओ०) के क्रियान्वियन से सम्बन्धित अधिकारी दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में विलम्ब कर रहे हैं सही हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में निरन्तर उल्लंघन करने के बारे में उपभोक्ता ग्रुप "वोइस" द्वारा निदेशक (एफ० एण्ड वी० पी०) को की गई विशिष्ट शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) कुछेक मामलों में उत्पादन को रोक देने सहित फल उत्पाद आदेश, 1955 के खण्ड 11 (3) का अनुपालन करवाने के लिए कार्रवाई की गई है । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि उन लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई न की जाए जिन्होंने सांविधिक उपबन्धों का अनुपालन करना शुरू कर दिया है या उनका अनुपालन करने का वचन दिया है। इस सम्बन्ध में रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है । आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा ऐसे कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं जो इस खण्ड के अनुरूप नहीं होते हैं । इसी प्रकार, सेंसर प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं विज्ञापन-फिल्मों को दिए जा रहे हैं जिनमें खण्ड 11 (3) की अनुपालना की गई हो ।

(ग) जी, नहीं।

शीतल पेय जल में प्रयोग किए जाने वाले रसायन और घुलनशील ठोस

3288. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** शीतल पेय पदार्थों में प्रयुक्त मिठास करने वाले तत्व के बारे में 1 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्लेषण किए गए नमूनों के अनुसार एफ०पी०ओ० लाइसेंस संख्या 5200, 5238, 3 2905, 2380, 1938 और 4000 के अन्तर्गत निर्मित प्रत्येक ब्रांड में कौन-कौन से, किस-किस किस्म के तथा कितनी-कितनी प्रतिशतता में कृत्रिम गंध और रंग पैदा करने वाले पदार्थों का प्रयोग किया गया ;

(ख) प्रत्येक ब्रांड के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले सभी घुलनशील ठोस और रसायनों के नाम, किस्म और प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे प्रत्येक बोतल पर शीतल पेय के अन्तर्पदार्थों का उल्लेख करें ताकि उपभोक्ता ऐसे शीतल पेय का स्वतन्त्रतापूर्वक चयन कर सकें, जिसमें कृत्रिम गंध अथवा रसायनों का प्रयोग न किया गया हो ?

इलेक्ट्रानिकी, खाद्य और नागरिक पूर्ति उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) मीठे वातित जल के निर्माताओं से फल उत्पाद आदेश के अधीन कृत्रिम सुगन्ध/रंजक तत्वों/विलेय-सालिड्स/रसायनों के नाम/स्वरूप की घोषणा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उनके द्वारा प्रयोग किए गए मात्रात्मक फार्मूलेशन्स को बताना वांछनीय नहीं समझा जाता है। तथापि, उक्त उत्पादों के प्रयोगशाला विश्लेषण से यह पता चलता है कि आदेश के अन्तर्गत विहित सीमा के अन्दर ही अनुमत रंगों, सुगन्ध/परिरक्षी तत्वों, सैकेरिन और कैफीन का इस्तेमाल किया गया है। सभी उत्पादों में विलेय-सालिड्स और चीनी उतनी ही मात्रा में पाए गए हैं जोकि न्यूनतम विहित सीमा से कम नहीं हैं।

फल उत्पाद आदेश लाइसेंस संख्या 4000 को परोसने के लिए तैयार पेय में रंग, कुल विलेय-सालिड्स और परिरक्षी तत्व आदेश के अन्तर्गत विहित सीमा के अन्दर पाए गए हैं।

(ग) मीठे वातित जल के सभी निर्माताओं द्वारा स्वीकृत लेबलों पर रंग, सुगन्ध, परिरक्षी तत्वों और सैकेरिन के इस्तेमाल किए गए हों, के बारे में घोषणा करना अपेक्षित होता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु को धनराशि का आबंटन

3289. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ;

(ख) क्या इन धनराशियों को स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य परियोजना के उपयोग में लाने की व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार धनराशियों को किसी परियोजना अन्य में उपयोग में लाने के मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य को वर्ष 1982-83 के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी थी, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल 15 अगस्त, 1983 से आरम्भ किया गया है।

(ख) व (ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजनाएं तैयार करनी होती हैं और उनके कार्यान्वयन से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित केन्द्रीय समिति से इनकी स्वीकृति लेनी होती है। तथापि, निधियों का बंटन परियोजना-वार नहीं किया जाता और इसीलिए राज्य सरकार इन निधियों का उपयोग किसी भी स्वीकृत परियोजना के लिए कर सकती है।

लारेन्स रोड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण

3291. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 5 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मन्दिर के लिए कोई पंजीकृत समिति/निकाय है अथवा उस कालोनी के निवासी उपर्युक्त निर्माण के लिए चन्दा देते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त अनधिकृत निर्माण किसी व्यक्ति का निजी मकान न होकर मन्दिर कैसे हो सकता है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त निर्माण को गिराने के प्रयास किए हैं और जनता ने उसका विरोध किया है, यदि हां, तो किस सीमा तक विरोध किया है, यदि नहीं, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्माण को गिराए जाने के रास्ते में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा लोगों की धार्मिक भावना आड़े आएगी ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जमीन पर अनधिकृत निर्माण अभी भी जारी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जमीन को खाली कराने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण आवास और मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचनानुसार मन्दिर के प्रबन्ध के लिए कोई पंजीकृत निकाय नहीं है। एक श्री राम कुमार मन्दिर का स्वयंभू मैनेजर है। यह भी सूचित किया गया है कि वह मंदिर के निर्माणार्थ कालोनी में चंदा एकत्र करता है।

(ख) निर्मित भाग में दो हिस्से हैं ; एक भाग में 63 वर्ग गज का मन्दिर है जिसमें देवी-देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है तथा 90 वर्ग गज का दूसरा भाग श्री राम कुमार द्वारा रिहायशी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जा रहा है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। कानून एवं व्यवस्था समस्या तथा लोगों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए मन्दिर को, जो कि अनधिकृत निर्माण है, नहीं हटाया जा सका।

जीत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

3292. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यू बैंक आफ इण्डिया, डिफेन्स कालोनी शाखा, नई दिल्ली से ऋण प्राप्त करने के लिए जाली बैंक गारण्टी देने के आरोप में मैसर्स जीत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, दिल्ली और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना की रिपोर्ट दायर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी/निगम से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) मैसर्स जीत इलेक्ट्रीकल्ज, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को प्रस्तुत की गई नकली बैंक गारण्टी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पुलिस के पास कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई है।

(ख) चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इसलिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के किसी अधिकारी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बहिरंग वाणिज्यिक विज्ञापन का प्रदर्शन

3293. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका बहिरंग वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए किस दर से प्रभार लेती है और बहिरंग प्रदर्शन स्थलों की नीलामी करने अथवा उन्हें पट्टे पर देने के लिए क्या व्यवस्था है तथा क्या यह कार्य एजेन्टों के माध्यम से किया जाता है अथवा विज्ञापनदाता को सीधे दे दिये जाते हैं ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बाहरी स्थानों पर प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों में सांविधिक सूचनाएं लिखी हों जो कानून के अन्तर्गत अपेक्षित है ; यदि हां, तो दिल्ली में शीतल पेयों सम्बन्धी बहिरंग विज्ञापनों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये फर्ल

उत्पादक आदेश के खण्ड 11 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित सांविधिक सूचनाएं क्यों नहीं होती हैं ; और

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में सांविधिक उपबन्ध लिखे जायेंगे कि शीतल पेयों में "बनावटी स्वाद" है और कोई फल रस नहीं है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए निर्धारित दर सूची (विज्ञापन कर) की प्रतिलिपि इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8580/84**] पालिका अपनी नीति के कारण वाणिज्यिक विज्ञापनों के बाह्य प्रदर्शन के लिए स्थलों को न तो पट्टे पर और न ही नीलामी द्वारा आबंटित करती है।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा यथा सूचित, बाह्य वाणिज्यिक विज्ञापन, कुल मिलाकर उनकी पूर्व अनुमति के बिना लगाए जाते हैं और इस प्रकार से बाह्य वाणिज्यिक विज्ञापनों में सांविधिक सूचना को शामिल करने का निर्देश देने के लिए उन्हें अवसर ही नहीं मिलता है। नई दिल्ली नगरपालिका के अनुसार विभिन्न कानूनों की दण्ड व्यवस्था को नियमित करने वाले प्राधिकारियों को प्राथमिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञापन व्यवस्था द्वारा नोटिसों की शर्तों को पूरा कर लिया गया है।

वनों की कटाई रोकने के उपाय

3294. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में कितने वर्ग किलोमीटर भूमि से वन काट दिए गए हैं ;

(ख) पर्यावरण असंतुलन के कारण लोगों को उक्त अवधि के दौरान कितनी हानि हुई है और उसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा है ;

(ग) वनों की कटाई रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) कितनी भूमि पर वन रोपण किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अक्तूबर, 1980 से अब तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी से करीब 182 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को गैर-वानिकी कार्यों के लिए अनारक्षित घोषित किया गया है अथवा अपवर्तित किया गया है।

(ख) इलाकावार आधार पर नुकसान होने का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) निम्नलिलत महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :—

(1) वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए अन्धाधुन्ध तरीके से अनारक्षित किए जाने अथवा अपवर्तित किए जाने पर रोक लगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जाना।

(2) पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई के खिलाफ सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने के लिए राज्य सरकारों ने कानूनी उपाय किए हैं।

(3) संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक सतर्कता को तेज किया गया है तथा गश्ती दल शुरू-आत की गई है।

(4) अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने वन सम्बन्धी कार्यों में लगी ठेकेदारों की एजेंसियों को समाप्त कर दिया है।

(5) वनों के सम्बन्ध में प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(घ) 1979-80 तक देश में करीब 35.6 लाख हैक्टार क्षेत्र को वन रोपण सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के तहत लाया गया है। छठी योजना (1980-85) 21.5 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

बाढ़ से हुई भारी क्षति का मूल्यांकन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त केन्द्रीय दल

3295. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भयंकर बाढ़ से हुई व्यापक क्षति, जिससे 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, का मूल्यांकन करने और पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत की धनराशि के दुरुपयोग के बारे में जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार केन्द्रीय दल की स्थापना का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ज्ञापन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मात्रा और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता का ब्यौरा दिया जाता है, प्राप्त होने पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ों के सम्बन्ध में राज्य से केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु अभी तक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: केन्द्रीय दल भेजने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य को अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई है। राज्य प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत हेतु उनके पास उपलब्ध 1360 लाख रुपए की मार्जिन धनराशि से स्थिति से निपटा जा रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को सहायता

3296. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कौन-कौन से राज्य बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हुए और प्रत्येक ऐसे राज्य को इसके लिए क्या सहायता दी गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को इसके लिए क्या सहायता दी गई और उसने कितनी राशि की मांग की थी :

(ग) क्या देश में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आदपदाओं के कारण हुई हानियों के लिए बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के दौरान सूखे तथा बाढ़ समुद्री तूफान से प्रभावित राज्यों के नामों तथा मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता के बारे में जानकारी देने वाले विवरण-1 तथा विवरण-2 संलग्न हैं।

(ख) 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए मांगी गई सहायता तथा गुजरात सरकार को मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित जानकारी विवरण-3 में दी गई है।

(ग) तथा (घ) देश में 1979 से फसल बीमा की एक मार्गदर्शी योजना चल रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण-4 में दी गई हैं।

विवरण-I

1981-82 से 1983-84 तक सूखा राहत के लिए विभिन्न राज्यों को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.25	68.77	28.26
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	—	25.01	8.98

1 2	3	4	5
4. गुजरात	—	30.60	9.18
5. हरियाणा	8.25	11.82	—
6. हिमाचल प्रदेश	2.65	13.02	—
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	13.81	8.81	14.00
9. केरल	—	4.10	42.46
10. मध्य प्रदेश	—	34.36	22.29
11. महाराष्ट्र	—	56.89	11.63
12. मणिपुर	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	—	15.98	24.65
16. पंजाब	—	—	—
17. राजस्थान	87.83	74.00	39.85
18. सिक्किम	—	0.17	0.13
19. तमिलनाडु	49.77	18.39	59.15
20. त्रिपुरा	1.10	0.91	—
21. उत्तर प्रदेश	—	—	1.57
22. पश्चिम बंगाल	1.50	74.27	30.59

विवरण-2

1981-82 से 1983-84 तक के दौरान बाढ़, बर्फीले तूफान, समुद्री तूफान आदि के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा बढ़ाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1981-81	1982-83	1983-84
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.82	—	96.70
2.	असम	—	9.47	11.07
3.	बिहार	20.74	17.48	—
4.	गुजरात	—	41.94	39.22
5.	हरियाणा	—	1.75	17.07
6.	हिमाचल प्रदेश	2.41	4.03	8.29
7.	जम्मू व कश्मीर	0.40	—	1.00
8.	कर्नाटक	2.81	4.42	3.29
9.	केरल	8.41	0.11	—
10.	मध्य प्रदेश	—	2.07	5.69
11.	महाराष्ट्र	—	—	24.68
12.	मणिपुर	1.60	—	—
13.	मेघालय	—	0.33	1.90
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	0.56	170.52	—
16.	पंजाब	—	—	—
17.	राजस्थान	45.06	0.32	8.93
18.	सिक्किम	2.22	—	4.40
19.	तमिलनाडु	—	—	41.18
20.	उत्तर प्रदेश	15.46	67.23	65.79
21.	पश्चिम बंगाल	18.18	7.57	—
22.	त्रिपुरा	—	0.56	4.50

विवरण-3

1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए मांगी गई तथा गुजरात को मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण

करोड़ रुपए)

आपदाएं	1981-82		1982-83		1983-84	
	मांगी गई रकम	मंजूर की गई	मांगी गई रकम	मंजूर की गई	मांगी गई रकम	मंजूर की गई
सूखा	—	—	202.00	20.60	1982-83 में शामिल	9.18
बाढ़	—	—	154.63	41.94	161.85	39.22

विवरण-4

मुख्य फसल बीमा योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला विवरण

देश में 1979 से फसल बीमा की एक मार्गदर्शी योजना चल रही है। यह योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की सलाह से तैयार की गई थी। यह क्षेत्र नीति पर आधारित है, जिसके तहत चुनिंदा क्षेत्रों में बीमाकृत सभी किसानों के लिए प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति की दरें समान हैं। यह योजना फसल सम्बन्धी ऋणों से जुड़ी हैं। प्रति किसान बीमाकृत धनराशि फसल ऋण का 15 प्रतिशत है, जो सिंचित क्षेत्रों में 10,000 रुपए तथा असिंचित क्षेत्रों में 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। बीमा सम्बन्धी नीतियां फसल मौसम के दौरान युद्ध तथा अणु जोखिमों के अलावा, सभी परिचालन जोखिमों को कवर करती हैं। फसल क्षति के मामले में सभी बीमाकृत किसानों को क्षतिपूर्ति देय है, बशर्ते कि क्षेत्र की उपज प्रतिभूत पैदावार से नीचे गिर जाती है। प्रीमियम कम रखने के लिए, एक क्षेत्र की प्रतिभूत उपज परिकलन करते समय गैर क्षतिपूर्ति योग सीमा निर्धारित की जाती है। मार्गदर्शी योजना सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। बीमा सम्बन्धी पालिसियां अलग-अलग किसानों के नाम जारी नहीं की जाती हैं। बीमाकृत रकम को बताने वाली एक मुश्त धनराशि सिर्फ एक पालीसी सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक के नाम पर जारी की जाती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्पूर्ण बैंक बीमा पालिसी के लिए सामान्य बीमा निगम को प्रीमियम अदा करते हैं। इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना में अब कई आशोधन किए गए हैं। प्रीमियम की दरें निम्नलिखित रूप में हैं :—

1.) कम जोखिम के क्षेत्र — जहां प्रीमियम की बीमाकृत रकम का 5 प्रतिशत तक जाता है।

2) मध्य जोखिम वाले क्षेत्र	जहां प्रीमियम बीमाकृत रकम का 5 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत तक के बीच घटता-बढ़ता है।
3) अधिक जोखिम वाले क्षेत्र	जहां प्रीमियम बीमाकृत रकम का 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता है।

2. प्रारम्भ में यह योजना 1979 तथा 1980 के दौरान तीन राज्य सरकारों अर्थात गुजरात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाई गई थी। अब तक यह योजना बारह राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल द्वारा अपनाई गई है। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यशाला में, जो फरवरी, 1983 में आयोजित की गई थी, भाग लेने वाले राज्य सरकारों से इस योजना को अपनाने पर बल दिया गया था।

उड़ीसा में समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रोसेसिंग एककों की स्थापना करना

3296-क. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्यों में समुद्री खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने वाले एकक अधिक संख्या में स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ;

(ख) यदि हां तो उड़ीसा में विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में समुद्री खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने वाले एककों को स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो निजी तथा सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में छठी योजना के दौरान अब तक समुद्री खाद्य पदार्थ प्रोसेस करने वाले कितने एकक स्थापित किये गए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मंत्रालय का अपने नियन्त्रणाधीन ऐसे उद्योगों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अवसंरचना के विकास, सुविधाओं की व्यवस्था जैसे कि प्रशीतित-ट्रकों, शीतागारों ऊषारोधी मत्स्य डिब्बों का विवरण, मछली उतारने के प्लेटफार्म बनाने, कीलने के शैडों को आधुनिक बनाने में सहायता करने आदि से सम्बन्धित योजनाएं तैयार की हैं। यह नए उत्पादों का विकास, गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धतियों और विपणन आसूचना से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी देता है. परिसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने हेतु संस्थागत वित्त उपलब्ध है।

कृषि मंत्रालय के तहत समेकित मार्ग मत्स्यकी परियोजना मछली संसाधन की विभिन्न पद्धतियों का विकास करने और मछलियां और अन्य समुद्री जीवों की अब तक की अपरम्परागत मदों से संसाधन का विकास करने में लगी हैं। संसाधन और विपणन के क्षेत्र में तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त यह संसाधन प्रौद्योगिकी प्रशीतन तकनीकों आदि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देता है।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में स्थापित की गई समुद्री खाद्य संसाधन एककों की संख्या 8 है और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नहीं है।

(ङ) ब्यौरा निम्नलिखित है :—

स्थापना का वर्ष	एकक का नाम	हिमायन क्षमता (प्रतिदिन मीटरी टन में)
1980-81	मैसर्ज जार्ज मेजो निर्यात प्राइवेट लि०, वालगांव	7 मीटरी टन
1980-81	मैसर्ज पी० एण्ड एस० प्राइवेट लि०, पुरी	5 मीटरी टन
1980-81	मैसर्ज सूर्य उद्योग, प्राईवेट लि०, भुवनेश्वर	2.5 मीटरी टन
1980-81	मैसर्ज पारादीप मैरीन लि०, पुरी	5 मीटरी टन
1981-82	मैसर्ज सी० लार्ड सीफूड्स, पुरी	2.5 मीटरी टन
1981-82	मैसर्ज पी० एण्ड एस० प्राइवेट लि०, पुरी	5 मीटरी टन
1981-82	मैसर्ज हेमकुण्ड आइस फैक्टरी, प्राइवेट लि०,	2.5 मीटरी टन
1982-83	मैसर्ज उड़ीसा मैरीन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, भुवनेश्वर	3 मीटरी टन

12.00

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। ओलम्पिक गेम्स में भारत को शून्य मंडल मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप कालिंग एटेंशन दे दीजिए, उसको देख लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : इतना रुपया एशियाड पर खर्च हुआ है और इतना पैसा अब खर्च हुआ है और बिना मंडल के लौट कर आए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी मामला उठा रहा हूं। समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि गृह मंत्रालय के निकट के सूत्रों से यह संकेत मिले हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से सम्बन्ति संविधान के अनुच्छेद सं० 356 में संशोधन किए जाने की संभावना है। संपादकीय में ऐसा प्रकाशित···

अध्यक्ष महोदय : अपने पास आएगा, और आया तो।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन मंत्रालय ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह समाचार सही है अथवा नहीं। सभा का सत्र चल रहा है तथा यह समाचार भी जोरों पर है। अतः यह उनके हित में ही होगा कि वह इसे स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रेस में तो आते रहते है।···(**व्यवधान**)···आऊटसाइड नहीं होगा। होगा तो यहीं।

श्री अटलविहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : वह तो चलता रहता है। एजीनमेंट मोशन का कोई मौका नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पांच किस्तें बाकी हो गई हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और 15 अगस्त से पहले ये किस्तें उनको मिलनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप वित्त मन्त्री को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इस विषय पर अलग से चर्चा क्यों न की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब रोका है।

श्री सतीश अग्रवाल : कीमतें बढ़ने के बारे में अलग से चर्चा की जाए। हर हफ्ता एक प्वाइन्ट महंगाई बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्राइस राइज पर डिस्कशन दिया है।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : क्या मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री के लिए खुले रूप में यह प्रचार करना उचित है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली लाई जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ। हमारे यहां लोकतंत्र है। आप इस पर इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : क्या उनके लिए यह कहना उचित है ? हम सरकार से यह अनुरोध करते है कि वह इस बारे में कोई ठोस बात कहे। आप उनसे इसे स्पष्ट करने को कहें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैंने इसी सदन में नियम 377 के तहत भारत सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें देने का सवाल उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन तो लिया है। आप समझदार आदमी होते हुए गलत बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं होगी। आप बेकार ही मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। मैं इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय मेरे ख्याल में मूल्य नीति के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से इस सभा को सन्तुष्टि नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप पर है। आप ही इसे करते हैं। इस बारे में निर्णय लेते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : इन्होंने कहा है कि हमारी नीति साफ है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आएगा, तो देखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर सही रूप से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप को निर्णय लेना है। आप इस पर कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लेते हैं। यह मैं कह रहा हूं। आप पर निर्भर करता है। इसमें संशोधन करना। मैंने इसमें आपत्ति नहीं की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे ख्याल में इस बारे में निर्णय हो गया था···

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही वृत्तांत देखिए। आप उस बैठक में थे। आप जो भी निर्णय करेंगे मैं उसे करूंगा। वही होगा।

श्री राम प्यारे पनिका (रार्वट्सगंज) : उत्तर प्रदेश का काफी भाग और खास तौर पर मिर्जापुर और मेरा निर्वाचन क्षेत्र रावर्ट्सगंज अभूतपूर्व सूखे से प्रभावित है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, देखेंगे। फ्लड्स के बारे में तो कर लिया है और सूखे का भी कर लेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : इस समय राजस्थान में तकरीबन 20 जिले सूखे से भयंकर रूप से प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे। एक दफा हो तो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दस बार कहिए अथवा बाकी लोग इसे दोहराते रहें, बात तो वही रहेगी। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आपकी बात को कोई ज्यादा महत्व तो मिल नहीं जाएगा।

श्री ईश अनवारासु (चिंगलपट्टु) : तमिलियों की हो रही हत्याओं···

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही विषय उठा रहे हैं। इस सभा में हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। आप द्वारा ऐसा किया जाना सरासर गलत है। आप सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं आप को अनुमति नहीं दूंगा। यह बहुत ही गलत बात है। जब इस सभा ने यह निर्णय कर लिया है कि हम 12.30 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे, आप फिर इसे उठा रहे हैं। क्या आप ऐसा करके इसे ज्यादा प्रभावी बना लेंगे ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? हमने जब पहले ही निर्णय कर लिया है तो क्या आप उसमें शामिल नहीं थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुन ली गई है। वह इस बात को उछाल रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं भी आपसे यह अनुरोध कर···

अध्यक्ष महोदय : अगर यह इसी बारे में है तो हम 12.30 बजे···

श्री चन्द्रजीत यादव : इस बारे में नहीं। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मूल्य-वृद्धि के बारे में विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो हमेशा सभा के अनुसार ही चलता हूं। मैंने कभी भी किसी चर्चा के लिए आपत्ति नहीं थी। अगर समय है तो यह हो सकती है। सरकार भी इसके खिलाफ नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, कृपया इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोइय : मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सूखे की स्थिति को देखते हुए महंगाई और भी अधिक बढ़ सकती है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस पर इस लिए जोर दे रहे हैं क्योंकि सरकार शायद इस प्रकार की चर्चा होना पसन्द न करें।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आपको कैसे मालूम ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में वह भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उस समय वह इसके लिए कुछ कह सकते थे।

प्रो० मधु दंडवते : आपको क्या मालूम ? वह बदल सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्री बूटा सिंह सरबत सम्मेलन आदि में व्यस्त हैं। क्या वह सरकार की खेल नीति के बारे में विवरण देंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं व्यक्तिगत शिकायतें नहीं सुन सकता। यह सही नहीं है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हैवी इन्जीनियरिंग निगम, रांची के 1600 वर्कर 9 तारीख से हड़ताल पर हैं। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना चाहता हूं···।

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य का विषय है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : खेल-नीति के बारे में आपने क्या सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम कुछ करेंगे···

खेल, निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आप को इसे खेल भावना से···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार के लिए यह बहुत ही अपमानजनक बात है। एशियाई खेलों में आपका इतना नाम था। अब क्या हो गया ?

श्री राम विलास पासवान :**···

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं मैंने पहले ही सभा में यह कह दिया है कि इस मामले पर कार्यमंत्रणा समिति विचार करेगी। जो भी वह निर्णय करेगी. वही होगा।

बोलो, इसका मेरे पास क्या इलाज है। मेरी बात सुनिए। अगर कभी-कभी आप व्रत कर लो तो पेट के लिए ठीक रहेगा। कभी-कभी ऐसा व्रत कर लो तो दिमाग के लिए ठीक रहेगा।

(**व्यवधान**)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : केरल में हुए सीमेंट घोटाले के बारे में ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला मेरे पास है ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : श्रीमन्, मैंने पिछले सप्ताह आप से कहा था कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में मलेरिया बहुत भयंकर रूप से फैला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत लिख कर दे दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय आप अवश्य ही मुझे अपनी बात बताइये। दो केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा कलकत्ता में अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां किसी मंत्री के आचरण पर चर्चा नहीं करना चाहता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय खाद्य निगम का 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों का विवरण

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8567/84]

पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अधीन अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं—

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्-घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 115 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् गैर-सरकारी सदस्य (भत्तों की अदायगी) (पहला संशोधन) नियम 1984, जो 6 अप्रैल, 1984 के पंजाब के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 36 में प्रकाशित हुए थे।

(2) पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् (सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थानों का विक्रय, पट्टे पर देना और अन्य हस्तान्तरण) (पहला संशोधन) नियम, 1984, जो 25 अप्रैल, 1984 के पंजाब के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 44 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं० एल० टी० 8568/84]

भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1984 राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आनन्द का 1982-83 वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 505 (अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 8469/84]

(2) (एक) राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आनन्द, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड, आनन्द, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8570/84]

(4) (एक) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम, (4) के अन्तर्गत, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मद्रास, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षत लेखे।

(दो) भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8571/84]

(6) नेशनल कोआपरेटिव डैवेलेप्मेंट कारपोरेशन, नई, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओ को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक पुनरीक्षित* विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8572/84]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे, विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1984 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 अगस्त, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का निदेश हुआ और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बंन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया यथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुकरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 9 अगस्त, 1984 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1984 को पारित हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

---

*उक्त विवरण 9 अप्रैल, 1984 को सभा पटल पर रखा गया था।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का विदेश हुआ है। कि राज्य सभा 10 अगस्त, 1984 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1984 को पारित बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री राजेश पाइलट।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप श्री गनी खां चौधरी को यह सुझाव देंगे कि···

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे सदन के बाहर मिल सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पाइलट।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कृषि आदानों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ उपज का मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कृषि आदानों और अन्य जिन्सों की कीमतों में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करने की जरूरत तथा सरकार द्वारा इस बारे में की-गई-कार्यवाही।"

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि आदानों और अन्य जिन्सों की कीमतों में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करने की जरूरत का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। जैसाकि मैंने पहले भी इस

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदन में कई बार जिक्र किया है कि सरकार की कृषि मूल्य नीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उनके हितों की रक्षा करने की है। सरकार इस प्रयोजन के लिए हर मौसम में वसूली/समर्थन की घोषणा करती है। बहुत-सी जिन्सों की सार्वजनिक एजेंसियों के जरिए समर्थन कीमतों पर खरीद की व्यवस्था की जाती है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए दो पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। एक यह है कि उन्नत बीजों, उर्वरकों, बिजली, डीजल, वनस्पति रक्षण रसायनों, खेती के औजारों और मशीनरी आदि आदानों की कीमतों में हुई वृद्धि का उसे उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, उसकी घरेलू खपत की मुख्य मदों के बारे में उसकी खरीद करने की ताकत की समुचित रूप से रक्षा की जाए। सरकार कृषि मूल्य नीति तैयार करते समय इन दोनों पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान देती है।

कृषि मूल्य आयोग समर्थन मूल्यों के बारे में सिफारिश करते समय कई बातों का ध्यान रखता है, जैसे उत्पादन लागत पर उपलब्ध आंकड़े, आदानों की कीमतों में परिवर्तन, अन्तः फसल कीमत में उतार-चढ़ाव, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, देश की मौजूदा सामान्य आर्थिक स्थिति आदि।

कृषि मूल्य आयोग जिन उत्पादन लागत आंकड़ों का प्रयोग करता है वे विशेषज्ञों की अवधारणा, पद्धति और नमूना डिजाइनों के अनुसार मुख्यतः कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए व्यापक देशव्यापी अध्ययनों पर आधारित होते हैं। उत्पादन लागत अनुमानों का आंकलन करते समय सभी आदानों जैसे मानव श्रम, भाड़े पर लिया गया या पारिवारिक दोनों, बैल श्रम, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, मशीन श्रम, सिंचाई आदि के मूल्य का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। लागत अनुमानों में औजारों, मशीनरी और फार्म भवनों के अवमूल्यन, कार्यकारी पूंजी, सावधिक पूंजी पर ब्याज, पट्टे की भूमि का किराया और यहां तक कि निजी भूमि पर आरोपित किराया और अन्य विविध खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है जिसे किसानों को खेती के काम में वहन करना पड़ता है। इसके अलावा, जब कृषि मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करता है तो वह वृहत योजना के तहत उपलब्ध उत्पादन लागत के अनुमानों को अद्यतन करते समय मूल्यों को बढ़ाने के लिए आदानों की कीमतों में होने वाली किसी भी वृद्धि पर भी विचार करता है। इस प्रकार वसूली/समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले आदानों की कीमतों में होने वाली हर वृद्धि को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है।

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने जब 1980 में कार्यभार ग्रहण किया तो कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इन विचारार्थ विषयों में एक नई बात यह जोड़ी गई कि कृषि मूल्य आयोग कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करे। इसका उद्देश्य यह था कि आयोग इस बात का भी ध्यान रखे कि किसान की खरीद करने की ताकत की समुचित रूप से रक्षा हो।

पिछले साढ़े चार सालों में सरकार द्वारा अनाज की फसलों के वसूली या समर्थन मूल्यों में 31 से 44 प्रतिशत, दालों में 40 से 71 प्रतिशत, कपास में 46 प्रतिशत और प्रमुख तिलहनों में 47 से 66 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

याद रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन

बढ़ाना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि मूल्य नीति एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में सही किस्म के आदानों की ठीक समय पर और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की व्यवस्था करने, अनुसन्धान के जरिए नई तकनालोजी के विकास और उसके प्रसार, संस्थागत ऋण की आपूर्ति, बिजली, डीजल और अन्य आदानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की व्यवस्था आदि समर्थन के अन्य कई प्रयास करने पर भी ध्यान देना होता है। सरकार ऐसी सभी जरूरतों के प्रति पूर्णतः जागरूक है और उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है। पिछले चार वर्षों में चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, तिलहनों और अन्य फसलों के रिकार्ड उत्पादन के स्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य और कृषि विकास के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को किसानों का अनुकूल समर्थन मिल रहा है।

श्री राजेश पाइलट : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कृषकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है जिसे हम पिछले दो-तीन वर्षों से उठाते रहे हैं। माननीय मन्त्री ने सरकार की नीति जाहिर की है। पर हमारे राष्ट्र नेताओं ने कृषक का जो अलग ही चित्र खींचा था, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। स्वर्गीय पण्डित नेहरू ने कहा था :

"इस देश का भविष्य भारतीय कृषकों पर टिका हुआ है।"

यही नहीं, उन्होंने अपने निधन से पहले कहा था :—

"मेरे शरीर की राख को भारतीय कृषकों के खेतों में समाहित कर दिया जाए।"

पण्डित नेहरू का भारतीय कृषकों के प्रति ऐसा प्रेम था।

हमारी प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसान रैली में यह कहा है कि कृषक इस राष्ट्र का भरण-पोषण ही नहीं कर रहे बल्कि राष्ट्र की रक्षा भी कर रहे हैं।

हम विभिन्न रूपों में वर्णित देश के उस नागरिक की चर्चा कर रहे हैं। यदि सरकार ने अपने वक्तव्य में उसकी जरूरतों के प्रति पूरी जागरुकता प्रदर्शित की होती तो मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहता। इस वक्तव्य में उसकी जो जरूरतें दर्शायी गई हैं उन्हें मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :—

"एक यह है कि उन्नत बीजों, उर्वरकों, बिजली, डीजल, वनस्पति रक्षक रसायनों, खेती में औजारों और मशीनरी आदि आदानों की कीमतों में हुई वृद्धि का उसे उचित मुआवजा दिया जाए।"

"दूसरा, उसकी घरेलू खपत की मुख्य मदों के बारे में उसकी खरीद करने की ताकत की समुचित रूप से रक्षा की जाए···।"

हमारा संघर्ष भी इन्हीं बातों को लेकर है। यदि इन पर ध्यान दिया जाता है तब इस पर चर्चा का कोई मुद्दा नहीं बचता है और सरकार से पूछने के लिए हमारे पास कोई बात नहीं रह जाती है।

परन्तु महोदय, उन्होंने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 3 में यह कहा है। मैं वक्तव्य में से उद्धृत करता हूं :—

"पिछले साढ़े चार सालों में सरकार द्वारा अनाज की वसूली या समर्थन मूल्यों में 31 से 44 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है : यह वृद्धि 13 प्रतिशत थी। यह तो उन्हीं के आंकड़े हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में मूल्य सूचकांक कितना बढ़ गया है ? यह अनुपात कितना अधिक है ? आपने इसे 13% बढ़ाया है। पर मूल्य सूचकांक 60 से 80 प्रतिशत बढ़ गया है। क्या इसे किसानों की मदद कहा जा सकता है। क्या आपका यह कहना है कि आपने अपने वक्तव्य में जिन दो जरूरतों का जिक्र किया था उन्हें ध्यान में रखा है ?वह यह कि आपने किसानों की जिंसों की क्रय शक्ति तथा किसानों द्वारा उन पर खर्च की जा रही राशि को ध्यान में रखा है ? महोदय, समस्या यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। मैं अभी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था। सरकार ने एक कृषि मूल्य आयोग (ए०पी०सी०) नियुक्त किया है। अब, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इसकी रचना क्या है ? किसानों के भाग्य का निर्णय करने वाले लोग कौन हैं। आप विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापकों को बुलाकर उनसे गेहूं का मूल्य तय करने को कहते हैं। क्या इसमें प्रतिनिधि के रूप में कोई किसान होता है जो कि आपको यह बता सके कि नवम्बर के महीने में जबकि उसे रात की कड़ी ठण्ड में पानी देना पड़ता है तो उसे कैसा लगता है ? आपका कहना है कि आपका एक कृषि प्रतिनिधि, चौधरी रणधीर सिंह है। उन्होंने मद्रास में इस बावत कुछ कहा था जो कि 'हिन्दुस्तान' में छपा था।" इसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :—

"कांग्रेस (आइ०) के किसान सैल के अध्यक्ष रणधीर सिंह जी ने कृषि मूल्य आयोग की कार्य-प्रणाली की आलोचना की है और इसके स्थान पर एक नया संगठन बनाने का सुझाव दिया है जो उत्पाद के साथ उत्पादन-साधनों का भी मूल्य निर्धारित करे।"

यदि वह उसमें किसानों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं तथा वही जानकारी दे रहे हैं तो उन्होंने स्वयं ही कहा है कि कृषि मूल्य आयोग (ए०पी०सी०) ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। कृषि मूल्य आयोग (ए०पी०सी०)की रचना ठीक नहीं है। अतः मैं इसकी रचना के बारे में जानना चाहता हूं। यदि आप देश के विभिन्न भागों की अपेक्षाओं को ध्यान में न रखकर तीन भिन्न विभागों के सचिवों से किसानों के भाग्य का फैसला करने को कहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते।"

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुना था कि ए०पी०सी० एक किस्म का पाउडर होता है जो कि सिरदर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यही आपका सिरदर्द कर दे तो यह ए० पी० सी० कैसे हो सकता है ?

श्री राजेश पाइलट : महोदय, आजकल हरेक डाक्टर अलग-अलग किस्म के सिरदर्द के लिए ए०पी०सी० का ही नुस्खा देता है।

महोदय, यदि आप कृषि मूल्य आयोग (ए०पी०सी०) की 1976 से 1984 तक की सिफारिशों पर गौर करें, तो यह पाएंगे कि स्वयं सरकार ने ए०पी०सी० द्वारा सिफारिश किए गए मूल्यों की अपेक्षा

अधिक मूल्य निर्धारित किए हैं। इसलिए, जब यह पता है कि ए० पी० सी० किसानों के हितार्थ संघर्ष नहीं कर रहा है तो इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता? 1976 में ए० पी० सी० ने गेहूं का मूल्य 105 रुपये करने की सिफारिश की थी जबकि सरकार ने इसका मूल्य 110 रु० निर्धारित किया। 1977 में ए० पी० सी० ने इसका मूल्य 110 रु० करने की सिफारिश की और सरकार ने इसका मूल्य 112 रु० रखा। 1980 में ए०पी०सी०ने इसे 127 रु० करने की सिफारिश की, सरकार ने 130 रु० तय किया। अतः जब सरकार स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि यह विशिष्ट आयोग किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें परिवर्तन किया जाए।

12.23 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

इसलिए मेरा पहला सवाल इसकी रचना के बारे में है। क्या इसमें सोच-विचार कर परिवर्तन किया जा रहा है ताकि किसान की सही तस्वीर सरकार के समक्ष रखी जा सके।

महोदय, किसान की दशा क्या है? उसे देश का सशक्त आधार कहा गया है। मेरे विचार से वह देश का दुर्बल आधार बनता जा रहा है। उसकी हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। कृषि आदानों--उर्वरकों, जन-शक्ति, बिजली की दरें, बीज आदि की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। महोदय, सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने वाले बीज भी अपेक्षाकृत अधिक महंगे हैं। आदानों में तो 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबकि किसानों को मात्र 13% की राहत हासिल हुई है और तब भी यदि यह कहा जाए कि किसानों की मदद की जा रही है तो, उसमें मुझे बड़ा सन्देह है। मैं यहां एक किसान नेता के हिन्दी में दिए गए वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार ने उनके विचारों को पूरी तरह से नहीं समझा है तथा उनसे मिलने आए किसानों को उन्होंने जो सलाह दी वह इस प्रकार है: "आपकी जमीन गन्ने के लिए बाकी नहीं रही तो बाकी मेरे सर पर बो लीजिए।" अतः यदि उन नीतियों, सुझावों का पालन किया जाए तभी उसे, मेरे विचार से किसानों का भला कहा जा सकता है। पर हमने जो फैसला किया है तथा अपने किसानों के लिए हमने जो नीतियां अपनाई हैं वह अलग-अलग हैं। हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। महोदय, हमने प्रयास किए हैं। पर जब दूसरे सूचकांकों से तुलना करें तो उस दृष्टि से किसान बहुत पीछे हैं। गन्ना जैसे अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। सभी किसान इस बात से खुश हैं कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर): जी, नहीं, चावल के लिए नहीं।

श्री राजेश पाइलट: मैं रिपोर्ट में दी गई जानकारी की बात कर रहा हूं। पर जहां तक गेहूं के मूल्य में वृद्धि का प्रश्न है, पिछले एक वर्ष में उसमें केवल 1 रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि अन्य आदानों में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है—यथा यूरिया 27.50 रु० प्रति बोरी (50 कि०ग्रा०)। डी० ए० पी० 42.00 रु० प्रति बोरी (50 कि० ग्रा०) तथा एम० ओ० पी० 14:75 रु० प्रति बोरी (50 कि०ग्रा०)। जबकि कृषि के आदानों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आपने गेहूं के मूल्य में केवल एक रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। महोदय, राज सहायता के रूप में उर्वरक खरीदने में छूट देने के रूप में और अन्य सुविधाओं के रूप में किसानों को जो कुछ भी मदद दी जा रही है, वह किसानों

तक नहीं पहुंचती है। आप किसानों को राज सहायता एवं अन्य सुविधाओं के रूप में जो मदद देते हैं जो केवल कागजों तक ही रह जाती है, वास्तव में ये किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। राज सहायता और अन्य सुविधाओं के रूप में किसानों को जो कुछ भी दिया जाता है, उसकी देख-रेख निगरानी सैल द्वारा की जानी चाहिए ताकि ये सुविधाएं वास्तव में उन तक पहुंच सकें। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या मानीटरिंग सैल खोलने की उनकी कोई योजना है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। किसानों को इसकी तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए आपको उनकी सहायता करनी चाहिए।

सरकार ने गन्ने के मामले में समर्थन मूल्य निर्धारित किया। परन्तु यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो देखेंगे कि मिल गन्ने को तुरन्त नहीं लेते हैं। किसानों को अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने पड़ते हैं। यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राज्य के अन्य हिस्सों में जाएं, तो बड़े सवेरे 1 बजे अथवा 2 बजे किसान अपने उत्पादों को मिलों की ओर ले जाते मिलेंगे। लेकिन मिलों में इतनी अधिक भीड़ होती है कि किसान कतार में खड़े रहने के बाद और चार अथवा पांच दिन बाद अपनी बारी आने पर अपना माल बेच पाते हैं। चार अथवा पांच दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी, किसान को अपना माल बेचने पर एक पर्ची मिलती है जिस पर राशि और किसान का नाम लिखा होता है। तत्पश्चात् किसान को यह पर्ची बैंक में जमा करानी होती है। वास्तविक कठिनाई यह है कि उसे भुगतान 3 अथवा 4 वर्षों के बाद प्राप्त होता है और कुछ मामलों में भुगतान अभी तक शेष हैं। मुझे तब यह जानकर प्रसन्नता हुई जब श्री नारायण दत्त तिवारी ने, जो कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं, कुछ समय पहले इस आशय का एक वक्तव्य दिया कि पिछले सभी बकाया मामलों का भुगतान कराया जाएगा। इस प्रकार का वक्तव्य पहले भी कई बार दिया गया है। यहां, गन्ना पैदा करने के लिए किसान खेतों में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें चार अथवा पांच दिन तक मिलों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके बाद उसे पर्ची मिलती है जो बैंक में जमा करानी होती है और उसके बाद भी बैंक चार या पांच वर्ष बाद भुगतान करता है। परन्तु, इस बीच बैंक किसान द्वारा प्रस्तुत की गई पर्ची के आधार पर ऋण दे देता है। मान लीजिए, पर्ची मे लिखा हुआ मूल्य 3000/- रु० पूरे भुगतान के रूप में है। बैंक उसे 2000/- रु० का ऋण देगा और इस राशि पर बैंक ब्याज लेगा। परन्तु सरकार किसानों को देय राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देती है। मैं इन मुद्दों को माननीय मन्त्री की जानकारी में लाने की कोशिश कर रहा हूं। किसान अपने पुत्रों अथवा पुत्रियों के विवाह इस आशा पर निश्चित करते हैं कि उन्होंने गन्ने की जो सप्लाई की है और जिसकी पर्ची उन्हें दी गई है, उसकी राशि उन्हें मिलेगी ; लेकिन जब उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त नहीं होता, तो उन्हें कमीशन एजेण्टों और महाजनों से बहुत अधिक ब्याज दर पर, जो कि पांच से दस प्रतिशत प्रति माह के बीच होती है, धन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन पर्चियों में इन लोगों का पैसा है, परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि उन्हें यह पैसा वर्षों तक प्राप्त नहीं होता है। ये पर्चियां बढ़ती जाती हैं। किसानों को उनकी गन्ने की सप्लाई के लिए समय पर भुगतान न करने की बीमारी पुरानी है। यही कारण था कि कुछ वर्ष पहले, किसानों ने गन्ने का उत्पादन बन्द कर दिया था और उस समय उनसे गन्ना बोने की अपील की गई थी क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें चीनी का आयात करना पड़ा था। यदि इन पहलुओं पर सरकार द्वारा उचित ध्यान दिया गया होता, तो यह स्थिति उत्पन्न न हुई होती।

मैं अब भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की थी कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद करेगा और यह कि उन्हें तदनुसार आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों की वास्तविक स्थिति क्या है ?जब किसान केन्द्र पर अपने खाद्यान्न

लेकर जाता है, तो उसको नम्बर दिया जाता है और जब उसकी बारी आती है, तो एक सज्जन आकर गेहूं में अपना हाथ डालकर कहते हैं कि यह घटिया किस्म का है और इसे 135/- रु० या 140/-रु० प्रति क्विंटल से अधिक पर नहीं खरीदा जा सकता, जबकि खरीद मूल्य 152/- रु० प्रति क्विंटल होता है। किसान के वहां रहते, पहले से ही मौजूद कुछ समाज विरोधी तत्व उस किसान से सम्पर्क स्थापित करते हैं और दक्षिण के रूप में कुछ राशि इनको दिए जाने के बाद, वे इस मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं। जो निरीक्षण करने आता है वह कहता है कि गेहूं में बहुत धूल-मिट्टी और कंकड़-पत्थर आदि हैं। परन्तु अपना हिस्सा मिलने के बाद इस बारे में वह सब कुछ भूल जाता है। जब मैं सहारनपुर से दिल्ली तक गया तो मुझे ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले। मैंने इस बारे में माननीय मन्त्री को भी एक पत्र लिखा है। जैसा कि मैंने कहा है, गरीब किसान को बिना उसकी गलती के हानि उठानी पड़ रही है। उन्हें गेहूं की क्वालिटी की चिन्ता नहीं है, चिन्ता केवक अपनी दक्षिणा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दक्षिणा किस देवता की चढ़ती है ?

श्री राजेश पाइलट : हम उसे नहीं खोज सकते।

इसके बाद गेहूं को ट्रकों में लादा जाता है। जब ये ट्रक भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण केन्द्र में जाते हैं तो चौकीदार ट्रकों से माल उतारने की अनुमति नहीं देता। वहां ट्रक को दो या तीन दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ट्रक संचालक गेहूं उतरवा कर जाने के लिए चौकीदार को सौ-एक रुपया देना पसन्द करता है। ऐसा इसलिए कि यदि उसे दो या तीन दिन तक ट्रक वहां खड़ा रखना पड़ा तो उसे हानि उठानी होगी। इन बातों का सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है और इस प्रकार के कदाचारों के लिए अन्ततः उसे ही भुगतना पड़ता है। मैं इन सभी तथ्यों को इसलिए सामने ला रहा हूं क्योंकि आखिर-कार इनका प्रभाव किसी-न-किसी रूप में गरीब किसान पर पड़ता है। सरकार को तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश देना चाहिए और किसान की रक्षा के लिए उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

वस्तुतः, भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को तुरन्त भुगतान कर दिए जाते हैं। किसानों को चैक द्वारा अदायगी की जाती है। यदि गन्ने के लिए भी किसानों को तुरन्त भुगतान किया जाए, तो इससे उनको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

इसके बाद मैं कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के बारे में कुछ कहना चाहता है। हालांकि यह ध्यानाकर्षण की सीमा में नहीं आता, फिर भी मैं कृषि मन्त्री से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण बहुत ही कम कीमतों पर किया जा रहा है और उन्हें इच्छुक भवन निर्माताओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए बहुत ही ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है।

मैंने किसान की दिक्कतों और उसकी समस्याओं के बारे में काफी विस्तार से बताया है। उसे बिजली समय पर प्राप्त नहीं होती। जब आपको अपनी बकाया राशियां वसूल करनी होती हैं तो आप पुलिस भेजते हैं और किसान को भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। भुगतान न करने पर उसे तंग किया जाता है, अपमानित किया जाता है और उसे न्यायालय आदि तक ले जाया जाता है। परन्तु किसानों के पैसे के बारे में क्या स्थिति है ? चार वर्षों से आप यही वक्तव्य देते चले आ रहे हैं कि उसका भुगतान कर दिया जाएगा, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। किसानों की

देय राशि का भुगतान भी उसी ढंग से किया जाना चाहिए। कुछ प्रश्न हैं जो मैं अब माननीय मन्त्री से पूछना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री राजेश पाइलट : श्रीमान्, कुछ और प्रश्न भी हैं।

क्या माननीय मन्त्री कृषि मूल्य आयोग कर पुनर्गठन करना चाहते हैं अथवा वे उन सब बातों से प्रसन्न है जो कृषि मूल्य आयोग में हो रही हैं ? उनके विचार क्या हैं ? यदि इसका पुनर्गठन किया जाता है, तो क्या आप उसमें किसानों, जैसे सम्बद्ध पक्षों गेहूं, रूई और अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों को रखने का विचार रखते हैं। मध्यम दर्जे के एक सदस्य के रूप में शामिल करने के सुझाव से मेरा अभिप्राय उस व्यक्ति से नहीं है जिसके पास एक हजार बीघा जमीन है या दो फार्म आदि हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों से किसी ऐसे आम किसान को शामिल कीजिए जो सिफारिशों से प्रभावित है। इस बारे में मैं माननीय मन्त्री के विचार जानना चाहूंगा।

दूसरे यह कि क्या सरकार ऐसे फार्मूलों पर विचार कर रही है कि जब भी कृषि आदानों की कीमत में वृद्धि हो, कृषि मूल्य आयोग स्वत: ही कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर देगा ? क्या हम सदन में इस पर निर्णय ले सकते हैं अथवा सरकार कृषि आदानों के मूल्य में वृद्धि होते ही कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के इस फार्मूले पर निर्णय लेगी ? मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। मैं फिर दोहराता हूं कि आदानों की वर्तमान मूल्य वृद्धि को स्वत: ही उत्पादन लागत में जोड़ दिया जाना चाहिए।

तीसरा प्रश्न यह है कि जब तक किसान को उसकी पूरी रकम अदा नहीं कर दी जाती, क्या सरकार तब तक उसकी धनराशि पर ब्याज देने का विचार रखती है ? यदि आप केन्द्र से ये अनुदेश जारी कर दें तो राज्य सरकारें बकाया राशियों के भुगतान को निबटाने में तत्परता दिखाएंगी क्योंकि अन्यथा उन्हें किसान के धन पर ब्याज अदा करना पड़ेगा।

मेरा अगला मुद्दा आपके मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में निगरानी सैल खोलने और यह पता लगाने के लिए सतर्कता प्रक्रियाएं निर्धारित करने के बारे में है कि भ्रष्टाचार कहां पर है और हमारी नीतियां पूर्ण रूप से क्यों कार्यान्वित नहीं हो पा रही है और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां ऐसा हो रहा है।

अब मैं फसल बीमा के बारे में, कुछ कहना चाहना चाहता हूं जिसके लिए कुछ राज्य सहमत हो हो गए हैं, इससे किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

(व्यवधान)

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे फसल बीमा के सम्बन्ध में विचार करें और मैं इस

विषय में उनके विचार जानना चाहूंगा। मेरे यहां कुछ मुद्दे हैं और मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री उन पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल विषय-वस्तु के बारे में ही कहा है।

कृषि मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : श्री राजेश पाइलट ने सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित किया है तथा यह मामला सभा में बार-बार उठाया गया था। पिछले दिनों, सरकार के दृष्टिकोण और सरकार की नीतियों को पूर्णरूप से स्पष्ट किया गया है। आज सुबह भी मेरे सहयोगी ने मुख्य वक्तव्य दिया है और इसमें वे सभी मुद्दे आते हैं जो मामले से सम्बद्ध हैं। माननीय सदस्य की उत्सुकता, आदानों की कीमत में वृद्धि के साथ कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की आवश्यकता के बारे में है। महोदय, यह एक मान्य सिद्धांत है तथा सरकार ने कृषि-मूल्य आयोग को निदेश दिया है कि किसी भी फसल के उत्पादन, जिसके लिए कि सरकार द्वारा मूल्यों की घोषणा की जाती है, की लागत को मूल्यों की सिफारिश करते समय ध्यान में रखा जाएगा। उसी के साथ, वर्ष 1980 में निर्देश पद में संशोधित किया गया था। और जैसाकि पहले बताया गया, व्यापार स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले चार वर्षों में व्यापार स्थिति सुधर रही हैं। मैं इस वर्ष जुलाई में विनिर्माताओं अथवा गैर-कृषि उत्पादों के उत्पादकों से प्राप्त प्रति 100/-रुपए के— थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित ऐसे आंकड़े दे सकता हूं जिनमें किसान को 100/-रुपये के मुकाबले 97/-रुपए प्राप्त हुए। अभी तक इसमें 3 रुपये अन्तर है किन्तु व्यापार की स्थिति सुधर रही है। वर्ष 1979-80 में भी, यह 87.40 रु० था, हमारी नई नीतियों की घोषणा हो जाने के पश्चात् वर्ष 1980-81 में बढ़कर यह 97.70 रुपए हो गया। वर्ष 1981-82 में यह फिर गिर कर 94/-रुपये के लगभग हो गया। किन्तु वर्ष 1984 में और जैसाकि मैंने बताया था कि ये जुलाई के आंकड़े हैं, कृषि उत्पाद मूल्य 97 रुपये है जबकि व्यापार में मूल्य 100/-रुपए है। समय-समय पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। किन्तु ये विभिन्न कारणों की वजह से होते रहते हैं। किन्तु आमतौर पर, किसान पिछले वर्षों की तुलना में काफी कीमतें प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1980 से 1984 तक की इन चार वर्षों के अवधि में, अर्थात् वर्ष 1980 की शुरुआत से इस वर्ष जुलाई तक, समस्त कृषि वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक, वर्ष 1980 के शुरुआत की तुलना में, 64.5 प्रतिशत अधिक था। यदि आप इसकी तुलना विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक से करें, तो यह काफी अधिक है। क्योंकि इन चार वर्षों के दौरान समस्त कृषि उत्पादों के 64.5 प्रतिशत की तुलना में विनिर्मित उत्पादों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, यदि इसकी तुलना आप समस्त वस्तुओं से करें, थोक मूल्य सूचकांक इन चार वर्षों के दौरान 50.6 प्रतिशत तक बढ़ा है। पुनः आपको समस्त कृषि-वस्तुओं के 64.5 प्रतिशत के आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल खाद्यान्न के मामले में ही यह 44 प्रतिशत तक बढ़ गया है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि आप मानेंगे कि खाद्यान्न का मूल्य बहुत अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक आवश्यक वस्तु है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इसके कारण, क्या उन्हें दबाया जाना चाहिए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसी बात नहीं। ऐसी बहुत सी कृषि-वस्तुएं हैं जो किसानों की क्षतिपूर्ति कर सकतीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजेश पाइलट : अन्य कारण भी हैं जो मूल्य सूचकांक पर प्रभाव डालते हैं और जिनके द्वारा

जनता प्रभावित होती है। किन्तु आप केवल किसान के उत्पादों का ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि यदि आप गेहूं का मूल्य बढ़ाते हैं तो जनता पर प्रभाव पड़ेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : सभी का ध्यान रखा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं अनाज की कीमत में वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; केवल किसानों का ही ध्यान नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार की नीति की सफलता और नीति के किसानों के पक्ष में होने का उत्तम प्रमाण कृषि उत्पाद का बढ़ता हुआ उत्पादन है। वास्तव में, श्री बहुगुणा को हाल ही में किसानों के बारे में बहुत अधिक बातों का पता लगा है। चावल का उत्पादन बढ़ गया है। यह 530 लाख टन के आसपास स्थिर था। वर्ष 1983-84 के नवीनतम आंकड़ों से पता लगता है कि चावल का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ा है। यह 594.3 लाख टन हो गया है। ये हमारे अनुमान हैं। पहले यह अच्छी वर्षा वाले वर्षों में भी इतना नहीं बढ़ा था। इसी प्रकार, गेहूं के मामले में, उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जब से इस सरकार ने सत्ता सम्भाली है तब से हमेशा बढ़ता रहा वर्ष 1980-81 में गेहूं का उत्पादन 363.1 लाख टन रहा था, 1981-82 में यह बढ़ कर 374.5 लाख टन, 1982-83 में 425.0 लाख टन के तथा 1983-84 में 450 लाख टन केआसपास उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है 449.7 लाख टन का हमारा अनुमान है। इसी प्रकार, सभी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। इस वर्ष का उत्पादन स्तर अब तक के उत्पादन स्तर से सबसे ऊंचा है। हमारे जो कि मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम अनुमान 1506.1 लाख टन का है, अब इस बात को ध्यान में रख कर क्या आप सहमत होंगे कि—खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया है और सभी अन्य मदों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मैं प्रत्येक फसल के आंकड़ों को उद्धृत करना नहीं चाहूंगा इससे स्पष्ट है कि किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है।

आपको मालूम है जनता शासन के दौरान क्या हुआ। चीनी का उत्पादन घट कर 38 लाख टन कैसे हो गया। जैसाकि आपने बताया और श्री राजेश पाइलट ने स्वयं कहा, इसका कारण यह था कि गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद कीमतें नहीं मिलीं।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (गढ़वाल) : प्रो० रंगा आप संतुष्ट करें और हम संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें निर्णय करने दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रो० रंगा किसानों के एक बहुत अनुभवी अग्रणी हैं। वह हम सब की तुलना में अधिक जानते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को उठाया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप उनका निर्णय देखें। वह कहते हैं, आप गलत कहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या प्रो० रंगा जो कहते हैं वह केवल किसानों के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करना है जिसके लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो कुछ किया गया है उससे वह संतुष्ट नहीं है ; वह हमारे प्रयत्नों से बहुत प्रसन्न हैं, किन्तु वह चाहते हैं कि और प्रयत्न किए जाएं और उसके लिए मैं प्रो० रंगा के साथ हूं। किन्तु जहां तक विपक्ष की बात है, राजनीतिक कारणों की वजह से प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ हो रहा है उस पर वे आंखें बन्द कर लेते हैं। अब, मुझे

यह देखकर प्रसन्नता है कि श्री बहुगुणा किसानों का अगुआ होने का दिखावा कर रहे हैं। कुछ भी सही, इससे मुझे सहायता मिलेगी। मैं प्रसन्न हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे अपने कार्य में इससे सहायता मिलेगी।

इस उत्पादन वृद्धि का खरीद में भी पता लगता है।

वर्ष 1983-84 के दौरान 10 अगस्त तक चावल की खरीद पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 69.48 लाख टन की तुलना में 76.85 लाख टन है लगभग 7 लाख टन का अन्तर है। इस वर्ष सात लाख टन चावल और अधिक खरीदा गया।

इसी प्रकार, गेहूं की खरीद के आंकड़ों में भी आपकी रुचि होगी 10 अगस्त, 1984 तक 92.42 लाख की खरीद पहले ही हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष के दौरान वर्ष केवल 82.31 लाख टन खरीद हुई थी पिछले वर्ष जितनी खरीद हुई थी उसमें दस लाख टन से अधिक वृद्धि हुई है। इससे बढ़े हुए उत्पादन, उत्पादन में वृद्धि का पता लगता है और यह बहुत बड़ा प्रमाण होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन की न केवल निरंतर वृद्धि ही हो रही है बल्कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या विरोधी पक्ष के अपने मित्र को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं परन्तु सारा संसार इसके बारे में जानता है।

जो मूल्य हमने घोषित किए हैं उनके बारे में बात करते हुए हमें धान के सम्बन्ध में वर्ष 1979-80 से शुरू करना चाहिए श्री बहुगुणा की पिछली सरकार द्वारा जो मूल्य रखा गया था वह 95 रुपए प्रति क्विंटल था और हमने उसे बढ़ा कर 105 रुपए कर दिया और बाद में 1981-82 में 115 रुपए, वर्ष 1982-83 में 122 रु० 1983-84 में एक साथ दस रु० की वृद्धि करके 132 रु० कर दिया और अब अगली फसल के लिए हमने 137 रुपए निर्धारित किया है। चार वर्षों की अवधि में जो उन्होंने इसे 95 रुपए पर छोड़ा था हमने इसे बढ़ाकर 137 रुपए तक कर दिया है और उसके बाद भी, वे जो कुछ भी कर सके उसकी तुलना में सरकार ने जो कुछ किया है उससे वे संतुष्ट नहीं है। इसी तरह, गेहूं के बारे में वर्ष 1979-80 की फसल के लिए उन्होंने 115 रुपए का मूल्य छोड़ा था और अब इस वर्ष हमने मूल्य 152 रुपए पर निर्धारित किया है।

हम इसे 115 रुपए से 152 रुपए तक ले आए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, एक स्पष्टीकरण और। जब आप कीमतें निर्धारित करते हैं तो क्या उस समय आप देश में मुद्रास्फीति की प्रतिशतता को भी ध्यान में रखते हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं भी ठीक यही कह रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको थोक मूल्य सूचकांक आंकड़े दिए। (**व्यवधान**)

खाद्यान्नों तथा अन्य सभी खाद्य सामग्रियों के थोक मूल्य सूचकांक की तुलना अन्य मदों, विनिर्मित माल तथा अन्य सभी गैर कृषि-मदों के थोक मूल्य सूचकांक से किया जा सकता है यह बहुत

ही स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है कि कृषि मूल्यों के लिए बहुत ही अनुकूल रुख रहा है। इन चार वर्षों के दौरान, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रतिशतता में वृद्धि अन्य मदों की तुलना में कहीं अधिक रही। जहां तक आदनों लागतों का संबंध है, जब कीमतों पर विचार किया जाता है तो आदनों को भी शामिल किया जाता है और उस समय सभी मदों और उनकी कीमतों को भी परिकलित किया जाता है।

इसी प्रकार, अन्य खाद्यान्नों में चना भी एक महत्वपूर्ण मद है तथा यह अधिकतर उन क्षेत्रों में पैदा होता है जहां सिंचाई उपलब्ध नहीं है। यदि मैं उसका मूल्य बताऊं तो जनता सरकार ने वह 145 रुपए पर छोड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय प्रो० दण्डवते आ गए हैं। जनता आ गई है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उस समय अपेक्षित आदन बहुत सस्ते थे।

राव बीरेन्द्र सिंह : चने के लिए यह मूल्य केवल 145 रुपए था। इस सरकार ने 1983-84 की फसल के लिए 240 रुपए मूल्य निर्धारित किया है, आपने चने का जो मूल्य दिया था उससे लगभग 100 रुपए अधिक है। सोयाबीन, ढूर, मूंग, उड़द तथा अन्य फसलों के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता। जो संतुष्ट होना चाहते हैं संतुष्ट हो जाएंगे और पहले ही संतुष्ट है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने आदानों के भी सम्बद्ध आंकड़ों को क्यों नहीं प्रस्तुत किया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह मैं आपके आने से पहले ही दे चुका हूं। पिछले वर्ष हमने उर्वरक की कीमतों को कम कर दिया है। जब से आपका शासन गया, तबसे इस देश में उर्वरक की खपत में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है। इससे स्पष्ट है कि उर्वरक के प्रयोग को किसान लाभदायक समझते हैं। जो कीमतें आपने निर्धारित की थीं उन पर किसानों को उर्वरक का प्रयोग करने में कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब, पूर्वोत्तर राज्य राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में भी कृषि उत्पादन तेजी से हो रहा है।

श्री राजेश पाइलट ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। कृषि मूल्य आयोग की संरचना इस प्रकार है : एक चेयरमैन, एक कृषि विशेषज्ञ, एक कृषि अर्थशास्त्री, और एक किसान सदस्य। मैं किसी एक व्यक्ति के मत के बारे में जानने का इच्छुक नहीं हूं। हो सकता है कि श्री रणधीर सिंह ने कुछ और कहा हो। मैंने वह नहीं पढ़ा है। परन्तु जो कुछ भी उन्होंने कहा था वह कृषि मूल्य आयोग के सदस्य का पद छोड़ने के बाद कहा था। वह दो कार्यकाल के लिए ए० पी०सी० के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि ए०पी० सी को समाप्त किया जाए क्योंकि यह एक फिजूल संस्था है। पर ए० पी० सी द्वारा की गई सिफारिशों से वह पूरी तरह सम्बद्ध हैं, यद्यपि उन्होंने अपना विमत टिप्पण भी दिया था।

मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि ए० पी० सी० में अधिक से अधिक किसान सम्मिलित करने से स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि हमें पहले से ही अनुभव है। वह अधिक से अधिक सिफारिश करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्दा भी कर सकते हैं और तब यह वह उद्देश्य पूरा करने में सहायक नहीं होगा जो आप चाहते हैं। हमें एक सन्तुलित दृष्टिकोण से देखना है। हमें मूल्य निर्धारित करने में सारे कार्य में वैज्ञानिक तथा नियमित ढंग से चलना है। ए० पी० सी० की मंजूरी के पश्चात् सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है। वह केवल एक परामर्शदात्री समिति है। अतः जो आप कहते हैं उसका अन्तिम निर्णय लेते समय सरकार

द्वारा ध्यान रखा जाता है। पिछले कई मामलों में हमने ए० पी० सी० की सिफारिशों में परिवर्तन किया है। हमने ए० पी० सी० द्वारा सिफारिश किए गये मूल्यों से कहीं अधिक मूल्य निर्धारित किया। सरकार ने किसानों के प्रति न्यायोचित व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। जहां कहीं भी हमें संदेह होता है कि ए० पी० सी० की सिफारिशें किसानों के हित में नहीं हैं, हम वहां परिवर्तन करते हैं।

श्री राजेश पाइलट : इस सलाहकार समिति में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन किया जाए। मैं यह नहीं कहता कि ए० पी० सी० की सिफारिशें सही नहीं हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ए० पी० सी० विभिन्न संगठनों के माध्यम से इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर अपनी सिफारिशें देता है। आंकड़ों का आकलन करने के लिए इसकी अपनी ही प्रणाली हैं—यह उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करती है जो विश्वविद्यालयों द्वारा इकट्ठी की जाती है। पर उसके पश्चात् सरकार एक राजनैतिक फैसला भी लेती है···(**व्यवधान**)।

1.00 म० प०

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : राजनैतिक फैसला !

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, यदि हम देखते हैं कि किसान को अधिक प्रोत्साहन चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह एक राजनैतिक फैसला है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : ठीक है, जो कुछ आप कहें, लेकिन यह वैज्ञानिक तो नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह लाभप्रद है।

प्रो० मधु दण्डवते : चुनावों को ध्यान में रखते हुए यदि आप फैसला लेते हैं, वह राजनैतिक फैसला होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : नहीं, नहीं। यदि हम समझते हैं कि हम कोई विशेषज्ञ संस्था नहीं है हम कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करते हैं। परन्तु कभी कभी हम देखते हैं कि यद्यपि उनके आंकड़े सही भी हो सकते हैं, परन्तु कृषकों को अपना जीवन-स्तर बेहतर बनाने के लिए ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, जैसा मि० पाइलट और प्रो० रंगा ने कहा। यदि आप किसी ऐसे वर्ग का जीवन-स्तर में सुधार करना चाहते हैं, जो बेहतर व्यवहार अथवा अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार हैं, तो सरकार को निश्चित रूप से ए० पी० सी० के निर्णयों को बदलने का अधिकार है, यद्यपि यह एक विशेषज्ञ संस्था मानी जाती है, और यही मेरे कहने का तात्पर्य था।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा को आप गलत रूप में उद्धृत मत कीजिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम सदा यह प्रयत्न करते हैं कि उत्पादन की बढ़ती हुई लागत का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। विभिन्न मदों को ध्यान में रखा जाता है—जैसे किसान की मजूरी, उसकी अचल परिसम्पत्तियां, उन पर ब्याज, व्यापार की शर्तें, बिजली की दरें, उर्वरक का लागत मूल्य, बैलों तथा मशीनों का रख-रखाव, और प्रत्येक चीज जिसके सम्बन्ध में आप सोच सकते है।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्राकृतिक आपदायें भी ध्यान में रखी जानी चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि हम यह कभी नहीं जानते हैं कि अगले फसल वर्ष में क्या आपदा आने वाली है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : सबसे बड़ी आपदा तो आप पर आने वाली है।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध हम राहत सहायता प्रदान करते हैं, किसान को मुआवजा देते हैं, तथा केवल इन दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को लगभग 1,500 रुपए की राशि सूखा तथा बाढ़ के प्रति राहत के तौर पर दी गई हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं कि जब कृषक को प्राकृतिक आपत्ति से क्षति पहुंचती है, तो उसकी सहायता की जानी चाहिए। यदि वह सब कुछ खो बैठे, तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह न केवल उसे मूल्यों द्वारा सहायता करे पर उसे और भी कुछ सहायता दे। इसीलिए हम प्राकृतिक आपदाओं तथा जोखिम को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह कहना असम्भव है कि कितनी क्षति होगी।

श्री पाइलट जानना चाहते थे कि क्या हमारे पास निगरानी-कक्ष है। उन्होंने गन्ने की बकाया राशि के सम्बन्ध में जिसका भुगतान शीघ्र नहीं होता है और भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा बाजार में से खरीद करने की प्रणाली में कदाचार तथा उनके सुधार के सम्बन्ध में चर्चा की। यह मामले मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं हैं ; खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय खरीद प्रणाली भारतीय खाद्य निगम की खरीद प्रणाली और चीनी विभाग से भी सम्बन्धित है। मैं वह सब कुछ जो श्री पाइलट तथा अन्य आदरणीय सदस्यों ने कहा है अपने सहकारी खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री को बता दूंगा। जैसा मैंने इस सदन में कई बार कहा है, कि यदि धनराशि के भुगतान में 14 दिन से अधिक समय का विलम्ब होता है, तो हम गन्ने के सप्लायर को ब्याज देते हैं। पर यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि यदि किसानों को 14 दिन के अन्दर-अन्दर भुगतान नहीं होता है, तो किसानों को ब्याज मिलना चाहिए मैं इन दोनों मुद्दों के सम्बन्ध में कोई विशेष सूचना देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राजेश पाइलट : मैंने राज सहायता की निगरानी के बारे में उल्लेख किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार में केवल एक ही मानीटर है !

श्री राजेश पाइलट : मान लीजिए कुछ राज सहायता दी जाती है, यदि आप इसकी अपने विभाग में अच्छी तरह निगरानी करेंगे तो इससे सरकार तथा किसान की सहायता हो सकती है। जो कुछ भी सरकार राज सहायता अथवा छूट के सम्बन्ध में फैसला करती है, तो उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसान तक पहुंचे। किसी अधिनियम को पारित करने अथवा किसी नीति को लागू करने का प्रयोजन यह है कि लाभ सचमुच उन्हें मिले जिनके लिए वे हैं। यदि आप केन्द्र में इसकी अच्छी निगरानी करेंगे, तो फिर राज्य सरकारें यह जान जाएंगी कि जब तक यह ठीक प्रकार से लागू नहीं होता, उन्हें सजा दी जाएगी। कल ही मैं पश्चिमी बंगाल में था और कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि केन्द्रीय राज-सहायता का कुछ भाग किसान तक नहीं पहुंचता है। यदि आप के पास निगरानी—कक्ष है, तो इससे हमें यह देखने में सहायता होगी कि क्या यह किसान तक पहुंचती है या नहीं। यदि यह उन तक नहीं पहुंचती है, तो राज्य सरकार को इसका कारण बताना होगा। उससे किसान तथा सरकार दोनों की सहायता हो सकती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : केवल कृषि मंत्रालय ही राज सहायता नहीं देता है, बल्कि इसका वितरण विभिन्न मंत्रालयों द्वारा होता है। जो कुछ भी किसी मंत्रालय के कार्य-भार में होता है। उसके लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी प्रणाली होती है अधिकतर राज सहायता तथा राहत अन्ततः वित्त मंत्रालय द्वारा ही मंजूर की जाती है। एक बार हम राज्य सरकार को पैसा दे देते हैं, तो वित्त मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा उसका हिसाब प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा योजना आयोग भी समय समय पर मूल्यांकन करता है।

कृषि मंत्रालय में हमारे पास आर्थिक सहायता के उपयोग की निगरानी करने की प्रणाली है। इस प्रणाली में इन कुछ वर्षों में काफी मात्रा में सुधार हुआ है। जब कभी केन्द्र को कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम अपने अधिकारियों को जांच करने के लिए भेजते हैं। जब कभी उन्हें अवसर मिल जाता है, वह सदा और अधिक आर्थिक सहायता की सिफारिश करने से पूर्व यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या पहले स्वीकृत राशि का ठीक से प्रयोग किया गया है। यह सदा ध्यान में रखा जाता है।

दूसरा उठाया गया प्रश्न भूमि अर्जन अधिनियम से सम्बन्धित था। यह भी मेरे कार्यभार में नहीं है, यह मेरे सहयोगी, ग्रामीण विकास मंत्री की निगरानी में है। उन्होंने पहले ही सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया है, और इस पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी। अतः मुझे आशा है कि उन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाएगा जो आदरणीय सदस्य ने उठाई है।

फसल बीमा की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। शायद हम फसल बीमा की प्रणाली को उतना विस्तार नहीं दे सके हैं जिसका कृषकों द्वारा स्वागत किया जा सके। हमारी प्रणाली के अन्तर्गत, किसान बहुत बड़ी संख्या में अपनी फसल का बीमा कराने के लिए आगे नहीं आते हैं। यह प्रणाली बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर आधारित है। केवल ऋण की राशि का ही हमारी प्रणाली के अन्तर्गत बीमा किया जाता है।

और फिर कम खतरे के क्षेत्र, अधिक खतरे वाले क्षेत्र तथा मध्यम खतरे के क्षेत्र हैं। हम अधिक खतरे वाले क्षेत्र जितनी हो सके सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। सामान्य बीमा निगम यह कार्य करता है। सदन में यह भी एक मांग है कि यदि सामान्य बीमा निगम फसल बीमा की प्रणाली सम्बन्धी कार्य करने में समर्थ नहीं है और यह प्रणाली देश में और आगे विस्तार होता है, तो कोई और संगठन होना चाहिए। यह सभी सुझाव सरकार के सामने समय समय पर आये हैं। कम खतरे वाले क्षेत्रों में बहुत कम समस्या है। सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों की अधिक रुचि नहीं है। केवल अधिक खतरे वाले क्षेत्रों, बारानी खेती वाली भूमि के क्षेत्रों तथा बाढ़ अथवा प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की देख-रेख की आवश्यकता है। उसके लिए हम प्रभावी तथा सुदृढ़ प्रणाली अभी तक नहीं बना पाये हैं। परन्तु हमने दूसरे देशों में भी इसका अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। हमने विश्व में बाकी देशों में भी कोई ऐसा देश नहीं देखा जहां फसल बीमे की बहुत अच्छी प्रणाली हो। यदि आदरणीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उन्हें नोट करने में हमें निश्चित रूप से अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपने पहले ही एक घण्टा ले लिया है। अतः मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव देता हूं कि वह ऐसे मुद्दे न उठाएं जो पहले ही उठाए जा चुके हैं तथा जिनका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। केवल नए मुद्दे उठाए जाने चाहिए। अब, श्री सत्यनारायण जटिया।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को कृषि उत्पादन का वाजिब मूल्य मिले, उनके द्वारा किए गये परिश्रम की सही कीमत मिल सके, इस पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। वाजिब, सही और वास्तविक क्या है, उसका अन्दाज कैसे लगायेंगे ? आपने कहा है कि सरकारी समर्थन मूल्य जो हम घोषित करते हैं, वह वाजिब और सही है तथा उससे उसका गुजारा हो सकता है। आपने कहा है कि हिन्दुस्तान में जितनी कृषि भूमि है, उसका 30 प्रतिशत सिंचित है और 70 प्रतिशत असिंचित है, यानी कि हिन्दुस्तान में जितने किसान हैं, उसमें से 70 प्रतिशत असिंचित भूमि पर कृषि करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बरसात में जो फसल उगती है, वही उनकी कमाई है। ऐसे 70 प्रतिशत किसानों के बारे में हमारा कृषि मन्त्रालय क्या सोचता है, यह विचार करने का आवश्यक मुद्दा है ? दूसरा मुद्दा यह है कि जो सिंचित कृषि के माध्यम से देश के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ? और उसका वाजिब तथा समर्थन मूल्य क्या होगा ? जो किसान असिंचित भूमि पर पैदावार करता है, उसको दो समय की रोटी मिल सके, पहनने के लिए कपड़ा तथा रहने के लिए आवास की व्यवस्था हो सके, उस बच्चों के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध हो सके, जिसमें उसका परिवार समृद्ध हो, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होनी चाहिए। इसलिए, समर्थन मूल्य के माध्यम से कैसे इसकी अपेक्षा की जा सकती है ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्षों के अन्दर जहां सम्पन्न किसान समृद्ध हुआ है, वहां निर्धन किसान विपन्न हुआ है। इस सम्पन्नता की समृद्धि में और निर्धनता की विपन्नता में क्या अन्तर है ? क्या इसके बारे में सरकार सोचती है ? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश के पचास प्रतिशत उत्पादन का जो आधार है, वह कृषि है। उसके बारे में कितना सोचा गया, यह देखने वाली बात है ? मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न 19 मार्च को पूछा था। उसके जवाब में सरकार ने समर्थन मूल्य के बारे में बताया है। जो धान, किसान पैदा करता है, उसके समर्थन मूल्य में आप सन् 1980-81 में 105 रुपए को कीमत देते देते थे।

वर्ष 1981-82 में 115 रु०, वर्ष 1982-83 में 122 रु० और वर्ष 1983-84 में 132 रु०। इस तरह पिछले साढ़े चार सालों में आपने कुल 27 रु० बढ़ाए···(**व्यवधान**) फिर गेहूं के लिए सिंचाई चाहिए, आपने उसके समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की, वह भी देख लीजिए—वर्ष 1980-81 में 142 रु० था, वर्ष 1982-83 में 151 रु० हुआ और वर्ष 1983-84 में 152 रु० हुआ। पता नहीं आप इस 50-51 और 52 की गिनती क्यों कर रहे हैं ? जब आप फर्टिलाइजर के प्रति बोरी बढ़ने वाले रेट्स को देखें तो जून, 1980 में 27 रुपए 50 पैसे प्रति बैग आपने बढ़ाया, जुलाई, 1981 में आपने 17 रु० 50 पैसे पर बैग बढ़ाया, यूरिया में, और इसी तरह से एन० पी० के और दूसरी खादों, नाइट्रोजीनस और पोटाश जनित खादों की बढ़ोत्तरी हुई। फिर आप कहते हैं कि हमने रेट में कमी की, उसको भी देख लीजिए-एक बार आपने रेट्स 44 रु. बढ़ाए जबकि कमी की केवल दस रु. की, दूसरी बार आपने 69 रु० बढ़ाए और कमी केवल साढ़े बारह रु० की की, तीसरी बार 24 रु० बढ़ाए और कमी सिर्फ 5 रु. की की। इससे लगता है कि आप खाद के भाव एकदम से आकाश पर चढ़ा देते हैं और उनको खजूर पर लाकर अटका देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ? माननीय कृषि मन्त्री महोदय, आपका संबंध भी किसानों के साथ है और मैं भी किसान का बेटा हूं और इसीलिए उनके दर्द को समझता हूं। शायद आपको उनकी हालत का पता हो, मैं बड़े किसान की बात यहां नहीं करता हूं क्योंकि वे तो सिर्फ अपनी आय को बढ़ाने के लिए ही खेती नहीं करवाते हैं, उनका उद्देश्य यहीं होता है कि कैसे अपनी आय को बढ़ा सकें, मेरा विषय वह नहीं है, परन्तु मैं यहां उन किसानों की बात करना चाहता हूं जिनकी आजीविका कृषि पर ही निर्भर है और जिनका सम्बन्ध खेती-बाड़ी से है। आपने कृषि मूल्य आयोग के बारे में

कहा कि उसमें अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, उसमें कृषि शास्त्र के ज्ञाता हैं और उसमें किसानों के हित चिंतक हैं। लेकिन वे सब करते क्या हैं? किसानों का कितना हितचिन्तन किया जाता है? अर्थशास्त्र वहां कितना लागू किया जाता है और कृषि शास्त्र कितना लागू होता है? क्या आपने कभी सोचा कि कृषि मूल्य आयोग प्रतिवर्ष जो समर्थन मूल्य तय करता है, क्या उसमें कभी इस बात का भी विचार किया जाता है कि किसान के सामने अतिवृष्टि बाढ़ की समस्या आती है तो कभी सूखे का सामना उसे करना पड़ता है, कभी ठण्ड ज्यादा हो जाती है तो कभी ओले गिर जाते हैं। इन सारे नुकसान के बारे में भी क्या कभी कृषि मूल्य आयोग में विचार होता है। किसान खेती में जो खाद और बीज डालता है,क्या आपने कभी उसके सही दाम जोड़े हैं। फिर जब किसान अपने उत्पादन को बाजार में ले जाता है, तो उसके लागत व्यय और परिश्रम को आपने उसमें जोड़ा है। क्योंकि किसान का सारे का सारा परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, बूढ़े माता-पिता और नाबालिग भाई-बहन सभी तो उस पर निर्भर रहते हैं। आपके आदर्श परिवार में पांच लोग हो सकते हैं परन्तु जहां तक आदर्श भारतीय किसान परिवार का सम्बन्ध है, उसमें किसान के अतिरिक्त उसकी पत्नी, कम से कम तीन बच्चे, बूढ़े माता-पिता और उसके भाई-बहिन आदि लगभग दस सदस्य होते हैं। क्या आपने कृषि मूल्य आयोग में कभी विचार किया कि ऐसे दस सदस्यों वाले परिवार को चलाने वाले किसान को आपने क्या समर्थन मूल्य दिया। आप जिस समर्थन मुल्य की हर साल घोषणा करते हैं, कहते हैं कि यही काफी हैं, क्या 152 रु० उसके लिए काफी हैं। आप बाजार में जाकर देखिए क्या भाव है, और आप किस भाव से उससे गेहूं लेते है। बाजार में गेहूं का भाव 230 और 240 रु० क्विंटल है। आखिर आपके समर्थन मूल्य का आधार क्या है, आप किन चीजों का विचार करके समर्थन मूल्य तय करते हैं। आप यही तो चाहते हैं न कि बाजार भाव में वृद्धि न हो, कीमतें न बढ़ने पाएं। फिर भी आज आप देख रहे हैं कि आपके समर्थन मूल्य और बाजार भाव में इतना अन्तर है, उसका क्या कारण है? मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसान को उसकी पैदावार का उचित, वाजिब और आवश्यक मूल्य दें। सरकार प्रतिवर्ष जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, वह वास्तविक, वाजिब और उचित मूल्य नहीं है। यदि आप इन प्वाइन्टस पर विचार करके समर्थन मूल्य निश्चित करेंगे तो वह किसान के हित में होगा।

मैं यहां किसान के हालात जिनमें वह रहता है का विषय नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि वह अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि उसको न पीने का पानी उपलब्ध है, शिक्षा के लिए प्राथमिक शालाएं नहीं हैं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, सड़कें नहीं हैं और यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश में जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं हैं मगर किसानों से शिक्षा का उपकर लिया जाता है। शहरों में पढ़ने वाले बच्चों से शिक्षा का कोई कर नहीं लिया जाता परन्तु जहां शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां किसानों से शिक्षा उपकर वसूल किया जाता है। मेरा कहना है कि आप इस अन्याय को रोकिए, किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार मत करिएगा।

अधिक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बारे में सोचना होगा। लेकिन आपके 'फ्लो इरीगेशन' और 'लिफ्ट इरीगेशन' के रेट्स में भी अन्तर है। सरकारी सिंचाई के जो साधन किसानों को उपलब्ध हैं, उसमें आपका कहना है कि ऊर्जा की कंजम्पशन होती है, इलैक्ट्रिसिटी की खपत होती है, इसलिए उसके रेट्स अलग हैं जब कि तालाब से फ्लो होने के कारण उसके रेट्स भिन्न हैं। परन्तु किसान जो उत्पादन करता है, जिस खेत से पैदा करता है वह खेत यह नहीं देखता है कि सिंचाई के पानी किस तरीके से आ रहा है—फ्लो सिस्टम से मिल रहा है या लिफ्ट सिस्टम से। खेत को पानी चाहिए। लेकिन समर्थन मूल्य सबके लिए एक सा घोषित किया है। इस असमानता के बारे में विचार करना होगा।

आपका जो समृद्धि का चमकीला आवरण है, वह 70 फीसदी किसानों के लिए व्यर्थ है।

आप देखें मूंगफली का समर्थन मूल्य 1980 में 206 रु०, 1981-82 में 270, 1982-83 में 2०5 और 1983-84 में 315 रु० रखा, लेकिन मूंगफली के तेल की कीमत में कितनी वृद्धि हुई ? मूंगफली का तेल जो पहले 6 रु० किलो मिलता था आज उसका भाव 19.20 रु० और 25 रु० प्रति किलो है, यानी तिगुने दाम हो गए। किसान की आय का जो आधार है उसके साथ विसंगता बढ़ी है।

इसी तरह आप प्राइस इंडेक्स के आधार पर देखें कि मूल्य कितने बढ़े हैं। क्लैंडर ईयर के अनुसार, यदि 1970-71 को 100 रु० बेस मानकर चलें, तो 1980 में 248, 1981 में 278, 1982 में 285। फाइनेंशियल ईयर के अनुसार 1979-80 में 217, 1980-81 में 257, 1981-82 में 281। 60% महंगाई बढ़ी है। पिछले साढ़े चार सालों में सरकार द्वारा अनाज की फसलों के वसूली या समर्थन मूल्यों में 31 से 44 प्रतिशत, दालों में 40 से 71 प्रतिशत, कपास में 46 प्रतिशत और प्रमुख तिलहनों में 47 से 66 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंहगाई बढ़ी है 60 से 80 प्रतिशत और मूल्य किसान को बढ़ा है केवल 13 प्रतिशत। किसान को वाजिब दाम दीजिए। आप कह सकते हैं कि यदि किसानों का दाम बढ़ाते हैं तो उपभोक्ताओं को महंगा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसान ही मिला है सारी सरकारी मार खाने के लिए ? आपने किसानों के बारे में। ठीक नहीं सोचा है। माननीय रंगा जी कह रहे थे खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन के बारे में, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, अन्यथा उसका गुजारा कैसे होगा ? सामान्य किसान के साथ अन्याय करके वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा न करें। आज न तो किसान को उचित मूल्य मिल रहा है न श्रमिक को और न उपभोक्ता को, उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुये मिल रही हैं। जहां इतनी असमानता है ऐसी स्थिति में सरकार सब मोर्चों पर कैसे सफल ? आपकी सरकार, जो काम करने वाली सरकार के नारे पर चुन कर आयी है, कुछ नहीं कर सकी। उल्टे तीन गुनी महंगाई बढ़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं यह सरकार चल रही है या गड्ढे में जा रही है ? किसान पर हो रहे अत्याचार को रोका जाना चाहिए।

गन्ने का समर्थन मूल्य 1980-81 में 13 रु०, 1981-82 में 13 रु० 1982-82 में 13 रु० और 1983-84 में 13.50 रु०। आप कल्पना कीजिए कि गन्ना पैदा करने में उसकी क्या लागत आती है। बिजली उसको दिन में नहीं मिलती है, रात को ठंड में जब सारा संसार घरों में सोता है उस वक्त वह खेत में पानी लगाता है। किसान के साथ कैसा न्याय कर रही है सरकार ? इस देश का आधार कृषि है। कृषक की उपेक्षा करके देश का भला कैसे किया जा सकता है ? किसानों का भला करना होगा, उसकी उन्नति और समृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं यह करना चाहिए ?

मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि किसानों को अपने गन्ने का पैसा समय पर नहीं मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में महीदपुर शक्कर कारखाने को किसानों ने गन्ना दिया था जिसका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। क्या कारण है ? उसने कोई अपराध तो नहीं किया है। सरकार द्वारा दी हुई पर्ची की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। आप किसान के दर्द की बात कहते, लेकिन उसके लिए जो पहल करना चाहिए वह नहीं करते हैं। यदि सरकार पहल नहीं करेगी तो क्या उम्मीद की जा सकती है ?

यह सारी बातें कहने के साथ-साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि किसान को अच्छी खाद, अच्छा बीज, कीट-नाशक दवा सही कीमत पर मिलें, और इनके लिए उसको ज्यादा दूर न जाना पड़े इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

सिंचाई की दरों में समानता की दृष्टि से आप क्या उपाय करने वाले हैं ? कृषि मूल्य आयोग जो यथार्थता पर आधारित नहीं है, उसे वास्तविकता के नजदीक लाने के लिए और क्या कर सकते हैं ?

खेती के प्राकृतिक प्रकोप के बारे में फसल बीमा योजना की सरकार की नीति क्या है ? किसान जो श्रम करता है, कीमत खेती में लगाता है, उसका सारा परिवार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, इस सबका ठीक से उसको मुआवजा मिले, इसके लिए कृषि मूल्यों में आप क्या तय करने वाले हैं ?

जो मुद्दे किसान के हितों के बारे में, भलाई के बारे में हैं, किसान सम्पन्न बने, इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं ? इस नीति के बारे में आप क्या करना चाहते हैं ? अगर आपकी नीयत उसको पूरा करने की नहीं होगी, तो नीति से बात बनने वाली नहीं है ? सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए जो शक्ति और मानसिकता चाहिए, वह आप पैदा करें और किसान को अधिक से अधिक वाजिब मूल्य दिलाकर उसकी समृद्धि में योगदान आप कर सकें, इसके बारे में क्या करेंगे ? बताने का कष्ट करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, श्री जटिया ने फिर वही बातें उठाई हैं।

सरकार की नीति किसान को अच्छे से अच्छा भाव दिलाने की है और इसे किसान भी जानता है। इसीलिए किसान देश में खेती की पैदावार को खूब बढ़ा रहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया : नीति में कोई बात नहीं है, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके इम्पलीमेंटेशन के लिए भी भरसक कोशिश हो रही है। पहली चीज में यह समझना चाहूंगा कि सपोर्ट प्राइस का यह मतलब नहीं है कि किसान को सिर्फ यही कीमत मण्डी में मिले। गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस तय करती है, उसका मतलब यही है कि सरकार जिस चीज की कीमत तय करती है सपोर्ट प्राइस के लिए, उस पर गवर्नमेंट गारंटी तय करती है कि सारा सरप्लस जो किसान मण्डी में लायेगा वह सब उस पर खरीदा जायेगा। उससे ऊपर कीमत अगर किसान को मिलती है तो वह किसान ज्यादा कीमत पर बेच सकता है। इसलिए बाद में मण्डी में क्या कीमत है, सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की क्या है, इन दोनों का वास्ता नहीं है। यह बात मानकर चलना पड़ेगा कि अगर सरकार इस सारी पैदावार को, जो कि किसान के पास फालतू होती है, जिसका भाव हम मुकर्रर करते हैं, खरीदने का बन्दोबस्त न करे तो व्यापारी किसान को लूट लेगा।

अगर एक हफ्ते कभी हमें इन्तजाम करने में देर लग जाती है तो आपका भी तजुर्बा होगा कि कीमतें एकदम गिर जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, किसान की ढेरी पड़ी रह जाती है, उसका खरीददार नहीं होता है। गवर्नमेंट की नीति तो सबसे ज्यादा किसान को ही लाभ पहुंचाने के लिए है कि किसान जो भी कुछ लाए, वह मुकर्रर की हुई कीमत पर खरीदा जाए और वह कीमत रैमुनरेटिव होती है, सारी चीज पर जितनी लागत आती है, उसको निगाह में रखकर ही तय की जाती है, जिसे मैं तफसील के साथ बता चुका हूं।

मूंगफली के दाम को आपने किस तरीके से कम समझा, यह नहीं बताया। मैं और चीजों के बारे में बतला चुका हूं, मूंगफली के बारे में भी बतला चुका हूं कि किस तरह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं। इतनी

कीमत किसी और चीज की नहीं बढ़ी। इसलिए हम सोच-समझ कर तेलों के बीज का ऐसा भाव दे रहे हैं ताकि इसकी पैदावार देश में बढ़े।

1979-80 में मूंगफली की कीमत 190 रु० तय की गई थी हमारी इस सरकार के बनने से पहले।

श्री सत्य नारायण जटिया : तब तेल के भाव 6 रु० थे।

राव बीरेन्द्र सिंह : जब किसान को ज्यादा मिलेगा तो तेल का भाव तो बढ़ेगा। पहले 190 रु० कीमत मुकर्रर थी, 1983-84 के लिए हमने इसे 315 रु० मुकर्रर किया। इन 4 सालों में हमने 190 से इसे 315 रु० कर दिया। मूंगफली, सोयाबीन और दालों वगैरह की कीमतें इसी तरह बढ़ाई गई हैं। जहां तक कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज का सम्बन्ध है, पिछली सरकार ने उसकी कीमत 9 रु० पर छोड़ी थी। हमने उसकी कीमत 1983-84 में 124 रु० मुकर्रर की। हमने बाजरे, जवार, रागी, मक्की वगैरह हर चीज की कीमत बढ़ाई है, जिससे किसान सन्तुष्ट है। किसान जानता है कि इस सरकार ने उसको कितना फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस सरकार की नीति है कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए।

यह सरकार मानती है कि जब तक खेती में बढ़ोत्तरी नहीं होगी और किसान खुशहाल नहीं होगा, उस वक्त तक न बेरोजगारी का मसला खत्म होगा और न गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर करने के सबसे बड़ा उपाय यह है कि हर खेत में पैदावार बढ़े, हर किसान की पैदावार बढ़े, हर खेती करने वाले मजदूर की आमदनी बढ़े। उसीसे हमारा देश आगे बढ़ सकता है, खुशहाल हो सकता है।

माननीय सदस्य ने सबसिडी की बात कही है, छोटे और बड़े किसान की बात कही है। जितनी सबसिड़ीज दी जाती हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा छोटे किसान को पहुंचाने की हमारी नीति है। 20 पायंट प्रोग्राम में गरीबी दूर करने के लिए हम स्माल और मार्जिनल फार्मर के लिए सब कुछ कर रहे है। मिनी-किट्स भी स्माल और मार्जिनल फार्मर्ज को दिए जाते हैं। 1979-80 में सिर्फ 1 लाख मिनी-किट्स तक्सीम हुए। जबकि इस साल 50 लाख के करीब मिनी-किट्स तक्सीम हुए। माननीय सदस्य ने पूछा है कि स्माल और मार्जिनल फार्मर्ज के लिए क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि उनके लिए इतनी तेजी से काम हो रहा है। उनमें मिनी-किट्स फ्री तक्सीम हो रहे हैं। उन्हें बीज सप्लाई किया जाता है। खाद पर जो 33 परसेंट सबसिडी मिलती है, वह बड़े किसान को नहीं मिलती है। छोटे किसान को हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऋण छोटे किसान के लिए ज्यादा है। खाद की सबसिडी उसके लिए ज्यादा है। ग्राउण्डनट और सोयाबीन वगैरह के लिए प्रोग्राम, कीटनाशक दवाओं और उनके एक्विपमेंट में सबसे आगे छोटे किसान को रखा जाता है। नार्थ-ईस्टर्न रिज़न में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है और ब्लाक्स छांटे हैं, उनमें भी स्माल और मार्जिनल फार्मिर्ज को फायदा पहुंचाया जाएगा, न कि बड़े किसानों को। इसलिए माननीय सदस्य, श्री जटिया, का यह अंदेशा गलत है कि हमारी नीति से बड़ा किसान फायदा उठा रहा है।

प्रोक्युरमेंट प्राइस को 31 परसेंट तक बढ़ाया गया है। व्हीट की प्रोक्युरमेंट प्राइस में 32 परसेंट राइज हुआ है। जहां तक शूगरकेन का सम्बन्ध है, पहले तो मैं एक शंका दूर करना चाहता हूं कि जो 13 रु० स्टैचुटरी प्राइस शूगरकेन की रखी गई है, यह वह कीमत नहीं है, जो किसान को दी जाती

है। मैंने बार-बार समझाया है कि किसान को 24, 25 और 26 रु० तक मिले हैं। मिलों से जो 65 परसेंट लेवी शूगर वसूल की जाती है, सरकार मिलों को उसकी कास्ट आफ प्राडक्शन कितनी दे, उसके आधार के तौर पर यह 13 रु० की कीमत रखी गई है। यह किसान को देने वाली कीमत नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : 35 परसेंट जो बच जाता है उसमें जो भाव बढ़ते हैं उससे सारा मामला फिर वैसा ही हो जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उस भाव को कम करने के लिए शुगर रिलीज की जाती है ताकि भाव कम हो जाय।···(व्यवधान)···डुयुअल प्राइस सिस्टम तो इतना टाइट है कि आपने उसे तोड़ कर देख लिया और फिर उसको लागू करना पड़ा। जनता सरकार ने उसको हटा दिया था और फिर घूम फिर कर और शुगर पालिसी का सारा सत्यानाश करके फिर उसको लागू करना पड़ा।

इन पुट्स की कीमत भी कम रखने के लिए हम बात करते हैं। हमेशा यही सोचते हैं। फर्टिलाइजर्स तकसीम करने के लिए इस गवर्नमेंट ने फैसला किया शुरू में ही, ज्यों ही यह गवर्नमेंट बनी, कि ब्लाक के लेवल के ऊपर एक कीमत पर सारे देश में चाहे पहाड़ी इलाके हों, चाहे समुद्र पार के इलाके हों, चाहे रेगिस्तान के हों, ब्लाक लेवेल के ऊपर खाद की कीमत एक होगी जिस पर किसान को खाद मिलेगी चाहे वह रेल हैड के ऊपर हो चाहे टट्टुओं पर जाता हो पहाड़ों पर, सारी जगह कीमत एक होगी।

डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सेल प्वाइन्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जितने मैन्युफैक्चर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं फर्टिलाइजर की उनका बार-बार हम ब्यौरा लेते हैं यह देखने के लिए कि सैल प्वाइन्ट्स उन्होंने बढ़ाए हैं या नहीं ताकि किसान को ज्यादा दूर न जाना पड़े। यह कोशिश भी करते हैं कि शहरों के बजाय गांवों के अन्दर सैल प्वाइन्ट्स हों फर्टिलाइजर्स के।

इसी तरीके से बीज के बारे में बार-बार बताया जा चुका है कि अच्छे सर्टिफाइड बीज की पैदावार किस तरीके से बढ़ायी जा रही है। उससे भी किसान को लाभ होता है। उसके ऊपर भी सब्सिडी होती है जो सरकार दिया करती है जिसमें सरकार को घाटा उठाना पड़ता है। फर्टिलाइजर के ऊपर भी और इस जीच पर भी सरकार को घाटा उठाना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स के ऊपर 800 से लेकर 1000 करोड़ तक का एक साल में घाटा उठाना पड़ता है उसकी एक कीमत सब जगह रखने के लिए। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा खर्चा बर्दाश्त करके उसे एक भाव पर सब जगह बिकवाया जाता है।

इसी तरीके से किस तरह और जितने इन पुट्स हैं उनकी कीमत भी नीचे रखी जाय ताकि किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन न बढ़े, इसकी कोशिश की जाती है। किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो भाव जो जरूरी चीजें हैं जैसे अनाज उनके ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कन्ज्यूमर को हमेशा निगाह में रखा जाता है ताकि एसेशियल कमोडिटीज हर एक को उचित भाव मिल सके।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (गढ़वाल) : महोदय, माननीय मन्त्री ने इस बारे में अपने मंत्रालय अथवा वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के सम्बन्ध में अनेक बातें कही हैं।

मैं कुछ बातों के बारे में जानकारी चाहूंगा।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में अपनी सिफारिशें की थीं तथा आदानों एवं कीटनाशकों तथा

उर्वरकों के उपयोग और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कुछ विचार रखे थे।

आयोग ने बीज उत्पादकों तथा इनको उपचारित करने और इनके विपणन एवं उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन व वितरण करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया था।

इसी प्रकार, आयोग ने गर्म हवाओं तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूमि की ऊपरी सतह खराब होने से बचाने के बारे में भी सुझाव दिए थे।

परन्तु ये सब बातें केवल कागजों तक ही सीमित रह गई हैं।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों को किसी फसल-विशेष के लिए विशिष्ट उर्वरक की मात्रा डालने की सलाह देने के बारे में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए भूमि-परीक्षण की प्रतिशतता कितनी है ताकि किसानों को आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालने की जरूरत न पड़े और आदानों की लागत एक निश्चित सीमा से अधिक न बढ़ सके।

इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि वर्ष 1980 के पश्चात् से राम राज्य के इस नए युग में किसानों के लिए बहुत अधिक कार्य किया गया है तथा उन्होंने बहुत अधिक मूल्यों की घोषणा की है। मैं उनसे विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि दालों, नारियल, मूंगफली, चने से लेकर उड़द अथवा किसी भी किस्म की दाल अथवा सोयाबीन के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछले मौसम में हुए चीनी के उत्पादन के बारे में सन्तुष्ट हैं और यदि नहीं, तो पहले वर्षों की तुलना में चीनी के उत्पादन में हुई कमी के क्या कारण हैं? मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जिस ब्याज का ये जिक्र कर रहे हैं और जिसे 14 दिन के भीतर भुगतान न करने पर किसानों को अदा करना पड़ता है, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बट्टे खाते डाल दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या गुड़ तथा खांडसारी उद्योग, जिनका वे उल्लेख कर रहे हैं, पर न्यूनतम मूल्य लागू होता है क्योंकि ये किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का 55 प्रतिशत भाग प्रयोग करते हैं और यदि इन पर न्यूनतम मूल्य लागू नहीं होता है तो किसानों द्वारा गुड़ तथा खांडसारी उद्योग को सप्लाई किए गए गन्ने का औसत मूल्य क्या रहा है? मंत्री महोदय ने उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की बात कही थी। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होने पर किसान के खुश होने की बात कही थी। वे यह भी कहते हैं कि किसान अपने उत्पादों के निर्धारित मूल्यों से सन्तुष्ट हैं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उनके विभाग द्वारा न्यूनतम मूल्य पर भुगतान किए गए कुल खाद्यान्नों की प्रतिशतता कितनी है तथा किसानों को इसकी तुलना में कितना बाजार-मूल्य प्राप्त हुआ है? साथ ही, क्या यह सच नहीं है कि यह सरकार मूल्यों को कम करने के लिए किसानों पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने की दोषी रही है और यदि हां, तो क्यों? इन्होंने उपभोक्ता उद्योग के थोक मूल्य की बात कही है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के औद्योगिक माल का भी उल्लेख किया है तथा यह कहा है कि कुल मिलाकर मूल्य में एकरूपता बनाए रखी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि जबकि देश में औद्योगिक माल की ढुलाई पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहा है तो उनके शासनकाल में खाद्यान्नों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध क्यों लगाए गए थे?

मंत्री महोदय ने किसानों को राजसहायता की बात कही है। आप किसानों को राजसहायता देने के स्थान पर अपनी अकुशलता को छिपा रहे हैं। 'आप' से मेरा अभिप्राय 'इस सरकार' से है। यह

सरकार अपनी अकुशलता पर पर्दा डाल रही है। स्वयं इस मन्त्रालय ने इस सदन को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए खाद्यान्नों के भंडारण में लगभग 30 लाख टन खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं के नष्ट होने की बात कही है। लदान-भरान तथा परिवहन एक अन्य मुद्दा है। मैं इस मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इसके अथवा मूल्य नियंत्रण प्रणाली द्वारा कुल कितने खाद्यान्न, कपास, बाजरा अथवा ज्वार अथवा मोटे अनाज का कारबार किया गया था। क्या यह सच नहीं है कि मैंने 1980 में इस मंत्रालय को एक पत्र लिखा था? क्या उत्तरी कर्नाटक के रायचूर तथा बीजापुर क्षेत्र में किसानों को सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम दाम मिल रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि मैंने बार-बार उन्हें इसकी जानकारी दी थी? 1982 में मैंने उन्हें सचेत किया था कि यदि चीनी उद्योग इसी प्रकार कार्य करता रहा तो चीनी के उत्पादन में निश्चित रूप से कमी आएगी तथा आने वाले समय में आपको बाहर से चीनी का पुनः आयात करना पड़ेगा।

मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक सामन्ती परिवार से सम्बन्ध रखता हूं। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं तथा मैंने स्वयं हल चलाया है जबकि माननीय मंत्री जी के परिवार ने कभी भी यह कार्य नहीं किया है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं। मैं इन्हें जानता हूं। मैं इन्हें पहले तथा अब भी अपने विपक्षी के रूप में देख चुका हूं। मैं इनके क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण हरियाणा में वर्ष 1968 में चुनाव प्रचार कर चुका हूं तथा इनके परिवार के इतिहास के बारे में भली-भांति जानता हूं। इनका परिवार अत्यन्त महान है, बहुत बड़े भूस्वामियों का परिवार है। इन्होंने स्वयं कभी हल के दर्शन नहीं किए हैं। क्या इन्होंने एक दिन भी स्वयं हल चलाया है? व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहना अत्यन्त अनुचित है···

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि ये ट्रैक्टर प्रयोग करते रहे हों। आप यह कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े जमींदार हैं। अतः हो सकता है कि ये ट्रैक्टरों का उपयोग करते हों।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात इन दोनों के बीच है। आप बीच में क्यों आते हैं? ये पहले ही इन्हें अपना नजदीकी मित्र कह चुके हैं। ये बातें अच्छे मित्रों के रूप में एक-दूसरे से कह रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस मामले में श्री पनिका को न्यायाधीश बनाता हूं। वे स्वयं जाकर देख सकते हैं कि मैं या मेरा परिवार हल चला रहे हैं अथवा नहीं। यदि वे वहां देखकर भी 'नहीं' कहते हैं तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर लूंगा। मैं इनकी तरह नहीं हूं। मैंने इन्हें देखा है। मैं इन्हें बहुत अधिक समय से जानता हूं। मैं जानता हूं कि ये विपत्ति में कितनी सहायता कर सकते हैं। इन्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि मन्त्री जी की कोई कठिनाई है। मन्त्री जी तो अमीर घर में पैदा हुए हैं परन्तु मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। मैं इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने राष्ट्रीय कृषि आयोग के बारे में बहुत पढ़ा है। मैंने माननीय मन्त्री जी से अधिक हल चलाया है। अतः उन्हें किसी व्यक्ति के गुण-दोषों की चर्चा न करके उठाए गए प्रश्न के गुण-दोषों पर विचार करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गेहूं तथा धान की प्रति हैक्टेयर पैदावार में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो 1980-81 अथवा 1979-80 से अब तक इस का क्या अनुपात रहा है··· आपकी गैलरी से कुछ और सूचना भी प्राप्त करनी पड़ेगी।

इस सरकार ने बीज बीमा निगम के गठन का आश्वासन दिया था। उस आश्वासन का क्या हुआ ? क्या बीज उत्पादकों की अपेक्षित धन धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ? क्या इस सरकार ने उन्हें जो आश्वासन दिया था, वह पूरा हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?···(**व्यवधान**) उनसे बीज का बहुत अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। उन्हें किस श्रेणी का बीज दिया जा रहा है और उसकी तुलना में कितनी राशि का उन्हें भुगतान किया जा रहा है ?

इसी प्रकार, यह कहा गया था कि आप बीज को चुंगी बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय करों से मुक्त कर देंगे—इस बात की सिफारिश भी की गई है। क्या आपने या आपके मंत्रालय ने इस मामले को किसी राज्य के साथ उठाया है और यदि हां, तो किन तारीखों में ? आपने इन पर कोई कार्यवाही करने का प्रयास नहीं किया।

आपने यह दावा किया है कि आप किसानों के हितैषी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीज के सम्बन्ध में सवाई प्रणाली समाप्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या यह प्रणाली किसानों को घटिया बीज दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है जबकि किसान यह समझता है कि वह सरकारी एजेंसी से सबसे उत्तम बीज प्राप्त कर रहा है ?···(**व्यवधान**) मैं 'गरीब किसान' नहीं कह रहा हूं। मैं किसान की बात कर रहा हूं। 'गरीब' शब्द सभी किसानों का विशेषण है। कोई भी किसान अमीर नहीं है। हो सकता है कि आप किसी को अमीर किसान समझते हों। यह कल्पना आज भी विद्यमान नहीं है।···

एक माननीय सदस्य : राव साहब यहां बैठे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : राव साहब सामन्ती किसान, एक कुलक हैं।

इसके अतिरिक्त आपने यह कहा था कि एक सिफारिश यह की गई थी कि कृषि मूल्य आयोग मूल्य-निर्धारण के प्रश्न का निर्णय करने से पूर्व सूचकांक तैयार करेगा। क्या यह प्रणाली लागू कर दी गई है ? प्रत्येक वर्ष मूल्य-निर्धारण से पूर्व कृषि मूल्य आयोग द्वारा कितने कृषक परिवारों की पड़ताल करता है तथा यह किस पद्धति से की जाती है ? मंत्री जी ने कहा था कि भूमि पर भी परीक्षण करने की प्रणाली है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग की इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट इस सिफारिश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा जिस तकनीकी पैनल की सिफारिश की गई थी, उसे नियुक्त कर दिया गया है? तथा क्या इस पैनल द्वारा कृषि की आधारभूत बातों पर विचार किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन्होंने गन्ने के बारे में क्या किया है ? जब मैंने गुड़ तथा खाण्डसारी विनिर्माताओं द्वारा गन्ने की मूल्य अदायगी के समय इसके मूल्य नियन्त्रण की ओर इनका ध्यान आकृष्ट किया था, तो इन्होंने कहा था कि यह असंगठित क्षेत्र है तथा इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि किस प्रकार के किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं तथा कौन से किसानों को उनकी सिफारिश के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भी आधे दामों पर अपने गन्ने बेचने को मजबूर किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस की कल्पना नहीं की जा सकती कि 55% गन्ना इस मूल्य से कम पर बेचा जा रहा है ?

एक सिफारिश यह भी की गई थी कि एक अखिल भारतीय भूमि तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन

का गठन किया जाएगा तथा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। यदि हां, तो संगठन की क्या गतिविधि रही है और इसने किस प्रकार से किसानों की मदद की है? इन्होंने फसल बीमा को एक बहुत कठिन विषय माना है। मैं भी इसे सरल बात नहीं समझता। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्होंने पशुपालन का उल्लेख किया था तथा इसीलिए मैं लघु तथा मध्यम स्तर के किसानों को दी गई गायों, भैंसों या घोड़ों अथवा बैलगाड़ियों का जिक्र कर रहा हूं—आप जानते हैं कि इनका बीमा किया जाता है।

यदि उनकी मृत्यु हो जाती हैं, और यदि समुचित कागजातों को प्रस्तुत किया जाता है और उनसे वे डाक्टर द्वारा प्रमाणित होते हैं फिर भी जबरदस्ती भुगतान कराया जाता है। भुगतान का तरीका क्या है? क्या वह वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है? क्या उन्हें इस आशय का कोई समाचार मिला है कि भुगतान नहीं किए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन मैंने एक भी मुद्दे को दोहराया नहीं हैं। मैं यह जानता हूं कि आप मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए विवश करके सहायता करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकेंगे। मंत्री कभी भी मुद्दों को नहीं देखते हैं। वह केवल एक ही प्रश्न के बारे में जानते हैं और वह प्रश्न है मुद्दा रहित प्रश्न। मैं केवल प्रश्न उठा रहा हूं न कि मुद्दा रहित प्रश्न। संक्षिप्त रूप से मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि विद्युत पर आदान मूल्य में वृद्धि क्यों हुई है? क्या किसान को 24 घंटों में औसतन 6 घंटे भी बिजली मिलती है? अत: क्या इतनी ऊंची कीमत पर उससे जबरदस्ती भुगतान नहीं लिया जाता है? हर बार योजना आयोग पत्र लिख रहा है और भारत सरकार राज्य सरकारों को बिजली की दर बढ़ाने के लिए सलाह दे रही है। आप किसानों से जबर्दस्ती भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि उर्वरकों में भी मिलावट रही है? मिलावटी उर्वरक किसानों को दिए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भारी नुकसान हुआ है? बहुत से मामलों का उल्लेख किया गया है। लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन मिलावटी आदानों की आपूर्ति की इस विशेष स्थिति के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है जो बहुत महंगे हैं। कुछ मामलों में उनके मूल्य में वर्ष 1979-80 के मूल्यों की तुलना में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है जो मन्त्री महोदय के लिए होआ थीं।

बीजों के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं की है। अत: इस प्रकार के घोटाले बीजों के बारे में हो रहे है। यदि वह पूसा संस्थान द्वारा सप्लाई किए गए बीजों के बारे में जांच करवाने के लिए राजी है। तो उन्हें मैं यह दिखा सकता है और साबित कर सकता हूं। लोग अपने बीजों पर पूसा सील लगाकर गड़बड़ी कर रहे हैं और उन्हें जगह-जगह बेच रहे हैं। ये सभी बातें हो रही हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह किसानों की खुशहाली से प्रसन्न हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : श्रीमन् मुझे अत्यन्त खुशी है कि श्री बहुगुणा अपने को किसान कहकर गर्व महसूस करते हैं। इससे यह दिखाई देता है कि देश में किसान के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है।

मैं अपनी तुलना सम्पन्नता की दृष्टि से नहीं करूंगा।

श्री हेमवती बहुगुणा : आपकी श्रेणी समाप्त कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति यह जानना चाहते हैं कि असली किसान कौन है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह एक अनुपस्थित रहने वाले भूस्वामी हैं। (**व्यवधान**)

राव वीरेन्द्र सिंह : श्रीमन श्री बहुगुणा की तरह मेरे पास भी जमीन है और मैं अपनी भूमि को स्वयं जोतता रहा हूं और मेरी जीविका कृषि से ही प्राप्त होती है। मेरी अन्य कोई आमदनी नहीं है। यद्यपि मेरे पास श्री बहुगुणा जी की अपेक्षा कुछ अधिक भूमि हो सकती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमें अपनी-अपनी कृषि भूमि एक दूसरे से बदल लेनी चाहिए।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन जिस तरीके से हम छोटे किसानों की देखभाल कर हैं वह श्री बहुगुणा जैसे छोटे किसान के जीवन-स्तर से देखा जा सकता है जो स्वयं इतने समृद्ध हो रहे हैं। उससे यह पता लगता है कि इस देश में छोटे किसान भी खुशहाल हैं। आप इस देश में खुशहाल हो रहे किसानों का एक उदाहरण है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन्, वह मुद्दे से हटकर बातें कर रहे हैं। उनसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहें।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : वह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के बारे में जानना चाहते थे। इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया तथा देख लिया है। मैं उन्हें प्रत्येक विशिष्ट सिफारिश के बारे में व्यापक उत्तर देने तथा की गयी कार्यवाही के बारे में बताने में समर्थ नहीं हूंगा। 2361 सिफारिशें हैं। 2361 सिफारिशों में से हमने पहले 2218 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा उन पर कार्यवाही की है। और इन 2361 सिफारिशों में के 30 सिफारिशों को ही स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन्, मैंने निश्चित मुद्दों के बारे में पूछा है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : आप प्रश्न पूछिए और हम आपको जानकारी देंगे। श्रीमन् 113 सिफारिशों की जांच हो रही है और इन 113 सिफारिशों में से 27 सिफारिशें अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : संयुक्त उत्तरदायित्व है।

श्री राव वीरेन्द्रसिंह : श्रीमन्, 58 सिफारिशों पर कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपके पास वह विभाग नहीं है।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : हमारे पास वह विभाग है। मैं कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्—एक अनुसन्धान संगठन के बारे में बात कर रहा हूं। 28 कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के पास है और वे उनकी अभी भी जांच कर रहे हैं।

भूमि उपयोग तथा मिट्टी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कुछ मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में हमने पहले ही कार्यवाही की है। भूमि सर्वेक्षण संगठन का गठन किया गया है। हम प्रत्येक क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण देश का मिट्टी सम्बन्धी नकशा तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमि उपयोग बोर्ड की स्थापना की गई है।

2.00 म० प०

इसके अलावा योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक भूमि उपयोग आयोग भी है।

श्रीमन् श्री बहुगुणा ने फिर कुछ वे प्रश्न पूछे हैं। जिनका मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। जैसे चीनी का मूल्य निर्धारण। मैंने पहले ही सभा को यह बता दिया है कि इस बारे में खाद्य तथा नागरिक तापूर्ति मन्त्रालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने चीनी के उत्पादन के बारे में कहा था। यदि गन्ने का मूल्य ही सूचकांक है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है तो पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्षा की अपेक्षा चीनी का उत्पादन कम क्यों हुआ ?

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : नि:सन्देह इसमें गत वर्ष की अपेक्षा कमी हुई है। गत वर्ष उत्पादन लगभग 82 लाख टन था और उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उत्पादन लगभग 84 लाख टन था। इस वर्ष इसके लगभग 60 लाख टन होने का अनुमान है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि खंडसारी और गुड़ उत्पादकों द्वारा भुगतान किया गया मूल्य भी लाभकारी मूल्य रहा है और यह इस तथ्य से सिद्ध हुआ है कि कुल गन्ना उत्पादन देश में कम नहीं हुआ है। मिल की चीनी उत्पादन कम हुआ है और इसका कारण अधिकतर गन्ने को गुड़ और खंडसारी के लिए प्रयोग किया जाना है जिस पर हमारा नियन्त्रण नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्यों नहीं हैं ?

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : वे किसानों को अच्छा मूल्य दे रहे हैं और आपको इससे खुशी होनी चाहिए। आप किसानों के लिए अच्छा मूल्य चाहते हैं। उत्पन्न होने वाले गन्ने का लगभग 50 प्रतिशत गुड़ और खंडसारी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये एकक चीनी मिलों की अपेक्षा अच्छा मूल्य दे रहे हैं। अत: किसानों के मित्र होने के नाते आपको खुशी होनी चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप धन के रूप में उन्हें भुगतान करें। लेकिन आप उनको समर्थन मूल्य के रूप में देते हैं।

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : श्री बहुगुणा जी ने स्वयं ही मेरे मुद्दे को साबित कर दिया है।

2.02 म० प० **(श्री एन० के० राजेबलकर पीठासीन हुए)**

श्री राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने कहा था कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि किसान को निर्धारित मूल्य पर अपना फालतू उत्पाद बेचने के लिए सरकार की गारण्टी है और उसे बाजार में ठगा नहीं जाएगा। श्री बहुगुणा ने बताया था कि क्योंकि कुछ स्थानों में क्रय एजेंसिया कार्यरत नहीं हैं वहां मूल्यों में भारी गिरावट आई तथा किसानों को सरकार द्वारा घोषित

मूल्य नहीं मिल सका। हम हमेशा उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष, उदाहरण स्वरूप बाजरे के मूल्य में भारी गिरावट आई और हमने तत्काल ही बाजरा खरीदने का निर्णय लिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने पूछा था : विभिन्न किस्म के खाद्यान्नों की कुल प्रतिशतता कितनी है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या बाजरा और ज्वार की 100 फीसदी खरीद की गई। उस खरीद की प्रतिशतता कितनी है जो उन्होंने की है ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : बाजरा तो आपके हुक्म के बावजूद भागवत झा आजाद जी ने नहीं खरीदा। मार दिया किसानों को।

राव बीरेन्द्र सिंह : लेकिन हमारे फैसले से कीमतें तो बढ़ गई कि नहीं।

राजस्थान में और सब जगह ठीक कीमत पर बाजरा बिकने लगा। (**व्यवधान**)

श्री बहुगुणा उन खाद्यानों की प्रतिशतता के बारे में जानना चाहते हैं जिसे सरकार ने पिछले वर्ष खरीदा था। यह 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक अलग अलग है। इस बार वसूली भारी मात्रा में की गई है। लेकिन यदि वह विशिष्ट आंकड़े जानना चाहते हैं, तो मैं एक या दो फसलों के आंकड़े दे सकता हूं। उदाहरणस्वरूप, गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगभग 450 लाख टन लगाया गया है और इस उत्पादन से लगभग 40 प्रतिशत का अनुमान बाजार में बेचने के लिए लगाया गया है। और वसूल की गई मात्रा लगभग 92 लाख टन है। जैसाकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था यह लगभग 9.2 मिलियन टन है। अतः 45 मि० टन का 9 मि० टन 1/5 भाग है। गेहूं का 1/5 भाग सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद लिया गया है।

हमारा चावल का उत्पादन 59.43 मिलियन टन है और अनुमानित अतिरिक्त चावल 20 मिलिलन टन है और 7.6 मि० टन की वसूली की गई है। इससे यह पता लगता है कि लगभग 60 मि० टन के कुल उत्पादन में से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से केवल 7.6 मि० टन की वसूली की गई है। लेकिन जब आप कुल उत्पादन को लेते हैं तो बाजार में बेचने वाले अतिरिक्त उत्पादन को छोड़कर खाद्यानों की वसूल की गई मात्रा लगभग 10-12 प्रतिशत है। इससे फिर यही सिद्ध होता है कि केवल समर्थन मूल्य ही वह मूल्य नहीं है जिस पर किसान अपने उत्पादन को बेचते हैं यदि वह सरकारी मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को अपना उत्पादन बेचता है तो बेचा जाने वाला भाग केवल 10-12 प्रतिशत होता है। इसका अभिप्राय: यह है कि किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग खुले बाजार में अन्य एजेंसियों को बेचता है और आपने भी इस बात को माना है। कि खुले बाजार का मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है। मुझे इसके सम्बन्ध में भारी प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि किसान को बाजार में अधिक मूल्य मिलता है, हमें इसमें बहुत खुशी है हम किसानों को यह गारन्टी देना चाहते हैं कि यदि किसान अधिक उत्पादन करता है। तो उसके अतिरिक्त उत्पादन को सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य पर खरीदा जायेगा। हमारी नीति का भी यही उद्देश्य है। इसलिए, हम मूल्यों की पहले घोषणा करते हैं।

माननीय सदस्य ने प्रतिबन्धों के बारे में कहा। हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट है। मैंने इस बार और फिर गत चार वर्षों में यह कहा है कि हम मूल्यों की घोषणा करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा लगाया गया कोई क्षेत्रीय प्रतिबन्ध नहीं है। किसान अपने उत्पादन को देश में किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं।

हमारी नीति के अन्तर्गत कोई क्षेत्रीय पाबन्दी नहीं है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि हम किसान पर ऐसी पाबन्दी लगाते हैं कि वह अपने माल को अधिकाधिक दाम पर बेचने के लिए बाजार में कोशिश नहीं कर सकता और उसे विवश होकर बाजार भाव से कम भाव पर अपना माल बेचना पड़ता है इसके विपरीत हमें तो खुशी होती है यदि उसे अधिक दाम मिलते हैं।

भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य बातों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि ये मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत आते हैं और हमने माननीय सदस्य के विचार नोट कर लिए हैं।

मैं इनसे सहमत हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान को अच्छी किस्म के आदान उचित दाम पर तथा समय पर सप्लाई किए जाएं। इसी उद्देश्य से हम 1983-84 से, प्रत्येक बुआई के मौसम से पहले आदान पखवाड़ा मना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उर्वरक और बीज समय पर किसान तक पहुंच जाए और राज्य सरकारें तथा आवश्यक आदान सप्लाई से सम्बन्धित उनकी एजेंसियां सक्रिय हो जाएं और इसके परिणाम अच्छे निकले हैं। दो वर्ष पहले उर्वरक की खपत लगभग 60 लाख टन थी जो अब 78 लाख टन हो गई है। गतवर्ष यह लगभग 64 लाख टन थी और अब यह लगभग 78 लाख टन है। आपने यह ठीक कहा कि किसानों को अच्छी किस्म के प्रमाणित बीज दिये जाने चाहिए। हम इनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं; राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आप इन आंकड़ों को सुनकर खुश होंगे कि 1979-80 में 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए थे और इस वर्ष लगभग 58-59 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज सप्लाई किए जा रहे हैं अतः 4 वर्ष में ही चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमारे बीज उत्पादन के कार्यक्रम में, उर्वरक और बीज वितरण के कार्यक्रम में तेजी आई है।

इसके बाद, ऋण भी एक अनिवार्य आदान है। अकेले सहकारी बैंक में ही पिछले वर्ष से इस वर्ष काफी वृद्धि हुई है। मेरे विचार में ऋण की मात्रा पहले लगभग 2587 करोड़ थी और अब बढ़कर लगभग 2938 करोड़ रु० हो गई है। अब कृषि क्षेत्र में लगभग 5000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष का ऋण दिया जा रहा है जो सहकारी संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार हम आदानों की सप्लाई आदि जैसी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिजली की काफी कमी रही है। हमारे उत्पादन लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति, सिंचाई के लिए पानी, बिजली, ऋण, अच्छी किस्म के बीज, कृषि उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी पर, जिस पर आपने किसानों के प्रशिक्षण के बारे में बोलते हुए जोर दिया था, निर्भर करती है। हम कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। हम विस्तार प्रणाली, प्रशिक्षण तथा दौरे करने की प्रणाली के जरिये किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम तथा अन्य पाठ्यक्रम विद्यमान हैं। शुष्क-भूमि-कृषि के बारे में हम नवीनतम प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क भूमि क्षेत्रों में प्रतियूनिट उत्पादन में वृद्धि करना भी हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से है आपने स्वयं कहा है कि हमारी 70 प्रतिशत भूमि असिंचित हैं। इसी 70 प्रतिशत भूमि पर उत्पादकता बढ़नी चाहिए, तभी हम तिलहनों का उत्पादन अधिकतम कर पाएंगे।

मैं इस बात से सहमत हूं कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है लेकिन हमने प्रगति की है। पिछले कई वर्षों से दलहन तथा तिलहन का उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन पर रुका हुआ था। हम दलहन तथा तिलहन के क्रमशः 12.5 मिलियन टन और 12 मिलियन टन के उत्पादन स्तर पर पहुंच गए हैं हम इनका उत्पादन और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि इनका

उत्पादन अधिकतर वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों तथा कम उपजाऊ भूमि में किया जाता है तथा इन फसलों में रोग तथा कीड़े अधिक लगते हैं। इन फसलों के लिए हमने फसल-संरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है तथा और प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने काफी सुविधाएं दी हैं और सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश में तथा मूंगफली के लिए गुजरात में विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। किसानों को बीज बिजली, सिंचाई, उपकरणों तथा फसल संरक्षण और अन्य कई चीजों के लिए 300 रु० प्रति हेक्टेयर राज-सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इसी प्रकार दालों के लिए भी कई कार्यक्रम बनाये गए हैं। 'दलहन विकास' और 'तिलहन विकास' कार्यक्रम चल रहे हैं। किसानों को अच्छी किस्म के बीजों तथा उर्वरकों के मिनी किट तथा तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। इससे काफी विकास हो रहा है। मिनी-किट्स को ही लें। चार वर्ष पूर्व केवल एक लाख मिनी किट्स बांटे गए थे जबकि इस वर्ष लगभग 60 लाख मिनी किट बांटे गए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या यह संख्या एक घंटे में 50 से 60 लाख तक बढ़ी है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने 50 से 60 लाख तक कहा है ये मैं अपनी याद दाश्त के आधार पर कह रहा हूं। यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसका सुधार किया जाएगा मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे समझेंगे। यह वृद्धि बहुत अधिक है और इन मिनी किट्स में दालें, तिलहन, धान, गेहूं, बाजरा, लगभग सभी महत्वपूर्ण फसलें इसमें शामिल हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय ने मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जो मैंने ए० पी० सी०, तकनीकी पैनलों आदि द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के बारे में पूछा है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि देश में कुल भूमि की कितने प्रतिशत भूमि का परीक्षण किया जाता है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि कीड़ों के लगने के कारण दालों में ही 1000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की हानि होती है। क्या वे इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कृषि उपज के समर्थन मूल्य के बारे में है। यदि माननीय सदस्य कुछ और जानकारी चाहते हैं तो वे इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रश्न करें और हम उसका उत्तर देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : मैं आपको लिखता रहा हूं, परन्तु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सरायकेला तथा खरसुआं क्षेत्रों के विद्यालयों और कालेजों में उड़िया भाषा पढ़ाने की सुविधा की व्यवस्था करने और रांची विश्वविद्यालय में उड़िया भाषा स्नातकोत्तर पाठयक्रम पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं। श्री चिन्तामणि पाणि-ग्रही।

श्री चिन्तामणि पणि ग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमान्, भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर बहुत बल दिया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना भी शामिल है, राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खरसुआन, सरायकेला तथा सिंहभूम, बिहार के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले उड़िया बोलने वाले अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह खेद पूर्ण है कि सरायकेला और खरसुआन क्षेत्रों में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत उड़िया अध्यापकों को ऐसे स्कूल में स्थानांतरित किया जाता है जहां उड़िया पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। उड़िया के कई अध्यापकों को जबरन सेवा-निवृत्त कर दिया गया है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर बिहार के शिक्षकों को उड़िया शिक्षकों के पदों पर लगा लिया जाता है। पहले सरायकेला और खरसुआन में स्थित कार्यालयों की राजभाषा उड़िया थी जिसे अब हटा दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय में उड़िया में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भी समाप्त कर दिया गया है। रांची की स्वास्थ्यप्रद जलवायु से आकृष्ट होकर उड़ीसा के काफी विद्यार्थी एम० ए० करने के लिए रांची आते थे। लेकिन बार-बार मांग करने पर भी रांची विश्वविद्यालय में उड़िया को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम फिर से शुरू नहीं किया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह निदेश दिए जाएं कि सरायकेला और खरसौन क्षेत्र के स्कूलों तथा कालेजों में उड़िया भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। रांची विश्वविद्यालय में उड़िया में एम० ए० का पाठ्यक्रम भी शीघ्र आरम्भ किया जाए।

(दो) यू० एन० आई० के० कर्मचारियों द्वारा भूखहड़ताल

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : यू० एन० आई० के कर्मचारी 16 दिन से बारी-बारी से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और 16 अगस्त से अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल पर रहेंगे। इनकी मांग है कि इस समाचार एजेंसी के बढ़ते हुए राजस्व में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए और वित्तीय अनियमितताओं तथा फजूल खर्च को रोका जाए। सरकार के यू० एन० आई० के वित्तीय मामले की जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस एजेंसी के राजस्व में गत 4 वर्ष में 50% वृद्धि होने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता, कर्मचारियों की मकान-किराये की न्याय संगत मांग क्यों नहीं मानी जाती, सवारी भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता कभी नहीं दिया जाता और अगले एक महीने में 12 कार्यालयों की बन्द करने की योजना क्यों बनाई गई है। सरकार को यू० एन० आई० के सरकारी अनुमानों तथा ऋण के 1978 से अब तक के खातों की लेखा-परीक्षा करवाने का हक है। सरकार को चाहिए कि डाक-तार की बकाया राशि को और 65 लाख रु० के विकासात्मक ऋण को बट्टे खाते डाले या कम से पांच कम वर्ष के लिए प्रति अदायगी न लें और अगले 15 वर्ष में अदायगी करने के लिए किश्तें नियत करे। इसी से यू० एन० आई० के 750 से भी अधिक कमचारियों में, जो बेरोजगार हो जाने से भयभीत हैं, विश्वास पैदा होगा।

(तीन) वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई तथा पशुओं के चराने से हो रहे नुकसान को रोकने की आवश्यकता

श्री आर० पी० गायकवाड़ (बड़ोदा) : गुजरात के गीर वन में, जो एशियाई शेर का एकमात्र शरणस्थल है और जिसे वन्य पशु शरणस्थल के रूप में घोषित किया गया है, पेड़ों की अन्धाधुंध कटाई से

तथा पशुओं द्वारा वहां की घास चरने के कारण, नष्ट किया जा रहा है। शेरों को इस वन्य-पशु शरणा-स्थल में सुरक्षित रख कर उनकी संख्या बढ़ाने का उद्देश्य असफल हो गया है। इस वन्य पशु विहार के रखरखाव पर स्वैच्छिक वन्यपशु संगठनों और सरकार के बीच विवाद चलता रहता है और हाल ही में एक प्रसिद्ध प्रकृतिविद ने वन्यपशु सलाहकार निकाय से, मतभेद के कारण, त्याग-पत्र दिया है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि यह ऐसे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नष्ट न हो जाए जिनका वन्य-पशु संरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार को ये प्रश्न सामने रखने चाहिए। नदियों के साथ-साथ लगे सदाबहार पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? शेरों की संख्या अपेक्षित मात्रा में क्यों नहीं बढ़ी है? कान्हा या बन्धवगढ़ जैसे शरणास्थलों में लागू नियम गिर वन में क्यों लागू नहीं होते? फसल-संरक्षण बन्दूकें किस लिए दी जा रही हैं? क्या बन्दूकें हिरणों को भगाने के लिए जरूरी हैं? क्या शेर फसलों को नष्ट करते हैं और क्या गिर वन मे पशुओं की संख्या बढ़ी है?

मेरा अनुरोध है कि सरकार इन बातों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करे।

(चार) वर्ष 1979 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण सेवा से हटाए गए कर्मिकों को मानवीय आधार पर पुनः सेवा में वापस लेने की सहायता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, सन् 1979 में सैंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एजिटेशन किया था। इसके लिए उनमें से सैकड़ों जवानों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, और कइयों के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज किये गये थे। उस समय की सरकार और उस समय के सी० आर० पी० एफ० के अधिकारी इस मामले को ठीक प्रकार से निपटाने में असफल रहे थे।

वर्तमान सरकार की उदार नीति के कारण कुछ संख्या में हटाए गये जवानों को फोर्स में वापिस ले लिया गया है, बहुत से ऐसे जवान जो सेवा से हटाए गये थे और जो अपराध के मामलों में अदालतों से बरी कर दिये गये हैं, फोर्स में वापस होने का निवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण यह लोग बहुत परेशान हैं। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है।

सरकार ने हमेशा उदार नीति अपनाते हुए रेलवे, तथा अन्य सरकारी विभागों एवं प्रतिष्ठानों के निकाले गये हड़ताली कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इन लोगों पर भी दया की भावना से कार्यवाही करके इनको फोर्स में वापिस ले ले। इससे एक तरफ जहां इनके परिवारों को आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा और सराहनीय काम करने वाले सी० आर० पी० एफ० के जवानों में प्रसन्नता होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा।

(पांच) चौपन (मिर्जापुर) में रेलों का एक प्रमण्डलीय मुख्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के अन्तर्गत चौपन नामक स्थान में पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित डिवीजनल हैड-क्वार्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चौपन में सारी अपेक्षाएं, जो कि एक डिवीजन के लिये आवश्यक होती हैं, उपलब्ध हैं। रेलवे डिवीजन के लिये रेल मंत्रालय ने यहां पर पर्याप्त मात्रा में भूमि अर्जन कर रखी है। अन्य आवश्यक आधार संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) सुविधाएं भी तैयार कर रखी हैं, परन्तु खेद है कि अब तक डिवीजन खोलने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय का निर्णय घोषित नहीं हुआ है।

चौपन के आसपास कई सरकारी औद्योगिक संस्थान हैं, जैसे ओबरा में 1500 मेगावाट क्षमता का पावर-स्टेशन, डाला में सीमेंट फैक्टरी एवं गुरमा में सीमेंट फैक्टरी तथा क्रमश: उसके लिये रा-मैटीरियल (कच्चा माल) लाइम स्टोन की खान आदि हैं। यही नहीं, चौपन से सोन नदी गुजरती है और उससे आवश्यकतानुसार पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहां पर शैक्षणिक संस्थायें भी हैं, जैसे छात्र और छात्राओं के लिये महाविद्यालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां पर अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) का भी हैड-क्वार्टर है। प्रस्तावित डिवीजन के ध्यान से यहां पर बहुत से रेलवे क्वार्टर्स भी बन गये हैं।

यहां यह बतलाना भी असंगत नहीं होगा कि चौपन आदिवासी हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। इसके समीप सिंगरौली कोयले की खानें तथा चार सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्राइवेट सैक्टर में भी हिन्डालको, रेणु पावर प्रोजैक्ट, कनोरिया कैमीकल्स संस्थान स्थित हैं। अत: मैं रेल मंत्री जी से चौपन में डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग करता हूं।

(छ:) बाढ़ नियन्त्रण के लिए हरियाणा सरकार को दिये गये धन का उपयोग न किया जाना

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, बाढ़ देश के लिये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप ही नहीं, बल्कि इसमें विवेक और क्रम का भी दोष है, जिसका ज्यादा सम्बन्ध सरकार से है।

पिछले साल जब हरियाणा में बाढ़ ने भयंकर रूप धारण किया तो उस सवाल को मैंने लोक सभा में गम्भीरता से उठाया। एक कमीशन मुकर्रर हुआ और मैं उस कमीशन के साथ घूमा। मुझे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कपिल मुनि आश्रम से लेकर पद-यात्रा करनी पड़ी।

राखी गांव में उस वक्त के कृषि मंत्री श्री आर० एफ० वेग ने मेरे 377 के उत्तर में 20 करोड़ रुपये बाढ़ रोकने के लिये मंजूर करने की चिट्ठी भेजी, तब मैंने पद-यात्रा समाप्त की और वह रुपया सैंटर ने हरियाणा को दिया। परन्तु अब तक उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है।

जो बाढ़ निकालने के लिये नाले खोदने थे, पूरे नहीं खुदे, बीच में रह गये। गांवों को बचाने के लिये जो रिंग बांध बंधने थे, वे सही नहीं बंधे, बल्कि उनमें पानी के निकास और पानी के डालने के पम्प भी नहीं लगे। मिसाल के तौर पर दुबल, कालरम, डावल, कालेखा, भाना ब्रह्मणा, मोट, नारनोद इत्यादि जिला जींद व हिसार के ऐसे गांव हैं। इस प्रकार से पानी सड़ भी सकता है और गांव प्यासा भी मर सकता है।

मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार एक जांच कमीशन मुकर्रर कर, हरियाणा में जो व्यापक तौर पर इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जांच करे। रिंग बांध और सड़कों में नीचे पाइप लाइन लगाये जिससे कि पानी निकल सके और आ सके तथा जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ

एक्शन लिया जाये तथा बाढ़-पीड़ितों को जो अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये ।

(सात) जयपुर में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु बनास परियोजना के लिए धन मंजूर करने की आवश्यकता

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी एवं विश्व-विख्यात गुलाबी नगरी जयपुर में पीने के पानी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो रहा है। 12 अगस्त से पीने के पानी का राशनिंग राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। बीसवीं सदी से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जयपुर जिले में वर्षा की कमी के कारण रामगढ़ बंधे में पानी का स्तर सिर्फ 34 फीट है, जो अधिक से अधिक दो महीने चलेगा। अगर जल्दी प्रभावी एवं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो जयपुर में हाहाकार मच जाएगा। यह एक अत्यन्त ही गम्भीर समस्या है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए बहुत पहले बनास नदी लाने की योजना बनाई गई थी, परन्तु धनाभाव के कारण वह योजना खटाई में पड़ गई। पहले जयपुर की आबादी दो लाख थी, अब वह 12 लाख हो गई है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या के स्थायी हल की दृष्टि से बनास योजना को पूरी करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाले एवं उसके लिए 20 करोड़ रुपए तुरन्त मंजूर करे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :*

(व्यवधान)

(आठ) बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाने की आवश्यकता

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं अत्यन्त लोक महत्व के एक विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार के वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखंड प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित रहता है। प्रति-वर्ष लाखों रुपए की फसल की बर्बादी होती है तथा हजारों एकड़ जमीन गंगा एवं गंडक की बाढ़ में कटती है तथा हजारों लोग बेघरबार होते हैं। इस वर्ष भी गंडक का कटाव काफी जोरों पर है।

राघोपुर प्रखंड के छौकिया तेरसिया एवं हाजीपुर प्रखंड के हरवंशपुर गांव में मैं स्वयं गया था। 500 से अधिक घर गंडक में कट कर विलीन हो गए हैं। सैकड़ों परिवार गृह-विहीन हो गए हैं। एक हरिजन की मृत्यु हो गई है। बार-बार मांग करने के बावजूद सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार तत्काल राघोपुर एवं वैशाली जिला में बाढ़ से प्रभावित

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिनका घर एवं जमीन कट गई है, उन्हें मुआवजा दे, कटाव को रोकने की व्यवस्था करे तथा गरीबों के बीच राहत-कार्य चलाए।

राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम 21 जून, 1984 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश सं० 6) और राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक, दोनों ही को निरनुमोदित करने से सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं यह प्रस्ताव रखता हूं :—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश सं० 6) का निरनुमोदन करती है।"

इस अध्यादेश का विरोध करने के कारण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने से पहले मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा 25 जुलाई को सदन में प्रस्तुत किये गए उस वक्तव्य के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था जिनके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1984 को लागू करना आवश्यक हो गया था। तो, गृह मंत्री ने वक्तव्य में कहा है कि अध्यादेश की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि राज्य सरकारें, अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने, विशेष-तौर से उन क्षेत्रों में जहां आमतौर पर अशान्त स्थिति रहती है, में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन की मांग कर रही हैं। सितम्बर, 1980 में जारी किए गए अध्यादेश के बाद, दिसम्बर, 1980 में इस सदन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दूसरे शब्दों में, सितम्बर, 1980 और अप्रैल, 1984 के बीच अर्थात् लगभग साढ़े तीन वर्षों से कुछ अधिक की अवधि तक, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा उन सभी ने अपनी-अपनी बुद्धिमता के अनुसार इस कानून के लिए आवश्यक परिवर्तनों के सम्बन्ध में विचार किया होगा। अप्रैल, 1984 में, जब सरकार ने कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया और यह विधेयक इस सदन द्वारा फिर पारित कर दिया गया—उनके भारी बहुत के प्रति आभारी होना चाहिए—कोई भी यह कल्पना कर सकता था कि इस कानून को सुव्यवस्थित तथा और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जो कुछ भी सुझाव एवं सिफारिशें प्राप्त हुई हैं वह आप को प्राप्त हुई होंगी। अप्रैल, 1984 और 21 जून, 1984 अर्थात् लगभग ढाई महीने की अवधि के बीच जो कुछ हुआ वह ऐसा क्या कुछ था जिससे राज्य सरकारों को अचानक यह अनुभव हुआ है कि व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं चल रही है और इस कानून में दूसरी बार संशोधन की आवश्यकता है अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया ?

अब मैं स्पष्टीकरण सम्बन्धी वक्तव्य के दूसरे भाग के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देश के कुछ भागों में उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थिति के कारण भी उपर्युक्त दिशा में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी ताकि सरकार राष्ट्र-विरोधी, उग्रवादी तथा आतंकवादी तत्वों से कड़ाई से निपट सके और साथ ही सम्बद्ध अधिकारियों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे विद्यमान परिस्थितियों तथा भारत के व्यापक हित में आवश्यक निवारक कार्यवाही कर सकें। यदि देश के किसी भाग या किन्हीं भागों में असाधारण स्थिति विद्यमान है—जहां तक मेरा अनुमान है, मंत्री महोदय के दिमाग में शायद वह स्थिति है जो सरकार ने पंजाब में उत्पन्न कर दी है—तो क्या सारे देश पर अथवा देश के उन अन्य भागों में रहने वाले व्यक्तियों पर, जहां यह असाधारण स्थिति विद्यमान नहीं है, एक ऐसा संशोधित कानून लागू किया जाए, जिसके बारे में मैं सदन के सामने यह कहने जा रहा हूं कि वह इस सदन में अब तक का पेश किया गया सबसे पाशविक कानून है? अतः मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में इन दोनों ही विषयों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करें।

जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, मैं इसे एक असाधारण कानून मानता हूं, जो कि मेरे दृष्टिकोण से, एक बार फिर भारत को लेटिन अमेरीका के 'बनाना' गणतन्त्रों (ऐसे गणतन्त्र जो विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं) और साथ ही मार्कोस के फिलीपीन्स और ऐसे ही अन्य देशों के उसी दल में बिठा देगा, जहां आम तौर पर विधि का शासन नहीं होता।

प्रस्तुत किए गए इस विधेयक के खण्ड दो पर गौर कीजिए जो इस प्रकार है :—

"5क जहां किसी व्यक्ति को···धारा 3 के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश के अनुपालन में नजरबन्द किया गया है, जो कि दो अथवा उससे अधिक कारणों पर दिया गया हो, ऐसा नजरबन्दी आदेश ऐसे कारणों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग और तदनुसार दिया गया माना जाएगा···"

(क) इस प्रकार के आदेश को केवल इसलिए अवैध अथवा निष्क्रिय नहीं समझा जाएगा क्योंकि कोई एक कारण अथवा कुछ कारण ऐसे हैं जो—

(एक) अस्पष्ट,

(दो) अ-विद्यमान,

(तीन) असंगत,

(चार) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित अथवा सीधे सम्बन्धित नहीं है, अथवा

(पांच) किसी भी अन्य कारण के फलस्वरूप अवैध हैं।

और इसलिए यह मानना सम्भव नहीं है कि ऐसा आदेश बनाने वाली सरकार अथवा अधिकारी शेषकारण अथवा कारणों के सन्दर्भ में धारा-3 से सन्तुष्ट हो गये होंगे और नजरबन्दी आदेश दिया होगा ;"

इसीलिए मैंने इसे एक ऐसा अत्यधिक असाधारण कानून कहा है जो एक ऐसी सरकार द्वारा

प्रस्तुत किया गया है जिसने कभी भी मानवीय अधिकारों, नागरिक स्वतन्त्रताओं और यहां तक कि विधि के शासन की भी कभी कोई परवाह नहीं की इसके अतिरिक्त धारा 5क (ख) में, नये कानून में यह सुझाव दिया गया है कि—

> "(ख) यह माना जाएगा कि नजरबन्दी आदेश बनाने वाली सरकार अथवा अधिकारी ने शेष कारण अथवा कारणों के सन्दर्भ में उस धारा से सन्तुष्ट हो जाने के बाद उक्त धारा के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किये हैं।"

दूसरे शब्दों में, अब सरकार निरोधक अधिकारी को शक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रही है और जैसे कि हम जानते हैं, इस कानून के अन्तर्गत निरोधक अधिकारी, भारत सरकार से लेकर राज्य-सरकारों तक, गृह मंत्रालय से लेकर ज़िला स्तर के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट तक कोई भी हो सकता है।

आज आप उन्हें यह अधिकार दे रहे हैं कि वे किन्हीं अस्पष्ट आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द कर दिया जाए, और मैं चाहता हूं कि यह सभा इस बात को पूर्ण रूप से समझे कि इस कानून के द्वारा आप जिला मजिट्रेट की, पुलिस अधिकारी को यह बता रहे हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द कर सकता है, वह किसी भी व्यक्ति से उसकी नागरिक स्वतन्त्रता, उसके अधिकार अस्पष्ट, अविद्यमान अथवा असंगत आधारों पर अथवा उस व्यक्ति से सम्बन्ध न रखने वाले अथवा अप्रत्यक्षत: संबंधित अथवा पूर्णत: अवैध आधार पर छीन सकता है। पूरे आदर के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार अब उन शक्तियों को प्राप्त कर रही है जिन्हें वह कम से कम अभी तक प्राप्त करने से झिझकती रही है।

इस अधिनियम में किए गए पहले के संशोधन से, जो कि अप्रैल, 1974 में किया गया था, सर्व-प्रथम सरकार को यह शक्ति प्राप्त हुई थी कि वह किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द करने के कारण बताए बिना उसे पन्द्रह दिन तक नजरबन्द रख सकती है। वह किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती हैं, उसे जेल में डाल सकती हैं और पन्द्रह दिन तक वह यह भी नहीं जान सकता कि वास्तव में उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद आपने अधिकार चाहे और अप्रैल, 1974 में यह अधिकार प्राप्त भी कर आप लिए कि कम से कम छ: महीने तक सलाहकार बोर्ड के समक्ष न जाया जाये दूसरे शब्दों में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नजरबंद कर सकते हैं, जिसके बारे में बाद में सलाहकार बोर्ड को यह पता चले कि उसकी नजरबन्दी अवैध है, गैर कानूनी हैं, और पूर्णतया अनुचित है। आपने उस व्यक्ति को कम से कम छ: महीने तक नजरबन्द रखने के अधिकार प्राप्त कर लिये और उसके बाद आपने, इस कानून के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के पहले के प्रावधान की बजाए किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए नजरबन्द करने की शक्ति प्राप्त कर ली। अब आप यही कुछ करना चाहते हैं कि ये शक्तियां प्राप्त कर लेने के बाद अब आप औचित्य का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नये संशोधन के माध्यम से आप उन पूर्ण रूप से असंगत, अवैध, अविद्यमान आधारों के औचित्यपूर्ण होने का दिखावा कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत अब आप एक नागरिक को उसकी आजादी और उसकी स्वतन्त्रता से वंचित करना चाहते हैं। इस धारा 5क (ख) से भी कई रोचक मुद्दे सामने आते हैं। जब आप कहते हैं कि वे कारण जिन्हें सही, वैध माना गया है, उन कारणों के आधार पर यह माना जाता है कि आपने

जो नजरबन्दी की है वह एक अधिकारी द्वारा स्वयं को इस धारा में दिए गये आधारों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट कर लेने के बाद की गई है, तो बाद में सामने आने वाले उन कारणों के सम्बन्ध में क्या होता है जो कि आप ही के शब्दों में अस्पष्ट, अ-विद्यमान, असंगत, असंबद्ध अथवा अवैध हैं।

मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री, जो यह भिन्नता ला रहे हैं सभा को उससे अवगत कराएं, क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ उस समय आप अपने अधिकारियों को भी किसी हद तक उपहास का पात्र बना देते हैं जब आपके नजरबंदी आदेश में यह लिखा होता है कि यह आदेश उसने अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। परन्तु उन कारणों के बारे में क्या होता है जिनका पता बाद में धारा 5 अ (क) के अन्तर्गत आये हुए पाये पर लगता है। अवैध कारणों की इन पांच विभिन्न श्रेणियों, जिन्हें आपने रिकार्ड किया है, के अंतर्गत नजरबंदी आदेश देते समय क्या उस समय एक अधिकारी नशीली औषधि के प्रभाव में अथवा नशे के प्रभाव में होता है जिसके फलस्वरूप कर्त्तव्य की पूर्णत: अवहेलना हो? अधिकारी के विवेक अथवा उसके कार्य को आप सही रूप में किस तरह परिभाषित करते हैं? यदि उचित कारणों के पीछे विवेक का उचित इस्तेमाल किया गया है अथवा जब वे अनुचित कारण होते हैं, जैसाकि किसी परिभाषा के न होने के कारण मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा, तो अधिकारी उस समय किस मनोस्थिति में होता है जब वह धारा 5 अ (क) के अन्तर्गत आने वाले कारणों के सम्बन्ध में नजरबंदी का आदेश देता है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री इस बारे में भी हमें विस्तृत रूप से बतायें।

जब मूल विधेयक इस सभा के समक्ष लाया गया था, तब हमने इसे अत्यधिक कठोर विधान बताया था। इस साल, अप्रैल में जब आप संशोधन लेकर आए तो हमने यह सोचा था कि आप एक खास उद्देश्य से यह सौदे-बाजी कर रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस सभा में यह जो आप लेकर आ रहे हैं, यह विधान, अत्यधिक कठोर है। इससे आप जिस प्रकार की शक्ति बटोरना चाहते हैं कोई भी सभ्य सरकार लेना नहीं चाहेगा और मेरे ख्याल में शायद किसी भी सुसभ्य सरकार द्वारा इस प्रकार की शक्तियां नहीं ली गई हैं।

लेकिन, एक प्रणाली जो अपनाई जानी है, यह सब उसी का एक भाग है। उल्टे अगर यह कानून नहीं लाया गया होता तो मुझे आश्चर्य होता। आपके इस कानून की मुझे तो पहले से आशा थी। अगर पिछले चार वर्षों में आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखें और आपके द्वारा लाए गए हर विधान को देखें, विशेषतया मानवीय अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रताओं के, तो यह कोई नई बात नहीं लगेगी।

पहले, आपने हमारे मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतन्त्रताओं को छेड़ना शुरू किया। फिर आपने उन पर ज्यादा जोर-शोर से प्रहार करना आरम्भ किया। अब, मुझे यह लगता है कि आप संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कानून व्यवस्था को तहस-नहस करने की सोच रहे हैं। प्रश्न यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है तथा वह मौलिक अधिकारों का हनन किस वजह से करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वह केवल ऐसा सोचते ही हैं, वह वास्तव में फासिस्ट हैं, वह केवल ऐसा सोचते ही नहीं हैं। उनकी सरकार राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह असफल रही है और इसी कारण वह इस प्रकार का विधान ला रहे हैं।

मैं, इन असफलताओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन देखिए, आपके द्वारा देश में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न की गई है। असम, पंजाब, और अब जम्मू और काश्मीर में आपने

ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न की हैं—शायद जान बूझकर, जिससे कि आप अपने राजनीतिक लक्ष्य पूरे कर सकें—दंगे हो रहे हैं। यह परिस्थितियां उत्पन्न करके आप उन पर प्रहार करना चाह रहे हैं। जो न्यायसंगत राजनीतिक तरीकों से, इस स्थिति का विरोध कर रहे हैं और इसलिए, आपको इसी तरह का एक ऐसा कानून चाहिए जिससे कि आप इस स्थिति से निपट सकें, आपने खुद ही कहा है, इस असाधारण स्थिति से, निपट सकें।

फिर, सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, जिनमें साम्प्रदायिक दंगे आम बात हो गई है। इन परिस्थितियों के परिणाम सामने हैं, भिवण्डी, थाणा और बम्बई तथा देश के अन्य कई भागों में, चाहे वहां किसी की भी सरकार क्यों न हो। कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों न हो, आप वह परिस्थितियां उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम हैं, हैदराबाद में और फारुख अब्दुल्ला के हटाए जाने से पहले जम्मू और काश्मीर में आपके करिश्मे देखे गए थे।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : कोशिश तो बंगाल में भी करते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अभी भी वह बंगाल में कोशिश कर रहे हैं। सभी जगह ऐसा हो रहा है। इन्होंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं कि साम्प्रदायिक दंगे तो आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश और विशेषतया बिहार में यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते आ रहे हैं जहां पर सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेषतया अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों को अत्याचारों का शिकार होना पड़ा रहा है। अब आप इस सीमा पर पहुंच गए हैं कि इन लोगों के साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। इस प्रकार एक तरफ तो आप अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं—राजनीतिक और सामाजिक—और फिर, यह शक्तियां बटोर रहे हैं, जिससे कि इस असाधारण स्थिति—जैसा कि आप कह रहे हैं, से निपट सकें।

महोदय, मेरे ख्याल में, एक अन्य कारण, जिस वजह से सरकार यह जातिगत, सांप्रदायिक और राजनीतिक विभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है, वह शायद आर्थिक क्षेत्र में सरकार की पूरी तरह असफलता है। इस सभा में, विपक्ष के एक सदस्य के रूप में, देश में विपक्ष के एक सदस्य के रूप में, मैं यह कहूंगा कि सरकार जनता का ध्यान, मुख्य विषयों से हटाने की चाल में, जो कि वास्तव में चिन्ता का विषय है, पूरी तरह सफल रही हैं।

अब सरकार, इस हालात में पहुंच गई है जहां उसे यह लगता है कि इन विभाजनकारी और क्रूर तरीकों को वह और अधिक नहीं अपना सकती। इसीलिए, वह यह विधान ला रही है जिससे, अगर कोई भी सार्वजनिक आपत्ति के विषयों को उठाता है तो उससे निपटा जा सके।

महोदय, 1980 में सरकार इस मूल कानून को लेकर आई थी। उसकी यह धारणा थी कि यह कानून अपने आप में पर्याप्त है। मैं दोबारा, गृह मन्त्री से यह कहना चाहूंगा कि आपने 1980 में जो कानून बनाया था, आप यह सोचते थे कि चाहे देश में कितनी भी खराब स्थिति क्यों न हो, उससे निपटने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त है। महोदय, 1980 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उस समय निवारक नजरबन्दी कानून नहीं था। उनके प्रिय आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को जनता पार्टी सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। इस देश में, काफी वर्षों में, पहली बार निवारक नजरबन्दी कानून नहीं

था। लोग इस बारे में निश्चिन्त थे कि उन्हें किसी भी समय आकर बन्दी नहीं बनाया जा सकेगा। बिना मुकदमा चलाए जेल में नहीं डाला जाएगा। इस देश में हर नागरिक पर कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। फिर आप यह कानून लेकर आए। आपने यह सोचा था कि यह अपने आप में इतना पूर्ण है कि इससे किसी भी परिस्थिति से, जो कि जनता सरकार ने खड़ी की है, निपटा जा सकेगा।

यह माना जाता है कि यह स्थिति हमारे द्वारा खड़ी की गई। आपका प्रत्येक मन्त्री, हमारे क्षेत्र में, जहां कि वह पूरी तरह असफल रहा है तथा जहां उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो एक ही बात है जो वह बड़ी आसानी से कह देता है कि जनता पार्टी और जनता सरकार की वजह से यह स्थिति हुई है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसे ही मानते हुए कि, जो कुछ खराब स्थिति हमारे द्वारा की गई उसी की वजह से इस कानून की जरूरत हुई। तो, फिर 1980 और अप्रैल, 1984 में और फिर जून में क्या हुआ, जो आप इस कठोर कानून को लगा रहे हैं?

श्री सुनील मैत्रा : और अधिक गड़बड़ी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इन चार वर्षों और बाकी समय में क्या हुआ? यह आपको बताना है। यही जवाब हो सकता है कि अब आपने स्थिति इतनी बिगाड़ दी है कि आप यह अनुभव करते हैं कि आपने पहले नृशंस उपाय अपनाए हैं, वह अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं; अपने चार साल छः मास के 'प्रभावी' शासन के पश्चात् इस देश में अब आपको किसी ऐसे उपाय की जरूरत है ताकि आप नागरिकों से उनके मूल अधिकार भी छीन लें। आपको ऐसे कानून की शरण लेनी चाहिए, जिसके अनुसार आप उन कारणों से भी किसी व्यक्ति को नजरबन्द कर सकते हैं जो न तो वैध है एवं न ही उपयुक्त हैं। आप उसे परामर्शदात्री बोर्ड के समक्ष लाए बिना ही छः महीने के लिए जेल में रख सकते हैं।

यह स्थिति क्यों हुई? मैंने इस देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ने का उल्लेख किया है। मुझे पता है, इस पर कांग्रेस सरकार की बैंचों से क्या प्रतिक्रिया होगी, एक ही बहाना है उनके पास : जनता पार्टी द्वारा उत्पन्न की गई है यह स्थिति, जनता सरकार इसकी जिम्मेदार हैं और हम तो अब तक इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन, मुझे इस सभा के समक्ष कुछेक आंकड़े प्रस्तुत करने हैं।

और मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं आज निश्चित रूप से इस सभा को यह सुझाव देना चाहूंगा कि किस तरह से इस देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है तथा सरकार इस प्रकार के कानून और उपाय काम में ला रही है नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों, नागरिक स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। बेरोजगारी को ही लें। आपने इस दिशा में क्या किया है? आपने इस कानून को ला कर नागरिकों को उन्हें मिलने वाली स्वतन्त्रता से वंचित करना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपका प्रदर्शन कैसा रहा, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। आप अपने ही आंकड़े देखिए, हमारे नहीं। हमारे अनुसार तो इस समय देश में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप अपने ही आंकड़े लीजिए, जो भी मन्त्रालय इन्हें देता हो। वर्ष 1979 में जब जनता सरकार हटी थी तो उस समय देश में कुल 1,46,00,000 लोग बेरोजगार थे तथा इस साल, मार्च के लिए आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार देश में बेरोजगारों की संख्या 2,26,00,000 है। महोदय,

बेरोजगारी केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह तो सामाजिक तनाव है। बेरोजगार, वह युवक हैं, विशेषतया वह, जो स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकलता है। जिसे अब किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है, इस बारे में कोई दिलासा प्राप्त नहीं है। मुझे इस सभा के समक्ष एक वर्ष पूर्व एक प्रश्न रखा था, पिछले वर्ष, और वह यह था : 1983 में स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटीज से कितने छात्र-छात्राएं पढ़ कर निकलेंगे तथा इन शिक्षित लोगों के लिए कितने रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे ? श्रम और रोजगार मन्त्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना था तथा उन्हें सरकार की ओर से यह बताना था कि वर्ष 1983 के दौरान 40 लाख छात्र हाई स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय पास करेंगे तथा मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का यह उत्तर था कि 'सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए 1983 में कितने नए रोजगार के अवसर बनाए जायेंगे। वास्तव में सरकार कभी यह नहीं बता सकेगी कि क्योंकि रोजगार के नये अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं। इस समय तो सरकार देश भर में कपड़ा मिलों को बन्द करके बेरोजगारी बढ़ा रही है। कपड़ा मिलों में कार्य कर रहे लगभग दो लाख व्यक्ति अब बेरोजगार हो गए हैं। इससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। आप उनके लिए शर्तें कायम कर रहे हैं। अभी सभा ने सांप्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में भिवण्डी का प्रश्न उठाया था। कौन नहीं जानता भिवण्डी में मुख्यत: आर्थिक मुद्दा शामिल है। पावरलूम पर काम करने वाले तथा बम्बई में कपड़ा मजदूर बेरोजगार हैं, आप वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे तनाव पैदा होता है। इसलिए जब मैं बेरोजगारी की तथा सरकार द्वारा बनाई जा रही संकट की स्थिति का जिक्र करता हूं तो मैं केवल आंकड़ों की बात नहीं करता वरन सरकार की उस नीति का जिक्र करता हूं जिससे रोजगार सम्बन्धी सामाजिक तनाव पैदा होता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : श्री फर्नान्डीस आपका क्या योगदान रहा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर बाद में विचार-विमर्श करेंगे।

दूसरी ओर, मूल्य सूचकांक की ओर देखिए। अभी कुछ देर पहले हम कृषि मूल्यों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे तथा महोदय, 12 जनवरी 1980 से, जिस दिन तक चुनाव हुए थे, तथा 1984, के बीच में वे आंकड़े हैं जो कुछ सप्ताह पहले सदन में रखे गए थे, मूल्यों में जो वृद्धि हुई है केवल कुछ मदों तक सीमित नहीं वरन सभी वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह असधारण है। जनवरी, 1980 में थोक मूल्य सूचकांक 227 था। आज के समाचार पत्र के अनुसार यह 343 हो गया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह 343.6 है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने यह क्यों कहा ? मैंने उन्हें 0.6 का लाभ दे दिया है। वस्तुत: यह 343.6 है। अब यह केवल आंकड़ों की ही बात नहीं है। तथा जब कोई थोक के मूल्य सूचकांक की बात करता है तो इसके पीछे छुपी जनता की दयनीय स्थिति का भी पता चलता है। यदि हम मानव की आवश्यकता की वस्तुओं जैसे चावल आदि के मूल्य देखें तो इसका सूचकांक जो 1979 में 191 था 1984 में बढ़ कर 281 हो गया है। हम इससे पहले कृषि मूल्यों की बात कर रहे थे। कृषि मन्त्री बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे कि अमुक मद के दाम स्थिर हैं तथा किसानों की स्थिति अच्छी है, वह चने और दालों की बात कर रहे थे। महोदय चने पर थोक मूल्य 239 से बढ़ कर 440 हो गया है। मूंगफली के तेल का मूल्य 189 से बढ़कर 352, नारियल का तेल 188 से 517, चाय, जो आम आदमी का पेय है, उसका

मूल्य 245 से 524 मछली का मूल्य पता नहीं गृह मन्त्री खाते हैं या नहीं, देश में बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन मछली से ही मिलता है, 259 से 433, मांस का 239 से 406 आलू जोकि दैनिक खपत का आवश्यक यह है 88 से बढ़ कर 160, मिट्टी के तेल जो की आवश्यक मद है 272 से 346 हो गया है।

मैं बढ़ते हुए मूल्यों और बढ़ती हुई बेरोजगारी का जिक्र एक अन्य आशय से कर रहा हूं तथा मैं आंकड़े भी दूंगा। सभा में मैंने जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि पिछले 4-1/2 वर्षों में बेरोजगारी दुगनी हो गई है। मूल्य भी दुगने हो गए है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी दुगने हो गए है तथा दुगनी बेरोजगारी तथा दुगने मूल्यों से जो आंकड़े सामने आते हैं तथा जिन्हें गृह मन्त्रालय के रिकार्ड से प्राप्त किया जा सकता है कि 1979-80 और 1984-85 के बीच भारत सरकार का पुलिस सम्बन्धी बजट भी दुगना हो गया है। 1970 में आपका पुलिस बजट 242 करोड़ रु० था तथा 1984-85 में यह 487 करोड़ रु० हो गया है इसमें आपस में यह संबंध है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ हमें यह समझना होगा कि सरकार किस प्रकार मानवीय अधिकारों तथा नागरिक अधिकारों पर हमला कर रही है। आप आर्थिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए राजनैतिक और सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं तथा जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो आप पुलिस का बजट दुगना कर देते हैं तथा जब आप देखते हैं कि आप फिर भी जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप इस कानून के जरिए हम पर हमला करते हैं।

सरकार द्वारा लाए गये इस अध्यादेश अथवा विधेयक का एक पहलू और भी है। पंजाब की घटनाओं को देखते हुए सभा में जो विचार विमर्श हो चुका है उससे विलग ऐसा किया गया है। यह उस मामले के आधार पर हो रहा है जो उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के भीतर नजरबन्द किया गया था। मैं संत लोंगोवाल का जिक्र कर रहा हूं। संत लोंगोवाल का दावा सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था। सभी जानते हैं कि सरकार को कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। संत लोंगोवाल के पक्ष के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। न्यायालय को एक व्यक्ति को यह आदेश देना पड़ा कि वह सम्बन्धित कैदी, अर्थात् संत लोंगोवाल का इन्टरव्यू लें। जब न्यायालय का प्रतिनिधि जेल में गया तो जेल के अधिकारियों ने न्यायालय के प्रतिनिधि को बताया कि उन्हें इस प्रकार के कोई निदेश नहीं मिले हैं तथा वे न्यायालयों के आदेशों को क्रियान्वित करने में असमर्थ हैं। जब सरकार को यह पता चला कि संत लोंगोवाल, प्रकाशसिंह बादल, तोहरा तथा बाकी कई अकाली नेताओं की कैद के आधार पर्याप्त नहीं हैं तो सरकार ने यह अध्यादेश निकाला जिससे कि इस समस्या को दूर किया जा सके। इसलिए सरकार इस कानून के बारे में कितना ही खंडन क्यों न करे, चाहे कितने भी आश्वासन दे परन्तु अंततः यह कानून राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं राजनैतिक विरोधियों तथा जो व्यक्ति आन्दोलन करेंगे या जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाएगा। तत्कालीन गृह मन्त्री जो अब राष्ट्रपति हैं, विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के समय जो वक्तव्य दिया था उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं। मेरे माननीय मित्र श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक संकल्प प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने ऐसा कहा था। बिधेयक प्रस्तुत करते समय तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार जैल सिंह ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था।

> "यह बिल केन्द्र सरकार को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार देता है। यदि यह आश्वस्त हो जाए कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी ढंग से उसे काम करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।"

"आश्वस्त" शब्द है।

तथा "आश्वस्त" कहने के बाद आपके विचार अस्पष्ट, अप्रासंगिक, अवैध हो गए हैं तथा जिस व्यक्ति को नजर बन्द किया जाता है उससे वह जरा भी सम्बन्धित नहीं होते।

3.00 म० प्र०

आपने मेरी हिन्दी सही कर दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, तत्कालीन गृह मन्त्री को "आश्वस्त" शब्द का अर्थ मालूम नहीं था।

श्री जार्ज फर्नांडीज : इसलिए जहां तक कानून का सम्बन्ध है आपकी मंशा स्पष्ट है। उस 'आश्वस्त' स्थिति से आप यहां आ गए। तत्कालीन गृह मन्त्री ने यह भी कहा था :

> "राष्ट्रीय सुरक्षा बिल 1980 में, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी उपाय रखे गए हैं और यह नजरबन्द किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्याय भी सुनिश्चित करता हैं।"

यह तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार जैलसिंह ने कहा था। अब मूल कानून में के उन जरूरी उपायों में से कुछ आपने वापस ले लिए। अब आप उनमें से हरेक को वापस लेना चाहते हैं। इसलिए महोदय मेरा यह निवेदन है तथा पिछला अनुभव भी यही है, मुझे याद है आपने जिस तरह आन्तरिक सुरक्षा कानून का प्रयोग किया था, जब आन्तरिक सुरक्षा विधेयक सभा में पेश किया गया था तब हमें यही बताया गया था कि इसे असामाजिक तत्वों, अपराधियों तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ प्रयुक्त किया जाएगा। सबसे बड़े राष्ट्रविरोधी बाबू जय प्रकाश थे जिनके खिलाफ 25 जून 1975 की आधी रात को आपने अन्तरिक सुरक्षा कानून का प्रयोग किया था। मुझे मालूम है यहां कई सदस्य ऐसे हैं जिन्हें जय प्रकाश नारायण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। जो अब तक यही मानते हैं कि बाबू जय प्रकाश, राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी हैं। परन्तु मैं उन सभी सदस्यों को चाहे वह किसी भी विचारधारा को मानने वाले क्यों न हों यह याद दिलाना चाहूंगा कि जय प्रकाश तथा उनकी याददाश्त के लिए एक मेमोरियल कमेटी है। बाबू जयप्रकाश की मृत्यु के बाद एक मेमोरियल कमेटी बनाई गई थी। तथा क्या आप जानते हैं कि इस कमेटी की अध्यक्ष कौन हैं इस देश की प्रधानमन्त्री। यह बताना आवश्यक है क्योंकि लोग अक्सर झूठे आरोप तथा बेकार के निन्दनीय अपशब्दों का प्रयोग करते हैं आपने बाबू जय प्रकाश की याद के सम्मान में एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्ष भारत की प्रधान मन्त्री है। यह कमेटी क्या कर रही है, यह बताना मेरा काम नहीं है। परन्तु मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपने आन्तरिक सुरक्षा कानून का जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी तथा इस सदन के कई अन्य सदस्यों के लिए किया था। उनमें से कुछ अब आपके दल में आ गए है (**व्यवधान**) इसलिए महोदय मेरा यह यकीन है कि इस कानून का प्रयोग राजनैतिक विपक्षियों के लिए किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि इसको बनाने के कुछ अन्य कारण भी है।

3.03 म० प्र० **(श्री चिन्तामणी पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

महोदय मुझे याद है पिछले सप्ताह हमने एक अन्य कठोर कानून, कोफेपोसा के संशोधन पर

विचार किया था। माननीय सदस्य श्री वृद्धिचन्द्र जैन --उन्हें अभी कुछ देर पहले सभा में देखा था तथा मुझे आशा है वह इस विवाद में उपस्थित होंगे---ने बहुत दिलचस्प प्रश्न पूछा था। उन्होंने हाजी मस्तान, करीम लाला व अन्य असामाजिक, अपराधी, तस्करों व बम्बई के अन्य तत्वों की कैद के बारे में एक प्रश्न पूछा था जो सभा के कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। मैंने इस सभा में उनका प्रश्न सुना था। उन्होंने कहा था : उन्हें क्यों छोड़ा गया ? कई अन्य सदस्य थे जिन्होंने यह सुझाव दिया कि इस सभा के सदस्यों के जो वकील भी हैं को देश के तस्करों की ओर से न्यायालय में मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। तथा उन्होंने इस सभा के एक सदस्य का नाम लिया। इस सभा के एक सदस्य ने दूसरे दल के सदस्य का नाम लिया तथा उस सदस्य के खिलाफ कई सदस्यों ने उनका नाम लेकर कहा कि इन्होंने न्यायालय मामले की में तस्करों के पैरवी की अब महोदय मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज अपराधियों और असामाजिक तत्वों को जो इतना बढ़ावा मिल रहा है सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तब आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं। क्योंकि आप किसी एक वर्ग अथवा अन्य से अथवा किसी कारणों से बहुत बड़े दबाव में हैं। जिसे मैं फिलहाल समझने में असमर्थ हूं, आप उन्हें छोड़ देते हैं। किन्तु जहां तक सन्त लोंगोवाल, श्री बादल, श्री टोहरा तथा दूसरे राजनीतिक नेताओं का सम्बन्ध है, वे आज जेल में होने चाहिए। लेकिन श्री करीम लाला तथा श्री हाजी मस्तान को जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है, छोड़ दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार पर विशेष रूप से भारत सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि वह हाल ही में बम्बई में इस प्रकार के अपराधियों, तथा समाज विरोधी तत्वों को छोड़े जाने के लिए जिम्मेवार है। किन कारणों से छोड़ा गया यह सरकार को स्पष्ट करना है ; किस विचार से छोड़ा गया यह सत्तारुढ़ दल को स्पष्ट करना है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि अपहरणकर्ता उम्मीदवार हो सकते हैं तो वे भी उम्मीदवार हो सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरे पास एक पत्र है जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री को लिखा गया···

सभापति महोदय : कौन-सा पत्र ? यहां अध्यक्ष महोदन का निदेश है कि किसी सदस्य को सभा पटल पर निजी पत्र रखने की अनुमति नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसे सभा पटल पर नहीं रख रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक संसद सदस्य द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्य मन्त्री को लिखा गया पत्र निजी पत्र नहीं है। यह लोक-महत्व का मामला है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री को लिखा है।

सभापति महोदय : वह इसे उद्धृत नहीं कर सकते।

श्री सतीश अग्रवाल : मान लीजिए कि एक सदस्य गृह मंत्री को लिखता है, तो क्या उसे उद्धृत नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : इसे उद्धृत नहीं किया जा सकता।

श्री सतीश अग्रवाल : क्यों नहीं ? यह कोई प्रेम पत्र नहीं है। यह पति और पत्नी के बीच लिखा गया पत्र नहीं है। यह संसद सदस्य द्वारा गृह मन्त्री को लिखा गया पत्र है। इसे क्यों नहीं उद्धृत किया जा सकता ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पहले मुझे पत्र पढ़ने दीजिए। उसके बाद आप इसके बारे में निश्चय करें। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि यह एक निजी पत्र है तब आप इसे उद्धृत न किए जाने का आदेश दे सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : तब आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे दस्तावेज प्रस्तुत करने दीजिए। उसके पश्चात् आपको यह कहने की छूट है कि यह गैर सरकारी है अथवा सरकारी।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह माननीय सदस्य और अध्यक्ष पर है कि जैसा वे चाहें कार्यवाही करे। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा-कि कहां तक मेरा संबंध है, मैं उन पत्रों से उद्धरण देना नहीं चाहूंगा जो मुझे माननीय सदस्यों से प्राप्त होते हैं।

सभापति महोदय : यह ठीक है। कृपया उद्धृत न करें। श्री जार्ज फर्नान्डीज, यदि आपको उद्धृत करना है, तो आपको यह सभा पटल पर रखना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जरूरी नहीं है। यदि कोई मांग करता है, तो उन्हें यह सभा पटल पर रखना पड़ेगा।

सभापति महोदय : अतः, पत्र को उद्धृत किए बिना आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। कृपया उद्धृत कुछ भी न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उस दिन श्री बी० आर० भगत ने राज्यपाल श्री बी० के० नेहरु द्वारा लिखे गए पत्र में से उद्धरण दिया था। उस पर शासक दल के किसी भी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं की गई ?

सभापति महोदय : हो सकता है, कुछ सदस्यों ने उस पर आपत्ति न की हो किन्तु यहां नियम है; अध्यक्ष के निदेश हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपने पत्र देखा है ?

सभापति महोदय : मैंने इसे नहीं देखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत ही रोचक पत्र है। आप इसे पसन्द करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को एक संसद सदस्य के नाते पत्र लिखा है। यह निजी पत्र नहीं है (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वह निजी पत्र नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कृपया इसका उल्लेख कीजिए। आप इसे उद्धृत न कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह केवल पत्र को उद्धृत करने का प्रश्न नहीं है।

मैं यह कह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत देश में तस्कर और समाज विरोधी तत्व नजरबन्द किए जाते हैं, हमारी भारत सरकार जो है वह उन्हें छोड़ देती है। शासक दल के सदस्यगण जो सरकार चलाते हैं वे यह चाहेंगे कि श्री राम जेठमलानी तस्कर का मामला न उठाएं ; वे आरोप लगाते हैं और उन्हें इस प्रकार वैधानिक गतिविधियों में संलग्न श्री राम जेठमलानी अथवा सभा के इस पक्ष के किसी अन्य सदस्य का नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। किन्तु यदि सभा के दूसरे पक्ष का सदस्य यह कहता है कि···**(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : बताइए कौन है ? कोन सा सदस्य है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह है···**(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस सभा का एक सदस्य।

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

सभापति महोदय : मैंने इसके लिए मना किया है ; उस पत्र को मत पढ़िए।

श्री सतीश अग्रवाल : आप इसे कैसे रोक सकते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) : आप इसे कैसे रोक सकते हैं ? क्या इसलिए रोक रहे हैं कि यह सत्तारूढ़ दल का मामला है ?

सभापति महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

आप मुझसे कह रहे थे कि यह निजी पत्र है।

सभापति महोदय : मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि किसी सदस्य को दूसरे सदस्य का पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी निजी पत्र का मामला नहीं उठा रहा हूं। यह पत्र महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री रामराव आदिक को सम्बोधित है।

सभापति महोदय : मैं पहले ही मना कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह पत्र श्री आदिक को निजी तौर पर उस मामले के बारे में, जो हवाई अड्डे पर घटित हुआ था, लिखा गया पत्र नहीं है। यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमन्त्री को लोकहित में लिखा गया पत्र है। इसके लिए कैसे मना किया जा सकता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप इसके लिए कैसे मना कर सकते हैं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किस नियम के अन्तर्गत?

सभापति महोदय : आपको नियमों की पूरी जानकारी है। मैंने इसके लिए मना कर दिया है। कृपया अध्यक्ष के निदेशों की नियम पुस्तक का पैरा 225-क देखें :

> "एस सदस्य को दूसरे सदस्य के निजी पत्राचार का उल्लेख करने अथवा सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं है।"

श्री सत्यसाधन चक्रबर्ती : क्या यह एक सदस्य का निजी पत्राचार है?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या सरकार इस पत्र को गुप्त अथवा गोपनीय मानती है?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। प्रश्न गुप्त और गोपनीयता का नहीं है। यह एक निजी पत्र है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्री जार्ज फर्नान्डीज, यह सब क्या है? लगता है श्री जार्ज फर्नांडीज भारत सरकार को भी भूल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है।

सभापति महोदय : यह निजी पत्राचार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जब इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष महोदय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है, उसके बाद भी यदि नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि यह निजी नहीं है तो, इसकी अनुमति दी जा सकती है।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष ने इसे देख लिया है।

प्रो० मधुदण्डवते : माननीय अध्यक्ष को गृहमंत्री से भी परामर्श कर लेना चाहिए क्योंकि इसका सम्बन्ध सरकार से भी है। गृह मन्त्री को सभा में पत्र पढ़ने दिया जाए और उन्हें बताने दिया जाए कि यह गुप्त है अथवा गोपनीय है।

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य किसी ऐसे पत्र अथवा दस्तावेज से, जो सरकारी हैं अथवा

गैर सरकारी उद्धरण प्रस्तुत करता है, तो उसको इसे सभापटल पर रखने के लिए कहा जा सकता है। सभापटल पर रखने से पहले सदस्य को·····इसलिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : कौल और शकधर में यह स्पष्ट रूप से लिखा है···

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : यह एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लिखा गया पत्र है। इसमें केन्द्र सरकार कहां आती है ?

सभापति महोदय : एक सदस्य ने किसी व्यक्ति को लिखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं। इसके दो पहलू हैं।

सभापति महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? यह निजी पत्राचार है और मैंने अपना अन्तिम निर्णय दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सहयोग देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : निर्णय देने में जल्दबाजी न कीजिए ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह निजी पत्र है ? यह एक संसद सदस्य का पत्र है। यह संसद सदस्य द्वारा लिखा गया पत्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप अन्य प्रश्नों को देखें और फिर इसे समाप्त करें। मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप पत्राचार को उद्धृत करने के बारे में प्रक्रिया के नियमों का हवाला दे रहे हैं। जहां तक इस पत्र का सम्बन्ध है, यह एक संसद सदस्य द्वारा लिखा गया है जो महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री को कुछ कार्यवाहियों के बारे में बताता है और वह आगे कहता है कि···**पत्र उपमुख्य-मंत्री को सम्बोधित है।

सभापति महोदय : जब अध्यक्ष ने अपना निर्णय दे दिया है तो क्या उसके बाद भी व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है ? मैं नहीं समझता। आपको नियमों की पूरी जानकारी है।

प्रो० मधु दण्डवते : दुर्भाग्य से आप की बात कार्यवाही वृतान्त में इस रूप में शामिल की जाएगी कि आपने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसको चुनौती दी जा सकती है।

सभापति महोदय : मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

श्री राम विलास पासवान : व्यवस्था के प्रश्न पर···

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अध्यक्ष के निर्णय पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता ?

श्री राम विलास पासवान : कृपया नियम 353 पढ़ें···

सभापति महोदय : मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं। क्या अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद व्यवस्था का कोई प्रश्न हो सकता है ? मैं इस पर आपको किसी की अनुमति देने वाला नहीं हूं। श्री फर्नान्डीज, कृपया इसे समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान :**

सभापति महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कह रहे हैं। आप व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। किन्तु उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी।

सभापति महोदय : अध्यक्ष ने किसी निर्णक का उल्लंघन नहीं किया है। अध्यक्ष के निर्णय देने पर, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि वह यह है कि वह सभा पटल पर पत्र नहीं रख सकते।

सभापति महोदय : वह इसका उल्लेख भी नहीं करेंगे

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा प्रश्न यह है। जब हम पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम पर इस सभा में चर्चा कर रहे थे तो दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि उन्होंने मस्तान, करीम लाला जैसे कुछ लोगों के नाम लिए ; आप इस सभा के प्रलेखों का उल्लेख कर सकते हैं—इन्हें क्यों छोड़ा गया, इन्हें किसने छोड़ा, इन्हें कारागार में क्यों नहीं डाल गया। (**व्यवधान**) मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं कि इन्हें इसलिए रिहा किया गया क्योंकि सत्ताधारी दल के ऐसे कुछ सदस्य थे(**व्यवधान**), सत्ताधारी दल के ऐसे कुछ सदस्य ये जिन्होंने यह मांग की कि इन्हें रिहा कर दिया जाए ; उन्होंने कहा कि यदि इन्हें रिहा नहीं किया गया तो वे यह मामला प्रधानमन्त्री के समक्ष उठाएंगे, यदि इन्हें नहीं छोड़ा गया तो वे इस मामले को सदन में उठाएंगे ;**···

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमान, इन्होंने आपके आदेश की कई प्रकार से परिवंचना करने की कोशिश की है···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं झुकने वाला नहीं हूं। आप उनकी ओर ध्यान नहीं दे सकते।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : विनिर्णय उल्लंघन करते हुए जो कुछ भी कहा गया है, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने जो कुछ भी कहा है उसके लिए रिकार्ड देखिए । आपने कहा था कि उन्हें न तो उद्धृत करना चाहिए, और न पढ़ना चाहिए लेकिन वह उल्लेख कर सकते है । वह केवल इसका उल्लेख कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । जो कुछ मैंने कहा था वह···

प्रो० मधु दण्डवते : आपने ऐसा कहा था । रिकार्ड की जांच कीजिए । आपने कहा था कि वह उद्धरण न दे किन्तु वह इसका उल्लेख कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : उल्लेख का अर्थ यह नहीं है कि पत्र से उद्धरण देने लगें ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल प्रेस कान्फरेंस में बोला जाएगा, आप कितना रोकियेगा ? यह कोई प्राइवेट लैटर है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं पत्र में से उद्धरण नहीं दे रहा हूं । मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं कि इस सभा के सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के दबाव के कारण करीम लाला को रिहा किया गया । मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं कि इस सभा के एक सदस्य ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को यह धमकी दी कि यदि करीम लाला को तुरन्त रिहा नहीं किया गया तो उसकी नजरबन्दी का मामला संसद में उठाया जाएगा । मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री के पास गए और कहा कि वह यह मामला प्रधानमंत्री के पास ले जायेंगे । मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : ये सब आरोप हैं । मैं रिकार्ड देखूंगा । कोई भी आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यदि इसमें कुछ भी मानहानिकारक बात है···

एक माननीय सदस्य : किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा । नाम का उल्लेख किया गया है ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : उस माननीय सदस्य को सभा के मंच पर इस बात से इंकार करना चाहिए कि उसने कभी ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय—मेरा पायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने जो एलीगेशन्ज लगाए हैं, उनको प्रोसीडिज से निकाल दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा और उसमें यदि कुछ भी मानहानिकारक है···

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, आप क्या देखेंगे ? आप समय बरबाद करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री० डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने हमारे दल के सदस्य द्वारा लिखे गए कथित पत्र का उल्लेख किया है। श्रीमान्, माननीय सदस्य विशेषाधिकार का मामला उठा सकते हैं···

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, पत्र को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमान्, मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता। कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान्, इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मैं सामने बैठे हुए माननीय सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान्, जब आप रिकार्ड देखें, तो यह मत भूल जाइयेगा कि वह करीम लाला है।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक समाज विरोधी और ऐसे अन्य तत्वों का सम्बन्ध है जिनके लिए यह विधेयक लाया गया है, सरकार में तथा सत्ताधारी दल में ऐसे काफी लोग हैं जो उनके हितों की रक्षा करेंगे और यह कानून, जो कि बनने जा रहा है, राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध, विपक्ष के विरुद्ध, ट्रेड यूनियन के लोगों के विरुद्ध और उन सभी लोगों के विरुद्ध जो कि आपके द्वारा इस देश में उत्पन्न की गई राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे हैं मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमान्, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक लम्बा भाषण दिया है, जिसे देने के लिए वे यहां आए हैं। मैं यहां कुछ कह सकता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उनका भाषण लम्बा है या छोटा है, यह असंगत है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह जो भाषण को देने के लिए यहां आए, वह संगत है या नहीं, यह मैंने नहीं कहा, परन्तु क्योंकि आपने इस बारे में कहा है, इसीलिए मैं इस पर विस्तार से कह रहा हूं (**व्यवधान**) श्रीमान्, श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे एक छात्र के बारे में एक कहानी है जिसे एक परीक्षा देनी थी जिसमें उसे एक प्रस्ताव लिखना था। किसी ने उससे कहा "तुम्हारी परीक्षा में क्रिकेट के सम्बन्ध में एक प्रश्न आएगा"। इसलिए, उसने डान ब्रैडमैन से लेकर और अन्य ऐसे ही व्यक्तियों के विषय में क्रिकेट के बारे में अच्छी तैयारी की और जब वह परीक्षा भवन में पहुंचा, तो उसे यह पाकर बड़ा क्षोभ हुआ कि उसे एक कौवे पर प्रस्ताव लिखने को दिया गया था। वास्तव में, श्री जार्ज फर्नान्डीज की तरह वह भी बहुत ही चतुर था और उसने लिखा, "कौआ एक पक्षी है, यह पेड़ों पर रहता है, पेड़ पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह गोल है। (**व्यवधान**)

श्रीमान्, हम एक सीमित विषय पर एक संशोधन के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं जिसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें केवल कुछ उन शंकाओं का निवारण किया गया है जोकि कतिपय निर्णयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो गई थीं। इस समय मैं इन सब बातों को विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा। मैं केवल वही उद्धृत करूंगा जो उच्चतम न्यायालय ने कहा। यह 1981 में कोफीपोसा के एक मामले में था जिसमें निवारात्मक नजरबन्दी की गई थी। यह कोई अन्य उपबन्ध नहीं है। यह निवारक नजरबन्दी ही है। उच्चतम न्यायालय ने धारा 5-क के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है जो इस प्रकार है :

> "अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जहां गिरफ्तारी के अनेक कारणों में नजरबन्द-व्यक्ति की एक अवधि अथवा अवधियों में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, वहां प्रत्येक गतिविधि के लिए अपना एक अलग कारण है और इन कारणों में से अगर कोई भी कारण असंगत, अस्पष्ट अथवा साधारण हो, तो उससे गिरफ्तारी का आदेश अमान्य नहीं हो जाएगा। कोफीमोसा अधिनियम की धारा 5-क लागू करने का यही कारण है कि

कई उच्च न्यायालयों का यह मत था कि जहां गिरफ्तारी आदेश में कई कारणों का उल्लेख किया गया है और यदि उनमें से कोई भी अस्पष्ट अथवा असंगत पाया जाता है तो सम्पूर्ण आदेश अमान्य हो जाता है क्योंकि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि एक अस्पष्ट अथवा असंगत कारण द्वारा प्राधिकरण की विषय परक सन्तुष्टि कहां तक ज्ञात हो सकती थी जिसे इन निर्णयों के आधार को विस्थापित किया जाए कि संसद ने धारा 5-क इसलिए बनाई ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यदि एक भी कारण असंगत है, परन्तु अन्य कारण स्पष्ट हैं और विशिष्ट हैं, तो इससे नजरबन्दी का आदेश अमान्य नहीं हो जाएगा।" और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज के लम्बे भाषण के लिए मेरा यही साधारण सा उत्तर है। साधारण सा उत्तर यह है : जब आप कहते हैं कि एक कारण असंगत है, दूसरा कारण अस्पष्ट है, इससे यही पूर्वानुमान होता है कि कई कारणों में से कुछ कारण असंगत हैं, कुछ कारण अस्पष्ट हैं, कुछ अवैध हैं, और अन्य वैध हैं। हम उस स्थिति पर विचार नहीं कर रहे हैं, जहां सभी कारण अवैध हैं। किसी के द्वारा तर्क किए बिना ही यह हो जाता है। यही तथ्य, कि हमारा यह कहना कि कुछ कारण असंगत हैं, कुछ अमान्य अथवा अवैध हैं, दर्शाते हैं कि ये अलग-अलग हैं। इस पृथ्थकता का पता उस पहले ही वाक्य से चल जाता है जिसमें हम कहते हैं···(**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका मतलब यह हुआ कि दिमाग का उचित उपयोग नहीं··· (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे हम समझ रहे हैं। पृथ्थकता का अर्थ है, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अनर्गल बातें करें, वे झूठ बोलें, पुलिस के लोग जो चाहे कहें, कोई भी कारण गढ़ लें और उस आधार पर गिरफ्तारी का मामला बनाने की कोशिश करें और वे आकर यह कह सकते हैं कि उनमें से एक अच्छा है, अतः सब कुछ सही है। सरकार का दृष्टिकोण यह है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : वह तोड़-मरोड़ कर बात कर रहे हैं जोकि है ही नहीं···(**व्यवधान**) इन बातों को दूर कर दिया गया है क्योंकि कुछ मामलों में यही आपत्तियां उठाई गई हैं। जब इस पर सहमति है कि कुछ अवैध हैं और अन्य वैध हैं, तो यहां अनुमान है कि अधिकारी वर्ग ने वैध कारणों के आधार पर ही यह आदेश दिया होगा। जो कुछ इसका अभिप्राय है, यही साधारण स्पष्टीकरण के रूप में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1981 में इसकी पुष्टि कर दी गई है और इसके लाए जाने के बारे में भी उन्होंने कहा है। मुझे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता जिस पर आपत्ति उठाई जाए क्योंकि विषय-परक सन्तुष्टि एक ऐसी बात है जो वर्तमान हालातों से की जाती है, न्यायालय इसे इकट्ठा नहीं कर सकता, यह प्राधिकरण ही है जो ऐसा आदेश देता है कि किसे स्वयं को सन्तुष्ट करना होगा, और हम यह कह रहे हैं कि क्योंकि ये पृथ्थकनीय हैं, अतः जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ अन्याय न हो, उसके साथ पक्षपात न हो, क्योंकि वह कह सकता है : कारण सं० 1 मनगढ़न्त है, कारण सं० 2 है ही नहीं अतः मैं उत्तर नहीं देना चाहता, उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कारण सं० 3, 4 और 5, यदि वैध भी हो, तो उसे उन आरोपों का उत्तर देने की स्वतन्त्रता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप इस पर ईमानदारी से विश्वास करते हैं?

श्री पी० वी० नर सिंह राव : इस पर ईमानदारी से अथवा बेईमानी से विश्वास करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप मुझे बताइये यह किस तरह से गलत है ?

प्रो० मधु दण्डवते : समाज आधार और मूल अभिप्राय यह है कि जब आप बहुत दूर से कारण बनाते हैं, तो न्याय की यही मांग है कि उसमें उचित विवेक से काम लिया जाए ताकि किसी भी निरर्थक कारण को वैध कारणों में न जोड़ दिया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जो कुछ आप कह रहे हैं वह तो एक तरह से उपदेश देने जैसा है ···(**व्यवधान**)। मैं एक अन्य प्रश्न रखूंगा। मान लीजिए प्राधिकरण कहता है : मैं कारण सं० 1, 2, 3, और 4 में से प्रत्येक कारण से सहमत हूं कि नजरबन्दी होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या ? उनमें से एक गलत हो सकता है, गलत पाया जा सकता है, उस समय वह उसे गलत नहीं मानता, परन्तु वे गलत पाये जाते हैं।···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत कम मात्रा में न्यायिक पुनरीक्षा की जाती है। गृह मन्त्री निश्चित रूप से इस बात से अवगत हैं कि अदालत आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता की ओर ध्यान नहीं दे सकती। एक मात्र प्रश्न है कि कोई सम्बद्धता अथवा अन्तर सम्बन्ध देखना होता है। मैं गृहमन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि कितने जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आधार बनाते हैं, यह कार्य (उप-निरीक्षक) सब-इन्सपेक्टर करता है···(**व्यवधान**)। मैंने स्वयं अपनी आंखों से मैजिस्ट्रेटों द्वारा हस्ताक्षरित साइक्लोस्टाइल किए हुए नजरबन्दी आदेश देखे हैं, जिसमें केवल नाम भर दिए जाते थे···(**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नर सिंह राव : मुझे इन प्रश्नों के उठाए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं इनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हम मानव अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के इतने ही इच्छुक हैं जितना कि वे दावा करते हैं। हम भी उसी संविधान के अनुसार कार्य करते हैं, हमारे यह अलग से कोई संविधान नहीं है, हम उसी संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। न्यायालयों ने संविधान के इसी उपबन्ध की व्याख्या की है। हमें एक-दूसरे को तर्क से पराजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं कि यदि कोई अधिकारी है और उस अधिकारी की जानकारी में कुछ ऐसे तथ्य आते हैं जिनके अनुसार नजरबन्दी के कुछ कारणों का पता चलता है, तो वह उन आधारों का उल्लेख करता है। (**व्यवधान**)

आप उसी संविधान से उद्धरण दे रहे हैं और मैं भी उसी से उद्धरण दे रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नवीनतम है।

श्री० पी० वी० नर सिंह राव : यही तो मैं भी कह रहा हूं। उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों के परिणामस्वरूप ऐसा किया जा रहा है। एक उच्च न्यायालय उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में एक बात कहता है तथा उसी प्रकार के तथ्यों के बारे में किसी अन्य उच्च न्यायालय ने कुछ और ही कहा है। अतः हमने इसका समाधान करना उचित समझा है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसमें स्थिरता रहे। आप उतना लचीलापन प्रत्येक मामले में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकारी यह नहीं जानता कि क्या करना है इसीलिए हमने यह कहा है कि आधारों का मुद्दा 1, 2 अथवा 3 वैध

नहीं है तो वैध आधार पर नजरबंदी जारी रखी जाएगी। जब हम "अस्पष्ट" अथवा "मिथ्या" शब्दों का उदाहरण देते हैं, तो हमारा यह आशय है कि इन्हीं शब्दों को उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों में उपयोग में लगाया था वही शब्द यहां रखे गए है। उन्हें यहां रखने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अत्यन्त सतर्कता बरतते हुए रखा गया है। यदि उन शब्दों को वहां नहीं रखा गया होता तो श्री जार्ज फर्नान्डीज की उन शब्दों पर जोर देने का अवसर नहीं मिलता। पर वे शब्द केवल उन बातों को दोहराने के किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं हैं जो न्यायालयों ने कही है। कुछ आधार कुछ कारणों से अवैध होते हैं। अन्य कारण वैध हैं। हम कहते हैं कि वे पृथक किए जाने योग्य हैं और पृथकशीलता स्थापित की गई है। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा समझा जाना चाहिए कि अधिकारी ने इन सभी कारणों पर अलग-अलग रूप में विचार किया है, और उन शेष आधारों के अनुसार जो या तो उचित दिखाई देते हैं या उचित हैं, उसने आदेश दिए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप केवल सुविधाजनक मामले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे मामले हैं जिन में नौ आधार तुच्छ हैं और एक ही वैध है। तब क्या होगा ? आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह : हम कुछ अत्यधिक कठोर पूर्ति नहीं रखना चाहते हैं। आप इसमें से नौ को तुच्छ तथा एक को ठीक कहते हैं। मैं नौ उचित तथा केवल एक को तुच्छ कहता हूं। अतः हम इन प्रश्नों से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। प्रश्न केवल सिद्धान्त का है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह रत्नैये का प्रश्न है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : यहां एक प्राधिकारी हैं। इस प्राधिकारी ने एक आदेश दिया है। अब हमें आदेश की इस प्रकार व्याख्या करनी है कि किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण न हो साथ ही समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और यही सन्तुलन है जिस पर न्यायालयों ने बार-बार जोर दिया है। ऐसा नहीं है जैसे धारा 22 के अन्तर्गत वह केवल स्वतन्त्रा की बात करते हैं। मैं आपको ऐसे अनेक मामलों को दिखा सकता हूं जहां यह कहा गया है कि इन दो के बीच सन्तुलन होना चाहिए। अतः यदि एक व्यक्ति के लिए सन्तुलन बिगड़ जाए, वह एक तस्कर हो सकता है जैसा आप कह रहे थे, यदि उस व्यक्ति के लिए, समाज की सुरक्षा जोखिम में डाली जाए, तब मैं समझता हूं कि आप सचमुच संतुलन नहीं रखते हैं। इसीलिए, यही अनुमान किया जाएगा कि उन आधारों पर जो वैध है, उसने यह आदेश दिया है, अब, जैसा मैंने कहा बन्दी व्यक्ति के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं अपनाया जाता। न्यायालयों का यह कार्य नहीं है कि वह इन बातों में जाएं क्योंकि न्यायालय ने, न्यायाधीशों ने स्वयं कहा है कि उन्होंने किस आधार पर ऐसा किया है उसका वे निरुपण नहीं कर सकते। अतः न्यायालय की विचार शृंखला में एक प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो सकता है। पर कैदी अथवा बन्दी के दिमाग में कोई सन्देह उत्पन्न नहीं होता है। अतः वह इन आधारों के बारे में पृथक्-पृथक् व्याख्या कर सकता है, अस्पष्ट आधार को वह अस्पष्ट कहेगा, तथा अवैध आधार को वह अवैध कहेगा। वह वैध आधार का उत्तर देगा और फिर उन पर सलाहकार बोर्ड विचार करेगा। अतः इन सभी सुरक्षापायों को ध्यान में रखते हुए, जो इस विधेयक में रखे गए हैं, मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के प्रति किसी प्रकार का विरोध हो सकता है। अतः यह पूर्ण रूप से व्यहार्य है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह अत्यन्त अव्यावहारिक तथा अत्यन्त आश्चर्यजनक विधेयक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह पूर्णतः व्यावहारिक है और इसे उच्चतम न्यायालय ने भी मान्यता दी है, और मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपका भाषण पूरा हो गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां। मेरा भाषण पूरा हो गया है, परन्तु मैंने उतनी देर भाषण नहीं दिया जितनी देर उन्होंने दिया।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के बारे में कुछ संशोधन आये हैं। श्रीमती प्रमिला दण्डवते

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने किसी पत्र का उदाहरण नहीं दिया, पर उन्होंने कुछ स्थितियों की ओर संकेत किया। उसके सम्बन्ध में गृह मन्त्री को कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : अब श्रीमती प्रमिला दण्डवते यहां नहीं हैं। श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : जी, हां मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को दोनों सदनों की 25 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजा जाए जिनमें 15 सदस्य इस सदन के हों जिनके नाम ये हैं।"

1. श्री अजित बाग
2. श्री अजय विश्वास
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री सुधीर गिरि
5. श्री मतिलाल हसदा
6. श्री सनत कुमार मण्डल
7. प्रो० अजित कुमार मेहता
8. श्रीमती गीता मुखर्जी
9. प्रो० रूप चन्द पाल

10. श्री पी० वी० नरसिंह राव

11. श्री ए० के० राय

12. श्री अमर राय प्रधान

13. श्री निर्मल सिन्हा

14. श्री जायनल अबेदिन

15. श्री सत्यगोपाल मिश्र

और 10 सदस्य राज्य सभा के हों।

कि संयुक्त समिति की बैठक को गठित करने के लिए, गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग होगी ;

कि समिति इस सदन के अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ;

कि शेष कार्यों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सदन के प्रक्रिया नियम उसी रूपांतरण तथा परिवर्तन से लागू होंगे जैसा अध्यक्ष करे ; और

कि यह सदन राज्य सभा से यह अनुरोध करता है कि राज्य सभा इस संयुक्त समिति के साथ सम्बद्ध हो और इस सदन को राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सूचना दें।

श्री सुबोध सेना (जलपाईगुड़ी) : मैं इस संशोधन-कारी विधेयक का विरोध करता हूं। नजरबंदी सम्बन्धी कानून सदा हमारे देश में रहे हैं यह दयनीय स्थिति है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने स्वतंत्रता के उदय-काल में ही इस निवारक नजरबन्दी के उपाय को कई प्रकार से उपयोग में लाना आरम्भ कर दिया ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत सुरक्षा अधिनियम था। स्वतन्त्रता के पश्चात राज्य सुरक्षा अधिनियम आए। वर्ष 1950 से हमारे यहां निवारक नजरबन्दी अधिनियम लागू था और यह निरन्तर 1970 तक प्रभावी रहा। वर्ष 1971 में **मीसा** पारित किया गया था, और यह जनता पार्टी के सत्ता में आने तक जारी रहा। जनता सरकार ने इसको समाप्त किया।

कांग्रेस 1980 में पुनः सत्ता में आ गई। जबसे कई कठोर कानून पारित किये गए हैं यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया; फिर आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया और अब हमारे सामने प्रस्तावित आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक शीघ्र ही आने वाला है। ये चारों मिलकर, मुझे कहना चाहिए, एक ऐसी आपात स्थिति की सरकार का संकेत देते हैं जिसकी घोषणा नहीं की गई है। हमने देखा है कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम ने किस प्रकार देश के कुछ भागों में सेना-प्रशासन स्थापित किया है। यह केवल उपद्रवग्रस्त क्षेत्र कानून मात्र नहीं है। यह सेना-शासन का संकेत है।

विशेषकर निश्चित संशोधन के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित धारा 5 क उन सभी अधिकारों तथा सुरक्षाओं से बन्दी व्यक्ति को वंचित करता है जो उसे प्राप्त है। अन्ततः जब सलाहकार बोर्ड की बैठक होती है तो वह पूरे आरोप-पत्र को ध्यान में रखता है और उन आधारों को भी पूरी तरह से ध्यान में रखता है जो उस बन्दी को दिए जाते हैं और इसी आधार पर वह निर्णय करता है कि क्या नजरबन्दी जारी रखी जाए, या नहीं। संशोधन के माध्यम से यह अनुमति दी गई है कि दिए गए 4 अथवा पांच आधारों में से यदि तीन अथवा चार असंगत अथवा अवैध हैं, फिर भी साधारणतः एक आधार के प्रमाणित होने पर भी उस कारण से किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द रखा जाना चाहिए। वह सचमुच उस व्यक्ति के प्रति न्याय का मजाक ही होगा। मैं नहीं समझता कि किसी अभियुक्त के प्रति कोई विस्तार-पूर्वक विचार केवल एक आधार पर किया जा सकता है। यदि एक आरोप लगाया जाता है और वह सच निकलता है, तो मैं इसे समझ सकता हूं। पर यदि कई आधार दिए जाते हैं और एक को छोड़ कर शेष सभी साबित नहीं किये जाते हैं तो यह अधिकारियों की ओर से पूरी उपेक्षा तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है कि वे किस प्रकार हमारे देश के नागरिको की व्यक्तिगत स्वतन्त्रा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

मैं यह देख चुका हूं कि कारण भी तुच्छ तथा निरर्थक हैं। मैंने निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अधीन एक पुरुष स्वतन्त्रता सेनानी को हिरासत में रखने सम्बन्धी कारणों को भी देखा है कि वह मोहल्ला समिति का निवासी था। कभी-कभी मुझे इस प्रकार के कारणों का भी पता लगा है। और मैंने यह देखा है कि इनको कभी-कभी न केवल साइक्लोस्टाइल ही किया जाता है, बल्कि सरसरी तौर पर की जाने वाली कार्यवाही की भावना व्याप्त है और वे मनगढ़नत होते हैं अतः मेरा विचार है कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि मूल अधिनियम की धारा 14 में संशोधन संख्या 3 के सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप से यह सलाहकार बोर्ड की स्थिति को हास्यापद बना देता है यह मूल अधिनियम की धारा 12 के खण्ड 2 को खराब करता है। उसमें यह बताया गया था कि नये तथ्य पैदा होने पर आदेश के रद्द करने या समाप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन यहां इसमें यह कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए कि ऐसे कोई नए तथ्य पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, नजरबन्दी को जारी रखा जायेगा। यह एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी बात है जो सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही को अस्वीकार करती है और व्यावहारिक रूप से सलाहकार बोर्ड एक दिखावा बन जाता है। अतः यह स्वीकार्य नहीं है। मूल अधिनियम की धारा 12 खण्ड 2 में यह कहा गया है कि यदि सलाहकार बोर्ड ने यह बताया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को नजरबन्द रखने के लिए कोई समुचित कारण नहीं है तो सरकार उसकी नजरबन्दी के आदेश को समाप्त करेगी और सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल रिहा कर दिया जायेगा। अब इस संशोधन में यह व्यवस्था है कि नजरबंदी सम्बन्धी पहले आदेश के समाप्त होने या रद्द करने के पश्चात भी यदि मामले में कोई नए तथ्य पैदा नहीं होते हैं तो भी उस विशेष नजरबंद व्यक्ति को पहले नजरबंदी सम्बन्धी आदेश के तहत नजरबंदी की तारीख से 12 महीने से अधिक प्राविधि के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। मेरे विचार से इससे सहज न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे व्यावहारिक रूप से सलाहकार बोर्ड की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। और हमने यह देखा है कि आमतौर से इन अधिनियमों का प्रयोग लोकतांत्रिक आन्दोलन के ही विरुद्ध किया जाता है। हम यह देख चुके हैं कि जब वर्ष 1981 में लोको ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग किया गया था और

उनमें से बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। और हमने यह भी देखा है कि मोदीनगर से कुछ मजदूरों को राष्ट्रीय सुरक्षा आधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। अतः मेरा यह विश्वास है कि यह अधिनियम लोकतांत्रिक आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन के ही विरुद्ध प्रयोग में लाया जाएगा जैसाकि मैंने पहले कहा है, मैं फिर यह दोहराता हूं कि इन चारों अधिनियमों से देश में एक आपात-कालीन शासन की स्थिति ही पैदा होगी। अतः मैं इस संशोधन का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : सभापति महोदय, श्रीमन, संविधान में निवारक नजरबंदी की परिकल्पना की गई है। संसद समय समय पर अनेक निवारक नजरबंदी कानून पारित किया है और उच्चतम न्यायालय ने उनका समर्थन किया है। जब देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिनका देश की एकता अखण्डता या सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो तो तत्कालीन सरकार का यह देखने का कर्तव्य हो जाता है कि इन प्रकार की परिस्थितियों या व्यक्तियों को जो इन परिस्थियों को पैदा करने के कारण हैं। उनको सजा दी जाय और उन्हें नजरबंद किया जाए। यह किसी ऐसे नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का मामला नहीं है जो इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां करता है। मौलिक अधिकार के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य का पालन भी करना होता है जिससे कि उसका आचरण देश के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध न हो।

हमने इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 1980 में पारित किया था और विपक्ष की सामान्य आपत्ति यह है कि इसका प्रयोग विपक्ष के नेताओं के ही विरुद्ध किया जायेगा। वर्ष 1980 से लेकर आज तक मेरे विचार से किसी भी विपक्ष के नेता को इस अधिनियम के तहत नजरबंद नहीं किया है। मेरे मित्र श्री फर्नान्डिजी ने अपने वाक्चातुर्यपूर्ण भाषण में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जिसमें किसी राजनैतिक नेता को सजा दी गई हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : श्री ए० के० राय पहले व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था। और नजरबन्द किए गए व्यक्तियों में श्री शंकर गुहा नियोगी दूसरे व्यक्ति थे।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के चार विधायक भी गिरफ्तार किए गए थे। मैं केवल उन्हें केवल उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने मेरा नाम लिया था।

श्री जगन्नाथ राव : संसद का कोई सदस्य कानून से बड़ा नहीं है। यदि संसद का कोई सदस्य कोई अपराध करता है उसे कानून के अन्तर्गत सजा दी जाती है। उसको कानून के अन्तर्गत सजा दी जानी चाहिए। संसद के किसी सदस्य को अपराध करने का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब आप स्वयं ही अपनी बात का खण्डन कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वह गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्ति हैं।

श्री जगन्नाथ राव : इस संशोधन विधेयक से दो प्रश्न पैदा होते हैं। उनमें से एक प्रश्न यह है कि

जब एक व्यक्ति व्यक्ति को अनेक कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें से कुछ कारणों का उसकी गिरफ्तारी से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन एक भी कारण वैध है, तो नजरबन्दी आदेश को वैध माना चाहिए। जैसाकि गृहमंत्री ने तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि ऐसा उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसरण में किया गया है। अत: इस खंड से कोई नई बात पैदा नहीं होती है। इससे कोई उत्तेजना पैदा नहीं होनी चाहिए। यदि गिरफ्तारी के सभी कारणों को हटा दिया जाता है तो गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन यदि एक भी कोई वैध कारण है तो गिरफ्तारी आदेश को वैध ही समझा जाना चाहिए यद्यपि अन्य कारण न भी हों या संगत न हों। इस संशोधन द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

एक उदाहरण एक ऐसे अभियुक्त का लीजिए, जिस पर किसी दाण्डिक मामले में चार आधारों के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया है यदि तीन आधारों के अन्तर्गत कोई सदस्य नहीं है और उसे बरी कर दिया जाता है लेकिन चौथा आधार सिद्ध हो जाता है तो उसे उस आधार के अन्तर्गत उसे सजा दी जाती है। गिरफ्तारी के कारणों में भी वही सिद्धांत अन्तर्ग्रस्त है। यदि गिरफ्तारी का एक कारण वैध है तो गिरफ्तारी वैध है। अत: इसमें कोई बात आपत्तिजनक नहीं है। और इसमें कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं देखा जा सकता है। यदि उन्हें भूत दिखाई देता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई आशंका होने का कोई कारण नहीं है। विपक्ष सर्वसम्मति से कह रहा था कि देश में स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो गई है लेकिन सरकार नरमी से काम ले रही है और अब सरकार ने इन गतिविधियों को समाप्त करने के उपाय किए हैं। अन्यथा देश की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में संशोधन करने पर यह प्रस्ताव रखा है।

इस विधेयक द्वारा लाए जाने वाला दूसरा संशोधन यह है कि यदि किसी व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है या नजरबन्दी सम्बन्धी आदेश रद्द कर दिए जाते हैं, यदि उसे दोबारा नजरबन्द किया जाता है और कोई अन्य कारण न होने पर मूल नजरबन्दी आदेश की तारीख से आगे गिरफ्तारी को 12 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अत: गिरफ्तारी अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनमें उस व्यक्ति को आगे नजरबन्द रखने के कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन मूल आदेश की तारीख से नजरबन्दी की अवधि की सीमा 12 महीने हैं जबकि पंजाब और चंडीगढ़ के मामले में यह दो वर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि पंजाब में अत्यधिक असामान्य स्थिति है। उग्रवादी और आतंकवादियों की गतिविधियों तथा निर्दोष लोगों की अन्धा धुन्ध हत्या करने की घटनाओं को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक हम इस प्रकार के उपाय लागू नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके लिए साक्ष्य नहीं होगा। अत: ऐसी परिस्थितियां हैं और गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारियों की राय में, उसके पास कोई ताजे तथ्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को आगे नजरबन्द रखने की आवश्यकता हो सकती है। अत: मूल्य अधिनियम में इन दो साधारण संशोधनों को इस विधेयक के माध्यम से लाने का प्रस्ताव है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपने धारा प्रवाह भाषण में यह कहा था कि इस उपाय के राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध उपयोग किए जाने का इरादा है, जो विपक्ष का आलोचना का एक सामान्य मुद्दा है। वह कहते हैं कि आर्थिक समस्याओं के कारण ही सांप्रदायिक दंगें होते हैं। ठीक है। परन्तु यह मामला उससे बिल्कुल ही भिन्न है। महाराष्ट्र या हैदराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ये दंगे हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज राष्ट्र राष्ट्रीय अनुशासन

से पीछे हट रहा है। हममें से प्रत्येक को अपने अन्दर यह भावना पैदा करनी चाहिए कि यह देश हमारा है। हम सबके जीवन का उद्देश्य अनुशासन होना चाहिए। स्वतन्त्रा आन्दोलन के समय हम सब में राष्ट्रीय भावना थी। आजकल इस भावना की कमी का मुख्य कारण यह है कि लोग राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता से हट रहे हैं और अलगाव की भावनाएं आगे आ रही हैं। अनुशासन में रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, बाकी देश की एकता बनी रह सके और राष्ट्र मजबूत बन सके और जिससे हमारी प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता को बनाए रखा जा सके।

मैं इस विधेयक में इन दो संशोधनों के सम्बन्ध में लम्बा भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि सभा द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाए।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर सभापति महोदय, सरकार का आजकल कुछ ऐसा रवैया बन गया है और राष्ट्र उससे अच्छी तरह वाकिफ है कि यह सरकार बिना प्रिवेन्टिव डिटेंशन और आर्डिनेंस के चल नहीं सकती और यह इसकी एक बुरी आदत बन गई है। लेकिन लोकशाही की दिशा में यह कोई उचित कदम नहीं है और हम इस तरह लोकशाही की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं।

मान्यवर, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि आर्डिनेंस के बाद यह बिल यहां आया है जो विधेयक के रूप में हमारे सामने है और कुछ समय बाद शायद यह कानून बन जाएगा। मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट चाहूंगा कि आपने 1980 में नेशनल सीक्यूरिटी एक्ट बनाया, पहले तो आपने उस समय ही हमारी संविधान में प्रदत्त आजादी को कर्टेल किया, हमारी लिबर्टी को छीना गया जैसा आज जार्ज साहब की तकरीर के दौरान मुझे माननीय मन्त्री जी के जवाब को सुनने का अवसर मिला, उन्होंने जिस चतुराई के साथ सारी बातों को बहुत सुन्दर तरीके से समझाने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान की आत्मा कानून की पेचीदगियों में फंस सकती है, लेकिन वे भी अहसास करते हैं कि उसकी स्वतन्त्रता को तोड़ने का प्रयास कहीं न कहीं चल रहा है। यदि सही मायनों में यह कानून सिर्फ पंजाब के संबंध में बनाया गया होता तो वह पंजाब तक ही सीमित रहता। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, आप देखेंगे कि इन्होंने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकारें एक लम्बे अर्से से दबाव डाल रही थीं, उनकी निरन्तर मांग थी कि ऐसा कानून बनाया जाए। दूसरे ऐसी स्थिति बन गई, जिसके कारण आपने यह कानून बनाया···

4.00 म० प०

सिर्फ पंजाब ही नहीं, राज्य सरकारों की भी यह मांग थी। जब आपने 1980 में कानून बनाया तो यह ग्राउन्ड जस्टीफाई किए कि कम्युनल डिसहार्मनी, कास्ट, कनफ्लिक्ट, सोशल टेंशन, एक्सट्रीमिस्ट्स एक्टिविटीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स पर एट्रोसिटीज हो रही हैं इसलिए इसकी आवश्यकता को सरकार ने समझा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मशीनरी का रवैया हो गया है कि देश का शासन ऐसे कानूनों के बगैर नहीं चल सकता। आई० पी० सी० और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसे कानून लगते हैं कि वह लागू नहीं हो पायेंगे। थोड़ी देर बाद दूसरा बिल भी आ रहा है स्पेशल कोर्टस वाला, इन दोनों के सम्बन्ध में यदि आप देखेंगे तो सरकार के रवैये के बारे में तस्वीर साफ़ हो जायेगी कि सरकार किधर बढ़ रही है। 1950 से लेकर 1970 तक प्रीवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, 1971 में आपने एम० आई० एस० ए० बना दिया और उसके तहत इमरजेंसी में जो जुल्म हुए देश के लोग आज भी उन्हें

नहीं भूले हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज भी समय है सरकार इन सारी शक्तियों को उन लोगों के हाथ में न दे जिन्होंने इमरजेंसी में इसका दुरुपयोग करके आपको उधर से इधर भेज दिया था। कहीं ऐसा न हो कि पुनः आपको इधर आना पड़े और हमें मजबूरी में उधर जाना पड़े।

इस एक्ट के प्रावधान देखें तो मालूम होगा यह एक्ट सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को शक्ति प्रदान कर रहा है। और इसमें साफ कहा है :

> "सरकार किसी व्यक्ति को देश की रक्षा या इसकी सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर सकती है।"

यदि इसका जुडिशियल इंटरप्रीटेशन करें, कंट्री और स्टेट वाली बात सोचें तो कुछ समझ में नहीं आता कि यह दोनों शब्द कहां से जोड़ दिए। समूचे राष्ट्र की बात होती तो भी ठीक था। सबसे बड़ा मुद्दा जो माननीय जार्ज ने उठाया ग्राउन्ड्स का आपने साफ कहा है, मन्त्री भी बता रहे थे कि मान लीजिए 6 रीजन्स हैं उनमें से 5 इनवैलिड हैं लेकिन एक भी यदि उसमें वैलिड है तो उस व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है सेटिस्फैक्शन किसका होगा ? "औन सैटिस्फैक्शन आफ दी आफिसर्स" उस अधिकारी के सेटिस्फैक्शन पर वह वैलिड है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सेटिस्फेक्शन क्या यह मेंटल प्रोसेस नहीं हैं ? है। मान लीजिए कोई अधिकारी मुझसे प्रीजुडिस्ड है, जो अधिकारी ग्राउन्ड्स बना रहे हैं 6 ग्राउन्ड्स में से 5 इनवैलिड हों तो छठे में कह देगा कि मैं सेटिस्फैक्शन को इतना बृहद बना दिया है, आपने जो कहा कुछ ग्राउन्ड्स होंगे कुछ नहीं होंगे, जो मन्त्री जी सफाई दे रहे थे, वह ठीक मालूम नहीं पड़ता है। किस चीज का सेटिस्फैक्शन है, इसको आपको साफ करना चाहिए।

हाजी मस्तान की बात मैं क्या कहूं, उनकी पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, कभी कभी लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है···

निश्चित इस कानून के तहत ऐसे लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी रिहाई, क्या आने वाले चुनावों के लिए कोई कोष बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जिसे चुनावी कोष कहा जाता है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको गलतफहमी है।

श्री राजेश कुमार सिंह : गलतफहमी तो आपके तरीकों ने पैदा की है।

(व्यवधान)

यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में लोगों को शंका पैदा हो जायेगी। इसकी लीगल जूरिस-प्रूडैंस क्या है ? कोई न्याय की पद्धति है, उसका दर्शन है, उसको भी आप तोड़-मरोड़कर रख देंगे तो बात नहीं बन पायेगी।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : "परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।"

श्री राजेश कुमार सिंह : आपने विधि के दर्शन को भी इस तरह तोड़-मरोड़ दिया है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं रही।

आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करने जा रहे है कि आने वाले लोग लोकशाही में यह यकीन करने लगेंगे कि संविधान में जो आजादी है, बोलने की स्वतन्त्रता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तोड़-फोड़ की स्वतन्त्रता है, उसे आप चन्द अधिकारियों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं।

इसलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इसे गम्भीरता से लें। पंजाब के उग्रवादियों की जो चर्चा की गई है, आपने कहा कि पंजाब में 24 महीनों के लिए लोग डिटेन किए जा सकते हैं, इसमें एक साल है, एक ग्राउन्ड और कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि उसकी अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बन्द नहीं किया जा सकता है, कोई कारण हो या न हो।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ऐसा नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : लगता ऐसा ही है। आप इसे जरा साफ कर दें। आप पुनः उस अधिकारी की मर्जी पर चाहेंगे।

श्री पी० वी नरसिंह राव : कारण नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : कारण वाले में एक बड़ा कन्फ्यूजन क्रीएट कर रखा है, उसमें बड़ा झगड़ा है।

दुनिया के किसी भी न्याय में आप जायेंगे तो लोगों को निश्चित मालूम है कि न्याय के पक्ष में अधिक बात चली जायें तो मान लिया जाता है कि एक बात गलत हो सकती है, यह गलत नहीं है, लेकिन यहां दूसरी बात कह दी गई है। अगर 5 लोग आकर कहें कि यह बात सही है और एक कहे कि गलत है तो उसे मान लिया जायेगा।

आप आने वाले दूसरे बिल पर देखेंगे तो निश्चित रूप से न्याय पद्धति को तोड़-मरोड़ कर रख दिया है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह मुद्दा बनाकर न चले कि वह हिन्दुस्तान की आजादी को अपने हाथ में केन्द्रित करना चाहती है। वह अपने अधिकार की आदत को सुधारे। हिन्दुस्तान में जाप्ता फौजदारी में कानून में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ एक ताकत बन गई है कि आपको डिटैंशन करनी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सारे कानून बेकार हैं तो उनको आप संशोधन कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए।

यह सारी प्रक्रिया जो चल रही है, देश के हित में नहीं है न्याय के हित में नहीं है। देश की आजादी और स्वतन्त्रता जिन लोगों ने साकार की है, उन्होंने जो सपना देखा था, उनकी दिशा, दर्शन व धारणा के विपरीत आप चलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। विपक्ष के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक लम्बा भाषण दिया है। वह एक वरिष्ठ सदस्य है। मैं उनका भाषण बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे उनके भाषण में सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह लगी है कि उन्होंने इस बात को नहीं समझा है कि यह विधेयक किसके लिए है।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय सदस्य को केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि विधेयक विशेष रूप से देश में राष्ट्र विरोधी उग्रवादी तथा आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इसके पहले शिकार यहां बैठे हुए श्री ए० के० राय थे। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन उन्हें ही नजरबन्द किया गया था।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : अत: सभापति महोदय मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि अभी हाल के अनुभव से हमें यह पता लगा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों तथा आतंकवादियों की गतिविधियां नि:संदेह प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता विरोधी साबित हुई है जिसे हमारे नेताओं ने हमारे लिए प्राप्त किया था। अत: यह भी स्पष्ट है कि उग्रवाद और आतंकवाद का अभिप्राय यह है कि वे अपनी इच्छा को लोगों पर बलपूर्वक थोपना चाहते हैं। इस विधेयक में देश के उन लोगों को ही संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है जो कानून का पालन करते हैं और प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हमें राष्ट्र विरोधी उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को संरक्षण देना पड़ेगा या उग्रवादियों तथा आतंकवादियों की गतिविधियों से इस देश की जनता तथा प्रजातन्त्र और आजादी की सुरक्षा करनी होगी। हमारे सामने यह समस्या है।

जब एक सदस्य बोल रहे थे तो हमारे गृह मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति दस बातों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और उनमें से न्यायालय द्वारा नौ बातें अवैध साबित कर दी जाती हैं और यदि एक ही बात वैध होती है तो भी उसे बन्द रखा जा सकता है। मेरे मित्र ने पूछा था कि यह कहां तक न्यायोचित है ? मैं इस बारे में एक उदाहरण देता हूं। मान लो किसी व्यक्ति को केवल एक ही आधार पर बन्द किया गया है और यदि वह वैध सिद्ध हो जाता है तो उसे बन्द किया जा सकता है, इसलिए पहले बताये गये मामले में भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि हमने कारणों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की है जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसलिए, वह कानून जिसे अब पुर:स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल वैध प्रतीत होता है। इस बारे में किसी भी गलतफहमी का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

भारतीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि यह दोनों के बीच एक सन्तुलन है; जिसके लिए विपक्ष उग्रवादियों तथा आतंकवादियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हम कानून का पालन करने वाले उन लोगों की, इस देश की लोकतंत्र एवं स्वतन्त्रता की, रक्षा करना चाहते हैं जिस पर उन देशद्रोही उग्रवादियों एवं आतंकवादियों द्वारा निरन्तर हमला किया जा रहा है और ये आतंकवादी इस देश के टुकड़े करने की भी सोच रहे हैं। अब, जब हमारे भारतीय गृह मंत्री यह कहते हैं कि यह एक संतुलन है तो मेरा प्रश्न है कि यह संतुलन किसके बीच है। जहां तक मैं समझता हूं कि हम देश द्रोही आतंकवादियों एवं उग्रवादियों और देश के शेष बचे उन लोगों के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता एवं हमारे संविधान में विश्वास करते हैं। यह सही नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि आतंकवादियों की गतिविधियां जो हाल ही में इस देश में देखने को मिली है बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। ग्रामों में पंजाब में या और भी कहीं भी -जहां-जहां भी आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां वहां लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है, चाहे जो भी दल इस देश में सत्तारूढ़ हो वह कोई भी नियम या अधिनियम लाग करके इस देश के कानून का पालन करने वाले लोगों की रक्षा करे ?

इन शब्दों के साथ मैं केवल एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा (व्यवधान)। मैं किसी पर या सभी पर दोष नहीं लगाना चाहता जैसा कि श्री फर्नान्डीज ने किया है। वह वरिष्ठ सदस्य हैं, वह आंकड़े देकर सभी पर दोषारोपण कर सकते हैं, जबकि मैं केवल विचारार्थ विधेयक तक ही सीमित रहना चाहता हूं।

अन्त में, मैं उन सभी नागरिकों की ओर से जो कानून का पालन करने वाले है और जो लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता में विश्वास करते हैं बस यही कहना चाहता हूं—मुझे विश्वास है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग भी लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता और इस देश की एकता को बनाए रखने में उतना ही विश्वास रखते हैं···

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : धन्यवाद।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : स्वाभाविक है, मुझे आशा है और मुझे यकीन भी है। यदि मैं गलती पर हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं कि विपक्ष के लोगों के बारे में मेरी राय गलत है।

इसी धारणा के साथ, मैं माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो आतंकवादियों के सक्रिय होने से पहले ही वह समुचित सुरक्षात्मक कार्यवाही द्वारा सुरक्षा के और अधिक उपाय अपनाने पर गम्भीर रूप से विचार करें। धन्यवाद।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : सभापति महोदय, इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के समय ही मैंने इसका विरोध किया था। इस मामले में मुझे एक बार फिर कुछ और कहने का मौका मिला है।

शुरू से ही, मैं इस तरह के कानून के पूरी तरह खिलाफ रहा हूं और मैं पहले भी अर्थात् जिस समय हम सत्ता में थे तब भी मैंने इसका विरोध किया था और मैं किसी भी ऐसे असाधारण कानून में विश्वास नहीं करता जिसे मैं विद्यमान कानून द्वारा देश को शासित करने में सरकार की असफलता के रूप में मानता हूं। एक ओर यह कहा जाता है कि परिस्थितियां असाधारण हैं और साथ ही स्थायी कानून भी बनाये जा रहे है। मैं नहीं समझ पाता कि ये दोनों ही चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं। यहां तक कि लक्ष्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में भी यह बताया गया है कि "उस असाधारण स्थिति ने जो देश के कुछ भागों में पैदा हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ उपबन्धों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है।" यदि इस लक्ष्य तथा कारण सम्बन्धी विवरण को ही देखा जाए तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि सारे भारत में ही असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। इसमें यह कहा गया है कि' कुछ भागों में असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। यदि ऐसी स्थिति कुछ ही भागों में पैदा हुई है तो आप सारे भारत के लिए यह कानून क्यों बना रहे हैं। और यदि सारे देश में ही असाधारण स्थिति पैदा हो गई है तो आप एक स्थाई कानून क्यों नहीं बनाते ? मैं इसे तब उचित मान सकता था यदि आप दो वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिये यह कह कर कानून बनाते कि यह कानून इस समय से लागू होगा और आप इस-इस तारीख को इसे हटा लेंगे। मैं इस बात को तो मान सकता हूं। लेकिन यह कहना कि 'कुछ भागों में असाधारण स्थिति है, और साथ ही एक स्थाई कानून बनाना, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पायेंगी।

अब मैं इस मामले के गुण-दोषों की चर्चा करूंगा। विगत के माननीय गृह मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव ने कुछ आदेशों के सम्बन्ध में कहा था जिसका उन्होंने उद्धरण दिया था। आखिर यह आदेश हमने तो नहीं पारित किये थे। यह तो राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए आदेश थे। मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज भी क्या होगा ? क्या केन्द्रीय सरकार इन उपबन्धों के अधीन कोई आदेश पारित करेगी ? इन आदेशों को राज्य सरकार द्वारा ही कार्यान्वित किया जायेगा और न केवल राज्य सरकार द्वारा बल्कि उसी खास राज्य में उन्हीं पुलिस अधिकारियों द्वारा ही इन आदेशों को अमल में लाया जायेगा। मेरा ख्याल है कि आपको मालूम है कि जस्टिस भुल्ला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिए गए अपने निर्णय में क्या कहा था, और साथ ही साथ, मैं माननीय मंत्री जी को यह भी याद दिलाता हूं कि इस स्थिति पर टिप्पणी करने से केवल तीन ही दिन पूर्व माननीय सदस्य श्री चव्हाण ने जो वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, कहा था कि "मुझे नहीं मालूम कि पुलिस को क्या हो गया है।" यह इनका विचार था। और यदि आप ऐसी पुलिस या ऐसे कार्य तन्त्र पर भरोसा कर रहे हैं तो राव साहब आप हमें यह भी विश्वास दिलायें कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसार) : इसका दुरुपयोग होगा ही।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं श्री नरसिंह राव जी का काफी सम्मान करता हूं। मैं यह आरोप उन पर प्रत्यक्षतः नहीं लगा सकता।

मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे भी कुछ समय बन्द रहने का सम्मान प्राप्त हुआ था।

पिछली बार आपात्काल के दौरान जून के महीने में बन्द करने के आदेश दिये गये थे। मैं लगभग एक माह तक भूमिगत रहा था। मैंने कहा था कि मैं इस-इस तारीख को बाहर आ जाऊंगा इसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे पुलिस स्टेशन ले गये। यह याद रखिए कि वह कलक्टर जिसे गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वहां बैठा हुआ था। उसने पूछा कि "क्या आप आत्म समर्पण करने के लिए तैयार हैं या नहीं" वरन् तुम्हारे नजरबन्दी आदेश बनाते हैं। यदि मैंने आत्म समर्पण कर दिया होता तो क्या वह बन्दी आदेश फाड़ दिये गये होते। यह क्या है ? आप मुझे बताइये ! क्या यह राजनीतिक शोषण नहीं हैं ? ऐसा मेरे ही साथ नहीं हुआ बल्कि ऐसे अनेकों मामले हैं। उस समय ये सभी बातें थोप दी गई थीं। इसका क्या अर्थ निकलता है ? क्या इसका यह आशय नहीं निकलता कि यह चीज विपक्षी दलों को दबाने के लिये और इससे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए की गई थी। क्या इसका कोई और भी अर्थ निकल सकता है।

न केवल इतना ही, बल्कि उस समय अनेकों ऐसे गुण्डे थे जो पुलिस के लिए एजेन्ट के रूप में काम कर रहे थे। कभी-कभी उन्हें सत्तारूढ़ दल का भी सहयोग प्राप्त होता था। वे कहा करते थे आज तुम्हारे खिलाफ नजरबन्दी आदेश बनाते हैं। वे लोग जोर जबरदस्ती से पैसा बनाया करते थे। ये चीजें चल रही थीं और यदि आप इन सभी बातों को नजर अन्दाज करते हैं तो आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि अब भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इस किस्म का दुरुपयोग अक्सर होता रहता है। इसे ठीक किए जाने की जरूरत है।

पिछले दिन मैंने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ-साथ विपक्ष के एक अन्य नेता श्री उमा शंकर

त्रिवेदी का उल्लेख भी किया था। उनकी आयु 68 वर्ष की थी और उनके पैरों में कुछ खराबी थी। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि टेलीफोन के खम्भे पर चढ़कर टेलीफोन के तार काट रहे थे। ऐसे अनेकों मामले भरे पड़े हैं। मैं ऐसे मामलों में बन्द हुए व्यक्तियों की सूची पेश कर सकता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अनेकों तरह के असत्य एवं गलत आरोपों के आधार पर लोगों को बन्द किया गया था। अन्ततः होता यह है कि गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा इन आरोपों को गढ़ लिया जाता है। इसका क्या उपाय है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण के 99 प्रतिशत मामलों में मैंने आदेशों को रद्द कराया है क्योंकि उस समय तक ये लोग प्रशिक्षित नहीं हो पाये थे। तकनीकी और सैद्धांतिक आधारों पर कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से स्वयं को छुड़ा सकता है। जो तर्क दिये गये हैं वे केवल संतुष्टि के आधार को लेकर दिए गए हैं आपने कहा है कि, आखिर कार संतुष्टि किसी एक या अन्य आधार पर भी हो सकती है। यह अलग की जाने वाली चीज हो सकती है। वास्तव में यह अलग की जाने वाली चीज है। यदि बन्दी आदेश में यह उल्लेख होता है कि मैं बताए गए प्रत्येक कारण से अलग अलग संतुष्ट हूं तो वह गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार है। तब उच्च न्यायालय रास्ते में बाधा नहीं बन सकेगा। कानून की क्यों आवश्यकता हुई मुझे नहीं मालूम ? यह बिल्कुल जरूरी नहीं था। आदेश जारी कर दिए गए ; यही पर्याप्त है। उच्च न्यायालय अब कोई बाधा नहीं रहा है।

मैं न्याय, मानवीय अधिकारों, मूलभूत अधिकारों, स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान की है। क्या इसका सहारा लेना उचित है ? यदि सरकार सही अर्थ में किसी मामले से निपटना चाहती है तो उसे केवल उसी मामले से ही निपटना चाहिए। परन्तु यह तो एक सामान्य कानून है। आपको सामान्य कानून नहीं बनाना चाहिए।

आप गृह मंत्री हैं और यदि राज्य सरकार कोई आदेश पास करती है तो आप उसे कैसे रद्द कर सकते हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि कोई आदेश गलत है और केन्द्र सरकार के पास उसके विरुद्ध अभ्यावेदन आते हैं तो केन्द्र सरकार को कानून के उपबन्धों के अनुसार उसे रद्द करना पड़ेगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह ठीक है, लेकिन आप यह कैसे निर्णय करोगे कि वह सही है या गलत ? अन्ततः गुणदोषों के आधार पर ही उसके औचित्य का निर्णय किया जाएगा।

सैद्धांतिक चर्चा के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि बम्बई उच्च न्यायालय में पहले भी उनके दो मत थे। सतारा के एक मामले में कई आधार बताए गए थे। यह एक पुराना मामला था शायद 1947-48 का विष्णु ताल पड़े का मामला। इसमें कई कारण बताए गए थे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह 1945 में विद्यमान फेडरल कोर्ट की बात है।

श्री एन० के० शेजवलकर : उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया था : इसके कई आधार हैं और इनमें से यदि एक भी झूठा हो तो किसी को हवालात में नहीं रखा जा सकता। इसमें संतुलन का तर्क दिया जाता है। यदि आप कुछ भार रखते हैं और भार रखते जाते हैं, तो पूर्ण सन्तुलन हो जाता है। अन्ततः, सन्तुलन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप तराजू में से एक तरफ से कुछ भार हटा लें या और रख दें तो सन्तुलन बिगड़ ही जाएगा। इसी प्रकार मानसिक सन्तुलन कार्य

करता है। बाद में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अस्पष्ट आधार हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अस्पष्ट आधार तथा गलत आधार का भेद किया गया था। यह आधार गलत है और गलत आधार के कारण नजरबन्द करने का आदेश रद्द हो सकता है। लेकिन यदि आधार अस्पष्ट हो या अतिशायी हो, जिसे बाद में जोड़ा गया हो, तो आदेश अशक्त नहीं हो सकता। इनमें यही अन्तर है और उस समय यह अन्तर रखा गया था।

बहरहाल, मेरे विचार में मूल सिद्धान्त यह है कि अन्ततः यदि आधार वैध प्रकार के हों तो वे कारगर सिद्ध होंगे और आप कहते है कि मैं एक विशिष्ट मामले को क्यों उठा रहा हूं। श्री मधु दण्डवते ने कहा है कि यदि वे आधार गलत हों और एक आधार सही हो तब भी आपके अनुसार यह वैध है। और आप कहते हैं कि अपवादात्मक मामले को क्यों लिया जा रहा है। जबकि आपके कानून में भी अपवाद स्वरूप मामले को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। विधेयक के पृष्ठ 2 पर उल्लिखित है :

> "और इस कारण यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसा आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी ने, वैसा समाधान हो जाने पर जैसा कि शेष आधार या आधारों के प्रतिनिर्देश से धारा 3 में उपबंधित है, विरोध आदेश किया था ?"

तो केवल आधार की ही बात नहीं है। आप ऐसे एक्स्ट्रीम मामले को भी ध्यान में रख रहे हैं जिसमें 10 आधारों में से यदि केवल एक ही आधार रहता है, आपके अनुसार, इस विधि के अनुसार, तो वह आदेश उचित है, विधि के अधीन अनुचित नहीं है। इस मामले पर आप स्वयं विचार कर रहे हैं। श्री रेड्डी की बात मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा था, यदि किसी मामले में केवल एक ही आधार दिया गया हो तब क्या होगा ? मैंने स्पष्टतः कहा है कि इसका प्रभाव संयुक्त रूप से दिमाग पर पड़ेगा, एक ही आधार का नहीं पड़ेगा। यदि केवल एक ही आधार हो तब भी उसका प्रभाव संयुक्त ही होगा। अन्य आधारों के अवैध होने का प्रश्न नहीं है। इसलिए, मेरे विचार में ऐसा विधान बिल्कुल भी पारित नहीं किया जाना चाहिए। आप उचित निष्पादन की गारण्टी नहीं दे सकते। आखिरकार, दूसरी आवश्यकता क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। आप हवालात में बन्द करने की अवधि को नए आधारों पर बढ़ाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष या 6 महीनों के लिए हवालात में है तो आप उसकी अवधि और बढ़ाना चाहते हैं। कैसे ? कुछ कारणों से आपने यह अवधि दो वर्ष रखी है।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमें आश्वस्त करें कि इस विधान को स्थायी कानून नहीं बनाया जाएगा। इस विधान का उद्देश्य पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके किसी के प्रति दुरुपयोग नहीं किया जाएगा—चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो, आम आदमी हो या कोई भी हो। सरकार इस सम्बन्ध में क्या गारण्टी देने को तैयार है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या आश्वासन देती है। क्या यह कानून सही मंशा से बनाया गया है या कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में सरकार की असफलता पर डालने का एक ढंग है ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः अस्तव्यस्त है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं नेशनल सेक्यूरिटी (एमेंडमेंट) बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

16.29 म०प० **(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)**

मान्यवर, हमने विरोधी दलों के नेताओं को सुना और अभी शेजवलकर जी बोल रहे थे, उनको भी सुना। अभी उन्होंने मीसा की चर्चा की थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार पदारूढ़ हुई थी और खास तौर पर मध्य प्रदेश में जब उनका चीफ मिनिस्टर था, तो सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मिनी मीसा बनाया था।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप अपनी बातों को भूल जाते हैं और सारी चीजों के लिए कांग्रेस सरकार को दोष दे देते हैं। आपकी कर्नाटक में सरकार है। क्या आपने कर्नाटक सरकार को यह कहा है कि वह इस एक्ट को लागू न करे? कर्नाटक की सरकार ने 34 केसिज में इस एक्ट का उपयोग किया है। आंध्र प्रदेश में तो बहुत ज्यादा केसिज में इसका उपयोग हुआ है। इसके अलावा राज्यों में और भी प्रिवेन्टिव एक्ट्स बने हुए हैं और उनका उपयोग भी वहां किया जाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट का एक सीमित और निश्चित उद्देश्य है। देश की सुरक्षा, एकता और अखण्डता का जब प्रश्न उठ खड़ा होता है, देश में काला बाजारी, चोर बाजारी और स्मगलिंग को रोकने का जब प्रश्न उठ खड़ा होता है, देश की आम शांति-व्यवस्था का प्रश्न जब उठ खड़ा होता है तो इस प्रकार का कानून बनाना पड़ता है। अभी राजेशकुमार सिंह जी बोल रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1967 में जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने थे तो उन्होंने वहां गुण्डा एक्ट लागू किया था। वह गुण्डा एक्ट भी इसी तरह का एक्ट है। समय-समय पर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस एक्ट के प्रावधानों का पोलिटिकल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या विपक्ष के सदस्य कह सकते हैं कि किसी भी पोलिटिकल उद्देश्य के लिए इसका कभी उपयोग किया गया है? इस उद्देश्य से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

क्या यह बात सही नहीं है कि देश के कुछ हिस्सों में इस समय एक असाधारण स्थिति है। चाहे इधर बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर बैठने वाले लोग हों कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है। फिर इस अमेंडमेंट बिल में विशेष क्या है? इस बिल में दो ही बातें हैं। एक तो एक साल को दो साल किया गया है। दूसरे ग्राऊंडस में बारे में अमेंडमेंट है कि अगर एक भी ग्राऊंड ठीक नं हो तो उसे छोड़ दिया जाए। अब किसी एक ग्राऊंड के भी ठीक न होने पर किसी अपराधी को छोड़ा न जा सकेगा। ये दो-तीन बातें इस अमेंडमेंट बिल में हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो दूसरी बात करते हैं और सत्ता से हटने पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकारों की याद आने लगती है।

मान्यवर, यह एक्ट देश में प्रायः सभी जगह लागू किया जा रहा है। केवल 9 राज्य ऐसे हैं जो इसको लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन राज्यों में इस प्रकार के दूसरे कानून बने हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे उनका उपयोग करते हैं।

मान्यवर, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। इस एक्ट के अधीन 154 केसिज में चालान हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कि किसी पोलिटिकल आदमी के खिलाफ कार्यवाही की गई हो। फिर विरोधी दल के लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं कि सरकार किसी पोलिटिकल उद्देश्य के लिए इसका अमेंडमेंट करना चाहती है? इस एक्ट के मिसयूज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें

सेफगार्ड्स की पूरी व्यवस्था है। फिर ऐसे आरोप लगाना कि पोलिटिकल उद्देश्यों के लिए यह कानून लाया गया है, बिल्कुल गलत होगा।

मैं अपने विरोधी दल के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या 1977 में और उसके बाद देश में इस तरह की स्थिति थी जैसी कि आज है ? आज देश में अलगाववादी, आतंकवादी और उग्रवादी ताकतें सिर उठाने लगी हैं। ऐसी ताकतों से निपटने के लिए ऐसे कानून की बहुत जरूरत है। कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने श्री ए० के० राय साहब के केस के बारे में कहा। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनुचित नहीं ठहराया था। उसने कहीं नहीं कहा कि इस एक्ट से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ओबजरवेशन की है जिसको कि मैं कोट कर देना चाहता हूं—

> "हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार बिना और किसी विलम्ब के 44वें संशोधन की धारा 3 को लागू कर देगी। यह याद रखा जाना चाहिए कि उस धारा में नजरबन्द व्यक्ति को यह आश्वासन दिया गया है कि उसके भाग पर एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से एक निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि इस एक्ट के अधीन कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। राय साहब की बात को लेकर यह कहना कि पोलिटिकल उद्देश्य से कार्यवाही की गई है, ठीक नहीं है।

मान्यवर, आज जरूरत इस बात की है कि कारगर ढंग से इन तत्वों से निपटने के लिए कानून हो। दूसरी कोई बात नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज यह सरकार है, कल दूसरी सरकार होगी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस बात का है कि समाज में शांति रहे। अराजकता को समाप्त किया जाए। देश की स्वतन्त्रता और अखण्डता ठीक रहे। क्या ऐसी परिस्थितियां बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है ? जिन कारणों से यह कानून बनाया गया है, वे कारण अभी देश में विद्यमान हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से टेरोरिस्ट एक्टीविटीज हुई, वे हमारे देश की अखण्डता के लिए चुनौती बन गई हैं। उन सब चीजों से निपटने के लिए निश्चित रूप से इस कानून की आवश्यकता है और सरकार जो यह कानून लाई है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने इसमें जो आश्वासन दिया है कि पोलीटिकल परपजेज के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो यह कहते हैं कि इसके लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग स्मगलिंग में लगे हैं, ब्लैक मार्केटियर, प्राफिटियर, कम्युनल हारमनी के खिलाफ जो कार्यवाही करते हैं, शान्ति-व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं और जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, इनके अलावा किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शेजवलकर साहब भूल जाते हैं कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त को वे भूल जाते हैं। जनता के जनमानस को भड़का कर सत्ता में आए थे और उस वक्त मध्यप्रदेश में कांग्रेस जनों ने न्याय प्राप्ति के लिए आवाज उठाई थी। उनको दबाने के लिए इनकी सरकार ने "मिनी मीसा" का प्रयोग किया था। इस पर इनको उस वक्त स्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया। आज जार्ज फर्नाण्डीस कहते हैं। इनकी सरकार ने इसका उपयोग किया था उस वक्त ये कहां थे। इनका तो अपना कोई भरोसा नहीं है। 4 साल में कभी लोकदल में रहे, कभी जनता पार्टी में रहे, इनका विरोधी दल के लोगों का कोई ठिकाना नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सबके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप भी ऐसे तत्वों से गठ-बन्धन करते हैं। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह से मिलकर जनसंघ ने काम किया। इस-लिए इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज ये देश की जनता को विरोधी दल को सबल बनाने की बात कहते है। 1980 से जब से हम लोग सत्ता में आए हैं, तबसे, ये लोग एक एक होने की बात कर रहे हैं। कहीं कोई ग्राउण्ड नहीं है। ये लोग देश की एकता की बात करते हैं। आज ये इस तरह की बातें करके अवाम को धोखा नहीं दे सकते। जनता इनको जान चुकी है कि जब ये इधर होते हैं तो किस तरह की बात करते हैं और जब इधर होते हैं तो किस तरह की बात करते हैं। इस तरह का कानून आपने भी बनाया था। शाह आयोग को बिठाने वाले लोग आज भूल गए हैं। आज वे प्रजातन्त्र की दुहाई देते है। जार्ज साहब बैठे हैं। इन्दिरा जी 75 हजार वोटों से जीतकर आई थीं। आज वे लोकतंत्र का हिमायत कर रहे हैं। उस वक्त इनको क्या हो गया था। लोकतन्त्र के सच्चे हिमायती कांग्रेस के लोग हैं। दल की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रजातन्त्र की हिमायती है जिन्होंने समय रहते ही परिणामों की चिन्ता किए बगैर चुनाव करा दिए। लेकिन आपने क्या किया। आपके दिल में केवल बदला लेने की बात थी। प्रजातंत्र की बुनियादी बातों का ख्याल केवल हमारी पार्टी में रखा जाता है। समाजवाद, लोकतन्त्र, धर्मनिर्पेक्षता, गुट-निर्पेक्षता इन सबको मानने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी है। विरोधी दल के पास आज कोई दिशा नहीं है। आज मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि देश की अखण्डता और सुरक्षा के लिए इन सब तत्वों को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए जो अराजकता पैदा करते हैं। जो लोग देश को कमजोर करते हैं। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ इस कानून को पास किया जाए।

अगर आज की कार्य सूची देखें तो इस बिल का विरोध करने के लिए सभी विरोधी दल के नेताओं ने अपना नाम दिया हुआ है।...(**व्यवधान**) मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इनकी दाढ़ी में तिनका है। इन लोगों को इस बात की शंका है कि हम लोगों का जो काम है, वह इस एक्ट में आने वाला है। इसी वजह से ये लोग डर रहे हैं। किसी सिद्धान्त पर एक हों या न हों लेकिन इस बारे में सब एक हैं जबकि देश की सुरक्षा के लिए यह कानून आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी पक्ष के लोगों से कि देश में शान्ति-व्यवस्था बनाएं। जो असामाजिक कार्य...(**व्यवधान**) अन्त में विरोधी दलों से देश की खातिर अपील करना चाहता हूं कि जितने अमेंडमेंट इन्होंने दिए हैं, उनको वापिस लें और इसको पास कराएं।

श्री टी० नागरत्नम (श्री पेरम्बदूर) : सभापति महोदय, श्रीमान्, राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर हो रहे वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का पूर्णतः विरोध करता हूं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 का अनुमोदन किया जाना था और जब राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980 को इस सभा द्वारा पारित किया जाना था तब विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था। फिर जब धारा 3 से 5 में विनिर्दिष्ट कुछ संशोधनों को, विशेषकर पंजाब और चंडीगढ़ के दंगाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, गृह मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित किये जाने पर भी उन्होंने बहुत विरोध किया था।

द्रविड़ मुनेत्र कड़घम की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारा पूर्ण विश्वास

है लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए उसे दासता की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 1971 में बंगलादेश युद्ध के समय हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेरे प्रिय नेता डा० कलामंगर ने, जो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को आमन्त्रित करके तमिलनाडु की जनता की ओर से उन्हें 6 करोड़ रुपए दिए थे। भारत में और किसी भी मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी अधिक धनराशि नहीं दी थी।

लेकिन, चाहे कोई भी दल सत्ता में आए। केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली रहना चाहती है; वे लोकतन्त्र को भूल जाते हैं और वे राज्यों को गुलाम समझते हैं। केन्द्र के पास पहले ही सर्वोच्च शक्ति है फिर भी वह राज्यों की शक्तियों को छीनना चाहता है।

मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का सख्त विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक के उपबन्ध क्रूरतापूर्ण हैं। इस विधेयक को पेश करने के पीछे यही इरादा है कि लोकतन्त्र का गला घोंट दिया जाए और कानून की सत्ता को गंभीर आघात पहुंचाया जाए। किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना नहीं पकड़ा जाता। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा प्रस्तावित संशोधन के संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का भी उल्लंघन होता है।

श्रीमान, इस विधेयक से पुलिस को देश में विरोधी पार्टियों को दबाने की शक्तियां मिल जाएंगी। इसीलिए मेरी पार्टी तथा मेरे नेता निरन्तर इस विधेयक का विरोध करते आ रहे हैं। यह प्रजातन्त्र का गला घोटने का प्रयास है। यह पूर्णत: विधि-विहीन कानून है।

श्रीमान, इससे सरकार में विश्वास करने वाले लोगों तथा मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं में विश्वास करने वाले लोगों को खतरा पैदा हो जाएगा। इस समय सरकार के इरादे नेक हो सकते हैं लेकिन आने वाले समय में हममें से कितने ही लोगों को इस अधिनियम के अधीन बख्सा नहीं जाएगा।

श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उसके संशोधनों के उपयोग से लोकतन्त्र की आवाज को गूंगी, बहरी और अंधी न कर दिया जाए। यह सभा अच्छी तरह जानती है कि जून, 1975 में आपातकाल के दौरान तमिलनाडु में डी० एम० के० पार्टी सत्ता में थी। यदि मेरी पार्टी और मेरे नेता ने मीसा तथा आपातकाल भी स्वीकार कर लिया होता तो 31 जनवरी, 1976 को डी० एम० के० की सरकार भंग न होती।

श्रीमान्, मीसा का दुरुपयोग किया गया है। 500 से भी अधिक लोगों को सुनवाई के बिना ही जेल में रखा गया था और हमारे संसद-सदस्य श्री चित्तबसु के साथ सेन्ट्रल जेल, मद्रास में पाशविक दुर्व्यवहार किया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार, दुर्व्यवहार के कारण ही मदुरई जेल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी।

श्रीमान्, पुलिस ने सारे देश में कितने ही लोगों के साथ अत्याचार किया है। अब आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में और संशोधन करना चाहते हैं लेकिन मनुष्यों का जीवन सुरक्षित नहीं है। यहां मैं संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान श्री एच० वी० कामठ द्वारा रहे गए शब्द उद्धृत करना चाहता हूं :

> "यह बहुत दुःख और शर्म का दिन है। ईश्वर भारत की जनता की मदद करे। मुझे विश्व के लोकतान्त्रिक देशों के संविधानों में आपातकाल के इस अध्याय के समान कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता।"

कई मित्र इसे 'मिनी मीसा' कह रहे हैं जबकि मेरे विचार में यह 'मेजर मीसा' है।

श्रीमान्, संविधान सभा के उसी वाद-विवाद में श्री विश्वनाथ दास ने कहा था :—

> "पिछले महायुद्ध में नाजियों ने न केवल अपने देश के लोगों का बल्कि जीते हुए देशों के लोगों का भी सब कुछ लूट लिया था। भारत सरकार, नाजियों की तरह, आपातकाल में राज्यों के राजस्व भी क्यों हथियाना चाहती है।"

श्रीमान्, केन्द्रीय सरकार के अनुसार उन्होंने देश के हितों की रक्षा के लिए कश्मीर में डा० फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बरखास्त किया है। सभा में अध्यक्ष का क्या भविष्य है? क्या उनकी पीठ और शरीर की सुरक्षा है? उसके साथ हाथापाई करके उन्हें हटा दिया गया। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि बहुमत कुछ कर सकता है।

सितम्बर, 1979 में मेरे प्रिय नेता स्वर्गीय अन्ना का जन्म दिन मद्रास में मनाया गया था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को आमन्त्रित किया गया था। वहां पर तमिलनाडु की जनता के सामने मटीना बीच, मद्रास में उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था और अपील की थी कि बीते समय को भूल जाएं अर्थात आपातकालीन स्थिति को, और कहा कि आने वाले हजारों वर्ष में देश आपातकालीन स्थिति नहीं आएगी। लेकिन 1980 में सत्ता में आने के बाद, जून, 1980 में वे सभा के सामने इस विधेयक को लायीं और सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कर दिया। श्रीमान् वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। लेकिन अधिनियम में वर्तमान संशोधन के अधीन पंजाब और चंडीगढ़ में किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक निरुद्ध किया जा सकता है। श्रीमान यह संविधान के अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, का उल्लंघन है।

श्रीमान्, वर्तमान अधिनियम के अधीन तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक या उड़ीसा या बिहार या किसी और राज्य में निरुद्ध किसी व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। लेकिन यह समझ नहीं आता कि वर्तमान अधिनियम में संशोधन करके यह अवधि एक वर्ष से अधिक क्यों की जा रही है। यह देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है। यहां मैं सत्तारूढ़ पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन किसी भी राजनीतिक नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया था। मैं यह बयान सुनकर चकित हूं। तमिलनाडु में कृषि मजदूरों की पार्टी के नेता श्री नारायण स्वामी नायडु को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करके हवालात में रखा गया था।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : यह राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

श्री टी० नागरत्नम : नहीं। गिरफ्तारी राज्य सरकार द्वारा की गई थी लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन की गई थी। इस पर हमारे प्रिय नेता डा० के० करुणानिधि बहुत क्षुब्ध हुए थे तथा उन्होंने श्री नारायण स्वामी की रिहाई के लिए केन्द्रीय सरकार से अपील भी की थी। उस समय जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तमिलनाडु का दौरा किया था तब राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी पर डी० एम० के० के प्रदर्शनकारियों की भावनाएं उन तक पहुंचाई गई थीं और उन्होंने तुरन्त तमिलनाडु सरकार को सलाह दी थी थी कि श्री नारायण स्वामी नायडू को रिहा किया जाए। तब उन्हें बिना शर्त रिहा किया गया था।

श्रीमान्, सारे देश में 336 से भी अधिक लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है। इसलिए मुझे संदेह है कि यह कड़ा कदम भविष्य में लोकतन्त्र के हित में नहीं है। इसलिए श्रीमान मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को वापस ले ले ताकि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रह सके और देश की जनता शान्ति से तथा सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।

श्री बृज मोहन मोहन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, श्रीमान मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्रीमान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 1980 में संसद में लाया गया था और इस अधिनियम के बाद इसे संविधि पुस्तक में शामिल किया गया था। इसके बाद 10 मई, 1982 को समाचार छपा था कि 1837 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से 1411 लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा छोड़ दिए गए थे। इन लोगों को रिहा करने के अधिकतर कारण तकनीकी थे। कुल मामलों में गिरफ्तारी का कारण उस भाषा में स्पष्ट नहीं किया गया था जो भाषा निरुद्ध व्यक्ति जानता था। कुछ दूसरे मामलों में गिरफ्तारी आदेश में कमी पाई गई थी। कुछ और मामलों में कारण निर्धारित करने में गलतियां की गई थीं। कुछ मामलों में नजरबन्द लोगों द्वारा जो अभ्यावेदन दिए गए थे, वह उन्हें स्पष्ट नहीं किए गए। ऐसे कुछेक उदाहरण हैं। मैं उन्हें इस सभा के समक्ष रख रहा हूं। वास्तव में, 1837 व्यक्तियों में से 426 को नजरबन्द किया गया था। मेरा निवेदन यह है कि जिस उद्देश्य के लिए इस विधान को प्रख्यापित किया गया था। उसे संविधि में अपर्याप्त व्यवस्थाओं के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

विपक्ष की ओर से कोई भी यह नहीं कहता कि स्थितियों में सुधार हुआ है, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आन्तरिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है तथा हम अच्छी स्थिति में हैं। जाहिर है, नागरिकों की स्वतन्त्रताओं को कम करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मेरा यह निवेदन है कि इस समय स्थिति अत्यन्त जटिल है। हमें अपने खिलाफ, हो रहे आन्तरिक षडयन्त्रों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है एवं देश में आतंकवाद की नयी स्थिति पनप रही है। हमें यह भी मालूम है कि इन आतंकवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ सम्बन्ध हैं और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि में मेरा यह निवेदन है कि यह विधान काफी प्रभावी और अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए ताकि इससे स्थिति में सुधार लाया जा सके तथा जिस उद्देश्य से यह लाया गया है, उसे पूरा किया जा सके।

श्रीमन्, इस संशोधन विधेयक में केवल दो पहलुओं को ही लिया गया है। इस विधान में अन्य पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्यों छोड़ा गया है, हो सकता है किसी तकनीकी कारण से ऐसा किया गया हो।

यहां मौजूद बहुत से मित्र वकालत करते हैं तथा वे व्यक्तिगत संतोष के बारे में जानते हैं। अगर नजरबन्दी के बहुत से कारण बताए गए हैं और यदि उनमें से एक भी अनुचित सिद्ध होता है, तो उस अवस्था में पूरा संतोष नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि एथारिटी को उस आधार से प्रभावित किया गया हो जो सही सिद्ध नहीं हो सका। यह एक तकनीकी बात है। इसी वजह से बहुत से ज्ञात अपराधी और तस्कर छोड़ दिए गए। यह स्थिति है। हमें इसका सामना करना है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा चाहता हूं कि गृह मंत्री यह स्पष्ट करें कि किस कारण से इस विधान में अन्य तकनीकी बारीकियों को शामिल नहीं किया गया है।

4.58 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

एक अन्य राजनीतिक पहलू भी है। कोई भी यह नहीं कह रहा कि यह एक अच्छी चीज है। परन्तु बुरा होते हुए भी यह अनिवार्यता है। मजबूर होकर हमें भी इसे अपनाना पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में आज भी, पूरे संसार में मृत्यु दंड का विरोध किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड का उपबन्ध है। हमारा समाज अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि हम इस प्रकार के कड़े दंड की व्यवस्था को समाप्त करें। इसीलिए, आज के समाज को, इसकी अत्यन्त जरूरत है तथा इसे अपनाया जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा कि विपक्ष से कुछेक मित्र काफी अधिक शोर-शराबा कर रहे हैं लेकिन, जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था? वह इसलिए इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, कि चुनाव बहुत नजदीक हैं जब वे सत्ता में थे, तो वे दंड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार से संशोधन करना चाहते थे ताकि निवारक नजरबन्दी के समस्त तरीकों को उसमें समाविष्ट किया जा सके, जो कि स्थायी रूप ले लेते। यह स्थायी तरीका नहीं है लेकिन, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, यद्यपि उन्होंने अनुच्छेद 22 का संशोधन करने सम्बन्धी बयालीसवां संविधान संशोधन पारित कर दिया था, लेकिन दो साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने इसे लागू नहीं किया।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आपके शासन में क्या हो रहा है?

श्री बृजमोहन महन्ती : वह अलग बात है। हम सामाजिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। मैं अभी आपकी बात का जवाब देता हूं। बसु जी अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। हमारी यह आस्था है कि समाज के मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। हम यह मानते हैं कि अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली की रक्षा करना हमारे लिए जरूरी हैं। इस बारे में कोई दुराव-छिपाव नहीं है। जनता सरकार क्या कर रही है? श्री हेगड़े क्या कर रहे है? वह भी तो निवारक नजर बन्दी कानून लागू करने के पक्ष में है। इतना ही नही उन्होंने 'पेट्रीआट' समाचार पत्र में दी गई एक भेंट वार्ता में इन उपायों का समर्थन किया है। आन्ध्र को लीजिए। सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए उन्होंने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है। और तमिलनाडु की क्या स्थिति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इस निवारक नजरबंदी से किस समस्या का समाधान किया जा सका है। पिछले 37 वर्षों से तो यह विद्यमान है ही।

श्री बृजमोहन महन्ती : कितने आश्चर्य की बात है कि यह बात श्री सोमनाथ चटर्जी पूछ रहे हैं। यह तो रामराज से चला आ रहा है। लोगों पर कानून के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता रहा है। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत चोरी करने पर कठोर दंड देने की व्यवस्था हैं लेकिन फिर भी चोरियां जारी हैं। सिद्धान्त यह है कि कानून से सामाजिक मूल्यों और नियंत्रणों की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए यह उपबन्ध है। श्रीमन् मुझे आपको यह बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी कोफेपोसा अधिनियम को लागू किए जाने के लिए सहमत हो गयी है।

5.00 म० प०

यह बहुत अच्छी बात है। आखिरकार सरस्वती उन पर भी प्रसन्न हुई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कौन कहता है ? यह बात सही नहीं है।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्री प्रणव मुखर्जी ने ऐसा कहा है तथा इसका विरोध भी नहीं किया गया। अगर कोई विरोध हुआ है तो मुझे बताएं मैं अपनी गलती ठीक कर लूंगा। मैं समाचार पत्रों में छपी खबर बता रहा रहा हूं इसके समर्थन में मेरे पास कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। अगर आप चाहें तो वह खबर मैं आप को लाकर दिखा सकता हूं।

मैं सोमनाथ बाबू को एक बात बताना चाहता हूं। जब सोवियत प्रधानमन्त्री ने फ्रांस का दौरा किया था तो आपको मालूम है क्या हुआ था ? अपनी बातचीत में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोवियत नेता से एक प्रश्न यह पूछा कि किस कारण से 'सखारोव' को नजरबन्द किया गया हैं तथा उन्हें किसी अन्य देश में जाने की अनुमति क्यों नहीं है ? फ्रांस के राष्ट्रपति को यह जवाब मिला कि "फ्रांस के उप नगरों में जो लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे ?" (व्यवधान)

इसलिए, महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने ठीक जबाव दिया। वह यह मानते हैं कि अपनी प्रणाली की रक्षा के लिए अगर किसी व्यक्ति—चाहे वह कितना भी ख्यातिप्राप्त क्यों न हो, को नजर बंद बनाने की जरूरत हैं, उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की जरूरत है, तो वह ऐसा करेंगे और उन्होंने ऐसा कर दिया है। इस प्रकार, प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं होती हैं कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जहां कहीं भी इस प्रकार का कानून विद्यमान है, वह देश सभ्य नहीं है। अगर यह बात है तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या सभी समाजबादी देश सभ्य नहीं है ? क्या चीन सभ्य नहीं है ? प्रत्येक प्रणाली की अपनी समस्याएं होती हैं, जिनका समाधान वह अपने ढंग से करना चाहते हैं। इसलिए यहां इतना अधिक उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, यह विधेयक पारित होना चाहिए।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जो दूसरा संशोधन विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। यह विधेयक 1980 में लाया गया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया और फिर आज हम लोग दूसरे संशोधन के दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के पीरियड में प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट था और कांग्रेस के लोग जब और पार्टियों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वह लोग व्यक्तिगत आजादी और नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रिवेन्टिव डिटेंशन

एक्ट के मुखालिफ थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पावर में आई उसने प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट इस्तेमाल किया और अपने पूरे शासन के पीरियड में उन्होंने इस चीज को जारी रखा केवल उस थोड़े से समय को छोड़कर जब कांग्रेस की मेजारिटी समाप्त हो गई थी और सी० पी० आई० आदि कुछ ऐसी पार्टियों की मदद से इनको सरकार चलानी पड़ती थी, केवल उन दिनों में इन्होंने इन पार्टियों के दबाव में आकर इस ऐक्स से छुटकारा दिया था।

पहले भी जब पं० जवाहर लाल नेहरू मौजूद थे तो उन्होंने भी यही वादा किया था कि इसका इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा लेकिन उस समय भी इसका इस्तेमाल विरोधी पार्टियों के खिलाफ किया गया और जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में इन्होंने पास किया उस समय भी इन्होंने यह वादा किया था कि इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन तजुर्बा यह बताता है कि इन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेताल किया। 1980 बहुत घनघोर बहस इस पर हुई थी और हम लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार अपनी नीतियों की वजह से असफल होती जा रही है। उसकी वजह से जन-आन्दोलन जब होंगे तो उसके नेताओं के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जायगा। इन्होंने वादा किया था इस्तेमाल नहीं करने का, आज भी वह यही वादा करेंगे लेकिन फिर भी वह इसका इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ करेंगे।

कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति है जिसकी वजह से इस कानून में संशोधन की बात की जा रही है। यह बात उस समय भी कही गई थी क्यों कि यह कानून असाधारण है और जब कोई भी सरकार इस तरह का कानून पेश करेगी तो वह यही कहेगी कि परिस्थिति असाधारण है जिसकी वजह से यह लाया गया है। इस कानून के रहते हुए भी परिस्थिति साधारण नहीं बन सकी। आज जो देश की सुरक्षा और अखण्डता की बात कही जाती है, उग्रवादियों की बात कही जाती है, कानून तो यह मौजूद था, लेकिन इसके रहते हुए भी देश की स्थिति साधारण क्यों नहीं बन सकी और फिर इस बात की क्या गारन्टी है कि इस कानून के जरिए आप देश की असाधारण स्थिति को साधारण स्थिति में तब्दील कर देंगे ?

देश के अंदर जो असाधारण स्थिति है उसका कारण क्या है ? आपकी जो नीतियां हैं, जिस तरह से आप सरकार को चला रहे हैं, आपने जो आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जिससे देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, राज्यों का विकास समान तरीके से नहीं हो रहा है, राज्यों का असंतुलित विकास हो रहा है, बहुत सारे राज्य पिछड़े हुए हैं, कुछ ही राज्य आगे हैं, चन्द मुट्ठी भर लोग जिस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था पर हावी हैं, काले धन का राज जिस तरह चल रहा है—इस प्रकार की स्थिति में देश में तरह की समस्याएं होंगी ही। पंजाब की बहुत चर्चा की जाती है। पंजाब के सवाल पर एक बार नहीं, कई बार सदन में बहस हुई है। बार-बार पंजाब के सवाल पर कहा गया है कि पंजाब की परिस्थिति के लिए शासक दल के लोग ही जिम्मेदार हैं। पंजाब की स्थिति में जो उग्रवादिता आई, उसको जिस तरह से बढ़ने दिया गया और परिस्थिति में जो भयंकरता आई उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह शासक दल है। शासक दल ने बार-बार कोशिश की कि पंजाब की समस्या को राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करे और यही वजह है कि वहां की स्थिति लगातार उग्र होती गई। आज भी वहां की समस्या का राजनीतिक हल ढूंढ़ने में यह सरकार नाकाम हो रही है। सरकार चाहती है कि इस समस्या को एलेक्शन में भुनाए, वोट हासिल करके पुनः सत्ता में आए। जब इस तरह की बात होगी तो जाहिर है जब शासक दल की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखण्डता और आर्थिक व्यवस्था,

देश की जनता का अमन चैन, साम्प्रदायिकता, भाषा की समस्या तथा अन्य समस्याओं के प्रति राजनीतिक तौर पर स्वार्थ सिद्धि का व्यवहार अपनायेगा तब इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। यही वजह है कि आज देश में तरह-तरह की समस्यायें खड़ी हो रही हैं और उनका समाधान नहीं हो रहा है। समाधान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार समाधान करना नहीं चाहती है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और तभी उसको इस तरह के कानून का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के कानून का सहारा लेकर आतंक के राज्य को कायम करके वह देश में हुकूमत करना चाहती है। इसीलिए आज इसका विरोध हो रहा है। देश में जो हमारा संविधान है उसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति बगैर किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। बगैर मुकदमा चलाए हुए जेल में बन्द नहीं किया जायेगा। यह कानून जो पहले से बना हुआ था एक तो वही लोगों के लिए सिर दर्द था और अब इसको आप और भी ज्यादा कड़ा बनाकर लोगों के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, वैयक्तिक आजादी और संविधान पर चोट करना चाहते हैं। इसको कबूल करना किसी भी व्यक्ति के लिए, जोकि वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, सम्भव नहीं होगा। हमारी पार्टी तो इसका बराबर विरोध करती रही है। कांग्रेस के लोगों को पता नहीं इस तरह के कानून से क्या फायदा होने वाला है। कौन सी समस्याओं का समाधान वे इसके द्वारा करना चाहते हैं? इस तरह के कानून के जरिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता हैं। हिन्दुस्तान जिस व्यवस्था से गुजर रहा है, हम कहते है कि हमारे यहां जनतांत्रिक पद्धति है, नागरिक आजादी है, वैयक्तिक आजादी है, जिस संविधान ने बहुत सारे अधिकार लोगों को दे रखे हैं, उसी संविधान के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं और संविधान का घोर उल्लंघन इस कानून को बनाकर, यह संशोधन लाकर, आप कर रहे है। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी दोबारा सोचेंगे और इसको वापिस लेंगे।

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, चाहे कोई शासन प्रणाली हो—राजतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, अधिनायक तन्त्र हो, सेना तन्त्र हों—इतने सारे तन्त्र आज संसार भर में हैं लोकतन्त्र तो बहुत ही कम देशों में है, गिने-चुने देशों में ही है, ज्यादा तर अधिनायक तन्त्र है या सेना तन्त्र है या राजतन्त्र है। बहरहाल कोई भी तन्त्र हो, किसी भी राज-प्रणाली का पहला कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र और देश की रक्षा करे। प्राचीन काल में भी शासन प्रणाली का काम बाहरी आक्रमण और आन्तरिक आक्रमण से, दोनों प्रकार के तत्वों से, देश की, राज्य की रक्षा करना पहला काम होता था। जो राज-प्रणाली देश की, रक्षा करने में असमर्थ है वह राज-प्रणाली नहीं है, यह असमर्थ है, अक्षम है। इसलिए कोई भी तन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, राजतन्त्र हो, अधिनायक तन्त्र हो, उनका कोई महत्व नहीं है, महत्व है राष्ट्र का, देश की जनता का और जो प्रणाली देश की जनता और राष्ट्र की रक्षा न कर सके, उस प्रणाली को बदल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मैं तो यह कहूंगा कि जो कानून आज गृह मन्त्री जी लाए है, वह नर्म है, इससे ज्यादा सख्त कानून की आवश्यकता है। मेरा निवेदन तो यह है कि देश की रक्षा के लिए बाहरी तत्वों और अन्तरिक तत्वों, जो पृथकतावादी, सम्प्रदायवादी, क्षेत्रीयतावादी तत्व हैं; जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनसे लड़ने के लिए उनसे देश की रक्षा करने के लिए यह कानून बहुत नर्म है, इसको और अधिक सख्त करना चाहिए।

इसमें क्या है—जहां पहले 6 महीने के लिए बन्द किया जाता था, अब दो वर्ष कर दिया है—इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे कठोरतम कानून होना चाहिए।...

श्री एन० के० शेजवलकर : आपने जेल नहीं देखी है।

श्री उमाकांत मिश्र : मैंने बहुत जेल देखी हुई है। हमारे पुरखों ने देखी हुई है। हमारे लोगों ने वर्षों जेल में रह कर आजादी हासिल की है। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई भी प्रणाली हो, देश की और राष्ट्र की रक्षा करना पहला कर्तव्य है, इसलिए यह कानून और अधिक सख्त होना चाहिए।

आज जो स्थिति है—उसमें एक तो बाहरी आक्रमण है, दूसरे आन्तरिक विद्रोह है, संगठित विद्रोह है—इस तरह के आक्रमणों में जहां तक बाहरी आक्रमण का सम्बन्ध है उससे सेना रक्षा करती है लेकिन जो आन्तरिक तोड़फोड़ होती है, जिसमें आन्तरिक शक्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं, निर्बल करना चाहती हैं, राष्ट्र को छिन्न-भिन्न करना चाहती हैं, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, उग्रवाद, हिंसावाद—ये सब जितने वाद फैले हुए हैं या जैसे तस्कर हैं, जमाखोर है इस तरह के जो आर्थिक अपराधी हैं उनसे लड़ने के लिए आन्तरिक रूप से सख्त कानून चाहिए, कठोरतम कानून और कठोरतम न्यायालय की आवश्यकता है। जब आन्तरिक शक्तियों के साथ मुकाबला होता है तो उनसे सेना नहीं लड़ेगी, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़ने के लिए कठोरतम कानून और कठोरतम न्यायालय की आवश्यकता है। इसलिए इस समय इस देश को अखण्ड रखने के लिए, एक रखने के लिए, इस देश को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए, लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिए कठोरतम कानून, कठोरतम कदम और कठोरतम न्यायालय की आवश्यकता है। ये लोग जो सामने बैठे हुए हैं इनको इसकी चिन्ता नहीं है, इनको चिन्ता है—केवल कुर्सी की। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं देश में लोकतन्त्र हो या कोई भी तन्त्र हो, देश की एकता, देश की रक्षा के सामने किसी भी तन्त्र का कोई महत्व नहीं है।

मैं तो यहां तक कहूंगा—देश की अखण्डता, राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए यदि हमारा संविधान भी कमजोर पड़ता हो तो इस संविधान का कोई महत्व नहीं है, उसको भी बदल देना चाहिए। देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, समाज रहेगा तभी लोकतन्त्र, राजतन्त्र या कोई भी तन्त्र रहेगा। आज विरोधी पक्ष के लोग बहुत घबराये हुए हैं, उनको चिन्ता है कि यह जो कानून बन रहा है, इसका इस्तेमाल उनके विरुद्ध होगा। क्यों होगा? जो अराजक तत्व हैं, देश-विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, देशद्रोही तत्व है, जो तस्कर हैं, जमाखोर हैं—ऐसे लोगों के विरुद्ध इस कानून का इस्तेमाल होगा। आप लोगों के खिलाफ यह कानून लागू नहीं होगा लेकिन जो भी व्यक्ति या दल चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, राष्ट्र-द्रोह होगा, देशद्रोह होगा या समाजद्रोह होगा, वह इससे बच नहीं पाएगा और न ही उसको बचना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। अगर कोई राष्ट्रद्रोह करता है, देशद्रोह करता है, समाज द्रोह करता है या देश और राष्ट्र की अखण्डता में बाधक होता है या देशद्रोही और पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा देता है, उसके खिलाफ यह कानून लागू होना चाहिए।···(**व्यवधान**)···जैसा कि मालूम हुआ है और अभी मैंने पढ़ा है, काश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के बारे में जो रिपोर्ट आई है? जो विवरण आया है, वह बहुत खतरनाक है। उनकी गतिविधियां खतरनाक थीं। वे देशद्रोही तत्वों से मिले थे, वे उग्रवादियों से मिले थे, वे कश्मीर लिबरेशन आर्मी से मिले थे और खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों से मिले थे। अगर वे यह कहें कि हम राजनीतिक नेता हैं और हमारे खिलाफ यह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह ठीक बात नहीं होगी। इस तरह के लोगों के खिलाफ यह इस्तेमाल होना चाहिए और जो इस कानून का इस्तेमाल करने वाले हैं, वे अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो यह उनकी कमजोरी है। देश सर्वोच्च है, राष्ट्र सर्वोच्च है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप भयभीत क्यों हैं। अगर दिल काला है,

तो भयभीत रहेंगे। सच्चे अर्थों में अगर आप लोकतांत्रिक हैं, तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। अगर आप देश-प्रेमी हैं, राष्ट्र-प्रेमी है, राष्ट्र भक्त हैं और सच्चे मायनों में इस देश के हितेषी हैं, तो खुले दिल से इस विधेयक का आपको समर्थन करना चाहिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसट) : मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो संकल्प पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं तथा इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मैं आपको पीछे उस दिन तक ले जाना चाहता हूं जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश सबसे पहले प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करते समय, इसके प्रख्यापन के कारण बिताते हुए यह कहा गया था कि 'सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिगत संघर्ष, सामाजिक तनाव, आतंकवादी गतिविधियों,अनु० जाति और अनु०जनजा०के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ यह जारी किया जा है। वर्ष 1980 में मूल अध्यादेश अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी करते समय ये कारण बताए गए थे। वर्ष 1980 से पहले भी सामाजिक तनाव, जातिगत संघर्ष आदि इसी प्रकार की स्थितियां विद्यमान थीं लेकिन किसी भी सरकार ने इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की जरूरत नहीं समझी जिनसे कि लोगों की नागरिक स्वतन्त्रताओं और नागरिक अधिकारों का हनन होता हो। इस प्रकार के विधान को अधिनियमित किए जाने का प्रमुख कारण यह है कि हमारी कार्यपालिका अथवा सरकार के लोगों की साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण शक्तियों को हासिल करने की आदत सी हो गई है। अन्यथा, इस प्रकार के कानून की कोई जरूरत ही नहीं है।

जब से यह सरकार सत्ता में आई है निवारक नजरबन्दी कानून का एक अनिवार्य अंग हो गई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि केवल एक साल—शायद 1970-71 में, केन्द्र सरकार द्वारा निवारक नजरबन्दी का प्रयोग नहीं किया गया और सभी इसे जानते हैं कि ऐसा किसलिए था। उस समय, 1971 में, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम विद्यमान था।

यह सर्वविदित है और आप भी शायद भूले नहीं होंगे कि आपात स्थिति में किस-किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भूतकाल को भूल जाता हूं। मैं तो, आगे क्या होगा, यही देखता हूं। हां, पहले जो कुछ हुआ है उससे सबक जरूर ले लेता हूं।

श्री चित्त बसु : भविष्य यही है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का ही एक रूप है। आप हमेशा भविष्य में रुचि रखते हैं तो देख लीजिए भविष्य में यह होने जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम तो अब समाप्त हो गया है लेकिन उसका स्थान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने ले लिया है। यह अधिनियम और यह अध्यादेश भी अलग-अलग है। यह अध्यादेश और भी अधिक कठोर है। निर्दोष लोगों को गलत ढंग से मामलों में फंसाए जाने पर और उन्हें दोषी बनाने पर मूल आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में जो थोड़ी बहुत राहत प्रदान का तरीका सुनिश्चित किया गया था। इस अध्यादेश के द्वारा उसे भी समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है तथा जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों विशेषतया जार्ज फर्नान्डीस द्वारा स्पष्ट किया गया है, आप एक अभियुक्त के नागरिक अधिकारों को

उससे छीन रहे हैं जबकि यह पता चल गया हो कि उस पर लगाए गए आरोप अवैध, झूठे, अस्पष्ट, असंगत और बेतुके हैं और अभियुक्त से उनका दूर का भी सम्पर्क नहीं है। इस प्रकार, अभियुक्त को राहत देने के इस तरीके से वंचित करके आप स्पष्टतः अफसरशाही अथवा कार्यपालिका के हाथ मजबूत बना रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और हममें से अनेक सदस्यों का अनुभव भी है, कि तुच्छ आधारों पर, अस्पष्ट आधारों पर, अविद्यमान आधारों पर, हमें महीनों तक नजरबन्द किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : फिर से तैयार हो जाइये।

श्री चित्त बसु : मुझे अपना पता है और मैं श्री बंकी मुखर्जी के नाम का भी उल्लेख कर सकता हूं जो कि पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों के एक महत्वपूर्ण नेता थे ; उनकी मृत्यु हो गई थी, वह जीवित नहीं थे, किन्तु पुलिस ने उन्हें निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया। ऐसा किया जाता था और मैं समझता हूं कि ऐसा अभी भी हो रहा है। उनके पास उन व्यक्तियों की सूची थी जिन्हें राजनीतिक आधारों पर गिरफ्तार किया जाना था। चाहे मुर्दा या जीवित, चाहे जीवित हों या न हों, निवारक नजरबन्दी आदेश जारी कर दिये जाते हैं। यह हमारा अनुभव है और मुझे पूरा विश्वास है जैसाकि प्रो० मधु दण्डवते कह रहे थे कि ऐसी सम्भावना के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। उदाहरण मौजूद है। यहां एक आदमी है—मुझे कहना चाहिए वह इस सभा का एक माननीय सदस्य है—जिसे इस तथाकथित देशभक्तिपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि यदि संविधि पुस्तिका में यह अधिनियम नहीं होगा तो यह सरकार नहीं चल सकती। कुछ भी सही, यह एक अप्रजातांत्रिक, अनुचित, अनावश्यक और बुरा कानून है। यह संशोधन अत्यल्प नागरिक स्वतन्त्रताओं को समाप्त कर देता है जो कि अभी तक बची हुई हैं। यह कार्यपालिका को किसी भी व्यक्ति को, जिसे वह चाहे, गिरफ्तार करने का और भी मनमाना अधिकार, मनमाना प्राधिकार प्रदान करता है।

कुछ प्रश्न श्री महंती द्वारा उठाए गए हैं। मुझे सब कुछ मालूम है। जनता पार्टी भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन द्वारा निवारक नजरबन्दी कानून के इस हानिकर उपबन्ध को लाना चाहती थी। हम सबने इसका विरोध किया। जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने भी इसका विरोध किया। यदि जनता पार्टी ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो जनता पार्टी के उस उदाहरण को आप क्यों नहीं स्वीकार करते। जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में थी, जनता पार्टी में ऐसे अनेक साहसी सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा था। अतः जनता सरकार ने अच्छा कार्य किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से मत निकालिए।

श्री चित्त बसु : मैं संविधान (पैंतालीसवें संशोधन) अधिनियम का उल्लेख कर रहा हूं जो कि अनुच्छेद 22 से सम्बन्धित है। यह इस प्रकार है :—

> "निवारक नजरबन्दी के लिए कोई भी कानून किसी व्यक्ति की दो महीने से अधिक समय की नजरबन्दी के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगा।"

—वर्तमान उपबन्ध में तीन महीने की व्यवस्था है—

"जब तक कि उपयुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व यह सूचित न करे कि ऐसी नजरबन्दी के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं : परन्तु यह कि सलाहकार बोर्ड में एक चेयरमैन होगा तथा अन्य दो सदस्यों से कम नहीं होंगे, और चेयरमैन उपयुक्त उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे।"

उक्त संशोधन के अधीन भी, कुछ व्यावहारिक सुधार किए गए थे। सलाहकार बोर्ड के सदस्य न्यायाधीश होने चाहिएं।

अब एक प्रश्न यह उठाया गया है कि इसको लागू क्यों नहीं किया गया है। यह इसलिए क्योंकि इसके लिए कुछ परिसीमाएं थीं। खण्ड में बताया गया है कि :—

"यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जाएं।"

जनता पार्टी को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है और यह पूछा जा रहा है कि अधिसूचना द्वारा इसे तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया ? हम भली-भांति पूछ सकते हैं : आपकी क्या स्थिति है ? विधि मन्त्री कहते हैं "हम उतने ही सतर्क हैं जितने कि नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आप में से अनेक सतर्क हैं।" फिर, उन्हें संविधान के पैंतालीसवें संशोधन को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री ए० के० राय के मामले में यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था। यह इस प्रकार है :—

"यह असंगत बात है कि 2-1/2 वर्षों के बाद भी अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। संसद को चाहिए कि इसे ध्यान में रखें।"

अब यह बात संसद के ध्यान में लाई गई है ; हम सबके ध्यान में यह बात आई है। यदि आपकी थोड़ी सी भी निष्ठा है तथा यदि आप वास्तव में कुछ पूर्वोपाय करना चाहते हैं, तो आपको अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी क्यों नहीं करनी चाहिए ? (व्यवधान)

अतः, मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि यह विधेयक आवश्यक नहीं है और हमारे देश में ऐसे सभी अपराधों से, जिनका उल्लेख किया जा रहा है, साधारण कानूनों से निपटा जा सकता है। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। यह बात आपको स्पष्ट कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हम भी अत्यधिक सचेष्ट हैं। किन्तु उसके लिए प्रशासनिक उपाय आवश्यक हैं राजनीतिक उपाय आवश्यक हैं तथा इस प्रकार के एक अवैध और गैर-कानूनी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की गारण्टी नहीं दी जा सकती अथवा उसे सबल नहीं बनाया जा सकता।

उसके लिए मुझे उन राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यवाहियों की शृंखला का उल्लेख करना होगा जो कि आवश्यक हैं और उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। दूसरी ओर, यदि आप मुझे यह कहने की अनुमति दें, कि ये आपकी प्रशासनिक नीतियां तथा राजनीतिक नीतियां ही हैं जो कि विभाजक और अलगाववादी ताकतों को मजबूत कर रही हैं, जो राष्ट्र के हित और राष्ट्र की एकता के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शासक दल के सदस्य थोड़ा समय लेंगे क्योंकि मन्त्री जी को उत्तर देना है। मन्त्री जी समस्त मुद्दों पर विचार प्रकट करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : किन्तु मन्त्री जी का समर्थन करने के लिए भी कुछ सदस्य होने चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल सिक्योरिटी अमेंडमेंड बिल, 1984 का मैं समर्थन करता हूं। यह बिल जिस भावना से लाया गया है, उसके पीछे सरकार की यह भावना है कि देश में जो एक्सट्रीमिस्ट्स और टेरोरीस्ट्स है या जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, इस कानून से पाबन्दी लगाकर उनको ठीक तरह से व्यवस्थित किया जाए। आपको इस बात की पूरी जानकारी है कि इस देश में तीन ऐसे प्रांत हैं, जिनमें खासकर विरोधी दल के लोगों ने गड़बड़ कराने, अव्यवस्था फैलाने, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और सब प्रकार की प्रवृत्तियों में अपने आपको सम्मिलित किया है। हमारे देश में चाहे वह आसाम, पंजाब या काश्मीर का मामला हो, जिस प्रकार से विरोधी दलों ने इसको प्रोत्साहन दिया है, निश्चित तरीके से वह हिन्दुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि हिन्दुस्तान का विरोधी दल किस प्रकार का दल है जिसने देश को खण्डित करने के लिए प्रयत्न किया है। अकाली दल को ही ले लीजिए। इनको किसने समर्थन दिया ?...(**व्यवधान**) भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रोत्साहन दिया। इनकी मदद से ही उन्होंने वहां पर सरकार बनाई और उसके बाद जनता पार्टी तथा दूसरे लोगों ने वहां जा-जाकर अकालियों को प्रोत्साहित किया ? वहां पर जो आतंकवादी थे, उनसे किस प्रकार से ये मिले और किस तरीके से प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि इन सारी चीजों का पोलिटिकल फायदा उठाकर अपना वर्चस्व कायम किया जाए। वैसे हिन्दुस्तान की जनता ने इनको ठुकरा दिया क्योंकि जनता को पता लग गया है कि ये ऐसे आदमी हैं, जो व्यवस्था को नहीं सम्भाल सकते। इनके जमाने में देश की जो हालत बिगड़ी थी, उसकी वजह से जनता के दिमाग में असन्तोष पैदा हो गया है। जो लोग देश को खण्डित करना चाहते हैं, टेरोरीस्ट एक्टीविटिज को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को डराना-धमकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह आजादी बड़ी मुश्किल से प्राप्त की है। इस प्रकार के लोग जो पोलिटिकल फायदा उठाकर अपने दृष्टिकोण से सारी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आज अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे जार्ज साहब ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण यहां पर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय सारे देश में एमर्जेंसी लगी हुई थी।**

ये अण्डरग्राउण्ड चले गए।**

ये लोग इस तरह के आतंकवाद को पूरे देश में प्रोत्साहन देते रहे हैं।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक माननीय सदस्य को जो मर्जी आए नहीं कह सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह बिल्कुल सही है कि ये अण्डरग्राउण्ड चले गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा के एक माननीय सदस्य हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा मतलब है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने की हमेशा कोशिश की। ये पाकिस्तान होकर भी आये और वहां के तत्कालीन प्रैजीडैण्ट से भी इन्होंने मुलाकात की, पाकिस्तानी लोगों से भी मिले। इस तरीके से इन्होंने देश को अव्यवस्था के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, आतंकवाद को बढ़ाया। जो लोग इस देश में गड़बड़ फैलाकर इस देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, उनके साथ मिलना इन्होंने अपना धर्म बना लिया। ये इस तरीके के लोग हैं।

अब मैं इस वैस्ट बंगाल के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। जब यहां प्रिवैन्टिव एक्ट लागू हुआ तो बंगाल स्थित कस्टम के अधिकारियों ने स्मगलिंग के खिलाफ प्रिवैन्टिव एक्ट के तहत छापा मारने के लिए बंगाल पुलिस की मदद चाही, जो वहां पर स्मगलिंग का धंधा कर रहे थे। जब वैस्ट बंगाल पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट और दूसरे सिपाही वगैरह उनकी मदद के लिए आये तो चूंकि इन्होंने पुलिस फोर्स में भी फिफ्थ कालम्निस्टस को भर्ती कर रखा था, सब जगह उनको तैनात कर रखा था, उन लोगों ने मदद करने की बजाय पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को अटैक करके जान से मार डाला तथा पुलिस के दूसरे अफसरों को मार डाला। इस प्रकार की आतंकवाद को सी०पी०एम० के लोगों ने वैस्ट बंगाल में फैलाने की कोशिश की। उनको पकड़ने की बजाय उनको प्रोत्साहन दिया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय···

उपाध्यक्ष महोदय : व्यास जी, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? वह कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। क्या आप स्वीकार कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं स्वीकार नहीं करूंगा, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का आपका क्या प्रश्न है?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। वह विपक्षी दलों पर आक्रमण तथा यह सब कर सकते हैं। एक प्रजातन्त्र में तथा संसद में यह किया जा सकता है। किन्तु वह विपक्ष के एक प्रतिष्ठित सदस्य को कह रहे हैं**···तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अन्य**···

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या हम एक फासिस्ट राज्य में रह रहे हैं ? क्या यहां कोई फासिस्ट नेता हैं ? केवल एक फासिस्ट राज्य में, एक फासिस्ट पार्टी ही विपक्ष पर इस तरह से प्रहार करती है। मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं तो, जब हम उत्तर देते हैं, हमें इन समस्त शब्दों का प्रयोग करना होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। शासक दल का यह स्वभाव है। वे इन समस्त शब्दों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं।**...महोदय, आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। उन्हें यह समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा फिफ्थ कालम्निस्टस ने यहां पर मतलब उन लोगों से है, जिन्होंने सी० पी० एम० के कैडरलैस लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया और जिन्होंने वहां इस तरह से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस तरीके से इन्होंने सारे देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी कानून बनाए, चाहे यह स्मगलर्स के खिलाफ बनाए गए हों, चाहे टैररिस्टल के खिलाफ बनाए गए हों, चाहे सक्सैशनिस्टस के खिलाफ बनाए गये हों, वैस्ट बंगाल के लोगों ने उस कानून को लागू करने की कभी कोशिश नहीं की। इनके दिल में इस तरह की भावना है कि ये हर स्थान पर हमारा विरोध करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान की एकता कायम रहे, हिन्दुस्तान में यूनिटी बनी रहे, हिन्दुस्तान अखण्ड रहे, हिन्दुस्तान ताकतवर बने, दुश्मन का मुकाबला कर सके। इसी तरह की अव्यवस्था इन्होंने हमेशा फैलाने की कोशिश की। ये सारे लोग इसी तरह की गड़बड़ी फैलाने में आज भी लगे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप उन राज्यों में भी देख लीजिए, जहां इन विरोधी दलों की सरकारें सत्ता में हैं, जैसे आन्ध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है या वैस्ट बंगाल है, कहीं पर भी इन्होंने हिन्दुस्तान की एकता के लिए, हिन्दुस्तान की यूनिटी को बनाए रखने के लिए, हिन्दुस्तान की अखण्डता के लिए अपना समर्थन व्यक्त नहीं किया। इसी कारण देश की आम जनता इनसे सख्त नाराज है। आगे चुनाव आने वाले हैं और चुनाव जरूर होंगे और शायद इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं। मगर हिन्दुस्तान की जनता समझ गई है, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सी० पी० एम० चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, हमारी जनता ने इन लोगों को अच्छी तरह से पहचान लिया है, हिन्दुस्तान की जनता यह समझती है कि ये लोग कोई गुड डिलीवर करने वाले नहीं हैं। और देश की यूनिटी को कायम रखने में इनका विश्वास नहीं है। यह देश की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है और आने वाले चुनाव में इनको जनता उखाड़ फेंकेगी। जहां यह आज सरकार बना कर बैठे हैं वहां भी सरकार आगे नहीं बना पायेंगे। इसीलिए यह लोग इस तरह की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। 4 जगह विरोधी दलों की सरकारें हैं क्या वहां एन० एस० ए० के अधीन इन्होंने कार्यवाही की ? हाईकोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और एडवाइजरी बोर्ड्स ने जब टेक्नीकल ग्राउण्ड्स पर लोगों को छोड़ दिया तब हमारी सरकार ने कार्यवाही नहीं की, लेकिन जो आदमी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ अगर सख्त कार्यवाही नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं चल सकेगी।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने सन्त लोंगोवाल और अकाली दल के दूसरे नेताओं की पैरवी की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने देश को खण्डित करने में अपना योगदान नहीं किया ? क्या स्वर्ण मन्दिर में हथियार जमा करने की कोशिश नहीं की ? क्या विदेशों में रहने वाले लोगों के सहयोग से देश को टुकड़े करने का काम नहीं किया ? ऐसे लोगों को अगर इस कानून में गिरफ्तार न किया जाए, तो किनको गिरफ्तार किया जाय ? क्या हमें गिरफ्तार करें ? जो लोग इस देश की अखण्डता में विश्वास नहीं करते, इसको खण्डित करना चाहते हैं ऐसे लोगों का यह भी समर्थन करें और पार्लियामेंट में आकर ऐसी बातें कहें तो मानना पड़ेगा कि इनके दिल दिमाग में और प्रकार की भावनायें हैं। यह देश को ताकतवर नहीं बनाना चाहते जिससे यहां का गरीब आदमी ऊपर उठ सके। बात बहुत लम्बी-चौड़ी करते हैं कि आर्थिक हालत खराब है। लेकिन आपने उसको सुधारने की दिशा में क्या मदद की ? क्या आपने कभी कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिया है जिससे देश की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और सरकार ने जो आर्थिक कार्यक्रम चला रखे हैं जिससे देश की गरीबी दूर हो उसके बारे में किसी कार्यक्रम में कभी सहयोग दिया है ? नहीं दिया। इनका कार्यक्रम डेस्ट्रक्टिव है। ऐसे लोग देश को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यह कानून जरूरी है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश को खण्डित करना चाहते है उनको 1 साल तो क्या सारे जन्म भर भी जेल रखा जाय तो भी कम है। ऐसी व्यवस्था इस कानून में होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर : यदि श्री गिरधारी लाल व्यास गृह मन्त्री बन जाते हैं, तब क्या स्थिति होगी ? आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। यह एक भयानक स्थिति होगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तब वह वही कहेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि वह सत्ता में आ जाते है, तो यह बहुत ही खतरनाक होगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) : बिना मुकदमा के नजरबन्दी का प्रश्न उन सभी के लिए, जो आजादी तथा स्वतन्त्रता से प्यार करते हैं, अत्यधिक अरुचिकर, एवं अत्यन्त घृणास्पद प्रश्न है। इस प्रकार के कानून विधि के शासन की उस पवित्रता को दूषित करते हैं जोकि जीवन के उच्चतर मूल्यों में उत्कृष्ट स्थान रखती है। अत: वे सभी जो विधि के शासन में विश्वास करते हैं, बिना मुकदमा चलाए नजरबन्दी के किसी भी आभास से अपना समझौता करने में अत्यन्त कठिनाई महसूस करते हैं। श्रीमान, अध्यक्ष महोदय, निस्संदेह तसवीर का दूसरा पहलू भी है। निस्संदेह उसका दूसरा दृष्टिकोण भी होता है। यद्यपि हम आजादी स्वतन्त्रता आदि के आदर्शों को समझें, तो हम राज्य की सुरक्षा की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकते। इस तर्क में काफी वजन है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का इतना अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता कि जिससे राज्य की सुरक्षा ही संकट में पड़ जाए। अब महोदय, हमारे ये दो परस्पर विरोधी तथा प्रतियोगी दृष्टिकोण हैं और हमें इस विरोध का समाधान करना है। हमें इन दो विरोधी दृष्टिकोणों के बीच सन्तुलन स्थापित करना है। हमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

तथा राज्य की सुरक्षा की आवश्यकता की धारणा के बीच सन्तुलन उत्पन्न करना है। सौभाग्य से, यह वह कार्य है जो हमारा संविधान करने का प्रयत्न करता है और इसके विभिन्न अनुच्छेदों 21, 22 आदि में अनेक व्यावहारिक पूर्वोपाय सम्मिलित किए गये हैं। निस्संदेह, भारत का संविधान विश्व में केवल एकमात्र संविधान है जिसमें निवारक नजरबन्दी का प्रावधान है। विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां निवारक नजरबन्दी शान्ति कालीन विधान का मामला है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निवारक नजरबन्दी के बारे में अनेक देशों के ये कानून थे तथा युद्ध की समाप्ति तक, हमें नजरबन्दी शिविरों का भय, यातना का भय, हत्याओं आदि का भय था। अब हमारा संविधान स्पष्ट पूर्वोपाय निर्धारित करता है ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि शक्तियों का दुरुपयोग न हो तथा शक्तियों का प्रयोग नेकनीयती से किया जाय।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि कानून द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति का जीवन और अधिकार नहीं छीने जा सकते। अब यहां इस प्रक्रिया का अर्थ किसी प्रक्रिया से नहीं है। यह प्रक्रिया तर्कसंगत होनी चाहिए। यह न्यायोचित और सही होनी चाहिए। यह स्वैच्छिक, अव्यवस्थित अवास्तविक नहीं होनी चाहिए। यह कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं वरन कानून द्वारा संस्थापित होनी चाहिए। "संस्थापित" का अर्थ है जिसकी कोई प्रासंगिकता हो।

संविधान द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य हैं, इन्हें अनिवार्य मानदण्डों की अवहेलना करते हुए किसी भी निर्धारित प्रक्रिया द्वारा छीना नहीं जा सकता। मेरा अनुरोध है कि कानून के नाम पर कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। महोदय कानून तभी तक कानून होता है यदि वह संस्थापित मानदण्डों के अनुरूप है तथा जीवन और स्वतन्त्रता को खिलौना मात्र नहीं समझता। यह संशोधन विधेयक यही करने की कोशिश कर रहा है। यहां यह संशोधन विधेयक संविधान में दी गई स्वतन्त्रता की धारणा को ही समाप्त कर रहा है।

अब इस संशोधन विधेयक के कुछ उपबन्धों की ओर देखें। एक खण्ड 3 है जिसके अनुसार नए कारणों के न होने पर भी तथा नजरबन्दी के पहले आदेश यदि रद्द कर दिए गए हों तब भी नजरबन्दी के दूसरे आदेश जारी किए जा सकते हैं। कानून द्वारा संस्थापित प्रक्रिया का वह मजाक है। नजरबन्दी के दूसरे आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए रिहाई आदेशों को तिरस्त करते हैं। यह नजरबन्दी के पिछले आदेशों को जारी रखने के अलावा यह कुछ भी नहीं हैं।

इस संशोधन विधेयक में एक और उपबन्ध है। खण्ड 2 में यह व्यवस्था है कि नजरबन्दी के एक या दो कारणों के सम्बन्धित व्यक्ति से सम्बद्ध न होने पर, असंगत होने पर भी, आदि ये आदेश अवैध नहीं होंगे। यहां यह बताया गया है कि जब व्यक्ति की नजरबन्दी के लिए कई आधार दिए गए हों तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किस आधार पर अधिकारियों ने यह आदेश निकाले हैं। यहां मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि किस आधार पर अधिकारियों ने नजरबन्दी आदेश दिए हैं।

महोदय, एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। साफ पानी का एक गिलास माननीय गृहमन्त्री पीना चाहते हैं जिसमें एक बूंद गन्दगी है तो वह पूरा गिलास पानी फेंक देंगे उसे

पिएंगे नहीं। वह साफ पानी में से गन्दगी की बूंद अलग करने की कोशिश तो नहीं करेंगे साफ पानी के पूरे गिलास में एक बूंद गन्दगी पूरे गिलास को खराब कर देती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि नजरबन्दी आदेश में एक भी कारण असंगत है तथा उससे सम्बन्धित नहीं है तो आदेश अवैध है।

नजरबन्दी की शक्तियों के दुरुपयोग के बहुत से मामले सामने आए हैं। इसलिए जितनी शक्ति अधिक होगी उतनी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं यहां एक ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जिस पर इस सभा में तथा बाहर भी काफी गरमागरमी हुई है वह श्रीहाजी मस्तान, करीम लाला व अन्य व्यक्तियों की नजरबन्दी और विशेषकर उनके छोड़े जाने से सम्बन्धित है। मैं यह भी कहूंगा कि मैं उनकी सीमा शुल्क कानूनों का या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने तथा कथित गतिविधियों की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार के पास ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कानून है। इन व्यक्तियों—श्री हाजी मस्तान, अब्दुल करीम खान, जो करीम लाला के नाम से जाने जाते हैं, श्री रशीद अरबा व अन्य के—खिलाफ जारी किए गए नजरबन्दी आदेशों में बम्बई व अन्य जगहों में मई में हुए।

6.00 म० प०

दंगों में शामिल होने का उल्लेख था मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नजरबन्दी आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग माने जाएंगे क्योंकि नजरबन्दी का आधार दंगों में शामिल होना था। इस सभा में तथा बाहर इस बारे में काफी गहमागहमी रही है। यह बहस उनके रिहा किए जाने पर हुई पर नजरबन्दी के जो कारण मनगढ़न्त और निराधार थे उन पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन आधारों को चुनौती देने के स्थान पर उनकी रिहाई पर बहस हुई है। दुर्भाग्यवश शिव सेना के कार्यकर्ताओं को अचानक रिहा किए जाने पर किसी ने कुछ नहीं कहा शिव सेना के किसी व्यक्ति के पास वहां की मुस्लिम जनता पर हमला करने का खुला लाइसेंस था। परन्तु इन व्यक्तियों की रिहाई पर काफी शोर मचा। मैं उनकी गतिविधियों का जिक्र नहीं कर रहा वरन् साम्प्रदायिक दंगों में उनकी नजरबन्दी के कारणों की बात कर रहा हूं।

यहां मैं दिनांक 30 जुलाई 1984 के बम्बई के दैनिक समाचार पत्र की पंक्तियां उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं। श्री करीम लाला और हाजी मस्तान व ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के बारे में यह कहा गया था कि :—

> "शहर में मई में हुए साम्प्रदायिक दंगों में उनके शामिल होने के पर्याप्त प्रमाणों, दस्तावेजी या अन्य के न मिल पाने के कारण उनको रिहा किया गया।"

यह सब सरकार या उन अधिकारियों के खिलाफ किया जाना चाहिए जो इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रमाण न होने की अवस्था में भी आदेश जारी कर देते हैं। इसी समाचार पत्र में यह भी कहा गया था तथा मैं उद्धृत करता हूं :—

> "जांच से पता चला है कि नजरबन्दी के बाद लाला ने प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि वह दंगों के दौरान चार महीने से पाकिस्तान में थे, देश में नहीं थे। वह देश में मौजूद नहीं था।"

प्रो० मधु दण्डवते : इससे पता चलता है इसमें विदेशी हाथ था।

श्री जी० एम० बनातवाला : वह व्यक्ति देश में भी नहीं था। कुछ व्यक्ति विदेशी हाथ होने की धारणा से त्रस्त रहते हैं मैं उनमें से नहीं हूं।

करीम लाला और रशीद अश्वा दंगों के समय कई महीनों से देश में नहीं थे फिर भी उन्हें नजरबन्द किया गया, यह शक्तियों का कितना बड़ा दुरुपयोग है। इसलिए नजरबन्दी की प्रक्रिया के लिए भी उपयुक्त सुरक्षोपाय होने की आवश्यकता है। 1 अगस्त, 1984 के उसी दैनिक समाचारपत्र के पृष्ठ 3 का उद्धरण में दे रहा हूं :—

हमें बताया गया कि :

> "सच तो यह है कि सभी नजरबन्दियों को आम आधारों पर नजरबन्द किया गया था जो कि मामूली, झूठे और मनगढ़न्त थे।"

एक पूरा लेख है जिसमें नजरबन्दी के आधारों की छानबीन की गई है जिससे यह पता चल सके कि वह पूर्णतया मनगढ़न्त थे···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि न्यायोचित कार्य किया जाए। गृहमन्त्री को भी यह निर्णय करना चाहिए कि वह इस आपत्ति जनक विधान को वापिस लें।

मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जिनके बारे में काफी बहस हुई है···

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें तभी कह सकते हैं कि न्यायोचित कार्य हुआ है या नहीं।

श्री जी० एम० बनातवाला : एक कारण में यह बताया गया है कि शस्त्र और गोलाबारूद दिए गए थे। एक व्यक्ति श्री काजी का जिक्र किया गया था फिर भी पुलिस यह नहीं बता सकी कि क्या उनके पास से या श्री काजी के घर से कोई हथियार मिला है। इसी समाचार पत्र में यह कहा गया है तथा यह सच भी है कि पुलिस ने उस संगठन के कार्यालय पर भी छापा मारा जिसके अध्यक्ष हाजी मस्तान हैं जिससे कि उन तथाकथित शस्त्रों को बरामद किया जा सके जिसे वह लोगों को सप्लाई कर रहे थे। हमें बताया गया कि :—

> "पुलिस ने एसिड की बोतलें बरामद की जिसमें से एक शौचालय की सफाई के लिए थी।"

उनकी रिहाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है केवल नजरबन्दी और नजरबन्द की शक्तियों का दुरुपयोग करने के बारे में सवाल उठाया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि नजरबन्दी के इस आदेश के बारे में एक निश्चित स्थान और तारीख को एक बैठक हुई थी जिससे करीम लाला, रशीद

अरबा आदि ने भाग लिया था जबकि पासपोर्ट आदि की प्रविष्टियों से यह पता चलता है कि उस समय वह भारत में उपस्थित नहीं थे। यह सब मनगढ़न्त बातें हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने 'माल्टोवा कॉकटैल्स' का निर्माण करके इन्हें जमा किया था परन्तु यह चीजें कहीं भी नहीं मिली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप बात समझ तो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बताया ही कहां है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हो सकता है प्रशासन द्वारा ज्यादतियां की गई हों।

श्री जी० एम० बनातवाला : यहां इस मामले पर सभा में तथा बाहर हुए वादविवाद के खिलाफ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा तथा इस मामले को कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए। यहां यह बताया गया था कि सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य ने उनकी रिहाई का प्रयत्न किया था। किस आधार पर रिहाई का प्रयत्न किया गया था उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। परन्तु यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए तथा कार्यवाही वृतान्त में भी शमिल की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के पास मैं विभिन्न विचारधारा के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल से कहा गया था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों के दुरुपयोग की ओर मैंने उसका ध्यान दिलाया था तथा उसके अलावा जैसा आपने कहा कि प्रशासन द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग व अन्य कई बातें हमने उनके सामने रखीं, हमने उनसे उनकी रिहाई के बारे में भी कहा था ताकि उनके साथ न्याय हो सके। दंगों में उनके शामिल होने के आरोप के बारे में हमने उनसे कहा था, यह एक अलग विषय है तथा सरकार के पास इस बारे में कई विकल्प मौजूद हैं। इसलिए मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इन व्यक्तियों की रिहाई पर इतनी चर्चा हुई परन्तु शिवसेना के नेताओं, इस प्रकार की गतिविधियों में खुल्लम खुल्ला भाग लेते हैं, के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा गया···

प्रो० मधु दण्डवते : उनकी रिहाई के आधारों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि वह चेयरमैन के चुनाव की वोटिंग के समय अनुपस्थित थे।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बात सभी को मालूम है कि कांग्रेस (आई) और शिव सेना विधान परिषद के चेयरमैन के चुनाव के समय अनुपस्थित रहने का समझौता किया था ताकि उनका व्यक्ति चेयरमैन चुना जाए यदि ऐसा कोई समझौता हुआ था—मुझे यकीन है ऐसा अवश्य हुआ होगा—तो उसकी निन्दा की जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय आपकी बेचैनी का कारण हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे सामने एक बहुत अप्रिय कानून है तथा आप नहीं चाहते···

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं आपको दो घंटे का समय दिया गया था परन्तु आपने चार

घंटे का समय ले लिया है। आप अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं बेचैन हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपकी बेचैनी का ख्याल रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक से सभ्य मानव जाति द्वारा बताया गया प्रारम्भिक दाण्डिक प्रक्रिया का सिद्धान्त भी समाप्त हो जाएगा। इस संशोधन विधेयक से नजरबन्दी की शक्तियों का इतना दुरुपयोग किया जा सकता है कि निवारक नजरबन्दी का प्रयोग निवारक परिसमापन के रूप में आसानी से किया जा सकता है।

धन्यवाद

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सैकण्ड अमेण्डमैन्ट बिल प्रस्तुत किया गया है मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस बिल में दो अमेण्डमेन्टस प्रस्तुत किये गए हैं—इसके पहले संशोधन से तो मैं सहमत हूं लेकिन जो दूसरा संशोधन है उससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं। पहला संशोधन जो 5 (ए) है उसमें जो ग्राण्ड्स दिए जाते हैं उनमें अगर एक भी ग्राउण्ड रेलेवैंट है तो डिटेन्शन आर्डर को रिजैक्ट नहीं किया जाना चाहिए—इस राय से मैं बिलकुल सहमति प्रकट करता हूं। जहां तक दूसरे अमेण्डमेन्ट का ताल्लुक है—अगर कोई भी डिटेन्शन आर्डर रिवोक हो जाता है तो उसके बाद भी उसको फिर से डिटेन करना—मैं इस सिद्धान्त के खिलाफ हूं और मेरी दृष्टि में यह मौरेलिटी के खिलाफ है। यह कानून की इन्टेनशन के भी खिलाफ है क्योंकि जब आपने किसी को छोड़ दिया और उसके बाद फिर कोई रीजन न देकर फिर से डिटेन कर दिया तो डिटेन्शन का यह जो तरीका है यह कानून की मंशा के खिलाफ है। इस सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है, उससे मैं कतई सहमति प्रकट नहीं करता हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि अपोजीशन साइड बार-बार इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून की मंशा के विरुद्ध विचार प्रकट कर रही है। 1977 में जनता पार्टी का राज्य आया और आर्टीकिल 22(7) आफ वि कांस्टीट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है और उस वक्त जनता पार्टी ने उसको हटाने के लिए कोई एमेंडमेंट नहीं किया। अगर वे समझते कि इस प्रकार के कानून नहीं बनने चाहिए तो जितने भी कानून नेशनल सैक्यूरिटी एक्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन या दूसरे इस प्रकार के कानून बने हुए थे, उनको एमेंड करती। कोफीपोसा का कानून 1974 में बना था लेकिन उसको नहीं बदला। 1977 में जनता पार्टी का राज्य आया था और उसी समय मध्य प्रदेश की सरकार ने मिनी मीसा का कानून बनाया और उस समय जनता पार्टी की सरकार को कम्युनिस्ट भी सपोर्ट करते थे। उन्होंने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून को बदलने के लिए नहीं कहा। मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय उन्होंने भी यह आवश्यक समझा कि प्रकार की जो शक्तियां हैं, जो टैरोरिस्ट शक्तियां हैं, जो सेसैनिस्ट शक्तियां हैं, राष्ट्र-विरोधी शक्तियां हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह के कानून बनाना आवश्यक है। इसलिए बार-बार इस बात का विरोध करना अपोजीशन पार्टीज द्वारा कतई उचित प्रतीत नहीं होता।

आज इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में है और पंजाब की जो स्थिति है, उसमें अगर हम एक्शन न लेते, तो क्या हालत होती हमने वहां बड़े-बड़े लीडर्स को एरैस्ट किया है और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अन्तर्गत एरैस्ट किया है। उन लीडर्स के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उन्होंने यह कहा है कि जनता पार्टी के समय, कम्युनिस्ट पार्टी ने निवारक नजरबन्दी अधिनियम का समर्थन किया था जो सही नहीं है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने जनता शासन के समय भी निवारक नजरबन्दी अधिनियम का समर्थन नहीं किया था। आप पिछला कार्यवाही वृत्तान्त देख लें तो आप सन्तुष्ट हो जाएंगे। बिना जाने टिप्पणी मत करिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आपने जनता पार्टी को, मोरारजी देसाई जी की सरकार को समर्थन दिया था और पूरी तरह से उनको समर्थन दिया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : केरल में भी मुस्लिम लीग है परन्तु इसका यह तात्पर्य तो नहीं है कि वह भी श्री बनातवाला के वक्तव्य का समर्थन करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : नेशनल से क्यूरिटी एक्ट का प्रयोग करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है :

श्री गुरुचरण सिंह टोहरा, श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल, श्री प्रकाशसिंह बादल, एम० एल० ए०, श्री सुरजीत सिंह बरनाला भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री, श्री हरबिन्दर सिंह संधु और श्रीमती अमरजीत कौर।

प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अन्तर्गत अगर एरैस्ट न करते.....

श्री राजेश कुमार सिंह : भिंडरावाला को आपने एरैस्ट नहीं किया ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : भिंडरावाला तो समाप्त हो गये हैं।...(**व्यवधान**)...आप भी चाहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो और इसका मतलब यह हुआ कि आप इस कानून को सपोर्ट करते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि आप भी इसका समर्थन करें।

हम यह चाहते और बिल्कुल यह चाहते हैं कि इस कानून का राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने इसको स्पष्ट किया है कि हम इस कानून का उपयोग राजनीतिक तौर पर नहीं कर रहे हैं और भी नहीं करेंगे। हम इस कानून का उपयोग टेरोरिस्ट्स के खिलाफ कर रहे हैं, उग्रवादियों के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसी शक्तियों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान का विभाजन करने का प्रयास किया। आज पंजाब में जो स्थिति है वह देश को विभाजित करने का प्रयास रहा है। इसलिए वहां सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और इस कानून की भी आवश्यकता पड़ी।

पंजाब में जो टेरोरिस्ट्स हैं उनको सजा दिलाने के लिए इस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी। क्योंकि टेरोरिस्ट्स शक्तियों के खिलाफ शहादत प्राप्त करना मुश्किल होता है। उनके खिलाफ शहादत प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस कानून का इस्तेमाल वास्तव में देशद्रोहियों के खिलाफ किया जाएगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। उन शक्तियों को दबाने के लिए किया जाएगा जो साम्प्रदायिक दंगे कराती हैं। अपोजीशन वालों ने कहा कि हाजी मस्तान और करीम लाला को पहले डिटेन किया गया फिर छोड़ दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्हें रिलीज क्यों किया

गया ? आपने यह कानून में प्रोविजन कर रखा है कि बिना ग्राऊण्ड बताये फिर से किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं—हालांकि इस कानून को मैं ठीक नहीं समझता—तो फिर आपने उन स्मगलर्स को फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? आज हमें ऐसी शक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी है। हमारे सामने यह क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि ये स्मगलर्स राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो इससे हमारी ईमानदारी प्रकट होगी।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने सरकार की सुरक्षा के बारे में, उसका विशाल बहुमत होने के बावजूद, सन्देह उत्पन्न किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के इस संशोधन ने इस सरकार के मूलभूत विवेक के बारे में शंका उत्पन्न की है। मैं दहाड़ते हुए फर्नान्डीज की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सरकार के अनेक सौम्य सदस्य और सच्चे मित्र भी इस सत्तारूढ़ दल के भविष्य के बारे में चिन्तित होंगे।

महोदय, यह अधिनियम इस बात का द्योतक है कि यह सरकार गम्भीर रूप से बीमार है। यह सरकार की बीमारी का प्रतीक है। इसी बात से हमें चिन्ता है। वे भयभीत और असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं ? उन्हें समर्थन मिला है—इस देश से और बाहर से, दोनों ओर से—किन्तु समर्थन प्राप्त होने के बावजूद वे असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं? यह असुरक्षा ही प्राथमिक कारण है।

अब, अधिकांश राज्यों में उनका शासन है और कुछ राज्यों की सरकारें जो अड़चन बनकर आ सकती है। आपको चाहिए कि स्वयं को बिल्कुल सामान्य अनुभव करें। यदि कोई सरकार सामान्य कानून के माध्यम से देश पर शासन करने में विफल रहती है तो उसे सरकार की योग्यता नहीं कहा जा सकता। यदि यह सामान्य स्थिति से दिन प्रतिदिन दूर हटती जाती है, तो यह निश्चित रूप से गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस बात से हमें चिन्ता है। हम विधि विशेषज्ञ नहीं हैं। हम कानून के मामले में विशेषज्ञ नहीं हैं। हम तो कानून के शिकार हैं। इस संशोधन का मूल सिद्धांत क्या है ? इस सीधे-सादे प्रतीत होने वाले संशोधन से अनेक राजनीतिक और नीति विषयक प्रश्न उठेंगे तथा यह लिखित रूप में सामने आएगा। मैं यह पूछता हूं : इन दो संशोधनों का क्या आधार है जिनके अनुसार प्रत्येक आधार को अलग-अलग रूप में लिया जाना चाहिए तथा व्यक्ति की नजरबन्दी को, नजरबन्दी की अवधि की समाप्ति के पश्चात् बढ़ाया जा सकता हो, इसका क्या मतलब है ? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह एक आवश्यक बुराई है तथा हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है। किन्तु यह प्रावधान अपवाद स्वरूप मामलों में लागू होता है तथा इसके लिए उच्चतम न्यायालय अथवा कोई उच्च न्यायालय गुणावगुण के आधार पर पूरी गम्भीरता के साथ कार्यवाही नहीं कर सकता। संतुष्टि के बारे में वे क्या कह सकते हैं ? संतुष्टि से सरकार के गुणावगुण पर प्रकाश नहीं पड़ता। किन्तु इसके लिए अवसर और उपबंध हैं कि कार्यपालिका के प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग किस प्रकार करती है जो कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। आप न्यायपालिका और कार्यकारिणी का कार्यभार सौंप रहे हैं। आप इन दो को एक साथ मिला रहे हैं, दो अधिकारों का सम्मिश्रण कर रहे हैं तथा एक व्यक्ति को ही उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। अतः आशा की जाती है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, ठंडे रूप से विचार करेंगे और इसके बाद गरजेंगे। यह कैसे है कि आप, जो कुछ भी लागू हो सकता हो उस प्रकार के अनेक आधार बना रहे हैं ? क्या यह रोक के समय से आज तक के किसी विधिशास्त्र का आधार हो सकता है ? आप पहले एक वर्ष का विचार करते हैं और उसके पश्चात् यकायक कहने लगते हैं कि नजरबन्दी की अवधि एक वर्ष और होनी चाहिए जब कि व्यक्ति पहले ही हिरासत में है।

इस विषय में, मैं कुछ दृष्टांत दे सकता हूं मैं अभी इतिहास पढ़ रहा था, विशेष रूप से ब्रिटिश काल में निवारक नजरबन्दी अधिनियम पर। उस समय भी, निवारक नजरबंदी अधिनियम होते थे। किसी भी बुर्जुआ सरकार किसी भी पूंजीवादी सरकार का इतना कठोर अधिनियम नहीं होता था जैसा-कि वर्तमान अधिनियम है। भारत सरकार के अधिनियम में यह अनुच्छेद 42 में मिलता है। अब, आप इसे अनुच्छेद 123 में रख रहे है। आप प्रतिवर्ष 10 अध्यादेश तक ला रहे थे और अब प्रतिवर्ष लगभग 20 अध्यादेश ला रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। किन्तु यदि आप पहले के दो निवारक नजरबंदी अधिनियमों को विस्तार से देखें तो आपको पता लगेगा कि रोलट एक्ट के लागू होने से सम्पूर्ण भारत में प्रदर्शन हुए जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ। यह 1919 का अधिनियम सं० 11 था यह "क्रांतिकारी और अराजकतावादी अपराधों को रोकने वाला अधिनियम" कहलाता था। किंतु उस अधि-नियम में भी, उन्होंने एक उपबंध किया कि वह अधिनियम तीन वर्ष तक रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वे यह आशा करते थे कि तीन वर्ष के पश्चात स्थिति सामान्य हो जाएगी। अपसामान्यता एक चिरस्थाई स्थिति नहीं हो सकती। एक मूल आधार होता है जिस पर प्रत्येक सभ्य समाज आगे बढ़ता है। आपातकाल और असामान्य स्थिति एक चिरस्थायी स्थिति नहीं हो सकतीं। जन सुरक्षा अध्यादेश में, जिस पर प्रो० मधुदण्डवते ने भगत सिंह की—बम्ब फेंकने की घटना के बारे में उल्लेख किया, तत्कालीन अध्यक्ष ने उसे अव्यवस्थित ठहराया था। महोदय, उसमें यह उपबन्ध भी किया गया था कि यह पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार भी यह सोचती थी कि पांच वर्ष की अवधि के भीतर स्थिति अवश्य ही सुधर जाएगी किन्तु यहां आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लाए हैं और आपने अवधि का उल्लेख नहीं किया कि यह अधिनियम कब तक लागू रहेगा। आज आप जा रहे हैं, कम से कम हम आशा करते हैं कि आप हमें उस स्थित पर छोड़ें जब आपने सत्ता सम्भाली थी। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाने के बाद यह और सहज और उदार होना चाहिए अथवा यह वापिस ले लिया जाना चाहिए लेकिन इसके बजाय जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आप इसे अधिकधिक कठोर बनाते जा रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं? यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए औषधि लेते हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसका कुछ निश्चित समय होता है जब आपको औषधि छोड़ देनी चाहिए। कुछ अवधि के बाद आप को औषधि छोड़ देनी चाहिए। कुछ अवधि के बाद आपको बिना औषधि के रहना होगा। किन्तु यदि आप खुराकें बढ़ाने जा रहे हों तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आप कुछ प्राथमिक शक्ति खो चुके हैं और जिसके लिए अन्य स्थानों में समाधान ढूंढ़ना चाहिए। इस प्रकार के विधिशास्त्र का क्या आधार है? क्या कहीं कोई कानून अथवा पूर्वोदाहरण है? हां, इस प्रकार के तर्क के विरुद्ध एक पूर्वो-दाहरण है। यह कहां है? यह ईसप की नीतिकथाओं में है। वह पूर्वोदाहरण क्या है? क्या आपने भेड़िया मेमना की कहानी पढ़ी है? जब मेमना ने उत्तर दिया कि वह पानी दूषित नहीं कर रहा था क्योंकि मेमना नीचे की ओर गिरने वाली धारा में था, भेड़िए ने उस बारे में कहा कि उसके पिता अथवा दादा ने पानी दूषित किया होगा, और आखिरकार उसने मेमने से कहा कि वह उसे खा जाएगा। इस अधि-नियम में संशोधन और पुनर्संशोधन क्यों किया जाए। आप विधान की दो सीधी-सादी पंक्तियां प्रस्तुत करें कि सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी अवधि के लिए अनुच्छेद 22(क) के अन्तर्गत नजरबंद कर सकती है बशर्ते कि निरोधक अधिकारी उसमें सन्तुष्ट हो। मैं इसके पक्ष में मत दूं अथवा विपक्ष में, यह अलग मामला है। इतने अधिक खण्डों, उपखण्डों और परन्तुकों की क्या आवश्यकता है? व्यर्थ में सभा का समय क्यों बरबाद किया जाए? केवल दो लाइनों का सीधा-सादा कानून हो कि सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी अवधि के लिए नजरबंद कर सकती है बशर्ते कि निरोधक

अधिकारी इससे सन्तुष्ट हो। समाप्त। इन सबका क्या अर्थ है ?

अन्त में, मैं दो मुद्दे और उठाना चाहूंगा। सौभाग्य से, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर सरकार के समक्ष कुछ हिदायतें हैं और वे मेरी नजरबंदी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में हैं। यह विख्यात निर्णय था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस संशोधन के जन्मदाता हैं।

श्री ए० के० राय : उसमें कुछ हिदायत थी। उस हिदायत का पालन करने के लिए यह सरकार कानूनीतौर पर बाध्य नहीं है किन्तु सरकार उस हिदायत का नैतिक रूप से सम्मान करने के लिए बाध्य है। यह कहा गया था कि संविधान में निवारक नजरबंदी का उपबंध था, किन्तु उसका प्रयोग कुछ शर्तों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जा सकता था। उस निर्णय में, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा राज्य की सुरक्षा तथा विदेशी शक्तियों के सम्बन्धों को हानि पहुंचाने का कार्य करने की दशा में किसी व्यक्ति की नजरबंदी का, न्यायाधीशों ने पुष्टि की थी। राज्य की सुरक्षा, भारत की रक्षा, राष्ट्रीय हित इत्यादि जैसे ये गम्भीर आरोप है। क्या इस प्रकार के उन गम्भीर आरोपों का कोई आधार हो सकता है जो सुसंगत न हों, सुसम्बद्ध अथवा सीधे सम्बन्धित न हो, अथवा किसी अन्य कारण से अवैध हों ये सब बातें, जिसके लिए आपने व्यक्ति को स्वतन्त्रता दी है, क्या वह वैध हो सकती हैं ? वह इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक अधिनियम अपने प्रकार का होता है, उसकी अपनी सीमा होती है और कुछ परिसीमाएं होती हैं, उसका कुछ मूल स्वरूप होता है। सरकार जिस मनमाने और पक्षपातपूर्ण शासन में लगी हुई है विधि का शासन उसकी अनुमति नहीं देता है।

अब, मेरा आखिरी मुद्दा जनता पार्टी के बारे में है। श्री चित्त बसु उसके प्रति बहुत उदार थे, किन्तु मैं उतना उदार नहीं बनूंगा। मैं कांग्रेस की निरंकुशता से निपट सकता हूं, लेकिन मैं जनता के पाखण्ड से नहीं निपट सकता। यह वह प्राथमिक बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अपना भाषण खराब क्यों कर रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : हो सकता है मैं अपना भाषण खराब कर रहा हूं। लेकिन मुझे सच बोलना चाहिए। क्योंकि यह उस बर्तन की तरह है जो केतली को काली बताता है (अर्थात अपनी बुराई कोई नहीं देखता)। उन्होंने कानून पास किया और कांग्रेस ने उसका पक्ष लिया। कोई संविधान संशोधन अधिनियम केवल तभी पास हो सकता है जब दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो जाता है और 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित रहते हैं। उसके लिए कांग्रेस की मदद की आवश्यकता है और इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 22 के संशोधन को जनता और कांग्रेस दोनों ने एक साथ-पास किया। क्यों ? क्योंकि वे चाहते थे कि निवारक नजरबंदी भी किसी एक न्यायिक संवीक्षा के अधीन आनी चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने अवधि तीन महीने से घटाकर दो महीने कर दी थी और यह भी बताया था कि सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति किसी एक मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। लेकिन क्या हुआ ? उसके पश्चात जनता सरकार तीन महीने रही। वे उपबन्ध 1 (2) लाए जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक संशोधन को कार्यान्वित किया जाएगा तथा पृथक पृथक अधिसूचनाएं जारी करके उन्हें अधिसूचित किया जाएगा और उन्होंने प्रत्येक संशोधन को अधिसूचित किया। अधिसूचनाओं का पहला बैच 20-6-1979 को जारी किया गया तथा

दूसरा बैच 1 अगस्त, 1979 को जारी किया गया। चार महीने के पश्चात जनता सरकार गिर गई। उन्होंने अनुच्छेद 22 के संशोधन को अधिसूचित नहीं किया इसके लिए किसे दोष दिया जाए? जनता पार्टी की उस चूक के लिए हमें लोगों को उत्तर देना होगा।

किन्तु अब इन कांग्रेस के लोगों को क्या कहना है? उच्चतम न्यायालय का निर्णय इन लोगों के विरुद्ध है। वे प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैंने जनता के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की। किन्तु यह निर्णय इन लोगों के विरुद्ध है। इसमें कहा गया है कि :

> "यह विषम बात है कि ढाई वर्षों के बाद भी, अधिनियम को लागू नहीं किया गया है, किन्तु यह संसद पर है कि वह इस पर विचार करे···यह समझना कठिन है कि वे कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयां है जो 44वें संशोधन की धारा-तीन के उपबन्धों को इसके ढाई वर्ष पहले पास हो जाने के बाद भी, लागू करने से सरकार को सम्भवतया रोक सकी"

पुनः कहा गया है कि :

> "इसका हल परमादेश नहीं है, किन्तु संसद ने संविधान के 44वें संशोधन की धारा तीन की तरह उपबंध को लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए, उस धारा की नीति उपबंध पर निर्णय करने का अधिकार केन्द्र सरकार को नहीं दिया है।"

जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसे मिलकर पास किया है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह सम्पूर्ण संशोधन उसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार का समग्र दिशा निर्देश सामान्य स्थिति से असामान्य स्थिति की ओर है। सरकार का सम्पूर्ण दिशा निर्देश प्रजातंत्र के आधार को व्यापक बनाना नहीं है, बल्कि उसमें अधिक से अधिक कटौती करनी है। इससे सरकार के असली स्वास्थ्य पर प्रकाश पड़ता है।

महोदय, अन्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बेनट के साथ कार्य कर सकते हैं, किन्तु आप उस पर बैठ नहीं सकते और इस संशोधन के द्वारा आप बेनट पर बैठने जा रहे हैं। धन्यवाद महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी विचार किए गए प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं समझता हूं कि इसमें उत्तर देने के लिए अब अधिक कुछ नहीं रह गया है क्योंकि मैं पहले ही सभा के समक्ष इन संशोधनों का औचित्य रख चुका हूं। सबसे पहले, मैंने यह स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों में कोई और विशेष बात नहीं कही गई है। यदि हमने अप्रैल के संशोधन के अलावा और कोई विशेष उपबन्ध किया होता तो मुझे यह स्पष्ट करना पड़ता कि अप्रैल और जून के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे यह संयोजन करना आवश्यक हो गया। परन्तु चूंकि ऐसी कोई विशेष बात इसमें नहीं कही गई है, अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि यह स्पष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि इन दो तारीखों के बीच क्या हुआ। यह संशोधन मुख्यतः उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया है जो न्यायालयों द्वारा दिए गए अन्य निर्णयों में कही गई बातों के कारण उत्पन्न हुई हैं।

मैं ऐसे कई निर्णय पढ़कर सुना सकता हूं जो एक-दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं।

मैं पहले ही 'कोफेपोसा" (सी० ओ०एफ०ई० पी० ओ० एम० ए०) निर्णय पढ़ कर सुना चुका हूं जिसमें पुनः निवारक नजरबन्दी उपबन्धों का प्रयोग किया गया है; जिसमें यह कहा गया है कि कारण अनेक हैं; मैं उनके विस्तार में नहीं जाता। मैं यह पहले ही कह चुका हूं।

दूसरे निर्णय में उदाहरणार्थ, अन्तिम पैरा में कहा गया है :

> "इस निर्णय में कोई भी बात यदि इस प्रकार का आदेश दिया जाए राज्य सरकार अथवा जिला मैजिस्ट्रेट को आवेदकों को अथवा उनमें से किसी को हिरासत में लेने के लिए विधि द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करने पर आदेश जारी करने से नहीं रोक सकती है।"

उन्होंने देखा, कि उस मामले में, आधार अनुचित नहीं थे ; पर जो कार्य प्रणाली अपनाई गई थी वह दोषपूर्ण थी। उन्होंने कहा यद्यपि आधार बिल्कुल ठीक है, परन्तु तकनीकी तौर पर जो कार्य-प्रणाली अपनाई गई थी, वह दोषपूर्ण पाई गई है। अतः इस निर्णय में कोई भी बात सरकार अथवा हिरासत में लेने वाले अधिकारी को हिरासत सम्बन्धी नया आदेश देने से नहीं रोक सकती।

अतः ऐसी भी मिसालें हैं प्रत्येक मामला अपने गुणावगुणों पर आधारित है। परन्तु इसका सम्बन्धी प्रभाव यह हुआ है कि न केवल सम्बन्धित व्यक्तियों के मन में अपितु सामान्य जनता के मन में शंका पैदा हो गई है। किसी निर्णय का सही अर्थ क्या है जो पूरी तरह दूसरे के समान और दूसरा पूरी तरह तीसरे के समान नहीं हैं और इसी प्रकार और भी। अतः, यही कारण है, और यही आधार है कि यह संशोधन लाना पड़ा।

दूसरी बात जो उठाई गई है, वह धारा 14 के संशोधन के सम्बन्ध में है। मैं यह कहना चाहूंगा कि धारा 14 का संशोधन इस प्रकार है :

> "(2) किसी निरोध-आदेश के (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में पूर्वतर निरोध-आदेश कहा गया है) अवसान या वापस लिए जाने के पश्चात् [चाहे ऐसा पूर्वतर निरोध-आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किया गया हो] उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन अन्य विरोध आदेश का (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में पश्चात्वर्ती निरोध आदेश कहा गया है) किया जाना वर्जित नहीं होगा।"

यह सारांश में वही है जो मैंने अभी पढ़ा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अन्तिम पैरे में कहा गया है कि यदि किसी मामले में किसी कार्य-प्रणाली का पालन न किए जाने के कारण कोई तकनीकी दोष हो तो यह अधिकारियों को नया नजरबन्दी आदेश जारी करने से नहीं रोक सकता है। सर्वप्रथम यह ऐसे मामलों को लेने के लिए लाया गया है; और दूसरे प्रकार के मामले हैं—आखिरकार, न जिला मजिस्ट्रेट और न ही प्राथमिक अधिकारी नजरबन्दी के आदेश जारी करता है या उसे रद्द कर सकता है। प्रतिसंहरण यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार कर सकती है अतः मान लीजिए कि राज्य

सरकार किसी विशेष मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यद्यपि एक आदेश रद्द हुआ है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश रद्द किया गया है, किन्तु इस बीच कुछ ऐसे कारण, कुछ नए मामले राज्य सरकार के ध्यान में आए हों, जिनके विषय में राज्य सरकार यह सोचती हो कि ये इतने गम्भीर हैं कि नजरबन्दी का दूसरा आदेश निकाला जा सकता है। संशोधन में जो कुछ कहा गया है बिल्कुल उचित है। उस मामले में, राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वह हिरासत का दूसरा आदेश जारी कर सके और सामान्यतः वह आदेश भी एक वर्ष के लिए वैध होगा। परन्तु, इसमें क्या किया गया है कि यदि दूसरे में आदेश दोनों आदेशों की संचयी अवधि रखी गई है तो यह एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। इससे दूसरे आदेश की अवधि उस पूरी अवधि तक ही सीमित रखी गई है जो पहले आदेश जारी होने पर उपलब्ध थी। अतः एक प्रकार यह नजरबंद व्यक्ति को दी गई रियायत है ताकि उसे किसी अन्य तरीके से परेशान न होना पड़े। अत. ये दो-तीन मुद्दे थे जिन पर मैं जोर देना चाहता था।

सिद्धांत आदि सम्बन्धी प्रश्न के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम सिद्धांत को दोनों ओर घुमा सकते हैं। सच तो यह है कि निवारक नजरबन्दी आरम्भ से ही—मैं सरदार पटेल, डा० अम्बेडकर तथा अन्य लोगों जिन्होंने बाद-विवाद में पूरी तरह भाग लिया था—के भाषणों से पढ़ कर सुना सकता हूं कि संविधान सभा में सभी लोगों ने ऐसा उपबन्ध आवश्यक समझा और यही कारण है कि इसे संविधान में सम्मिलित किया गया। अब ऐसा हुआ है इसके आधार पर कुछ उपबन्ध बनाए गए हैं। यही तर्क का आधार बन गये हैं। इसी विचार के कारण समय समय पर कानून बनाए गए हैं। कानून निरस्त कर दिए जाते है और किसी दूसरे आधार पर फिर कानून बनाए जाते हैं।

जनता सरकार ने ऐसा किया होता, कुछ परिवर्तन किए होते, कुछ परिवर्तन लाए होते और यदि कांग्रेस ने उस समय परिवर्तन का समर्थन किया होता। इसका अर्थ केवल यह है कि जो सरकार चलाते हैं वही यह जानते हैं कि कठिनाई कहां है और अतः उन्हें श्री ए०के० राय की अपेक्षा थोड़ा अधिक यथार्थवादी होना पड़ेगा। बस यही सारी बात है। यही सारी बात की पृष्ठिभूमि है और मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे कुछ इस प्रकार देखना है कि यह आवश्यक बन गया है। अब मैं उन सारी बातों में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ है और यह कैसे आवश्यक हो गया है। पर एक बात स्पष्ट है कि इस देश में विभिन्न कारणों से, यद्यपि मैं उन कारणों की ओर नहीं जाऊंगा, क्या हुआ है वह यह है कि सामान्यतः कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है और दूसरी बात यह कि नई व्याख्याएं सामने आ रही हैं जो मौजूदा कानून को प्रवर्तित रखना अधिकाधिक कठिन और जटिल बनाती हैं। इसीलिए लगता है कि लगातार संघर्ष हो रहा है। अनुच्छेद 22 में केवल 5 शब्द हैं "जितनी जल्दी हो सके।" अब इन पांच शब्दों की व्याख्या प्रत्येक निर्णय में इस प्रकार दी गई है कि इन शब्दों से उत्पन्न किसी भी विधि का क्रियान्वयन अत्यन्त कठिन हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैं केवल आपके सामने इस कानून की कहानी रख रहा हूं। अब, यह बिल्कुल सम्भव हो गया है कि हम इसकी फिर एक बार जांच करें कि क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए था। फिर भी आज तक मामला अनिश्चित रहा अथवा क्या इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ किया जा सकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति जान सके कि उसकी स्थिति क्या है; हिरासत में लेने वाला अधिकारी जान सके कि उसकी स्थिति क्या है; न्यायालय यह जानता है कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, और प्रत्येक मामले में व्याख्या के रूप में नए विचारों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, आधार की विच्छेदवता कई मामलों में स्थापित की गई है; एक दो मामलों में, कहा गया है कि यदि एक आधार अनुचित है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। अब आप इसे कैसा समझते हैं? आप इन दो

निर्णयों को आपस में किस प्रकार सामंजस्य करते हैं ? ऐसा संभव नहीं है। अतः कुछ स्पष्टता इसमें लायी जानी है; यही किया जाना है। इसी प्रकार, इनमें से किसी भी निर्णय में, पूर्व निर्णयों में बंदी के प्रति पक्षपात के प्रश्न पर पूरी तरह चर्चा नहीं की गई थी। वह बातें बाद के निर्णयों में आयी है। इसी कारण मैंने अपने पिछले भाषण में कहा कि इस कार्यवाही से बन्दी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई अस्पष्ट आरोप है तो वह कह सकता है कि यह अस्पष्ट है, यदि आरोप नहीं है तो वह कह सकता है कि यह नहीं है, यह आदेश में भी सम्मिलित कर लिया क्योंकि हिरासत में लेने वाला अधिकारी सद-भावना से कहता है कि वे सभी आरोप हैं, आरोप बाद में ठीक नहीं निकलते, परन्तु इसी आधार पर, जैसाकि श्री शेजवलकर कह रहे थे, मान लीजिए कि अधिकारी ने कहा है कि वह समझता है कि इन आरोपों में प्रत्येक पर हिरासत में लेना उचित है, फिर जैसाकि वह कहते हैं कि न्यायालय इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। मान लीजिए कोई कहता है, जैसे मैंने कहा, क्या हिरासत में लेना ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। यह इसी भूल-चूक के कारण हिरासत में लेना पूरी तरह बेकार हो जाता है। यह तर्काधार नहीं है। यह सही नहीं है, और एक ऐसे देश के प्रशासन में जिसमें इतनी जटिलताएं हैं, जहां थोड़े समय में आरोप भी लिखे जाने हैं, अधिक विस्तार की गुंजाइश भी नहीं है, और अधिक सम्भव भी नहीं है, और यदि अकस्मात किसी क्षेत्र विशेष में कई मामले हो रहे हों—जैसाकि हाल ही में कुछ इलाकों में हुआ है—हालात की गम्भीरता में ऐसा सम्भव नहीं होगा जिसमें अधिकारी पूरी तरह ये सारी बातें ठीक-ठीक लिख सके और यदि आरोपों में से एक भी गलत हो, एक भी आरोप असंगत हो—आखिरकार संगतता सापेक्ष है—अतः यदि यह अधिक संगत अथवा पूरी तरह संगत नहीं है—तो क्या इसका मतलब है कि सारा आदेश बेकार हो जाए ? यह ठीक दृष्टिकोण नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : व्यक्ति परक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वही तो मैं भी कह रहा हूं। आपने स्वयं यह प्रश्न उठाया। यदि वह व्यक्तिपरक ढंग से सोचता है, अथवा वह कहता है कि मैं समझता हूं कि मेरा समाधान हो गया है कि प्रत्येक आरोप हिरासत में लेने के लिए उचित है तो आप कहते हैं कि मामला खतम हो जाता है। यह तो ठीक वही है जो मैं कहता हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि किसी कारण से एक अधिकारी ने ऐसा कहा है, और दूसरे ने ऐसा नहीं कहा हैं तो यहीं पर अन्तर हो जाता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप कैसे अन्तर कर सकते हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही तो श्री जगन्नाथ राव ने भी कहा है। वही अन्य न्यायाधीशों ने कहा है। यदि वह विच्छेदनीय हैं तथा न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे के भले और बुरे को अलग-अलग किया जाए, यदि यह हिरासत में लेने के लिए ठीक है, तो हिरासत का आदेश वैध है। उन्होंने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं पढ़ कर सुनाऊं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : दूसरे न्यायालय ने यह कहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने यह पढ़ा है। ऐसा एक निर्णय में है। किसी और निर्णय में विपरीत कहा गया है। इसी कारण सन्देह उत्पन्न हुआ है कि निर्णयों की बाहुलता के कारण अथवा बाहुलता को ध्यान में रखते हुए एक कारण हिरासत के लिए उचित हो सकता है तथा दूसरा कारण नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : वास्तव में यह विवादास्पद मुद्दा इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी दस-बारह कारण देते हैं इतने आधार देने का एक कारण यह है कि वे किसी भी आरोप के बारे में आश्वस्त नहीं होते। अत: वे सम्भवत कानून के अन्तर्गत कई आधार देना चाहते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हो सकता है ऐसा हो। यह एक अनुमान है जो आप लगा रहे हैं। मैं दूसरा अनुमान लगाने के लिए तैयार हूं, जो इतना ही सही है, इतना ही उपयुक्त है, कि वह इस आधार पर रिपोर्ट प्राप्त करता हो जिस पर वह पांच छ: कारण लिख सकता है परन्तु बाद में ऐसा लगता है कि सभी पांच अथवा छ: आधार न तो पूरी तरह वैध हैं न पूरी तरह अवैध, उनमें से कुछ वैध है, कुछ अवैध ऐसा भी सम्भव है कि लोगों के मन में कोई अस्पष्टता हो। मैं उससे इंकार नहीं करता। इसी कारण बाद में प्रशासन के स्तर पर उसके समर्थन के लिए कुछ करना पड़ता है। मुझे उन्हें कहना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि हो सकता है जिलाधीश आधार नहीं लिखता है, हो सकता है सब-इनस्पेक्टर लिखता है। मैं नहीं जानता। यह बिल्कुल सम्भव है। उस समय कुछ कमियां भी रह सकती हैं। उन कमियों को प्रशासन के दृष्टिकोण से देखना होगा न कि विधेयक का विरोध करके। यह कुछ ऐसी बात है जिसकी हम जांच कर सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप बाद में किस प्रकार उन बातों की ओर प्रशासनिक ढंग से देख सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रशासनिक तौर पर हम उन्हें कुछ अनुदेश दे सकते हैं, कि 'आप इस प्रकार कार्य कीजिए', कि यह ढंग है जिससे आप अपने अपने आप को सन्तुष्ट कर सकते हैं। आप को व्यक्तिपरक करने की आवश्यकता है। ये अनुदेश वे हैं जो दिए जा सकते हैं तथा वे अनुदेश वे हैं जो दिए जाने चाहिए। मैं नये मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वह हम नहीं कह सकते।

श्री एन० के० शेजवलकर : समाहर्ता को यह अनुदेश दिए गए थे कि वह जेल जाएं तथा सबको बुलाकर कहें कि वह शपथ पत्र भर कर दें। यदि वह शपथ पत्र देते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। यह अनुदेश संयुक्त रूप से दिए गए थे किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे विचार से इस प्रकार के कोई अनुदेश नहीं थे।

श्री एम० के० शेजवलकर : यदि आप चाहें तो मैं यह साबित कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप केवल पिछले अनुभव की बात कहते हैं तो पता चलता है कि एमरजेंसी के दौरान कुछ स्वर्गीय सदस्यों के लिए भी साइकलोस्टाइस आदेश मौजूद थे आदेश दे दिए गए थे तथा जब उन सदस्यों की खोजबीन की गई तो कहा गया कि वे तो इस दुनिया में नहीं हैं तथा उन्हें आर्डर देने के लिए स्वर्ग ही जाइए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम एक दूसरी स्थिति, दूसरे सन्दर्भ, एक विभिन्न कानून और संशोधन की बात कर रहे हैं वास्तव में हमें छोटी-छोटी बातें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वस्तुत: इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि यही बात है तो मेरे पास उन व्यक्तियों के नामों की सूची है जो नजरबन्द किए गए थे। (**व्यवधान**) जी, हां श्री ए० के० राय इसके अधीन नजरबन्द किए गए थे। यदि वह ऐसा

नहीं बोलते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मुझे जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार धनबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश, राज्य सरकार ने जांच के बाद मंजूर नहीं किए थे। मैं श्री राय को दोष नहीं दे रहा हूं। चूंकि आप इस सभा में चर्चा का विषय बन गए हैं तथा आप बोल भी रहे हैं तो मुझे यह सब कहना पड़ा। इसमें कोई बुराई नहीं है। राज्य सरकार ने इतना ही कहा था कि श्री राय ने काफी समय पहले ऐसा वक्तव्य दिया था या जो भी किया, काफी पहले किया था उन्हें अब क्यों नजर बन्द किया जाए इसलिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया। इसी कानून और संविधान के इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वे किसी अन्य जरिये से छूट गए हों।

श्री ए० के० राय : अपने वक्तव्य में मैंने···

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सलाहकार बोर्ड का मामला था। राज्य सरकार ने आपको इस आधार पर रिहा किया था कि आपने काफी समय पहले भाषण दिया था उसके लिए अब आपको क्यों नजरबन्द किया जाए।। इसी आधार पर आपको रिहा किया गया था। मुझे खुशी है कि आपको रिहा कर दिया गया था। सही बात तो यह है कि रिहाई अभी भी की जा रही है। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा की गई रिहाइयों का प्रतिशत मैं आपको बता सकता हू। इस प्रतिशत को देखते हुए कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह कानून बहुत कठोर है। यह कठोर नहीं है तथा न्यायोचित है इसे कठोर कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि आपने श्री ए० के० राय का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का का प्रयत्न किया है कि राज्य सरकार ने वास्तव में क्या कार्यवाही की है और बाद में उन्हें कैसे रिहा किया गया गया। चूंकि आपने यह समस्या उठाई है इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि कार्यपालिका के कार्य करने का क्या तरीका है। एमर्जेंसी के दौरान, बंगलौर के पुलिस आयुक्त के आदेश के अन्तर्गत बंगलौर जेल में बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में क्या हुआ। हमने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, हैरानी की बात तो यह थी कि केन्द्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तथा उन्होंने हमें सुबह रिहा कर दिया और पांच मिनट बाद जब हम जेल से बाहर आए तो केन्द्र सरकार ने हमें फिर से गिरफ्तार कर लिया तथा हमें बताया गया कि रिट-याचिका निष्फल हो गई है। यह सरकार के काम करने का तरीका है।

7.00 म० प०

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार रिहा कर सकती है। राज्य सरकार ने अनेकों मामलों में रिहाई की है। केन्द्र सरकार भी अनेक मामलों में रिहा कर सकती है। दूसरी ओर यदि किसी मामले में रिहाई को कायम नहीं रखा था जो ऐसे कई अन्य आधार है जिन पर किसी व्यक्ति को पुनः नजरबन्द किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसलिए यह दोनों ओर संभव है···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यही बताना चाह रहा हूं कि न्यायिक संवीक्षा से बचने के लिए आप किस प्रकार के हथकंडे अपना सकते हैं।

श्री पी० वी नरसिंह राव : मैं आपको बताता हूं। इस वाद-विवाद के शुरू में ही मैंने कहा था कि किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। केवल यही नहीं इस देश में या किसी भी देश में किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। होशियारी इस बात पर निगरानी रखने में है कि कानूनों का दुरुपयोग न किया जाए मैं यही कहना चाह रहा हूं। इस बात से हमें सहमत होना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु आप किस तन्त्र का प्रयोग करेंगे। आपके पास राज्य सरकार है पुलिस है जिसके बारे में श्री चव्हाण बता चुके हैं आप किस प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे पास क्या तंत्र है यह मैं नहीं जानता। क्या आप किसी नए तंत्र के बारे में सोच सकते हैं वह तंत्र क्या आसमान से उतरेगा। एक सरकार से दूसरी सरकार के शासन के बीच क्या किसी समाहर्ता, या सब-इस्पेक्टर को बदला जा सकता है ?···

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : हम किस सरकार के हाथ में शक्ति दे रहे हैं हमें यह निर्णय करना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह ठीक है, इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। इसका निर्णय मैं या आप नहीं कर सकते कि जनता क्या निर्णय करेगी। जनता के निर्णय के बाद कुछ नहीं बदलता केवल मैं या आप ही बदल सकते हैं। आप दल बदल सकते हैं हम दल बदल सकते हैं परन्तु जो कानून को लागू करने वाले हैं वह वही रहेंगे यह समझ लेना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवलकर : सैद्धान्तिक रूप से मैं इसके खिलाफ नहीं हूं···

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : केवल सैद्धान्तिक रूप से ही नहीं वरन व्यावहारिक रूप से भी

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : व्यावहारिक रूप से आपको नहीं करना चाहिए। जब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो आपको उन्हें अधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं उन्हें अधिक शक्तियां देने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा इस संशोधन में जरा भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इस मामले के तथ्यों के अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, पिछले अधिनियम में जितनी शक्ति दी गई है उसके अलावा इसमें अधिक शक्तियां नहीं जोड़ी गई हैं। धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री फर्नान्डीज की बारी है।

एक माननीय सदस्य : सभा का समय सात बजे तक बढ़ाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर दें। इसे पूरा करने के लिए मैं सभा की अनुमति लेना चाहूंगा··

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है, मुझे इसे पूरा करना है। कल बहुत काम है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस विधेयक को जारी रखने और पूरा करने के लिए मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां, हां।

प्रो० मधु दण्डवते : आप जो कुछ भी कहें, उनकी ओर से इसकी अनुमति है। यदि आप कहेंगे कि 12 बजे तक बैठिये, तो भी वे इसके लिए हां कहेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि संकल्प के सम्बन्ध में मैंने अपने वक्तव्य के दौरान जो विभिन्न मुद्दे उठाए थे गृहमंत्री उनका और साथ ही इस कानून के बारे में इस पक्ष के अन्य वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे। ऐसा करने के बजाए, उन्होंने इस कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है और ऐसा करते समय कहा कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, जिनमें से एक का उल्लेख उन्होंने पहले करना चाहा था और अभी-अभी दोबारा फिर उल्लेख किया है और कहा है कि क्योंकि ऐसे विभिन्न निर्णय हैं, इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है···(व्यवधान)

श्री पी० वी नरसिंह राव : मैंने कहा था कि एक कारण यह भी है, ना कि यह कि एकमात्र कारण है···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज :···इस अध्यादेश को लाने के लिए जिसे अब आप कानून का रूप देने जा रहे हैं। आश्चर्यजनक तो यह है हो सकता है आश्चर्यजनक न हो, कि सरकार ने अपने बचाव के लिए उस निर्णय को चुना है, जिसने इसे यह कठोर युक्ति प्रयोग करने की शक्ति दी है और अन्य ऐसे निर्णयों की अवहेलना करना उचित समझा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने केवल इतना कहा है कि कुछ ऐसे निर्णय है जो कि एक दूसरे से मिलते-जुलते नहीं हैं और इसी कारण जैसाकि सरकार सोचती है, उसी के अनुरूप हमें इसमें और स्पष्टता लाने की जरूरत है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार अब जो स्पष्टता लाना चाहती है वह इस कठोर युक्ति को उपयोग में लाने के लिए, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के लिए परिस्थितियों को दुःस्सह बनाने के लिए है न कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचार के शिकार बने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आप यह समझते

हैं कि सरकार जो कुछ सोचती है और जो सोचा है उसे वह धारा 5 अ के अन्तर्गत इस संशोधन के माध्यम से कार्यपालिका पर थोपना चाहती है।

मंत्री महोदय ने ऐसे निर्णय का सहारा लिया है जो मेरे विचार से 1981 का है। इस समय मेरे पास ऐसा निर्णय है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल, 1984 को दिया गया। यह विश्वास करने के लिए मेरे पास कारण हैं कि शायद यही वजह थी जिसके फलस्वरूप यह अध्यादेश लाया गया और कानून बनाया गया। मैं आल इण्डिया रिपोर्टर से उद्धृत कर रहा हूं न्यायमूर्ति श्री चिनप्पा रेड्डी ने कहा है कि :

> "यह नहीं कहा जा सकता कि वे जो राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आम व्यवस्था के लिए क्या कुछ जरूरी है इसके भी निर्णायक होंगे। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमारा संविधान राज्य के किसी भी अंग को ऐसे मामलों में एकमात्र निर्णायक बनने का अधिकार नहीं देता। निवारक नजरबन्दी न्यायिक जांच के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। यद्यपि, उपयुक्तता अथवा पर्याप्तता चुनौती के लिए कोई कारण न हो, लेकिन प्रासंगिकता और सन्निकटता निश्चित तौर पर चुनौती के लिए कारण हैं।"

अब आप ठीक उसका उल्टा करने का प्रयास कर रहे हैं जो श्री चिनप्पा रेड्डी ने इस निर्णय में व्यक्त करना चाहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह मत भूलिये कि जो कुछ पहले किया था, इस निर्णय ने उसे रद्द कर दिया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस समय आप इस निर्णय का खण्डन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने यह उल्लेख किया था कि ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय हैं और आप उसी की आड़ लेना चाहेंगे जो फिलहाल आपके लिये अनुकूल होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह उल्लेख किया था कि वे इस सभा में अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों का सहारा नहीं लेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक दूसरे पक्ष का सम्बन्ध है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक सभा के इस पक्ष की ओर से बोलने वालों का सम्बन्ध है, मैं उनके बारे में अलग से बात करूंगा।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि बहस के दौरान दूसरी ओर के कुछ सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह वास्तव में डरा देने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे मेरा सारा शरीर कांप गया, इसलिए नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर चिन्तित हूं क्योंकि यहां कुछ सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर मेरा हवाला दिया और ऐसा सोचा है कि इस प्रकार के कानूनों की मुझ जैसे व्यक्तियों से निपटने के लिए आवश्यकता है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, उससे सत्ताधारी दल के सदस्यों की विचारधारा का पता चलता है।

क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा कि हम किन अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महत्व केवल राष्ट्र का ही है, हम किस संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, हम कौन से संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बातचीत कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में, न्यायपालिका, विधि का शासन, इन सबका महत्व नहीं है, महत्व है तो राष्ट्र का और, वास्तव में, नेता का, क्योंकि बिना नेता के इनमें से एक भी महानुभाव यहां नहीं होगा। अतः केवल नेता और राष्ट्र का ही महत्व है और किसी चीज का महत्व नहीं है ; दूसरी ओर के माननीय सदस्यों ने ठीक यही कहा है। उनमें से कुछ ने तो यहां तक मांग की कि नजरबन्दी एक या दो वर्ष के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसाकि अब इस कानून में ऐसा करने की व्यवस्था है, बल्कि उन्होंने तो यहां तक सलाह दी कि ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उनका यह विचार है कि उसे नजबरन्द किया जाना चाहिए, नजरबन्दी जीवनभर के लिए होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उनके जीवन काल के दौरान···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसे भी सदस्य थे जिन्होंने तब यह सुझाव दिया कि निवारक नजरबन्दी कानून में केवल उनका विश्वास ही नहीं है बल्कि उनका मत है कि ऐसे कानूनों को इतना कठोर बना दिया जाना चाहिए कि एक बार नजरबन्द किए जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति उन कानूनों को चुनौती न दे सके। अब यदि सत्ताधारी दल के सदस्यों की यही विचारधारा है, तो यह मानते हुए कि आप यहां कुछ ही महीनों के लिए है, इस देश का न जाने क्या होगा।

(**व्यवधान**)

जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपनी स्थिति कतई स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिद्धांत रूप से मैं आपके द्वारा लाये जाने वाले विशिष्ट विधान पर बिना ध्यान दिए ही निवारक नजरबन्दी के विरुद्ध हूं। मैंने आपके कोफे पोसा का भी उसी प्रकार विरोध किया है जिस प्रकार से मैंने आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का विरोध किया था। उसी प्रकार मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विरोध कर रहा हूं। किसी अभियोग के बिना नजरबन्दी करने के मैं विरुद्ध हूं। और यहां मुझे अपने परम मित्र श्री बनातवाला से सहानुभूति है जिन्होंने यह कहा है कि कुछ व्यक्तियों का जहां तक सम्बन्ध है, जो कुछ भी चर्चा हुई वह उनकी रिहाई के बारे में है और न कि नजरबन्दी के कारणों की सम्पूर्ण असंगतता के बारे में। जब मैंने इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा अगस्त, 1983 में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री को लिखे गये एक पत्र को उद्धृत किया, तो मैं पिछले महीने की नजरबन्दी का उल्लेख नहीं कर रहा था, जिसके सम्बन्ध में आपने उस व्यक्ति को नजरबन्द करने और उस पर बैठकें करने का अभियोग के बारे में असंगत कारणों का उल्लेख किया और निरी मूर्खता दर्शायी, जबकि वह व्यक्ति देश में ही नहीं था।

मैं पिछले वर्ष 1983 में उसकी नजरबन्दी के सम्बन्ध में उल्लेख कर रहा था जब श्री रामराव आदिक उप-मुख्यमंत्री थे। अब वह उप-मुख्यमंत्री नहीं हैं। पत्र उप-मुख्यमंत्री को लिखा गया था और पत्र में यह लिखा था कि इस व्यक्ति की नजरबन्दी हमारे दल के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपने यह नहीं कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने यही कहा था। दुर्भाग्यवश, आप द्वारा किए गए शोरगुल में, जो कुछ

कहा गया, आपने वह नहीं सुना। मैंने यह मुद्दा उठाया था कि उप मुख्यमंत्री को लिखते हुए आपके सदस्य ने कहा था कि**...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष पीठ द्वारा इस पर व्यवस्था दे दी गई थी वह उससे उद्धरण नहीं दे सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं श्री बनातवाला द्वारा उठाए गए मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे उद्धृत कर रहे हैं ? वे तो श्री बनातवाला का हवाला दे रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं तो केवल एक मुद्दे को स्पष्ट कर रहा हूं। अतः श्रीमान्, जहां तक इस समस्या की ओर मेरे निजी दृष्टिकोण का प्रश्न है, किसी भी प्रकार की निवारक नजरबन्दी हानिकर है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।

महोदय, आदरणीय मंत्री ने श्री ए० के० राय की नजरबन्दी का हवाला दिया था तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लेख किया था। मैं एक और व्यक्ति को नजरबन्द किए जाने का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि श्री ए० के० राय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का पहले शिकार थे, तो मध्यप्रदेश के श्री शंकर गुहा नियोगी, जो कि एक माने हुए मजदूर नेता हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किए जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें किस कारण अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था ? उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने यूनियन के जरिये उस क्षेत्र में मजदूरों के शराब पीने के विरुद्ध एक आन्दोलन चलाया था। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे स्थानीय शराब ठेकेदार ने अचानक यह पाया कि उसका कारोबार 35 लाख से कम होकर 4 लाख रुपए रह गया था। और दूसरी बात यह थी कि उसने श्री शंकर गुहा नेगी को बन्दी बनवाया। उसने ऐसा करवाया—हां, उसने एक स्थानीय विधायक के माध्यम से ऐसा करवाया जो राज्य सरकार में एक मंत्री भी था। मामला अन्त में सलाहकार बोर्ड में पहुंचा और सलाहकार बोर्ड ने, ढ़ाई महीने के पश्चात् जबकि इसके सम्मुख कागजात रखे गए, तो बिना शर्त के शंकर गुहा नियोगी को रिहा करने का आदेश दिया।

एक माननीय सदस्य : वह अब क्या कर रहा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह मजदूर संघ का कार्य कर रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह पीता तो नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह उस क्षेत्र में लोगों में शराब पीने के विरुद्ध अपना अभियान चला रहा है और वह वही कार्य कर रहा है जो वह सदा से करता रहा है। मैं वह काम जानता हूं जो कि आपके स्वभाव के उपयुक्त नहीं है। जो उस क्षेत्र के सत्ताधारी दल के मनोनुकूल नहीं है। वह अभी भी उस कार्य में जुटा हुआ है। पर मुद्दा यह है कि आप ऐसे कानून बना रहे हैं जो प्रशासन को उन्हें इस योग्य बनाते

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं कि वह उन कानूनों का उनके विरुद्ध प्रयोग करे जो उचित राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे के बारे में कांग्रेस के उन सदस्यों ने अच्छी तरह बोला है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और विधेयक पर बोले तथा यह कहा कि केवल समाज-विरोधी राष्ट्र-विरोधी, और आतंकवादी तत्त्व ही नहीं बल्कि वे लोग भी हैं जो राजनैतिक दृष्टि से सत्ताधारी दल के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध यह विधेयक लाया गया है।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि इस ओर से एक सदस्य बोले, मैंने एक और मिसाल दी है, मैं आप को असंख्य मिसालें दे सकता हूं। सदस्यों ने लोंगोवाल, बादल, तोहरा, और अकाली दल के उन लोगों का नाम लिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द बनाए गए हैं। यदि यह कानून राजनैतिक लोगों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए नहीं है, तो···

श्री पी० वी० नरसिंह राव : स्वभावत:

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अब गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैंने सभी अकाली नेताओं को गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया है, मैंने सभी अकाली नेताओं की रिहाई की मांग की है और आज मैं उन तर्कों को आपके सामने रख रहा हूं जो कि दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा उन अकाली नेताओं की रिहाई की मांग के लिए दिए गए हैं जो कि अभी जेल में हैं। मैं गृह मंत्री से एक औपचारिक मांग कर रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं चाहता था कि उन्हें जेल में बन्द रखा जाए आप इससे सहमत नहीं थे। आप अब अकाली राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं—इस कार सेवा में साथ दे रहे हैं जो कि बूटा सिंह कर रहे हैं। वास्तव में आप लोग यह सब राजनीतिक प्रयोजन के लिए कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, ऐसा ही था। मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए तर्कों से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं और मैं अपना सुझाव सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सांविधिक संकल्प सदन की स्वीकृति के लिए सभा में रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) आदेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

जो इसके पक्ष में है वह 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरुद्ध हैं वे 'नहीं' कह सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प अस्वीकृत हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : बहुमत संकल्प के पक्ष में हैं। हम मत विभाजन चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, दीर्घायें खाली कर दी जाएं।.....दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। मैं सांविधिक संकल्प सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) आदेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

7.24 म०प० **लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या 2

आचार्य, श्री बसुदेव

बाग, श्री अजित

बनातवाला, श्री जी० एम०

बसु, श्री चित्त

विश्वास, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

दण्डवते, प्रो० मधु

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

ईरा मोहन, श्री

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

घोष, गोस्वामी, श्रीमती बिभा

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हसदा, श्री मतिदास

कोडियन, श्री पी० के०

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

राय, श्री एम० रामन्ना

रियान, श्री बाजू बन

राय, श्री ए० के०

सईद, श्री पी० एम०

सेन, श्री सुबोध

शास्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिन्हा, श्री निर्मल

वर्मा, श्री रवीन्द्र

यादव, श्री विजय कुमार

जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या 2

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बन्सी लाल, श्री

भगत, श्री एच० के० एल०

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोमांगो, श्री गिरिधर

जैन, श्री बृद्धिचन्द

जेना, श्री चिन्तामणि

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री जल्फिकार अली

कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

[illegible] श्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री उमा कान्त

मोतीलाल सिंह, श्री

नगीना राय, श्री

नायक, श्री जी० देवराय

नामग्याल, श्री पी०

नूरुल इस्लाम, श्री

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी॰

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पट्टाभिरामा राव, श्री एस॰ बी॰ पी॰

पुजारी, श्री जनार्दन

प्रधानी, श्री के॰

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी

कादरी, श्री एस॰ टी॰

राम, श्री राम स्वरूप

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो॰ एन॰ जी

राव, श्री एम॰ एस॰ संजीवी

राव, श्री एम॰ सत्यनारायण

राव, श्री पी॰ वी॰ नरसिंह

राउत, श्री भोला

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर

साही, श्रीमती कृष्णा

साठे, श्री वसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सावन्त, श्री टी० एम०

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शर्मा, श्री चिरन्जी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शिव शंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

तपेश्वर सिंह, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थुगोन, श्री पी० के०

वैराले, श्री मधुसूदन

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

यादव, श्री राम सिंह

जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

*निम्नलिखित सदस्य महोदय ने भी अपना मत दिया :—
विपक्ष में : श्री विष्णु प्रसाद

पक्ष में 31

विपक्ष में 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र का एक संशोधन है।

प्रश्न यह है :—

कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, में और संशोधन करने वाले विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 25 सदस्य हों, इस सभा से 15 सदस्य, अर्थात् :—

(1) श्री अजित बाग

(2) श्री अजय विश्वास

(3) श्री सोमनाथ चटर्जी

(4) श्री सुधीर कुमार गिरि

(5) श्री मतिलाल हसदा

(6) श्री सनत कुमार मंडल

(7) प्रो॰ अजित कुमार मेहता

(8) श्रीमती गीता मुखर्जी

(9) प्रो॰ रूप चन्द पाल

(10) श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव

(11) श्री ए॰ के॰ राय

(12) श्री अमर राय प्रधान

(13) श्री निर्मल सिन्हा

(14) श्री जायनल अबेदिन

(15) श्री सत्यगोपाल मिश्र

और राज्य सभा से 10 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ, जो अध्यक्ष महोदय करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा इसे संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे । (8)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड-2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री,

श्री जी० एम० बनातवाला : श्री सुधीर गिरि, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 और 2—क्रमशः पंक्ति 15 से 18 तक और 1 से 9 तक का लोप किया जाए । (1)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) :

पृष्ठ 2—लाइन 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह धारा ऐसे आदेश के सम्बन्ध में, जो ऐसे आधारों पर किया गया था, जिनमें से अधिकांश किसी कारण अथवा कारणों से अविधिमान्य पाए गए हैं, लागू नहीं रहेगी ।" (7)

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु जहां दो अथवा अधिक आधारों, जिन पर निरुद्ध किया गया है, में से एक आधार अस्पष्ट अविधमान असंगत, उस व्यक्ति से असंबद्ध या लगभग असम्बद्ध है अथवा किसी भी अन्य कारण से अविधिमान्य है, वहां ऐसे निरुद्ध किए व्यक्ति को एक महीने से अधिक अवधि तक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। (9)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी प्रस्तावित संशोधन एक साथ रखूं ?

श्री सुधीर गिरि : मैं अपने संशोधन के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं केवल अपना संशोधन पढ़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप कहेंगे कि समय समाप्त हो गया और हमें सभा स्थगित करनी चाहिए। आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिए। आपके संशोधन का प्रचार हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति संशोधन जानता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मेरा अमेंडमेंट के पृष्ठ एक और दो से, क्रमशः पंक्ति 15 से 18 तक और एक से नौ तक का लोप किया जाए।

(क) ऐसे आदेश के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय है कि आधारों में से एक या कुछ आधार :—

(1) स्पष्ट नहीं है ;

(2) विद्यमान नहीं है ;

(3) सुसंगत नहीं है ;

(4) उस व्यक्ति से सम्बद्ध नहीं है या उससे निकटत: सम्बद्ध नहीं है ; अथवा

(5) किसी भी अन्य कारण से अविधिमान्य है, और इस कारण यह अभिनिर्धारित करना सम्भव नहीं है कि ऐसा आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी ने, वैसा समाधान हो जाने पर जैसा कि शेष आधार या आधारों के प्रति निर्देश से धारा 3 में उपबन्धित है, निरोध-आदेश किया था ;

मैं चाहता हूं कि इन पंक्तियों को संशोधन विधेयक से हटा दिया जाए।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय, मैं समझता हूं, विधेयक का खण्ड-2 संविधान उपबंधों के विपरीत है। कृपया पृष्ठ 1 पर पंक्ति 14 तथा 15 देखें :

"5अ० जहां धारा 3 के अन्तर्गत नजरबंदी आदेश (चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1984 के लागू होने से पहले बना हो अथवा बाद में) के अनुपालन में किसी व्यक्ति को नजरबंद किया गया हो।"

इसका तात्पर्य यह है कि इस संशोधन के पास होने से पहले नजरबंद किए गए किसी व्यक्ति को भी इस संशोधन की सीमा में शामिल माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20 में यह व्यवस्था है कि :

"(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।"

अर्थात जब उसे पहली बार नजरबंद किया गया हो, तो उस पर उस समय विद्यमान कानून लागू होना चाहिए तथा यदि यह संशोधन किया जाता है तो इस संशोधत के लागू होने से पहले नजरबंद किए गए व्यक्ति को भी इसकी सीमा में शामिल माना जाएगा। अत: मैं समझता हूं कि यह कानून के उपबंध के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त मैं एक उपबंध और शामिल करना चाहता हूं :

"यह कि जिन आधारों पर नजरबंद किया गया हो उन दो अथवा अधिक आधारों में से एक आधार जब अस्पष्ट हो ऐसे व्यक्ति से विद्यमान न हो, सुसंगत न हो अथवा सम्बन्धित अथवा पूरी तरह सम्बन्धित नहीं हो, अथवा किसी अन्य कारण से चाहे वह कुछ भी हो, अवैध हो, ऐसी अवस्था में नजरबंद किए गए व्यक्ति को एक महीने से अधिक समय तक नजरबंद नहीं किया जाएगा।"

जहां तक 12 महीने की नजरबंदी के लिए किए गए उपबंध का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि नजरबंद किए गए व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाना चाहिए। किन्तु सरकार का इरादा उन्हें कुछ समय तक नजरबंद रखने का है, इस अवधि को 12 महीने के लिए नहीं एक महीने तक सीमित किया जाना चाहिए, इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, सामान्यत: मैं यह कहना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक मूल विधेयक नहीं है। छ: महीने से 2 महीने अथवा दो महीने से एक दिन की अवधि का परिवर्तन करने के संशोधन मूल संशोधन हैं और इसीलिए, मैं इन संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार करने में असमर्थ हूं। यह अत्यधिक तकनीकी किस्म का है।

श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन मुख्य खण्ड को ही समाप्त करने के बारे में है। एक यह विधेयक में संशोधन के स्थान पर विधेयक का विरोध मात्र है। अत: मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 में प्रस्तावित सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1, 7 तथा 9 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"**खण्ड** 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3

श्री जी० एन० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं;

पृष्ठ 2 पंक्ति 27 में,—

"बारह मास" के स्थान पर

"छः मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह भी कि ऐसे मामले में, जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पहले जारी किए गए निरोध आदेश के अवसान होने या रद्द किए जाने के पश्चात, कोई नए तथ्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, वहां कोई राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई पश्चात्वर्ती निरोध-आदेश जारी नहीं करेगी।"

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

10 पृष्ठ 2, पंक्ति 27,—

"बारह मास" के स्थान पर" "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

श्री सुधीर गिरी : महोदय, विधेयक का खण्ड 3 संविधान की भावना के पूर्णरूप से विपरीत है। यदि आप अनुच्छेद 19, 20 21 तथा 22 को पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं की है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कतई दोषी नहीं है, नजरबंद किया जाए। खण्ड 3 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी न पाया गया हो और यदि कोई नए कारण भी ध्यान में न आएं तब उस व्यक्ति को 12 महीने के लिए और भी नजरबंद किया जाएगा। मैं समझता हूं, यह सिद्धान्त के विरुद्ध है तथा मानवता के विरुद्ध है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा इस प्रस्तावित संशोधन को मानवता के नाते स्वीकार किया जाए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

केवल श्री बनातवाला के संशोधन के बारे में, जिसमें वह केन्द्र सरकार को बीच में लाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि अनुवर्ती नजरबंदी आदेश राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श करने के बाद ही जारी किया जाए, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। इसीलिए मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 के लिए दिए गए सभी संशोधनों को सभा में एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4, और 10 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 32 से 35 तक का लोप किया जाए। (2)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35 में,—

"दो वर्ष" के स्थान पर

"पन्द्रह महीने" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

श्री सुधार गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,

"दो वर्ष" के स्थान पर "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 4 में प्रस्तावित संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2, 5 और 11 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 4 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 के लिए कोई संशोधन नहीं है।

अब मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग गने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को पास करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब, केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त ही बोलेंगे। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई भी बोल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के प्रतिनिधि पहले ही बोल चुके हैं मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह पार्टी का मामला नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इसके बारे में इतना सख्त होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सदस्य बोल सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है । तृतीय पठन के समय, दलविहीन जनतन्त्र हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे अध्यक्षपीठ पर छोड़िए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : नियमों को अध्यक्ष पीठ पर नहीं छोड़ा जा सकता । हमें धमकी मत दीजिए ।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : हम बाहर निकल जाते हैं ।

श्री इन्द्रजीत यादव : नियमों को बदलने का आपको अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

जो इसके पक्ष में है "हां" कहें

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं कृपया "नहीं" कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ विधेयक पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.39 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 14 अगस्त, 1984/23 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित